बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल 1891 परिनिर्वाण : 6 दिसंबर 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 20

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 20
डॉ. अम्बेडकर – केंद्रीय विधानसभा में (1)

पहला संस्करण : 2003
दूसरा संस्करण : 2013

ISBN : **978-93-5109-020-5**

© सर्वाधिकार सुरक्षित

आवरण परिकल्पना : विनय कुमार पॉल
पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

मूल्य : सामान्य (पेपरबैक) : ₹ 40

प्रकाशक :
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571, 23320576, 23320589
फैक्स : 23320582
वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in

मुद्रक : अरिहंत ऑफसेट, जनकपुरी, नई दिल्ली

जो कुछ मैं कर पाया हूं, वह जीवन–भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूं। जिस कारवां को आप यहां देख रहे हैं, उसे मैं अनेक कठिनाइयों से यहां ले आ पाया हूं। अनेक अवरोध, जो इसके मार्ग में आ सकते हैं, के बावजूद इस कारवां को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहें, तो उन्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए, जहां पर यह अब है। पर कन्हीं भी परिस्थितियों में इसे पीछे नहीं हटने देना है। मेरी जनता के लिए मेरा यही संदेश है।

डा. भीमराव अम्बेडकर

परामर्श सहयोग

डा. सत्यनारायण जटिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार

श्री बी.एस. बासवान

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती जयति चन्द्रा

संयुक्त सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

सदस्य सचिव

डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री आर. किशोर बाबू

निदेशक

डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री ओम प्रकाश काश्यप

संपादक

डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

संकलन (अंग्रेजी)

श्री वसन्त मून

अनुवादक

श्री पूरन पाल

श्रीमती ऊषा गोपाल

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल

पुनरीक्षक

श्री डी.आर. निम

संपादन सहयोग

श्री विनय कुमार जैन

विशेष कार्य अधिकारी

डा. वलीउल्लाह खां

विक्रय प्रबन्धक

श्री जसवंत सिंह

dqekjh lSytk
KUMARI SELJA

Lkkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk ea=h
Hkkjr ljdkj
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
rFkk
v/;{k] Mk- vEcsMdj izfr"Bku
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के लेखों एवं भाषणों के खंड संख्या 20 का पुनः संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।

भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यन्त समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसीलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य–गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था, जिसके तहत मानव–मानव में भेद किया जाता था, से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया। समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक–धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन–मनन किया।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अन्य खंडों को भी शीघ्र प्रकाशित करने में प्रयासरत है। मुझे पूरी आशा है कि पाठकों को शीघ्र ही अप्रकाशित अन्य खंड भी पुस्तकों के आकार में प्राप्त हो जाएंगे।

आशा है, पाठकगण इस खंड के बारे में अपने अमूल्य विचार एवं सुझाव उपलब्ध करवाएं जिससे कि इन अनूदित खंडों की गुणवत्ता एवं साज–सज्जा को आगामी खंडों में आने वाले समय में बेहतर बनाया जा सके।

सैलजा

(कुमारी सैलजा)

<u>परामर्श सहयोग</u>

कुमारी सैलजा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार
एवं
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री डी. नैपोलियन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री पी. बलराम नाईक
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री अनिल गोस्वामी
सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

श्री संजीव कुमार
संयुक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री विनय कुमार पॉल
निदेशक
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री कुमार अनुपम
विशेष कार्याधिकारी

डॉ. शशि भारद्वाज
सम्पादक

श्री जगदीश प्रसाद 'भारती'
व्यापार प्रबंधक

डॉ० सत्यनारायण जटिया
DR. SATYANARAYAN JATIYA

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

अक्तूबर, 2003

सन्देश

बाबासाहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की प्रखर बुद्धि एवं अपूर्व प्रतिभा के सभी कायल हैं। प्रस्तुत खण्ड में डॉ0 अम्बेडकर द्वारा केन्द्रीय विधानसभा में श्रम सदस्य के रूप में विद्वान सदस्यों के समसामयिक प्रश्नों के उत्तर संकलित हैं। इस प्रश्नोत्तरी में बाबासाहेब की श्रमिक वर्गों की समस्याओं के प्रति गहरी समझ और उनके निराकरण के लिए प्रतिबद्धता दृष्टिगत होती है। इसमें उनकी विद्वता, वाकपटुता एवं प्रत्युत्पन्नमति के अनुरूप सरल भाषा में उनके द्वारा दिए गए उत्तर संकलित हैं। संकलन में काम के प्रति उनकी गहरी निष्ठा परिलक्षित होती है; हास-परिहास के क्षणों में भी गाम्भीर्य और दायित्व-बोध यथावत रहता है।

बाबासाहेब की श्रमिक वर्ग के प्रति आत्मीयता, भाषा की सहजता और भावों की सघनता की दृष्टि से यह खण्ड पठनीय एवं संग्रहणीय है।

(डॉ0 सत्यनारायण जटिया)

प्राक्कथन

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर अप्रतिम देशभक्त थे। उन्होंने देश की महान सेवा की। हमारे समाज में व्याप्त जाति–प्रथा को वह लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे। जहां मनुष्य मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करे, उसके साथ छूआछूत बरते, वह मनुष्य सभ्य नहीं कहा जा सकता और जो समाज इसकी इजाजत दे, वह समाज सभ्य नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने ऐसी असमानतामूलक, बर्बर और घिनौनी सभ्यता पर पुरजोर प्रहार किया। आज समाज की इस कुत्सित प्रथा को अवैध करार दे दिया गया है। यह बाबा साहेब के प्रयासों का ही सुफल है।

बाबा साहेब के सामाजिक नव–चेतना और नव–आर्थिक संरचना के स्वप्न को साकार करने हेतु भारत सरकार ने डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना की है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत है। प्रतिष्ठान द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं – 1. डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना करना, 2. डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना करना, 3. सामाजिक सद्भाव और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 4. सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 5. बाबा साहेब की विचारधारा और आदर्शों पर अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर पीठ, 6. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की संकलित कृतियों का हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन 7. डॉ. अम्बेडकर के जीवन और सिद्धान्तों पर सेमिनारों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों, प्रदर्शनियों तथा मेलों का आयोजन, 8. डॉ. बम्बेडकर जन्म–दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस प्रति वर्ष क्रमशः 14 अप्रैल तथा 6 दिसम्बर को मनाना, और 9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना।

हम प्रतिष्ठान की ओर से माननीय डॉ. सत्यनारायण जटिया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा श्री बी.एस. बासवान, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनसे हमें समय–समय पर अमूल्य परामर्श और मार्गदर्शन तथा प्रेरणा मिलती रहती है।

हमें हर्ष है कि बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर संपूर्ण वाङमय प्रायोजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित किये जा रहे खंडों का सर्वत्र स्वागत हुआ है जिससे हमें भारी प्रोत्साहन और बल मिला है।

अन्त में, हम इस संबंध में अपने पाठकों के सुझावों का स्वागत करेंगे।

जयति चन्द्रा
सदस्य–सचिव
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

प्रकाशकीय

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा समता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व पर आधारित समाज की स्थापना हेतु किये गये सतत प्रयास निस्संदेह अभिनन्दनीय हैं। वह एक मौलिक चिन्तक, निर्भीक वक्ता, उच्च कोटि के विद्वान तथा बहुआयामी व्यक्तित्व थे।

बाबा साहेब के चिन्तन को जनमानस तक पहुंचाने हेतु डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हिन्दी तथा अन्य ग्यारह भारतीय भाषाओं में उनके लेखों और भाषणों को खण्डरूप में प्रकाशित कर रहा है। डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वांङमय के इन भाषाओं में अब तक प्रकाशित सभी खंडों का पाठक वर्ग में भारी स्वागत हुआ है।

इसी श्रृंखला में हिन्दी में प्रकाशित प्रस्तुत खण्ड 20 और 21 को अपने सुधी पाठकों को समर्पित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है।

इन खंडों में हमें बाबा साहेब का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। भारत सरकार के श्रम सदस्य के रूप में उनसे बड़े जटिल और पेचीदा प्रश्न पूछे गये। परन्तु उन्होंने उनका बड़े सरल, संतुलित और स्वाभाविक ढंग से उत्तर दिया जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। वह सभा में पूरी जानकारी से लैस होकर आते थे और इसलिए सदैव हावी रहते थे।

अन्त में हम सम्पादकमंडल, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने इस प्रकाशन कार्य में सहयोग दिया।

आर. किशोर बाबू
निदेशक
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

संपादकीय

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर आजीवन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति समर्पित रहे और आधुनिक भारत के निर्माण तथा सामाजिक उत्थान में उनका योगदान अविस्मरणीय है। देश से गरीबी और असमानता दूर करना तथा सभी को सामाजिक न्याय सुलभ कराना डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष का मूलमंत्र था।

हमने बाबा साहेब के अंग्रेजी लेखों और भाषणों के दसवें खंड को पाठकों की सुविधा की दृष्टि से हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में चार खंडों अर्थात् 18 से 21 में विभाजित किया है। अन्तिम दोनों खंडों अर्थात् 20 और 21 में केन्द्रीय विधान सभा की 14 सितम्बर, 1942 से 12 अप्रैल, 1946 तक की बैठकों की कार्यवाही के दौरान बाबा साहेब से श्रम सदस्य होने के नाते विद्वान सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को संकलित किया गया है। खंड 20 में 310 प्रश्न और उनके उत्तर तथा खंड 21 में 162 प्रश्न और उनके उत्तर समाविष्ट किये गये हैं। ये प्रश्न मूल रूप से श्रम कलयाण से संबंधित विषयों को लेकर पूछे गये हैं। डॉ. अम्बेडकर ने तो अपने उत्तरों में गागर में सागर भर रखा है। न्यूनतम शब्दों में सम्पूर्ण अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने की उनकी शैली प्रभावित करती है। साथ ही उनकी हाजिरजवाबी और वांग्मिता की झलक भी इन खंडों में देखने को मिलती है। इस दृष्टि से ये खंड पाठकों को खूब रोचक लगेंगे।

आशा है पाठकगण इन खंडों का भी पूर्ववत स्वागत करेंगे।

ओम् प्रकाश काश्यप

संपादक

डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
सन्देश	vii
प्राक्कथन	ix
प्रकाशकीय	xi
संपादकीय	xii
1. प्रश्न तथा उत्तर (1 से 310)	1-371
2. अनुक्रमणिका	373-76

1

*औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों की हाल की हड़ताल

16. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल के सप्ताहों के दौरान, लोहा तथा इस्पात (स्टील) कोयला तथा कपड़ा जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों की हड़ताल रही है; और

(ख) यदि हां तो क्या माननीय सदस्य इन हड़तालों की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक विस्तृत बयान देने की कृपा करेंगे और प्रत्येक मामले में बताएंगे कि वे मुद्दे क्या थे जिन पर हड़ताल की गई थी, हड़ताल में कितने व्यक्ति शामिल हुए थे और हड़ताल की अवधि कितनी थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) पिछले पांच सप्ताहों के दौरान, कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों ने कुछ अवधि के लिए काम करना बंद कर दिया था। उनके नाम लेना या उन्हें अलग–अलग बताना जनहित में नहीं है।

(ख) यह जनहित में नहीं है कि जो औद्योगिक संस्थान युद्ध के महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, उनके संबंध में मांगी गई पूरी सूचना दी जाए।

2. अनेक मामलों में काम के बंद करने का आर्थिक शिकायतों के साथ कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। अन्य कुछ थोड़े से संस्थानों में, एक मामूली हड़ताल के रूप में काम अधिक बंद रहा है, जिसमें मजदूरी या मंहगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की गई है।

3. अहमदाबाद ऐसा नगर था, जिसमें काम सबसे लम्बे समय तक बंद रहा। यहां पर प्रकट रूप में कोई आर्थिक शिकायत नहीं थी और मिल अभी तक पुनः चालू नहीं हुए हैं। बम्बई में आज की तारीख में सभी मिल बंद थे, और उन मिलों में जो बंद रहे, काम केवल अल्पावधि तक ही बंद रहा। यहां भी कोई भी आर्थिक शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई। कोयम्बटूर में, जहां मिल पुनः चली हैं और फिर बंद हुई हैं, कुछ हद तक आर्थिक शिकायतें प्रकट हुई हैं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942. का खण्ड 3, 15 सितम्बर 1942, पृष्ठ 87-90.

4. बम्बई, अहमदाबाद तथ कोयम्बटूर की कपड़ा मिलों में, काम बंद होने के अलावा ऐसे औद्योगिक संस्थानों की संख्या केवल एक दर्जन के लगभग थी, जिनमें से प्रत्येक में एक हजार से अधिक कर्मचारी लगे हैं और जिनमें काम आर्थिक कारणों के लिए काफी समय तक बंद रहा। लगभग दस अन्य संस्थानों में, जिनमें से प्रत्येक में लगभग एक हजार कर्मचारी लगे हैं, काम बहुत ही कम अवधि के लिए बंद रहा। एक हजार से कम कर्मचारियों वाले जिन संस्थानों में काम गैर–राजनीतिक कारणों से 9 अगस्त से बंद रहा, उनकी संख्या 20 से कम थी।

5. काम बंद रहने वाले संस्थानों की अधिक संख्या बम्बई तथा बंगाल प्रान्तों में थी, केवल आधा दर्जन संस्थान ही अन्य स्थानों में थे।

6. सरकार को औद्योगिक संस्थानों में, काम को बंद करने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई किसी तोड़–फोड़ की जानकारी नहीं है।

7. अगस्त के दूसरे सप्ताह से हुई हड़तालों का जहां तक संबंध है, जो कि विशुद्ध रूप में आर्थिक कारणों से हुई बताई जाती है, उनकी संख्या लगभग 24 है, केवल सात संस्थानों में ही एक हज़ार से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि जो कारखाने बंद हो गए हैं उनमें से कुछ ने अपने कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति दी और उनको उस दिन का वेतन दिया?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जो बयान पहले दिया जा चुका है, सरकार के पास उससे अधिक कोई निश्चित सूचना नहीं है। परन्तु कुछ ऐसे संकेत हैं कि कुछ मामलों में वे बातें सम्भवतः हुई हैं जिनका उल्लेख मेरे माननीय मित्र द्वारा किया गया है।

श्री लालचंद नवलराय : क्या माननीय सदस्य से मैं यह जान सकता हूँ कि क्या ये हड़तालें कुछ शर्तों पर बंद हुई थी या वे स्वयं ही बंद हो गईं या कुछ शर्तों पर सरकार की सहायता से बंद हुई?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : आपका प्रश्न मेरी समझ में नही आया।

श्री लालचंद नवलराय : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इनमें से कुछ हड़तालें समाप्त हो गई। अब मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या वे सरकार द्वारा प्रस्तुत किन्हीं शर्तों पर बंद हुई या वे स्वयं ही उनकी अपनी इच्छा पर समाप्त हो गई या क्या ये हड़तालें किसी शर्त पर समाप्त हुई हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : कुछ मामलों में वे अपनी इच्छा से ही समाप्त हुई हैं।

श्री लालचंद नवलराय : क्या मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूँ कि क्या इनमें से किसी ने हड़ताल सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तों पर समाप्त की और वे शर्तें क्या थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं मुझे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है, जिसमें सरकार ने श्रमिकों को काम पर आने के लिए, उनके सामने कुछ शर्तें पेश की हों।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं माननीय सदस्य द्वारा किए गए बयान के संबंध में यह पूछ सकता हूँ कि क्या बम्बई के श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत मांगें सरकार के समक्ष रखी गईं? क्या उन्हें यह जानकारी है कि बम्बई गिरनी कामगार संघ ने बम्बई सरकार को एक महीना पहले, वेतन तथा अन्य मामलों के संबंध में अपनी मांगों के विषय में एक बयान भेजा था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं जानता हूँ कि कुछ मांगें की गई थीं, परन्तु जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ, वह यह है कि जहां तक मुझे मालूम है, बम्बई में किसी भी मामले में, काम के बंद होने का कारण शिकायतें करना था।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या गिरनी कामगार संघ ने अपनी मांगें बम्बई सरकार को भेजी हैं, और यदि, उसके बाद, हड़तालें हुई, तो माननीय सदस्य के यह कहने का क्या अभिप्राय है कि कोई आर्थिक मांग नहीं की गई या कोई भी आर्थिक मांग हड़ताल का कारण नहीं थी और उन्होंने यह बात कैसे कही और यह निष्कर्ष कैसे निकाला?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : बम्बई सरकार से मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली, परन्तु जिस जानकारी का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वह मुझे समाचारपत्रों से मिली।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि वे बम्बई सरकार से यह पूछताछ करें कि क्या उसने बम्बई के कपड़ा कर्मियों की शिकायतों को दूर करने तथा बम्बई गिरनी कामगार संघ द्वारा रखी गई मांगों पर विचार करने के लिए कोई कार्रवाई की है?

सर कोवासजी जहांगीर : क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूँ कि 8/9 अगस्त, के बाद बम्बई के कपड़ा मिलों में कितनी हड़तालें हुईं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : बहुत थोड़ी सी हड़तालें हुईं।

श्री मुहम्मद नौमैन : क्या माननीय सदस्य, टाटा आयरन तथा स्टील कम्पनी के कर्मचारियों के वेतन के विषय में कोई संकेत दे सकते हैं? क्या उनकी विशिष्ट मांगों को सरकार के पास भेजा गया था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस संबंध में कोई सूचना देना जनहित में नहीं है।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसा हो सकता है। सरकार इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

श्री के.सी. नियोगी : यह रिपोर्ट एक प्राधिकृत एजेंसी, एसोसिएटेड प्रेस से है। यह कहा जाता है कि उन्होंने काम को भारत में राष्ट्रीय सरकार के मामले के कारण बंद किया।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य का यह कहने का क्या अभिप्राय है कि एसोसिएटेड प्रेस एक प्राधिकृत एजेंसी है।

श्री के.सी. नियोगी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य सरकारी विज्ञप्तियां नहीं पढ़ते।

सरदार संत सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि ये सब हड़तालें महात्मा गांधी तथा उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद हुईं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं निश्चित सूचना नहीं दे सकता, परन्तु मैं यह समझता हूँ कि ये हड़तालें अचानक नहीं हुईं।

पं. लक्ष्मीकांत मैत्रा : क्या माननीय सदस्य वे तारीखें बताने की कृपा करेंगे जिनको हड़तालें आरंभ हुईं? हम उनसे काम चला सकते हैं।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : कहां? किस स्थान पर?

पं. लक्ष्मीकांत मैत्रा : टाटा में।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा मैंने कहा, मैं कोई सूचना देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कोई सूचना देना जनहित में नहीं है।

पं. लक्ष्मीकांत मैत्रा : मैं हड़ताल के लिए कारण या कोई ऐसी जानकारी

नहीं चाहता। मैं उन तारीखों को जानना चाहता हूँ जिन पर हड़तालें घोषित की गई थी।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा है कि कोई जानकारी देना जनहित में नहीं होगा।

सरदार संत सिंह : क्या यह सच है कि ये सब हड़तालें महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद हुई और क्या सरकार इस बात में विश्वास करती है कि यह बात आंदोलन की तीव्रता को दर्शाती है और महात्मा गांधी का देश में किसका प्रभाव है, इस बात को दर्शाती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह एक तर्क है, यह प्रश्न नहीं है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या जमशेदपुर में हड़ताल समाप्त हो गई है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा विश्वास है, कि यह समाप्त हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहमान) : अगला प्रश्न।

2

*भारतीय भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण के उपयोगिता अनुभाग के क्रियाकलापों का कार्यक्रम

17. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण के नवनिर्मित उपयोगिता अनुभाग के क्रियाकलापों के संबंध में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) वे कौन–कौन से खनिज हैं जिनको अब ऐसे क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल करने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि इस अनुभाग का प्रारंभिक संबंध विशेषज्ञों की सहायता से चुने हुए खनिजों के संबंध में पुरोगामी काम से होगा, जबकि अंततोगत्वा उनके अवशोषण का काम उपयुक्त वाणिज्यिक संस्थाओं को सौंपा जाएगा;

(घ) क्या पेट्रोलियम को भी उन खनिजों में शामिल किया गया है जिनसे इस अनुभाग का संबंध है;

---

* विधानसभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942. का खण्ड 3, 15 सितम्बर 1942, पृष्ठ 90-93.

(ङ) इस अनुभाग के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए अब तक कौन से व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं और ऐसे कदम किन खनिजों के संबंध में और किन विशेषज्ञों की सहायता से, तथा किस मूल उद्देश्य की दृष्टि से उठाए गए हैं;

(च) क्या उपयोगिता अनुभाग के प्रयासों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान और वाणिज्यिक विभाग से संलग्न उपयोगिता से संबंधित संगठन के क्रियाकलापों के साथ समन्वित किया जाता है; और यदि हां तो किस तरीके से?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ, फिर भी यदि किसी विशेष खनिज के लिए अत्यंत तीव्र मांग होगी तो कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ख) वे सभी खनिज, जिनकी आवश्यकता युद्ध के कार्यों के लिए है और जिनके लिए भारत में काम की उपयुक्त संभावना है। इनमें सल्फर, माइका, टंगस्टन या वोलफ्रांम, तथा अलौह धातु जैसे लीड, जिंक, तांबा तथा टिन शामिल हैं।

(ग) विशेषज्ञों की सहायता से उपयोगिता शाखा निक्षेपों को प्रभावित करेंगी और लघु–पैमाने के खनन कार्यों को शुरू करेगी जिनमें धातुओं को गलाकर साफ करने आदि के लिए प्रयोगात्मक तथा पायलट संयंत्रों के उस अवस्था तक कार्य शामिल हो सकते हैं, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन को वाणिज्य फर्मों द्वारा अपनाया जा सकता है। वर्तमान भावना यह है (युद्ध के उत्पादन के बनाए रखने की आवश्यकता तथा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अधीन) कि उस स्तर पर वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(घ) नहीं, वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार।

(ङ) उपयोगिता शाखा लीड (जस्ता) तथा जिंक का शीघ्रता से उत्पादन प्राप्त करने की संभावना की जांच पड़ताल करने के लिए पहले से कदम उठा चुकी है। लीड जिंक की भारत में सबसे अधिक आशाजनक खानें उदयपुर राज्य में जावर की खानें प्रतीत होती हैं। श्री डब्ल्यू. पी. कोवन जो बर्मा में मावची खानों के महाप्रबंधक थे, के माध्यम से, भारत सरकार ने मेवाड़ सरकार के साथ बातचीत की। उन्होंने एक निजी कम्पनी द्वारा किए गए खानों के पट्टे की क्षतिपूर्ति के भुगतान पर मंसूखी प्राप्त कर ली और मेवाड़ सरकार से खानें खोदने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। श्री कोवन को इन प्रचालन कार्यों का प्रभारी बना दिया गया और 1942 की मई के आखीर में काम आरंभ कर दिया। प्रचालन कार्यों को दो चरणों में पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है – 1. एक विस्तृत चित्रण फलक (प्लेनटेबिल) सर्वेक्षण तथा उसके बाद गहन वेधन कार्य किए जाने हैं। 2. ये कार्य निक्षेपों को खोलकर तथा प्रायोगिक धातुक प्रसाधन संयंत्र तथा प्रगालकों की

स्थापना करने से किए जाते हैं जैसे ही वेधन कार्य धातु–रेखा व्यवहार्यता के स्थापित होते ही किए जाने हैं। सर्वेक्षण में अब तक जो प्रगति हुई है, उसके परिणामस्वरूप, यह आशा है कि धातु–रेखा की "देयता" के संबंध में सूचना, मूलतः प्राप्त होने की संभावना की तुलना में जल्दी प्राप्त हो जाएगी। श्री कोवन द्वारा वेधन उपस्कर आदि के रूप में अपेक्षित अधिकांश मशीनें अब पहुँच गई हैं। दो खनन अभियंता, एक यांत्रिक अभियंता, दो धातु–विज्ञानी तथा तीन सर्वेक्षक श्री कोवन की सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।

कोह–इ–सुल्तान के बुझे हुए ज्वालामुखी में सल्फर निक्षेपों के शोषण का कार्य आपूर्ति विभाग से उपयोगिता शाखा ने ले लिया है और भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण का एक अधीक्षक भूवैज्ञानिक इस प्रचालन कार्य का प्रभारी है।

यह शाखा अभ्रक (माइका) के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है। भूविज्ञान–सर्वेक्षण का एक अधीक्षक भूविज्ञानी एक नवनिर्मित माइका उत्पादन अनुभाग का प्रभारी है। इस शाखा का काम, उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक आपूर्ति को प्राप्त करने में माइका के खनिकों (माइनर्स) को सभी संभव सहायता प्रदान करना होगा।

शाखा द्वारा वुलफ्रैम, तांबा आदि के संबंध में अन्वेषण का कार्य भी हाथ में लिया गया है, और टिन सम्बंधी संभावना की ओर भी तत्काल ध्यान दिया जा रहा है। मूल उद्देश्य उन खनिजों के संबंध में जिनकी आवश्यकता युद्ध के कार्य के लिए है भारत को यथासंभव आत्मनिर्भर बनाना है।

(च) हाँ, निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान तथा वाणिज्यिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी सलाहकार समिति के सदस्य हैं जिसकी स्थापना इस शाखा की सहायता करने के लिए की गई है।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि माननीय सदस्य ने कुछ प्रकार के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों का उल्लेख किया, क्या वे सब बर्मा से हटाए गए ब्रिटिश कर्मचारी हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : प्रश्न के इस भाग के मेरे उत्तर में जिन दो खनन अभियंताओं का उल्लेख किया गया है, उनके संबंध में सूचना यह है: खनन अभियंता के रूप में नियुक्त दो व्यक्ति श्री स्मिथ तथा श्री रोबोट्टम हैं।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : क्या वे सब बर्मा से आए हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वे बर्मा छोड़कर आए हैं। उनके अधीन दो परिवीक्षाधीन व्यक्ति हैं, वे दोनों भारतीय हैं। फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर श्री साइमस हैं। वह भी बर्मा से निष्क्रांत हैं। दो धातु विज्ञानियों में से एक भारतीय श्री नारायण, और दूसरा श्री फ्लेमिंग है। सल्फर से सम्बंधित दो सर्वेक्षक हैं, वे

सब भारतीय हैं। इन बर्मा निष्क्रांतों को क्यों नियुक्त करना पड़ा, इसका कारण यह है कि केवल मात्र वहीं व्यक्ति हैं जो लीड तथा ज़िंक संबंधी खनन के विषय में कुछ जानते हैं। वे सब मावची खानों से लिए गए हैं और शायद, माननीय सदस्य जानते हैं कि बर्मा में मावची खानें ही केवल लीड तथा ज़िंक की खानें हैं। किसी अन्य स्थान पर हमारे पास कोई विशेषज्ञ नहीं था। विभाग की नीति यह है कि जबकि लीड तथा ज़िंक के खनन में अनुभवप्राप्त यूरोपियनों को नियुक्त करना अपरिहार्य आवश्यकता है, विभाग यह कदम उठा रहा है कि जहां कहीं भी किसी यूरोपियन की नियुक्ति की जाएगी वहीं प्रशिक्षित करने के लिए उसके अधीन, एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा ताकि जब यूरोपियन छोड़ेगा तो भारतीय दिमाग का प्रभार संभालने के योग्य होगा।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : माननीय सदस्य ने अभी–अभी कहा है कि श्री कावन ने मई, 1942 के अंत में काम आरंभ किया और कि इन अलौह धातुओं, जिंक तथा लीड के संबंध में ब्रिटिश कर्मचारियों की नियुक्ति अपरिहार्य थी। इन खानों की खोज कराने की बात भारत सरकार के मन में कब आई और क्या यह बर्मा के पतन के बाद आई, ताकि इन व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए जिनकी नौकरी समाप्त कर दी गई है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : भारत में इन खानों के खोलने व काम कराने की बात सरकार के मस्तिष्क में पहली बार कब आई और इस तमाम समय में सरकार क्या करती रही?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : कदाचित, किसी बाहरी निदेश के बिना बिल्कुल सहजभाव में करती रही।

सरदार संत सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या इन खानों में काम करने की आवश्यकता युद्ध प्रयास के लिए व्यवस्था करने के लिए महसूस की गई, या यह बर्मा से इन शरणार्थियों को कुछ रोज़गार प्रदान करने के लिए किया गया?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : निश्चित रूप से नहीं, चूंकि बर्मा से आपूर्ति बंद हो गई, अतः भारत सरकार के लिए अपने निजी स्त्रोतों का उपयोग करना आवश्यक था।

श्री के.सी. नियोगी : प्रश्न के भाग (घ) के संदर्भ में, मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि फिलहाल, पेट्रोलियम को खनिजों में शामिल नहीं किया गया है। क्या पेट्रोलियम को इस कार्यक्रम से बाहर विभाग के विवेक से रखा गया है या इस कारण से शामिल नहीं किया कि सरकार ने भारत में पेट्रोलियम के विकास के लिए किसी अन्य ऐजेंसी को वचन दिया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : बिल्कुल नहीं। मेरा उत्तर यह था कि फिलहाल कार्यक्रम में यह शामिल नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं कि इसे कार्यक्रम में से पूर्णतया निकाल दिया है।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य को इस बात पर आश्चर्य होगा जो मैं उन्हें बताऊंगा कि डा. फोक्स ने 6 जुलाई को एक बयान दिया, जिसके एक अंश का मैंने कल उल्लेख किया था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र से यह कहना चाहूँगा कि डा. फोक्स भारत सरकार की नीति का निर्णय नहीं करते।

श्री के.सी. नियोगी : परन्तु कम से कम डा. फोक्स की बात में सच्चाई प्रतीत होती है। जो कुछ भी हो, क्या मैं एक दूसरा बहुत छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? मेरे माननीय मित्र ने कहा कि उदयपुर दरबार को रियासत में लीड तथा जिंक सम्बंधी उस पट्टे को निरस्त करने के लिए समझाना पड़ा, जो पहले ही एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया था। उदयपुर दरबार से इस पट्टे को कृतज्ञतापूर्वक निरस्त कराने से पहले, क्या सरकार द्वारा इस बात का पता लगाने का प्रयास किया गया था कि क्या उस प्राइवेट पार्टी के साथ, इस उद्देश्य से उन क्रियाकलापों को चलाने के लिए समझौता नहीं हो सका था जिन कार्यों को विभाग चलाना चाहता था।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे उस प्रश्न के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए।

3

*"बेविन लड़के (ब्वाएज़)" की भारत में वापसी तथा उनका रोज़गार

23. श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या माननीय श्रम सदस्य कृपया यह बताएंगे कि कितने बेविन लड़के (ब्वाएज़) भारत में वापिस आए हैं और क्या उन सब को रोज़गार मिल गया है; यदि नहीं, तो उनके बेरोजगार रहने के क्या कारण है? और क्या उनमें से कोई ट्रेड यूनियनों में भाग ले रहा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : 149 बेविन लड़के (ब्वाएज) भारत में वापस आए हैं उनमें से 26 केवल 5 सितंबर को ही पहुंचे हैं और अब एक परीक्षक–मंडल द्वारा उनकी परीक्षा ली जा रही है। शेष 123 में से, 105 को रोजगार में लगा दिया गया

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942. का खण्ड 3, 15 सितम्बर 1942, पृष्ठ 112-113.

है, जिनके वेतन में 145 प्रतिशत की औसतन वृद्धि हुई है। शेष 18 में से, 9 लड़कों को जो जुलाई के अंत में पहुंचे हैं, पद आवंटित कर दिए गए हैं और उन्हें शीघ्र ही नियुक्त कर दिया जाएगा। दो फैक्ट्री में कार्य नहीं करना चाहते। उनको आपात कमीशन (इमरजेंसी कमीशन), एक को भारतीय सेना में और एक को भारतीय वायुसेना में देने पर विचार किया जा रहा है, तीन ने पदों पर प्रदान की गई नियुक्तियों को लेने से इन्कार कर दिया है, अब उनके लिए अन्य नियुक्तियों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है, एक बढ़े हुए वेतन पर अपने मूल पद पर वापस जा रहा है। एक परीक्षा दे रहा है ताकि उसकी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण केन्द्र में वैल्डर इन्सट्रक्टर के रूप में हो सके, एक को एक पद के लिए निर्धारित किया है, परन्तु फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता, और अंतिम आदमी को कदाचार के कारण उसका प्रशिक्षण पूरा किए बिना इंगलैंड से वापस कर दिया गया था।

अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वापस आए प्रशिक्षणार्थियों में से कोई ट्रेड यूनियन के कामों में भाग ले रहा है या नहीं।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या उनकी बेरोजगारी इस तथ्य के कारण नहीं है कि वे ट्रेड यूनियन आंदोलनों में भाग ले रहे हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा ऐसा विचार नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों में मुझे बेरोजगारी का कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सभी बेविन लड़कों को रोज़गार मिल गया है और इसका उत्तर यह था कि सब 'बेविन लड़के' जो वापस आए हैं, रोजगार में नहीं लगे हैं, कि कुछ की परीक्षा ली जा रही है; कि कुछ को रोजगार मिल गया है, कि कुछ को उनके पुराने कामों पर वापिस भेजा गया है। मैं यह प्रश्न रखना चाह्ता हूँ कि क्या उनके बेरोजगार रहने का कारण, किसी रूप में यह है कि वे ट्रेड यूनियन क्रियाकलापों में भाग ले रहे हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यकीन है, यह कारण नहीं है।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : एक बेविन लड़के के विरुद्ध किस प्रकार के कदाचार की रिपोर्ट थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या इसका कोई संबंध उसके ट्रेड यूनियन क्रिया–कलापों से है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस युवक के अवसरों को खराब नहीं

करना चाहूँगा। क्या सरकार के लिए यह सोचना उपयुक्त नहीं था कि वह इस संबंध में पूछताछ करे कि वह कदाचार क्या था?

श्री गोविन्द वी. देशमुख : जब इस युवक के विरुद्ध इसके कदाचार के इस मामले की रिपोर्ट की गई तो क्या सरकार ने यह उपयुक्त नहीं समझा कि वह कदाचार क्या था, उसके संबंध में छानबीन व पूछताछ की जाए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसमें शक नहीं कि जिस कदाचार का वह दोषी पाया गया, वह किस प्रकार का था, उसके संबंध में सरकार को सूचना मिली है। इस समय, तथ्य मेरे पास नहीं हैं। मैं नोटिस चाहता हूँ।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या "बेविन लड़के" श्रमिक वर्गों से सम्बंधित हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : विभाग इस मामले के उस पहलू की भी जांच कर रहा है।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि "बेविन लड़के" इंगलैंड में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भारत में वापस लौटे हैं, उनकी पुनः परीक्षा लेने व जाँच करने की आवश्यकता कहाँ है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : अधिकांश नियोक्ता भारत सरकार की इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि वे प्रशिक्षित हैं और नियोक्ता इस बात से स्वयं संतुष्ट होना चाहेगा कि जिस व्यक्ति को वह नौकरी में लगा रहा है, वह समुचित रूप से प्रशिक्षित है। हम नियोक्ता को ऐसा करने से रोक नहीं सकते।

4

*श्रमिक के वेतन में अवमूल्यन

27. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने खाद्य–सामग्री तथा कपड़े की वस्तुओं और जीवन निर्वाह के सामान्य व्यय के मूल्यों में वृद्धि के अनुपात में वेतन में सही अवमूल्यन का पता लगाया है; यदि हां तो उसका अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा युद्ध काल का बोनस उनके वेतन में अवमूल्यन या आनुपातिक गिरावट से आई कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942. का खण्ड 3, 15 सितम्बर 1942, पृष्ठ 115-17.

(ग) यदि (ख) का उत्तर हां में है तो क्या माननीय सदस्य का रेलवे के श्रमिकों के वेतन के मामले पर पुनः विचार करने का इरादा है और उनके वेतन में पर्याप्त राशि की वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या युद्ध की अवधि के दौरान, सरकार का रेलवे के श्रमिकों के लिए खाने तथा कपड़े के स्टोर स्थापित करने का इरादा है जिनसे उनको उनकी वर्तमान आय के अनुरूप ये वस्तुएं प्रदान की जा सकें और यदि इस व्यवस्था को एक स्थायी उपाय के रूप में जारी रखना संतोषजनक है; और

(ङ) क्या माननीय सदस्य, सरकार द्वारा नियंत्रित रेलवे, प्राइवेट रेलवे (अर्थात् कम्पनी के प्रबंध वाली और निजी राज्य रेलवे) में रेलवे श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन तथा भारत में कपड़ा मिलों, जूट मिलों और लोहा तथा स्टील कारखानों के श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन तथा एक सप्ताह में उनके काम के घंटों का एक तुलनात्मक विवरण देंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जीवन निर्वाह व्यय लागत में समस्त भारत में उसी समान दर पर वृद्धि नहीं हुई है। जीवन–निर्वाह व्यय के विश्वसनीय सूचक केवल कुछ बड़े नगरों के लिए ही हैं; वेतन की दरों में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक केन्द्र पर भी बड़ा अंतर है, और वेतन की दरों में गति उसी एक स्थान पर उसी तरह असमान रही है और उसी तरह भिन्न–भिन्न स्थानों पर ही है। इन तथ्यों की दृष्टि से, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। यदि वह एक ऐसे स्थान के जहां पर निर्वाह व्यय का विश्वसनीय सूचक है, विनिर्दिष्ट श्रमिकों की श्रेणी के संबंध में सूचना चाहते तो मैं उसे देने का प्रयत्न करूंगा।

(ख) नहीं है, मुझे यकीन है कि मंहगाई भत्ता से निम्न ग्रेडों में बढ़े हुए जीवन–निर्वाह व्यय की पूर्णतया पूर्ति हो जाती है, यद्यपि उच्च ग्रेड वालों में इससे ह्रासमान सीमा तक ही पूर्ति होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता; परन्तु मैं यह कहूँगा कि हाल में, महंगाई भत्ते में बहुत अधिक वृद्धि की गई थी, यह वृद्धि भारतीय रेलवे कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ के साथ बातचीत करके की गई थी, इस समय उसमें आगे और संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है।

(घ) अनेक रेलों के प्रशासन ने जब आवश्यक समझा अनाज की दुकानें खोली हैं और खोली जा रही हैं। इन दुकानों को दी गई वस्तुओं की बिक्री प्रांतीय सरकारों द्वारा निर्धारित नियंत्रण मूल्य से अधिक पर नहीं की जाती। युद्ध के दौरान, इन दुकानों को चलाने की जब तक आवश्यकता रहेगी, इन्हें चलाते रहने

का इरादा है। रेलवे में अभी तक कपड़े की कोई दुकान नहीं खोली गई।

(ङ) ऐसी व्यापक तुलना करने का कोई ज्ञात आधार नहीं है। प्रत्येक कारखाना विशेषज्ञ श्रमिकों को लगाता है और इसलिए तुलना करना कठिन है।

श्री मुहम्मद नॉमैन : क्या मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार का यह दावा है कि 1939 से मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार का वह दावा नहीं है। सरकार जो कह सकती है, वह यह है कि मूल्य वृद्धि में कोई एकरूपता नहीं है।

श्री मुहम्मद नॉमैन : यदि न्यूनतम वृद्धि को लें तो कुछ एकरूपता है। क्या सरकार सब वस्तुओं में न्यूनतम वृद्धि को जो 50 प्रतिशत से ऊपर है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि वृद्धि हुई है, परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वृद्धि का प्रतिशत इतना ऊंचा है जितना माननीय सदस्य बताते हैं।

श्री मुहम्मद नॉमैन : क्या सरकार जांच पड़ताल करेगी और यह पता लगाएगी कि यह आरोप या दावा सही है या नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं स्वयं जाँच-पड़ताल करने का वचन नहीं दे सकता, इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी तथा समय की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती।

श्री मुहम्मद नॉमैन : तबसे तीन वर्ष बीत चुके हैं, सरकार को यह सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय (माननीय अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य अपना मत प्रकट कर रहे हैं।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या इस प्रश्न में उल्लिखित मंहगाई भत्ता, भारत सरकार के अन्य विभागों विशेष रूप से डाकघर को भी दिया जाएगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह प्रश्न उपयुक्त विभाग को सम्बोधित किया जाना चाहिए।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : इस प्रश्न का संबंध रेलवे से है, परन्तु मेरे माननीय मित्र ने इस प्रश्न का संबंध श्रम विभाग से मानकर, इस प्रश्न को लिया

है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या रेलवे के संबंध में उल्लिखित श्रम स्थिति को अन्य विभागों में श्रम की स्थिति तक विस्तृत किया जाएगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा विचार है, कि भारत सरकार के सभी कर्मचारियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते में वृद्धि हुई है।

श्री मुहम्मद नॉमैन : भाग (घ) के सम्बंध में क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने उन नियंत्रण दरों (कंट्रोल रेट्स) की तुलना करने का कष्ट किया है, जिन दरों पर वस्तुएं 1939 तथा 1940 में बेची जाती थीं और जिन दरों पर अब बेची जा रही हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार को उस उद्देश्य के लिए यह जान लेना पर्याप्त है कि दरों में वृद्धि हुई है। उस स्थिति में वह इस बात पर विचार कर सकती है कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाए या नहीं।

काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर मूल्यों में वृद्धि सबसे कम हुई है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह बताने के लिए मुझे नोटिस चाहिए।

5

*असैनिक सफरमैन (पायनियर) यूनिटों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

राव बहादुर एन. शिवराज : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न प्रान्तों में असैनिक सफरमैन की कितनी बटालियनें बनाई गई है;

(ख) अधिकारियों तथा सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कितना है;

(ग) यदि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो क्या उसका कारण बताएंगे; और

(घ) उनको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का इरादा है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942. का खण्ड 3, 22 सितम्बर 1942, पृष्ठ 385-88.

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) पहले चरण में असैनिक सफरमैन (पायनियर) बल की बारह यूनिटों की स्वीकृति दी गई है, जो इस प्रकार है–

बंगाल – 3, मद्रास – 2, बिहार – 1, मुम्बई – 1, सी.पी. (मध्य प्रान्त) तथा बरार – 1, उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त – 1, उड़ीसा – 1, पंजाब – 1, यू.पी. – 1, इनमें से अधिकांश यूनिटें अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं।

सात अतिरिक्त यूनिटों की स्वीकृति हाल ही में दी गई है। वे इस प्रकार हैं – बंगाल – 3, मुंबई – 1, सी.पी. – 1, मद्रास – 2, इनके लिए अब भर्ती आरंभ हो गई है।

(ख) इस समय अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व असैनिक सफरमैन (पायनियर) बल में निम्न प्रकार से हैं –

बंगाल 2 प्रतिशत, मुंबई 10.5 प्रतिशत, सी.पी. तथा बरार 26 प्रतिशत, पंजाब 32 प्रतिशत, यू.पी. 20 प्रतिशत, मद्रास के आंकड़े मालूम नहीं, उत्तरी–पश्चिमी सीमा प्रान्त (एन. डब्ल्यू.एफ.पी.) सभी मुसलमान। जैसे ही आगे और भर्ती होगी, इन आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है।

इस समय जैसी सूचना मिली है, अनुसूचित जाति का केवल एक अधिकार है।

(ग) 1942 के अध्यादेश सं. X के अधीन असैनिक सफरमैन (पायनियर) बल का गठन करने का काम प्रान्तीय सरकारों को सौंपा गया था। इसलिए प्रान्तीय सरकारें ही अपनी–अपनी यूनिटों के गठन का निर्णय करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ) भारत सरकार ने सभी प्रान्तीय सरकारों को भविष्य में भर्ती में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के संबंध में लिखा है और यह निर्देश दिया है कि अधिकारियों तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों दोनों का प्रतिशत उस प्रान्त में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के अनुरूप होना चाहिए, और जहां पर इस प्रतिशत को पहले पूरा नहीं रखा गया है तो उसे बाद में बनाई जाने वाली यूनिटों में भर्ती में पूरा कर लेना चाहिए।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि इस असैनिक सफरमैन बल (सिविल पायनियर फोर्स) का काम क्या है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : सिविल पायनियर फोर्स (असैनिक सफर–मैन बल) का काम न्यूनाधिक फायर ब्रिगेड के काम जैसा है। जब कोई हवाई हमला होता है तथा सम्पत्ति को नष्ट किया जाता है तो असैनिक सफरमैन बल (पायनियर फोर्स) कार्यवाही करेगा और बचाव कार्य करेगा।

6

*ठेकेदारों के कर्मचारियों को वेतन आदि के भुगतान के सम्बंध में ठेकेदारों के लिए सरकार की निर्धारित शर्तें

राव बहादुर एन. शिवराज : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी देशों में ठेकेदारों के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनका पालन उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन तथा लाभों के मामले में करना होता है; यदि हां तो क्या भारत सरकार ने भी भारत में ठेकेदारों के लिए कोई ऐसी शर्तें निर्धारित की हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हां। कुछ पश्चिमी देशों में ठेकों में यह अपेक्षित होता है कि ठेकेदारों को ऐसे मामलों जैसे काम के घंटे, वेतन तथा सामान्यतः शर्तें, के सम्बंध में कुछ श्रम सम्बंधी शर्तों का पालन करना चाहिए। भारत सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकों के मामले में यह विहित किया है कि ठेकेदार अपने मज़दूरों को उससे कम राशि का भुगतान न करें जो उसी समान काम के लिए उसके पड़ोस में मज़दूरों को दिया जाता है।

राव बहादुर एन. शिवराज : सरकार द्वारा ठेके में इस शर्त को, यदि कोई है, तो उसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं तत्काल नहीं बता सकता, परन्तु मैं पूछताछ करूंगा और माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली उचित शर्तों के संबंध में यह शर्त, भारत सरकार के अन्य विभागों जैसे आपूर्ति विभाग के ठेकेदारों पर लागू होती है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय मित्र मुझे नोटिस देंगे तो मैं पूछताछ करूंगा।

श्री एन.एम. जोशी : प्रश्न सरकारी ठेके लेने वाले, केवल लोक निर्माण विभाग के ही नहीं, ठेकेदारों के संबंध में था। माननीय सदस्य ने उत्तर केवल लोक निर्माण विभाग के सम्बंध में ही दिया है। उन्हें भारत सरकार के संबंध में उत्तर देना चाहिए था।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वह प्रश्न आपूर्ति विभाग को सम्बोधित होना चाहिए।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942, का खण्ड 3, 22 सितम्बर 1942, पृष्ठ 386.

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या भारत की एक केन्द्रीय सरकार है या केवल एक भारत सरकार है जो बारह सदस्यों में से दस या ग्यारह में विभक्त है?

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रश्न सम्बंधित विभागों को सम्बोधित करने होते हैं।

7

*इंगलैंड में प्रशिक्षण के लिए भारत से चुने गए बेविन लड़के

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि उन बेविन लड़कों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें भारत सरकार ने इंगलैंड में प्रशिक्षण के लिए चुना था; उन्हें कितने बैचों (दलों) में भेजा गया था; और उनमें से अलग–अलग प्रत्येक बैच में कितने (I) मुसलमान, (II) कितने अनुसूचित जाति से सम्बंधित थे; और

(ख) चयन के लिए सरकार ने कितनी न्यूनतम अर्हता/योग्यता निर्धारित की और क्या वे सब कारखानों में हाथ से काम करने वाले श्रमिक थे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इंगलैंड में प्रशिक्षण के लिए अब तक 304 बेविन प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है। वास्तव में, अब तक पांच बैच भेजे गए हैं – एक बैच में 54 तथा चार बैचों में प्रत्येक में 50 प्रशिक्षणार्थी हैं। एक तालिका नीचे दी जा रही है, जो पहले भेजे गए पांच बैंचों और अब चुने गए छठे बैच की सम्प्रदाय–वार संख्या दर्शाती है। इससे पता चलता है कि 304 में से 50 मुसलमान भेजे गए।

	पहला बैच	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवा	छठा	कुल
हिन्दू	21	25	27	29	26	34	162
मुसलमान	13	9	8	8	8	4	50
एंग्लो–इंडियन	4	5	4	3	7	3	26
भारतीय ईसाई	4	7	6	8	4	4	33
पारसी	6	3	3	3	1	3	19
सिख	2	1	2	3	4	2	14

पहले पांच बैचों में अनुसूचित जाति से सम्बंधित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। छठे बैच के सम्बंध में विवरण की प्रतीक्षा है।

(ख) अपेक्षित न्यूनतम अर्हता निम्नलिखित है :–

उम्मीदवार –

(1) नवयुवक तथा स्वस्थ होना चाहिए, परन्तु अठारह वर्ष की आयु से कम नहीं।

(2) बुद्धिमान व समझदार होना चाहिए, पढ़ने लिखने तथा साधारण हिसाब करने के योग्य होना चाहिए और वह हाथ से काम करने में दक्ष तथा उसे समझने और समझाने के लिए अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(3) इंजीनियरी की एक ट्रेड वरीयतः फिटिंग, टर्निंग, या मशीन (मैचिंग) से सम्बंधित होना चाहिए।

(4) कारखानों में कम से कम तीन वर्ष काम का अनुभव होना चाहिए और बुद्धिमत्ता तथा अनुकूलनीयता का प्रमाण दिया होना चाहिए।

(5) शारीरिक रूप में फिट तथा राजयक्ष्या (तपेदिक) के समस्त लक्षणों से मुक्त होना चाहिए।

पहले दो बैचों के विद्यार्थी सीमित संख्या में शामिल किए गए थे, परन्तु उस समय यह निर्णय किया गया था कि इसे श्रमिक वर्ग के लोगों तक ही सीमित रखा जाए और अब उसी नियम को लागू किया गया है।

सर कोवासजी जहांगीर : क्या यह सच है कि इन नवयुवकों में से कुछ युवकों को रोजगार नहीं मिला है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरी जानकारी के अनुसार उनमें से अधिकांश को रोज़गार मिल गया है।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : कितने युवक वापिस लौटे हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा ख्याल है, 149.

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : बुद्धिमानी या समझदारी की जांच/परीक्षण का तरीका क्या है, जिसका उल्लेख माननीय श्रम सदस्य ने किया है?

सर कोवासजी जहांगीर : क्या यह तथ्य है कि इनमें से कुछ लड़कों को उससे कम वेतन दिया गया है जितना वे इस प्रशिक्षण में जाने से पहले ले रहे थे।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसकी जानकारी नहीं!

सर कोवासजी जहांगीर : क्या माननीय सदस्य इसका पता लगाएंगे कि कितने युवक बेरोजगार हैं?

माननीय डा.बी. आर. अम्बेडकर : मेरी जानकारी के अनुसार बहुत ही कम बेरोजगार हैं।

श्री जमनादास एम. मेहता : क्या उनको रोजगार की गारंटी के अंतर्गत भेजा गया था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : रोजगार की कोई गारंटी नहीं।

डा. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या सरकार बेविन लड़कों के रोजगार पर युद्ध तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षण के लिए विचार करेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस पर विचार करूंगा।

8

*बेविन योजना के अधीन अनुसूचित जाति की भर्ती

राव बहादुर एन. शिवराज : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि बेविन योजना के अधीन भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के लड़कों की संख्या कितनी है; और (ख) इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का इरादा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रथम पांच बैचों के सम्बंध में कोई विवरण नहीं रखा गया था। छठे बैच के सम्बंध में विवरण एकत्रित किए जा रहे हैं। यह बैच शीघ्र ही जाएगा और भविष्य में जाने वाले सभी बैचों के विषय में आंकड़े रखे जाएंगे।

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय सेवा न्यायाधिकरणों (नेशनल सर्विस ट्रिब्यूनलों) द्वारा किया जाता है और सरकार ने इन ट्रिब्यूनलों (न्यायाधिकरणों) के अध्यक्षों को यह सुझाव दिया है कि उनका चयन करते समय उन्हें न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में अनुसूचित जाति के गैर–सरकारी प्रभावशाली व्यक्तियों को विशेष रूप से स्थानीय विधायिका के सदस्यों को सहयोजित करना चाहिए।

* विधान सभा वाद विवाद (केन्द्रीय), 1942. का खण्ड 3, 23 सितम्बर, 1942, पृष्ठ 457.

9

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुमोदित ठेकेदार

राव बहादुर एन. शिवराज : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बनाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुमोदित सूची में श्रेणी–वार ठेकेदारों की कुल संख्या कितनी हैं; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुमोदित सूची में ठेकेदारों की कुल संख्या नीचे दिए गए वर्गीकरण के अनुसार 1,171 है :

1. भवन निर्माण ठेकेदार –

श्रेणी I (कोई सीमा नहीं)	115
श्रेणी II (50,000 रुपये से नीचे)	236
श्रेणी III (20,000 रुपये से नीचे)	620
जोड़	**971**

2. बिजली के (विद्युत) ठेकेदार –

श्रेणी I (20,000 रुपये से ऊपर)	28
श्रेणी II (20,000 रुपये से नीचे)	42
जोड़	**70**
अकाल तथा सफाई ठेकेदार (कोई वर्गीकरण नहीं)	130

(ख) खेद है कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि हिन्दुओं और अनुसूचित जातियों के नाम एक समान है, उनमें अलग–अलग पहचान नहीं की जा सकती। इसके अलावा, यह चलन नहीं रहा है कि ठेकेदारों से उनकी जाति के संबंध में पूछा जाए।

राव बाहदुर एन. शिवराज : माननीय सदस्य के उत्तर के आखरी भाग के संदर्भ में क्या माननीय सदस्य आवश्यक पूछताछ करेंगे और इस विषय में पूरी सूचना प्राप्त करेंगे?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942, का खण्ड 3, 23 सितम्बर, 1942, पृष्ठ 458

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं करूंगा।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : क्या सरकार ठेकेदारों की नियुक्ति भी साम्प्रदायिक/जातीय आधार पर करती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं केवल एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ जिसमें सूचना मांगी गई हैं।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। क्या सरकार की मंशा ठेकेदारों की नियुक्ति साम्प्रदायिक/जातीय आधार पर करने की है, कि इतने मुसलमान, इतने यूरोपीय, इतने अनुसूचित जाति आदि के हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वह प्रश्न नहीं है, जो अब उठ रहा है। मैं केवल सूचना दे रहा हूँ।

पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा : क्या निर्माण सामग्री भी साम्प्रदायिक/जातीय आधार पर खरीदी जाती है?

(कोई उत्तर नहीं)

10

*संघीय (फैडरल) रेलवे के कर्मचारियों की ओर से वेतन संदाय अधिनियम के अधीन आवेदन-पत्र

1. श्री मुहम्मद अज़र अली : क्या माननीय श्रम सदस्य पटल पर एक विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे जिसमें संघीय रेलवे के कर्मचारियों द्वारा या उनकी ओर से पहली अप्रैल, 1937 तथा 31 अगस्त, 1942 के बीच वेतन–संदाय अधिनियम, 1936 के अधीन नियुक्त प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत आवेदन–पत्रों को दर्शाया गया है और उसके साथ ही उसमें ये बातें भी दर्शाई गई हों :–

(क) आवेदन पत्र संख्या

(ख) पक्षों के विवरण अर्थात् नाम तथा पता;

(ग) आवेदन पत्र में आरोप;

(घ) राहत दावे की राशि;

(ङ) प्राधिकारी का निर्णय और प्राधिकारी की अर्हता/योग्यता;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942. का खण्ड 3, 24 सितम्बर, 1942, पृष्ठ 507

(च) यदि अपील को तरजीह दी गई है तो अपील का परिणाम तथा उसके साथ–साथ अपीलीय अदालत का विवरण, और

(छ) यदि संशोधन को तरजीह दी गई है तो संशोधन/पुनर्विचार के परिणाम तथा उसके साथ–साथ संशोधनात्मक/पुनर्विचार न्यायालय का विवरण।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इस सूचना को एकंत्रित करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा जो युद्ध काल में उपयुक्त नहीं होगा।

11

*दिल्ली प्रान्त के लिए वेतन-संदाय नियमों के अंतर्गत समन-शुल्क

2. श्री मुहम्मद अज़र अली : क्या माननीय श्रम सदस्य, वेतन–संदाय (संघीय रेलवे) नियम, 1938 के नियम 18, तथा संयुक्त प्रान्त, वेतन–संदाय, 1936 के नियम 21, और दिल्ली प्रान्त वेतन–संदाय नियम, 1937 के नियम 21 की ओर ध्यान देंगे और प्राधिकारी द्वारा तथा न्यायालय द्वारा विरोधी पक्ष को बुलाने के लिए दिल्ली प्रांत के लिए निर्धारित, प्रक्रिया शुल्क की राशि बताएंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार को यह परामर्श दिया जाता है कि उल्लिखित नियमों के अधीन विरोधी पक्ष को नोटिस भेजने के लिए कोई प्रक्रिया शुल्क उद्ग्राह्य नहीं है। तथापि, यह नियमों की व्याख्या का मामला है।

12

**मुद्रण तथा लेखन-सामग्री कार्यालय में मुसलमान राजपत्रित अधिकारियों की कमी

23. सर अब्दुल हलीम गज़नवी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के मुद्रण तथा लेखन–सामग्री कार्यालय में कितने राजपत्रित अधिकारी हैं; क्या उनमें कोई मुसलमान है; यदि नहीं तो क्यों नहीं;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1942. का खण्ड 3, 24 सितम्बर, 1942, पृष्ठ 507

** विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943. का खण्ड 1, 11 फरवरी, 1943, पृष्ठ 71

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय में द्वितीय सहायक नियंत्रक (असिस्टेंट कलक्टर) के रिक्त पद को बंगाल से एक हिन्दू सब–डिप्टी कलक्टर को नियुक्त करके भरा गया; ऐसा मुसलमान उम्मीदवारों के न्याय–संगत दावे की उपेक्षा करके और मुसलमानों की नियुक्तियों के लिए अनुपात को बनाए रखने के संबंध में सरकारी परिपत्र का उल्लंघन करके किया गया;

(ग) क्या सरकार मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए मुसलमान राजपत्रित अधिकारियों के वर्तमान अनुपात को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का इरादा रखती है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार का केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय में एक पद सहायक नियंत्रक का और दूसरा पद अधीक्षक का बनाने का प्रस्ताव है; और यदि हां तो क्या वे इन नियुक्तियों को मुसलमानों के लिए आरक्षित करने की कृपा करेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यदि इस बात को मानकर चलें कि माननीय सदस्य समूचे मुद्रण तथा लेखन–सामग्री विभाग का उल्लेख कर रहे हैं, तो राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 24 है। उनमें से इस समय दो पदों पर मुसलमान हैं। आखरी भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) हां, द्वितीय भाग का उत्तर नकारात्मक है।

(ग) मुद्रण तथा लेखन–सामग्री विभाग में सभी राजपत्रित पद चयन पद हैं, जिन पर नियुक्तियां वर्तमान नियमों के अनुसार गुणों/योग्यता पर चयन द्वारा की जाती हैं। ऐसे पदों पर मुसलमानों के अनुपात को बढ़ाने का आश्वासन उन नियमों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय में सहायक नियंत्रक का कोई अतिरिक्त पद बनाने का प्रस्ताव नहीं है। उस कार्यालय के लिए हाल ही में अधीक्षक का एक पद तीन महीने से कम की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। ऐसी अवधि के अस्थाई रिक्त स्थानों के भरने के लिए साम्प्रदायिक/जातीय प्रतिनिधित्व सम्बंधी आदेश लागू नहीं होते। तदनुसार, सम्बंधित पद को मुसलमान के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

श्री लालचंद नवलराय : क्या माननीय सदस्य से मैं यह जान सकता हूँ कि इन अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है या उच्च अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाता है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न का मुझे नोटिस चाहिए।

श्री लालचंद नवलराय : क्या माननीय सदस्य से मैं यह जान सकता हूँ कि क्या नियुक्तियाँ प्रोन्नति द्वारा की जाती हैं और प्रोन्नति के मामले में, क्या नियुक्तियां

जातीय/साम्प्रदायिक आधार पर की जाती है या अन्य आधार पर की जाती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : साम्प्रदायिक या जातीय अनुपात प्रोन्नतियों पर लागू नहीं होता।

श्री लालचंद नवलराय : इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या इस मामले में अधिकारी प्रोन्नति द्वारा लिए जाते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

13

*कलकत्ता के केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय आदि में मुसलमानों की कमी

24. सर अब्दुल हलीम गज़नवी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय, कलकत्ता प्रेस तथा कलकत्ता में स्थित केन्द्रीय फार्म स्टोर्स में कितने अधीक्षक तथा प्रधान सहायक (हैड असिस्टेंट) लगे हुए हैं; इनमें मुसलमानों का अनुपात कितना है;

(ख) केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय, कलकत्ता प्रेस तथा कलकत्ता में स्थित केन्द्रीय फार्म स्टोर में लगे हुए अलग अलग सहायकों तथा लिपिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक कार्यालय तथा प्रत्येक संवर्ग में मुसलमानों का अनुपात क्या है;

(घ) उपर्युक्त तीन कार्यालयों में से प्रत्येक में सहायकों के कितने नए पद सृजित किए गए और उनमें से कितने पदों पर मुसलमान भर्ती किए गए;

(ङ) यदि इनमें लगे मुसलमानों की संख्या सरकार के परिपत्र द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुरूप नहीं है तो इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया गया; और

(च) क्या यह सच है कि वर्ष के दौरान केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय में न्यूनतम अर्हता तथा कार्यालयी काम के बहुत कम अनुभव वाले कुछ कनिष्ठ हिन्दू लिपिकों को सहायक के संवर्ग में पदोन्नत कर दिया गया था जिससे वरिष्ठ मुसलमान लिपिकों के दावों को हटा दिया गया?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क), (ख), (ग) तथा (घ), इनके संबंध में अपेक्षित सूचना का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943, का खण्ड 1, 11 फरवरी, 1943, पृष्ठ 72

(ङ) सरकार का परिपत्र सीधी भर्ती पर लागू होता है और उसका पालन किया जा रहा है। सुधार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(च) नहीं! चूंकि सहायक के पद योग्यता के आधार पर चयन द्वारा भरे जाते हैं अतः वरिष्ठ व्यक्तियों के दावे हटा देने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय, केन्द्रीय फार्मस् स्टोर तथा कलकत्ता प्रेस में युद्ध के कारण सृजित किए गए सहायकों के पदों की संख्या और लगे हुए सहायकों और लिपिकों की संख्या, उन वर्गों में मुसलमानों का अनुपात दर्शाने वाला विवरण

(क) दो अधीक्षक तथा दस प्रधान सहायक (हैंड असिस्टेंट्स)। उनमें से मुसलमान कोई नहीं है।

(ख) तथा (ग)।

सहायक	संख्या	मुसलमानों का अनुपात प्रतिशत
केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय	31	9.7
केन्द्रीय फार्मस् स्टोर	13	7.7
कलकत्ता प्रेस	5	शून्य
लिपिक –		
केन्द्रीय लेखन सामग्री (स्टेशनरी) कार्यालय	329	19.1
केन्द्रीय फार्मस् स्टोर	166	21.1
कलकत्ता प्रेस	49	20.4

(घ) युद्ध के परिणामस्वरूप सृजित सहायकों के पद –

		मुसलमानों की संख्या
केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय	13 जिनमें से 11 भरी गईं	1
केन्द्रीय फार्मस् स्टोर	9 (अभी तक कोई पद भरा नहीं गया)	—
कलकत्ता प्रेस	शून्य	शून्य

नोटः केन्द्रीय स्टेशनरी (लेखन सामग्री) कार्यालय के समक्ष दी गई संख्या में स्टेशनरी स्टोर शाखा में लगे सहायकों तथा लिपिकों की संख्या शामिल है जिनके लिए सम्प्रदाय सम्बंधी आदेश 18 जून, 1942 से लागू किए गए थे।

14

*केन्द्रीय लेखन सामग्री (स्टेशनरी) कार्यालय के काम के घंटे

25. सर अब्दुल हलीम गज़नवी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि क्या केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय के काम के घंटों में तीस मिनट की वृद्धि कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय में पिछली रमज़ान के दौरान, मुसलमान कर्मचारियों को दी गई तीस मिनट की छूट को बंद कर दिया गया था; यदि हां तो क्यों;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय की कुछ शाखाओं में काम के घंटों में साठ मिनट की आगे और वृद्धि कर दी गई है; और यदि हां तो क्या सरकार उन शाखाओं के कर्मचारियों को बढ़ाए गए समय के लिए समयोपरि भत्ता देने के लिए तैयार हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) हाँ, छूट पहले स्थानीय सरकार के आदेशों के सदृश दी गई थी। इसे 1942 में समाप्त कर दिया गया था क्योंकि बंगाल सरकार ने जल्दी बंद करने के घंटों को दृष्टि में रखते हुए रियायत को बंद कर दिया था।

(ग) हां, केवल अल्पावधि के लिए एक अस्थाई उपाय के रूप में। रक्षा आपूर्ति सम्बंधी काम की अधिकता को पार करने के लिए कुछ शाखाओं के कर्मचारियों को एक घंटा अधिक समय तक कार्यालय में रूकने की आवश्यकता पड़ी। गैर–औद्योगिक कर्मचारियों को ऐसा अतिरिक्त समयोपरि भत्ता देने की प्रथा नहीं है।

15

*कर्मचारियों को अपर्याप्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति के संबंध में घोषणा

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : अगला प्रश्न भी श्री जमनादास मेहता के नाम में है। वह लोक/सार्वजनिक महत्व के एक अति आवश्यक निश्चित मामले पर चर्चा करना चाहते हैं, अर्थात् वह मामला है भारत सरकार की नौकरी में लगे लगभग तीन लाख कर्मचारियों में उत्पन्न परम असंतोष जो सम्बंधित कर्मचारियों

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943. का खण्ड 1, 11 फरवरी, 1943, पृष्ठ 72-73

* वही, 12 फरवरी, 1943, पृष्ठ 169

के लिए बहुत कम तथा अपर्याप्त महगाई भत्ते की स्वीकृति की घोषणा करने से पहले अलग–अलग सम्बंधित ट्रेड यूनियनों के साथ सरकार द्वारा परामर्श न करने के कारण उत्पन्न हुआ है।

यह घोषणा कब की गई थी?

श्री जमनादास एम. मेहता : इस वर्ष 23 जनवरी को।

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : पिछले सत्र के बाद।

श्री जमनादास एम. मेहता : जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रभारी सदस्य कौन हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मेरे विचार से ट्रेड यूनियनों से परामर्श करने में असफल रहना सार्वजनिक महत्व का अत्यावश्यक मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : क्यों?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह एक निश्चित मामला नहीं है, क्योंकि सरकार पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई है।

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : वह उत्तर गुणों/योग्यता के आधार पर हो सकता है। यह घोषणा 23 जनवरी को की गई थी।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसा ही है।

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : आरोप यह है कि कर्मचारियों में, जिनकी संख्या तीन लाख है, अत्यधिक असंतोष है। इससे यह पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामला है। मेरा मत है कि यह प्रस्ताव ठीक है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे प्रस्ताव पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : चूंकि आपत्ति की गई है, अतः क्या वे लोग जो प्रस्ताव की स्वीकृति के पक्ष में हैं अपने स्थान पर खड़े होंगे?

(25 से अधिक सदस्य खड़े हो गए।)

चूंकि 25 सदस्यों से अधिक सदस्य प्ररताव को स्वीकार करने के पक्ष में है अतः इस प्रस्ताव को 4 बजे या पहले चर्चा के लिए लिया जाएगा यदि कार्यसूची की मदें पहले समाप्त हो गई। मैं इस सम्बंध में यह मानता हूँ कि यही सदन की इच्छा है।

16

*श्रम वेतन के मानक को बढ़ाने की वांछनीयता

86. डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से मानक या मापदंड हैं जिनके द्वारा श्रमिकों का वेतन निर्धारित किया जाता है; और

(ख) रुपये की क्रय शक्ति में सोलह से छह आना तक की गिरावट को दृष्टि में रखते हुए क्या भारत सरकार ने श्रमिकों के दैनिक वेतन में आनुपातिक वृद्धि करने के लिए कोई कार्रवाई की है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वेतन या मज़दूरी का प्रश्न नियोक्ता तथा श्रमिक के बीच संविदा का मामला होता है।

(ख) निर्वाह व्यय के वृद्धि, जिसके कारण क्रय शक्ति में कमी हुई है, समस्त भारत में एक समान नहीं हुई है। भारत सरकार ने वेतन में वृद्धि को लागू करने या कोई विनिर्दिष्ट मंहगाई भत्ते की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की है :—

(1) सरकार ने अभी तक कानून द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की नीति को स्वीकार नहीं किया है। वह बात ऐसी है जिस पर किसी अनिवार्यता या बाध्यता को लागू करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है।

(2) समस्त भारत में ऐसी कोई सूचकांक नहीं है जिसके ऊपर जवीन निर्वाह के वास्तविक व्यय की माप करने के लिए विश्वास किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप कोई विनिर्दिष्ट मंहगाई भत्ता निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(3) चूंकि निर्वाह–व्यय में वृद्धि एक समान नहीं है, अतः केन्द्र से कोई ऐसी नीति निर्धारित करना संभव नहीं जो सभी प्रान्तों में लागू की जा सके जबकि उनमें परिस्थितियाँ अलग–अलग मिलती हैं।

श्रम आयुक्तों की नियुक्ति तथा भारत रक्षा कानून के अंतर्गत निर्णय के लिए प्रावधान, युद्ध के समय में होने वाले विवादों के मामले में, सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे कदम हैं जो श्रमिकों के लिए काम की उत्तम स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि सरकार न्यूनतम वेतन

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943, का खण्ड 1, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 267-68

या मज़दूरी को निश्चित करने के लिए विधि निर्माण करने का काम सरकार कब करेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : युद्ध काल के दौरान किसी ऐसे विधि निर्माण का कार्य करना संभव नहीं है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस प्रकार के विधि (कानून) बनाने का काम करने के मार्ग में युद्ध के काल या अवधि द्वारा क्या कठिनाई उत्पन्न की है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह एक विवादास्पद कानून निर्माण है।

श्री हुसेन भाई ए. लालजी : क्या जीवन निर्वाह व्यय अथवा इंडेक्स नम्बर का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : केवल एक ही प्रान्त ऐसा है जहां पर इंडेक्स नम्बर बनाए जाते हैं। वह प्रान्त बम्बई है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार यह महसूस करती है कि हड़तालों तथा तालाबंदी को निषिद्ध ठहराने वाला अधिनियम एक ऐसा कदम है जिससे विवाद आवश्यक बन जाता है और क्या विवाद खड़ा करने की ऐसी आवश्यकता युद्ध के समय युद्ध प्रयास के हित में है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं सोचता कि आधार वाक्य सही है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आधार वाक्य या कौन सा भाग सही है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस तथ्य में कि हमारे पास संविधि पुस्तक में एक कानून है वास्तव में यह बात निहित नहीं है कि इससे विवाद या झगड़ा उत्पन्न होगा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार महसूस नहीं करती?

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : वह तर्क देना है।

डा. ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या सरकार 200,000 से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों के मूल्य सूचकांक का पता लगाने का प्रयत्न करेगी? यह सूचना बल्कि हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जब तक हमारे पास ऐसा अधिनियम नहीं है जो सरकार को आंकड़े एकत्रित करने का हक दे, तब तक सूचकांक को समस्त भारत में तैयार कराना संभव नहीं है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या माननीय सदस्य यह जानते हैं कि केन्द्रीय विधान सभा का एक अधिनियम है जो सरकार को आंकड़े एकत्रित करने का हक देता है?

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : अगला प्रश्न।

17

*कारखानों के श्रमिकों में असंतोष

87. डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह जानते हैं कि कारखानों के कर्मचारियों में बहुत भारी असंतोष है और वह असंतोष इस कारण से है कि पूंजीपति जो असाधारण लाभ कमा रहे हैं, अपने मज़दूरों को उनके वेतन में वृद्धि करके, उस लाभ में पर्याप्त हिस्सा नहीं दे रहे हैं;

(ख) माननीय सदस्य ने पूंजीपतियों पर इस बात के लिए दबाव डालने के लिए क्या कार्रवाई की है कि वे अपने लाभ में से उन लोगों को भी एक हिस्सा दें जिनके परिश्रम से उन्होंने लाभ कमाया है; और

(ग) क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि कारखाने के मज़दूर में बेचैनी या असंतोष राजनीतिक चेतना के कारण उतना नहीं है जितना यह उनके नियोक्ताओं द्वारा उनका आर्थिक दमन होने के कारण है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जहां पर जब मूल्यों का रूख वृद्धि की ओर होता है, जैसा कि अब है, और जहां पर लाभ कमाया जा रहा हो वहां पर यह संभावना होती है कि श्रमिक हमेशा, अपने पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए दावा करते हैं, सरकार यह जानती है कि ऐसे दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(ख) उद्योग के लाभों का एक बहुत बड़ा भाग अधिक लाभ कर के रूप में सरकार के पास जाता है। नियोक्ता के पास जो हिस्सा रह जाता है, उसमें से बहुत से नियोक्ता बोनस का वितरण कर रहे हैं। सरकार को इस समय यह अवसर प्रतीत नहीं हुआ है कि इंगित उद्देश्य के सम्बंध में कोई कार्रवाई की जाए।

(ग) प्रश्न समझ में नहीं आया।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943, का खण्ड 1, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 268

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या सरकार ने उन कारखानों व फैक्ट्रियों के नाम का पता लगा लिया है जो अपने कर्मचारियों को बोनस दे रही हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हां, हमें पता है। यदि माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं, तो यह जानकारी उन्हें दी जा सकती है।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या ये सभी कारखाने/फैक्ट्रियां बोनस दे रहे हैं या उनमें से कुछ ही दे रहे हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय मित्र प्रश्न करें तो मैं इस सम्बंध में विस्तृत सूचना दे सकता हूँ।

18

*एक श्रमिक का घरेलू बजट

88. **डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल पर एक श्रमिक का 1943 का सामान्य घरेलू बजट रखने की कृपा करेंगे जो एक दिन आठ आने कमाता है और जिसे अपने परिवार का भरण–पोषण करना पड़ता है जिसमें सामान्यतः छह व्यक्ति होते हैं;

(ख) ऐसे परिवार में कितना अनाज लगता है और उसे कितना मूल्य देना होता है; और

(ग) अपने श्रमिकों का भरण–पोषण करने के लिए नियोक्ताओं ने क्या कार्रवाई की है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) समस्त भारत में श्रमिक के लिए बजट एक समान नहीं है। यह खेद भी है कि 1943 से सम्बंधित कोई भी घरेलू बजट किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं दिया जा सकता। यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहें तो कुछ पहले वर्षों में बम्बई में परिवार के बजट से सम्बंधित आंकड़े प्रदान किए जा सकते हैं।

(ख) आंकड़ों के उपलब्ध न होने से यह कहना संभव नहीं कि एक श्रमिक के परिवार का अनाज कितना खर्च होता है खुराक तथा मूल्य विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न होते हैं।

(ग) अनेक नियोक्ताओं ने अनाज की दुकानें तथा कैंटीन खोली हैं और भारत सरकार मुख्य अखिल भारतीय नियोक्ता एसोसिएशन को यह परामर्श दे रही है

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943. का खण्ड 1, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 268-69

कि सरकार ऐसी दुकानों व कैंटीन के खोलने के काम को बहुत उपयुक्त व वांछनीय मानती है। संलग्न विवरण भारत सरकार के पास अब तक उपलब्ध सूचना संक्षेप में प्रदान करता है।

विवरण

(सूचना नवीनतम उपलब्ध सूचना है, परन्तु यह अद्यतन नहीं है)।

मद्रास : 31 फैक्ट्रियों में अनाज की दुकानें हैं, उनमें से 13 नियोक्ताओं द्वारा खोली गई हैं और 18 कर्मचारियों की सहकारी समितियों द्वारा। अनेक मामलों मे उनकी सहायता नियोक्ताओं द्वारा की जाती है।

50 फैक्ट्रियों में नियोक्ताओं ने संकट काल के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री की वस्तुएं सुरक्षित भंडार में रखी हैं, 6 फैक्ट्रियों में, संकट के समय, कर्मचारियों को पका खाना प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।

दो फैक्ट्रियों में नियोक्ता कर्मचारियों के लिए कैन्टीन चला रहे हैं।

बंगाल : 146 फैक्ट्रियों में अनाज की दुकाने हैं और उन्होंने संकट काल के लिए सुरक्षित भंडार भी रख रखे हैं। इसके अतिरिक्त 35 फैक्ट्रियों द्वारा संकट काल के लिए केवल अनाज के भंडार रखे हुए हैं। 73 फैक्ट्रियों में संकट काल के दौरान पकाए गए भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था है।

बम्बई/पंजाब : विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु अनेक नियोक्ताओं ने अनाज की दुकानें खोली हैं और उन्होंने अनाज के संकट कालीन भंडारों की यथासंभव व्यवस्था की है।

बिहार : प्रमुख नियोक्ताओं सहित, सात नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों के लिए अनाज की दुकानें खोली हैं और वे यथासंभव खाद्य सामग्री के संकट कालीन भंडार रख रहे हैं। एक प्रसिद्ध प्रमुख नियोक्ता ने अनाज की दुकानें चलाने के लिए एक सहकारी समिति को अग्रिम पूंजी प्रदान की है और कम किराए पर भंडार के लिए स्थान भी प्रदान किया है।

संयुक्त प्रान्त : कानपुर में सभी बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियों के पास अनाज की दुकानें हैं और संकटकाल के लिए यथासंभव सुरक्षित भंडार रखे जाते हैं।

मध्य प्रान्त तथा बरार : नियोक्ताओं द्वारा अनाज की लगभग 14 दुकानें खोली गई हैं, एक नियोक्ता ऐसी दुकान खोलने के लिए ट्रेड यूनियनों की सहायता कर रहा है। लगभग सात प्रमुख/प्रसिद्ध नियोक्ताओं तथा एक सहकारी समिति ने संकट काल के लिए खाद्यान्न के भंडारण के लिए व्यवस्था की है या कर रहे हैं।

सिंध : कराची तथा हैदराबाद (सिंध) में सात प्रमुख नियोक्ताओं ने अनाज की दुकानें खोली हैं, सभी आवश्यक सेवाओं के नियोक्ताओं के लिए यह अपेक्षित व आवश्यक कर दिया गया है कि वे काम के स्थल के परिसर के अंतर्गत खाद्य सामग्री का संकटकालीन भंडार रखें और उसे पकाने की व्यवस्था भी की जाए। प्रमुख/प्रसिद्ध नियोक्ताओं ने इसका पालन किया है।

कराची में एक प्रमुख उद्यम ने अपने कर्मचारियों को पकाया हुआ भोजन तथा दूध देने के लिए एक कैन्टीन स्थापित की है।

असम : औद्योगिक श्रमिकों के नियोक्ताओं ने अनाज की दुकानें आदि खोलकर खाद्य–सामग्री की आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या श्रम विभाग का निर्धन लोगों के लिए मूल्य निश्चित करने में कोई हाथ है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं।

19

*श्रमिकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उपाय

89. डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों को अपने जीवन–यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं विशेष रूप से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में, उनके हित की रक्षा के लिए उनके विभाग ने क्या कार्रवाई की है; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धन लोगों को खाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिले और उनका मूल्य उनके वेतन के अनुरूप हो, माननीय सदस्य का कौन से कदम उठाने का इरादा है, यदि कोई नहीं, तो क्यों?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तथा (ख)। इस प्रश्न की ओर कुछ समय से सरकार का ध्यान है और उस पर इस समय खाद्य विभाग में विचार किया जा रहा है। प्रान्तीय सरकारों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आवश्यक रोज़गार में लगे औद्योगिक श्रमिकों सहित आवश्यक गैर–सैनिक कर्मिकों को आपूर्ति करने में प्राथमिकता प्रदान करें।

20

**श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने के उपाय

90. डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943, का खण्ड 1, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 269

** वही, पृष्ठ 270-71

(ख) श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उनका किस तरीके का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या वह श्रमिकों की यूनियनों का पुनर्गठन करने और उनको अपने हितों की रक्षा करने की स्थिति में रखने के लिए तैयार हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) विधायी तथा कार्यकारी दोनों ही कार्रवाइयों में सरकार ने श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया है। जब मेरी प्रेस से मुलाकात हुई, उस समय जारी किए गए प्रेस नोट की एक प्रति माननीय सदस्य की सूचना के लिए संलग्न है। इससे सुधारात्मक व्यवस्था का पता चलेगा। यदि किसी विशिष्ट प्रश्न/बात के सम्बंध में माननीय सदस्य और अधिक विस्तृत सूचना चाहते हैं तो वह सूचना दी जाएगी।

(ख) इसका उत्तर (क) के अंतर्गत पहले ही दे दिया गया है।

(ग) श्रमिक संघों (यूनियनों) का पुनर्गठन करना सरकार का काम नहीं है।

*युद्ध के समय के भारत में श्रमिक कल्याण

अनेक सहायक श्रमिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति को देखते हुए जिनकी नियुक्ति शीघ्र ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में की जाएगी, हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि युद्ध के समय में भारत में श्रमिकों की बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है। सरकारी नौकरी की पुरानी अवधारणा कि वह शासन करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है, बदल गई है। उसके स्थान पर एक नया आदर्श आ गया है जिसमें लोगों की सामग्री, वस्तुओं के तथा उनकी संस्कृति सम्बंधी कल्याण व हित की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी मानी जाती है। भारत में श्रम मुख्यतः एक प्रांतीय विषय है और हम केन्द्र में अब तक श्रमिक संबंधी विधि निर्माण व कानून, में मुख्यतः एकरूपता लाने के लिए और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय परम्पराओं के जो भारत के लिए व्यवहार्य हों, पालन के लिए उत्तरदायी रहे हैं। हमारा कानून यद्यपि व्यापक है, पर वह वेतन/मजदूरी तथा कल्याण जैसे मामलों की अपेक्षा सेवा शर्तों तथा औद्योगिक सँबंधों जैसे मामलों तक अधिक सीमित रहा है।

युद्धकाल में श्रमिक के अधिकारों में कुछ कटौती उत्पादन को जारी रखने के लिए आवश्यक होती है, परन्तु उन आवश्यक कटौतियों को लागू करने की प्रक्रिया में ही, हम श्रमिकों को कुछ बड़े लाभ प्रदान कर सकें। इस प्रकार, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश के अधीन कर्मचारियों को अपने काम पर डटे रहना चाहिए। इसके साथ ही यह अध्यादेश लोगों को आवश्यक उद्योगों में रोजगार की उत्तम शर्तों की गारंटी प्रदान करता है। तकनीकी कार्मिकों का सर्वोत्तम उपयोग हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करनी है, परन्तु यहां भी, कानूनी व्यवस्था उनकी सेवा की स्थिति व शर्तों को अच्छा बनाने को सुनिश्चित करती है। अतएव जब नोटिस के बिना, हड़तालों को भी अवैध व गैरकानूनी बना दिया गया है, तब न्याय निर्णय के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है और ऐसे न्याय–निर्णय के परिणामों को लागू करने के लिए शक्ति ले ली गई है।

---

* वही, प्रेस टिप्पणी, दिनांक 30 अक्तूबर, 1942 माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए वक्तव्य का सारांश

इसलिए जहां श्रमिक पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं वहाँ सरकार की शक्तियों में कुछ विकास हुआ है जिससे रोज़गार की अच्छी स्थिति सुनिश्चित होती है जिसका प्रभाव बने रहने की संभावना है।

दूसरा मामला जिसमें युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न बातों का स्थाई प्रभाव होना अवश्यंभावी है, वह श्रम विभाग की प्रशिक्षण योजनाएं तथा कुशल कर्मचारियों को आगे प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में भेजने का नया प्रयोग है। बेविन लड़कों को जिनकी इंग्लैंड में प्रशिक्षण अवधि से भारतीय श्रमिकों को अंग्रेज श्रमिक वर्ग की स्थिति तथा संगठनों को देखने का अवसर मिला है, स्वयं भी इस प्रशिक्षण से इस हद तक लाभ हुआ है कि वे अब अपने पहले वेतन से औसतन अढ़ाई गुना अधिक कमाते हैं। भारत में अपरिपक्व या नौसीखिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की योजना के अंतर्गत जून, 1943 तक 70,000 कुशल कर्मचारी प्रशिक्षित किए जाएंगे। इस प्रशिक्षण योजना के और अधिक अच्छे परिणाम होने चाहिए क्योंकि देश के कुशल श्रमिक बल में इतनी अधिक वृद्धि, भारत के युद्धोत्तर नवजागरण के लिए बहुत ही उपयोगी होनी चहिए।

हम नवीन श्रमिक कल्याण संगठन को देखें तो इस भावना का सबसे अच्छा संकेत जो इस विभाग को सजीव बनाता है मेरे सहकर्मी माननीय सर फिरोज़ खां नून द्वारा किया गया। श्रमिक कल्याण सलाहकार का चयन है। श्री आर.एस. निम्बकार अपने तमाम जीवन भर श्रमिक नेता रहे हैं। श्रमिकों के हित के लिए वे लगातार जेल के अंदर या बाहर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी यूनियनों में से एक बम्बई गिरनी कामगार यूनियन के लिए उन्होंने जो काम किया उससे श्रमिकों के संगठन कर्ता के रूप में उनकी क्षमता का पता चला है, जबकि उन्होंने अपने गृह नगर तथा भारत की बम्बई नगरपालिका के सदस्य के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में सेवा की है। इस सम्मेलन में वह सर फिरोज़ खां नून के नेतृत्व वाले दल के एक सदस्य के रूप में गए थे। हमारा सौभाग्य है कि वह अब सरकारी कर्मचारी हैं और आप यकीन रखें, हम उनकी सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। अब तक उनका काम इतना सफल रहा है कि हमने श्री निम्बकार की सहायता के लिए अब सात सहायक श्रमिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की है। पिछले तीन या चार दिन से ये नये श्रमिक कल्याण अधिकारी, यहां दिल्ली में श्रम विभाग में अपने काम के सम्बंध में कुछ बातें सीखने के लिए रह रहे हैं। उन्हें (और एक आठवें अधिकारी को जो संभवतः शीघ्र ही कार्यभार संभाल लेगा) विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा; जहां पर यह आशा है कि वे केन्द्रीय सरकार की ओर से श्रमिकों के साथ सम्पर्क बनाकर रखेंगे। एक ओर उनका कर्तव्य केन्द्र सरकार को श्रमिकों की स्थिति तथा उनकी भावना तथा विशेष रूप से भारत के विभिन्न भागों में श्रमिकों की शिकायतों के सम्बंध में जानकारी देना और दूसरी ओर, श्रमिकों सम्बंधी मामलों में केन्द्र सरकार की नीति को श्रमिकों को समझाना होगा। वे अत्यधिक कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ए.आर.पी. व्यवस्था बनाने में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने में भी सहायता कर सकते हैं।

यह आशा है कि इन अधिकारियों के काम से केन्द्र सरकार ऐसे श्रमिक पहलुओं के निकट सम्पर्क में आएगी जो केन्द्र से सम्बंधित हैं (श्रम, वास्तव में, व्यापक रूप में, एक प्रांतीय विषय है) और वे सरकार की नीति में मुख्य घोषणाओं में से एक अर्थात् नियोक्ता, कर्मचारी तथा सरकार के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को विकसित करने में सहयोग देंगे। हमारा प्रथम त्रिपक्षीय सम्मेलन गत अगस्त में हुआ था – उस सम्मेलन की स्थाई समिति की बैठक भविष्य में निरंतर होगी और इस समस्त देश में एक भली भांति विकसित श्रमिक नीति का मार्गदर्शन करेगी।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : प्रश्न के भाग (ग) के संदर्भ में क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार इस संबंध में कोई कानून बनाने का विचार कर रही है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी, हाँ।

21

*लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरी सेवा का साम्प्रदायिक/जातीय गठन

100. मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभियंता (इंजीनियरी) सेवा के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनका चयन व नियुक्ति पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक प्रान्त के लोक निर्माण विभाग से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हुई है तथा उनकी राष्ट्रीयता और मत या धर्म क्या है;

(ख) ऐसे चयन तथा नियुक्ति के लिए क्या कोई मानदंड या कसौटी है;

(ग) क्या सेवाओं के साम्प्रदायिक/जातीय रचना के संबंध में 1934 का गृह विभाग का प्रस्ताव ऐसी नियुक्तियों पर लागू होता है;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके कारण और यदि कोई है, तो इस विषय में सरकार के आदेश क्या हैं; और

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अभियंता सेवा में अधिकारियों की कुल संख्या तथा ऐसी सेवाओं के मुसलमान तथा सिख अधिकारियों की संख्या कितनी है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रत्येक ग्रेड के अधिकारियों को शामिल करने के लिए इस सूचना को एकत्रित करने में समय तथा श्रम दोनों ही लगेंगे जो कि सरकार के मत में, युद्ध के समय में लगाना उचित नहीं होगा। तथापि, राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 83 है। उनकी राष्ट्रीयता इस प्रकार है :– पांच यूरोपीय, शेष भारतीय, धर्म : हिन्दू – 61, मुसलमान – 10, सिख – 2, अन्य– 10,

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943, का खण्ड 1, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 279

(ख) जो तीन नियुक्तियाँ स्थाई आधार पर की गई हैं उनके मामले में, अधिकारियों का चयन, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया गया, तथा लोक सेवाओं में साम्प्रदायिक/जातीय प्रतिनिधित्व सम्बंधी गृह विभाग के 1934 के संकल्प के अनुसार अपेक्षित बातों को उचित महत्व दिया गया। शेष सभी नियुक्तियां अस्थाई हैं, सम्बंधित अधिकारी कुछ विनिर्दिष्ट कार्यों को सम्पादित करने के लिए प्रान्तीय सरकारों से उधार लिए गए हैं। इन मामलों में, अधिकारियों का चयन करने का काम तथा उन्हें भारत सरकार को सौंपने का काम स्वयं प्रान्तीय सरकारों ने भारत सरकार द्वारा उनको समय–समय पर भेजी गई आवश्यकताओं के अनुसार किया।

(ग) नहीं, जहां तक अनुच्छेद (ख) के उत्तर में उल्लिखित अस्थाई नियुक्तियों का संबंध है: हां, जहाँ तक उपर्युक्त स्थाई नियुक्तियों का संबंध है।

(घ) 1934 का गृह विभाग का संकल्प उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर हैं और उसके बाद उनके अपने मूल पद पर वापिस लौट जाने की आशा है।

(ङ) राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या 174 है। इनमें से 18 मुसलमान तथा 8 सिख हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या तत्काल नहीं बताई जा सकती।

मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनी : क्या मैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बिहार लोक निर्माण विभाग से भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या जान सकता हूँ?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : उसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

22

*संयुक्त राज्य अमरीका की मैटल रिज़र्व कम्पनी तथा संयुक्त अभ्रक मिशन को अभ्रक के निर्यात का एकाधिकार

104. बाबू बैजनाथ बाजोरिया : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अभ्रक के निर्यात की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब निर्यात संयुक्त अभ्रक मिशन तथा संयुक्त राज्य अमरीका की मैटल रिज़र्व कम्पनी द्वारा किया जाता है और किसी अन्य को भारत से बाहर अभ्रक का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943. का खण्ड 1, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 281-282

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है, तो किन कारणों से और किन शर्तों पर उपर्युक्त विदेशी हित के लिए अभ्रक के निर्यात के एकाधिकार की स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि निर्यात के ऐसे प्रतिबंधों का परिणामं यह हुआ कि ये संस्थाए भारत में अभ्रक को काफी कम दरों पर प्राप्त करते हैं और उसे अमरीका तथा अन्य सहयोगी देशों में काफी ऊंची दरों पर बेचकर अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं; और

(घ) क्या ये संस्थाएं सरकारी हैं या प्राईवेट कम्पनी हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिन मूल्यों पर संयुक्त अभ्रक मिशन, अभ्रक प्राप्त करता है, उन मूल्यों को भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के मत से ये मूल्य ठीक तथा उचित हैं। मिशन द्वारा प्रस्तुत मूल्य प्रायः हर बार, मिशन के काम आरंभ करने से पहले के मानक मूल्यों के नियम/आदेश के बराबर या उससे अधिक होते हैं। इसके अलावा, मिशन व्यापार के योग्य किस्म के सभी अभ्रक को जो उसे दिया जांता है खरीदने के लिए तैयार रहता है। इसके अंतर्गत, व्यावहारिक रूप में, उपयोगी अभ्रक की समूची श्रेणी आ जाती है और इसमें वह अभ्रक भी शामिल है जिसे बिक्री के लिए पहले कोई बाजार बिल्कुल नहीं मिलता था। मैटल रिज़र्व कम्पनी भारत में अब अभ्रक नहीं खरीद रही है। इसने भारत सरकार के साथ समझौते/संविदा के अंतर्गत 1940-42 में कुछ मात्रा में अभ्रक खरीदा था और भारत में 1941 में अभ्रक के उत्पादन में भारी वृद्धि, मुख्यतः इन खरीदों का ही परिणाम था। उसने जो मूल्य अदा किए वे अच्छे तथा उचित थे। न तो संयुक्त अभ्रक मिशन ही और न मैटल रिज़र्व कम्पनी लाभ कमाने वाली संस्था है।

(घ) संयुक्त अभ्रक मिशन एक सरकारी संस्था है। इसमें तीन ब्रिटिश तथा तीन अमरीकी सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति ग्रेट ब्रिटेन की सरकार द्वारा की जाती है। ब्रिटिश सदस्यों में से एक सदस्य इसका अध्यक्ष है। मिशन अभ्रक की खरीद, इंग्लैंड के मामले में आपूर्ति मंत्रालय के लिए और संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में संयुक्त राज्य अमरीका की मैटल रिज़र्व कम्पनी के लिए करता है। मैटल रिज़र्व कम्पनी एक निगम है जिसका निर्माण पुनर्निमाण वित्त निगम अधिनियम (रिकन्स्ट्रक्शन फाइनेंस कारपोरेशन एक्ट) की धारा 5 (डी) के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका के रिकन्स्ट्रक्शन फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा किया गया है और यह संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की वैध रूप में संगठित एक एजेंसी है।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : प्रश्न के पैरा (क) के सम्बंध में माननीय सदस्य

ने "नहीं" कहा है। क्या इसका अर्थ यह है कि अन्य आपूर्ति फर्मों को अभ्रक का भारत से निर्यात करने की अनुमति है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को उसका उत्तर अगले प्रश्न में मिलेगा।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : परन्तु आप मेरे प्रश्न के भाग (क) के सम्बंध में पहले ही "नहीं" कह चुके हैं।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ,

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : उसका अभिप्राय यह है कि अन्य फर्मों को भारत से अभ्रक का निर्यात करने की अनुमति होगी।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : कोई प्रतिबंध नहीं है; इसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : जहां तक (ग) का संबंध है, क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि संयुक्त अभ्रक मिशन ने गुणवत्ता के मानक को बढ़ा दिया है और उससे दर को घटा दिया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं। उसका उत्तर भी अगले प्रश्न में मिलेगा।

23

*भारतीय श्रमिक की सामूहिक बेरोज़गारी के विरुद्ध रोजगार की व्यवस्था करने के लिए योजना

****103. श्री गोविन्द वी. देशमुख** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने भारतीय श्रमिक की सामूहिक बेरोज़गारी के विरुद्ध रोज़गार की व्यवस्था करने के लिए कोई योजना बनाई है ताकि वह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव से मुक्ति पा सके; यदि हां तो वह क्या योजना है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : सामूहिक बेरोज़गारी के विरुद्ध रोज़गार की व्यवस्था करने के लिए कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई गई है।

युद्ध के समय में रोज़गार का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। जहां तक युद्ध के

24

*संयुक्त राज्य अमरीका की मैटल रिज़र्व कम्पनी तथा सयुंक्त अभ्रक मिशन को अभ्रक के निर्यात का एकाधिकार

105. बाबू बैजनाथ बाजोरिया : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जब संयुक्त अभ्रक मिशन ने इस देश से अभ्रक के निर्यात का नियंत्रण संभाला, तब उन्होंने भारत सरकार को एक वचन दिया था कि वे भारतीय अभ्रक के समूचे उत्पादन को खरीदेंगे;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हाँ में है तो सरकार इस वचन के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि संयुक्त अभ्रक मिशन, अभ्रक की केवल अनुसूचित किस्मों को ही खरीद रहा है और अन्य किस्मों जैसे निम्न ग्रेड तीक्ष्ण तथा ब्लॉक (खंड) अभ्रक को खरीदने से इंकार कर देता है और कई बार तो कुछ अनुसूचित किस्मों को भी खरीदने से मना कर देता है जिसके परिणामस्वरूप इन किस्मों की भारी मात्रा भारतीय व्यापारियों के हाथों में बिना बिकी रह गई है;

(घ) इस उद्योग की उन किस्मों के भंडार को बेचने के लिए जिन्हें संयुक्त अभ्रक मिशन द्वारा नहीं खरीदा गया है, सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ङ) क्या सरकार निजी (प्राइवेट) फर्मों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य सम्बद्ध देशों को अभ्रक के निर्यात की अनुमति देने के लिए तैयार है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(च) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जबसे अभ्रक की खरीद तथा निर्यात को संयुक्त अभ्रक मिशन नियंत्रित कर रहा है तब से खुले खंड वाले अभ्रक के उत्पादन में अत्यधिक कमी हो गई है और कई हज़ार कर्मचारी, अनेक फैक्ट्रियों तथा गृह विखंडन (स्पिलिटिंग) केंद्रों के बंद हो जाने के कारण बेकार हो गए हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) संयुक्त अभ्रक मिशन ने इस देश से अभ्रक के निर्यात का नियंत्रण नहीं संभाला है। तथापि, इसने उस सभी अभ्रक को खरीदने

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 282-83.

का वचन/आश्वासन दिया है जो उसे दिया जाएगा जो व्यापारी किस्म का होता है और जिसे सामान्य मान्यताप्राप्त व्यापार मानकों के अनुसार सुव्यवस्थित तथा वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इस बात की कल्पना करने का सरकार के पास कोई कारण नहीं कि मिशन अपने आश्वासन व वचन का पालन नहीं कर रहा है।

(ग) मिशन अभ्रक की केवल अनुसूचित किस्में खरीद रहा है, संयुक्त राष्ट्र में कोई और किस्म विक्रय योग्य नहीं है। तथापि, ऐसी किस्मों का तटस्थ देशों में निर्यात किया जा सकता है, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए किसी सामान्य आदेश के प्रतिकूल न हो। मिशन अभ्रक की अनुसूचित किस्मों को खरीदने से कभी भी इंकार नहीं करता बशर्ते कि वे मिशन के मानकों के अनुसार हों। भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अनुसूचित किस्म के अभ्रक की भारी मात्रा बिना बिकी रह गई है।

(घ) संयुक्त अभ्रक मिशन द्वारा अभ्रक की जिन किस्मों को नहीं खरीदा गया है वे संयुक्त राष्ट्र में बिकने के योग्य नहीं हैं। तदनुसार, सरकार ऐसे भंडार को बेचने के लिए उद्योग की सहायता करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसे भंडार के तटस्थ देशों में विक्रय होने की असंभावित स्थिति में, सरकार को ऐसे भंडारों के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के प्रतिकूल न हों।

(ङ) प्राइवेट फर्मों द्वारा अभ्रक का निर्यात निषिद्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, तथापि, अभ्रक का आयात प्राइवेट फर्मों द्वारा नहीं करता, परन्तु अभ्रक का आयात केवल संयुक्त अभ्रक मिशन द्वारा खरीदारी से ही करेगा। संयुक्त राष्ट्र को उस समस्त विक्रेय अभ्रक की आवश्यकता है जिसे अभ्रक उद्योग भारत में उत्पन्न कर सके। संयुक्त राष्ट्र को अभ्रक की बिक्री को संयुक्त अभ्रक मिशन के द्वारा इसलिए सरणीबद्ध किया गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र तथा भारत सरकार का यह विचार है कि उसी स्थान पर खरीदने वाली एकाकी एजेंसी, अभ्रक को उसी भारी मात्रा में, संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार प्रदान करने के लिए शीघ्रतम तथा सरलतम साधन उपलब्ध कर सकती है।

(च) संयुक्त राष्ट्रों के पास अभ्रक विखंडित (स्पिलिटिंग) का अत्यधिक भंडार पहले ही है और उनकी मुख्य आवश्यकता अब ब्लॉक अभ्रक की है। फिर भी, मिशन सब अभ्रक लगातार खरीद रहा है जो खानों से विभाजित होकर आता है। तथापि, वे उस अभ्रक को नहीं खरीदेंगे जो पुराने ढेरों से अलग होता है और ऐसा अभ्रक संयुक्त राष्ट्रों में विक्रय नहीं होता। ऐसे अभ्रक को तथापि, तटस्थ देशों में बेचा जा सकता है बशर्ते कि यह सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के

प्रतिकूल न हो। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई फैक्ट्री बंद हुई है यद्यपि यह संभव है कि अनेक घरेलू विभाजक केन्द्र (होम स्पिलिटिंग सेन्टर) बंद हुए हों।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : जहां तक भाग (क), का संबंध है, मैं प्रश्न को पुनः दोहराता हूं कि अमरीका में अभ्रक की अन्य किस्मों की मांग है और उसे निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : क्या आप पूछताछ करेंगे, यदि सं.रा. अमरीका में उन किस्मों की मांग है जिनको यह मिशन नहीं खरीदता तो उन किस्मों को अमरीका को निर्यात करने की अनुमति प्राइवेट फर्मों को दी जानी चाहिए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं पूछताछ करूंगा।

25

*संयुक्त अभ्रक मिशन द्वारा अभ्रक के ग्रेडों के मूल्यों का निर्धारण

106. **बाबू बैजनाथ बाजोरिया :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य को यह जानकारी है कि संयुक्त अभ्रक मिशन, अभ्रक के मूल्य का निर्धारण, इस उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किए बिना करता है;

(ख) क्या माननीय सदस्य को जानकारी है कि संयुक्त अभ्रक मिशन ने मानक को मैटल रिज़र्व कम्पनी के मानकों की तुलना में, जिसने निदेशक, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के माध्यम से खरीदारी की, बहुत बढ़ा दिया है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संयुक्त अभ्रक मिशन ने खरीदने वाले मूल्य को बाज़ार में चल रहे मूल्यों से 10 से 30 प्रतिशत तक कमी कर दी है और फैक्ट्रियों को किसी अन्य प्रकार से निकासी के अभाव के कारण अपने उत्पादों को उनकी दर पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मूल्यों में कमी को स्वीकार किया है जैसाकि ऊपर भाग (ग) में कहा गया है; और

(ङ) क्या सरकार एक सलाहकार समिति को नियुक्त करने के लिए तैयार

---

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड I, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 283.

है, जिसमें खानों के स्वामियों तथा फैक्ट्रियों के स्वामियों के प्रतिनिधि हों और यह समिति विभिन्न किस्मों के मूल्यों को निर्धारित करने के प्रश्न पर संयुक्त अभ्रक मिशन को परामर्श दे; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) अभ्रक के विभिन्न ग्रेड़ों का मूल्य निर्धारित करने से पहले, संयुक्त अभ्रक मिशन ने अभ्रक उद्योग के साथ परामर्श किया है जिसमें बिहार तथा मद्रास दोनों में अलग–अलग फर्मों के प्रतिनिधि थे।

(ख) संयुक्त अभ्रक मिशन ने मानकों (स्टैंडर्ड्स) को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया है। तथापि, इसने कुछ मामलों में मानकों को थोड़ा सा बढ़ाया है, यद्यपि विभाजित (स्प्लिटिंग) तथा फिल्मों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां कहीं भी मानक बढाया गया है, वहीं मूल्यों को भी उसी अनुपात में बढ़ाया गया है। मिशन पूर्व के मानक तथा मूल्य को 100 मानकर, मिशन का मानक (स्टैंडर्ड) जहां बढ़ाया गया है वहाँ 105 है और मिशन का मूल्य 110 है। मैटल रिज़र्व कम्पनी जब भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक के माध्यम से खरीदारी कर रहा था तो उसके द्वारा मांगे गए मानक का क्षेत्र/परास मिशन द्वारा अपेक्षित अनुसूचित मानकों के बहुत व्यापक क्षेत्र/परास की तुलना में कम था।

(ग) संयुक्त अभ्रक मिशन ने अपने क्रय–मूल्य को 10 से 30 प्रतिशत तक कम नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नहीं, मिशन द्वारा प्रस्तुत मूल्य, अभ्रक उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद तथा भारत सरकार के अनुमोदन से निश्चित किए गए। भारत सरकार के मत से वे अच्छे मूल्य हैं और भारत सरकार को एक सलाहकार समिति की नियुक्ति करने के लिए कोई औचित्य दिखाई नहीं देता।

बाबू बैजनाथ बाजोरिया : सरकार को एक ऐसी सलाहकार समिति को नियुक्त करने में क्या आपत्ति हो सकती है जिसमें अभ्रक की खानों के स्वामी तथा फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि हों। इससे उनके हाथ तथा अभ्रक मिशन के हाथ आवश्यक अभ्रक खरीदने के लिए मज़बूत होंगे।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि भाग (ङ) में कहा गया है, इसका उत्तर यह है कि अभ्रक मिशन मूल्य का निर्धारण अभ्रक उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके करता है।

26

*रेलवे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने में अनियमितताएं

109. श्री लालचंद नवलराय : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 1936 का वेतन अधिनियम, IV, भारत में रेलवे पर कब लागू किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के भुगतान में श्रम निरीक्षकों को कुछ अनियमितताएं दिखाई दी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि समझौता अधिकारी (रेलवे) तथा रेलवे श्रमिक—पर्यवेक्षक जो अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक होता है, साधारणतया, इन अनियमितताओं की रिपोर्ट संबंधित प्रशासन को भेजने का प्रयत्न करता है ताकि उन्हें कोई राहत दी जा सके;

(घ) क्या यह सच नहीं है कि विलम्ब से भुगतान के अनेक मामलों में प्रभावित कर्मचारियों को उस समय राहत दी जा सकती है जब वेतन अधिनियम के भुगतान के प्रावधानों का एक बार उल्लंघन कर दिया गया हो। क्या एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे मामलों में मुकदमा चलाया जाता है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(ङ) क्या रेलवे में वेतन का भुगतान करने वालों या प्रशासन के विरूद्ध कोई अभियोग चलाया गया है और यदि हां, तो क्या माननीय सदस्य ऐसे मामलों का विवरण सदन के पटल पर रखने का इरादा रखते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 28 मार्च, 1937

(ख) हाँ।

(ग) पाई गई अनियमितताओं को सुधारने व ठीक करने के लिए रेलवे प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है।

(घ) अधिनियम की धारा 15(3) के अधीन राहत दी जा सकती है। परन्तु कोई अभियोग नहीं चलाया जाता, क्योंकि अब तक जितनी कमियों/दोषों का पता चला है, उनको प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा हमेशा ठीक करना संभव हुआ है।

(ङ) कोई अभियोग नहीं चलाया गया।

श्री लालचंद नवलराय : भुगतान विलम्ब से क्यों किए जाते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : एक बड़े विशाल प्रशासन में ऐसे विलम्ब का होना अवश्यंभावी है।

श्री लालचंद नवलराय : विलम्ब से भुगतान के मामले में प्रशासन क्या करता है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वे भुगतान करते हैं।

श्री लालचंद नवलराय : केवल भुगतान करते हैं या क्या वे कोई और कार्य भी करते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य प्रशासन से क्या करने की आशा करते हैं?

श्री लालचंद नवलराय : ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार क्या करती है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसमें संदेह नहीं कि वे भुगतान में विलम्ब को टालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री लालचंद नवलराय : परन्तु वे क्या करते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे जानकारी नहीं। यदि माननीय सदस्य उत्तर चाहते हैं तो उन्हें एक विनिर्दिष्ट प्रश्न रखना चाहिए।

श्री लालचंद नवलराय : क्या माननीय सदस्य प्रशासन को यह देखने के लिए निर्देश देंगे कि ऐसी बातें न हों और चेतावनी जारी कर दी जाए।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हां, निश्चय ही।

27

*गया नवदिह में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए संविदा के लिए ऊँची दरें

@**143. श्री के.सी. नियोगी** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ हवाई अड्डों के निर्माण के लिए ठेके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर द्वारा मूल रूप में बहुत ऊँची दरों पर

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 19 फरवरी, 1943, पृष्ठ 417-418.

@ इस प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर रखा गया, क्योंकि प्रश्नकर्ता अनुपस्थित थे।

स्वीकृत किए गए थे, जिसके कारण प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग को आपत्ति करने के लिए बाध्य होना पड़ा;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी आपत्ति/विरोध के कारण इन दरों की जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई और इस समिति ने मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत दरों को लगभग एक तिहाई तक कम कर दिया;

(ग) क्या यह सच है कि ठेकेदार भी दरों को तदनुसार कम करने के लिए सहमत हो गए जिससे यह सिद्ध हुआ कि मूल रूप में दी गई दरें असाधारण रूप से अधिक थीं; और

(घ) यदि ऊपर (ग) का उत्तर हां में हो तो सरकार का उस मुख्य इंजीनियर के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का इरादा है जो मूल दरों की स्वीकृति देने के लिए उत्तरदायी था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रश्नाधीन हवाई अड्डों के निर्माण के लिए दरें मुख्य अभियंता (इंजीनियर) द्वारा स्वीकार की गई थीं। उनके सामने इन दरों को अधीक्षण अभियंता के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दरें अधिक थीं; परन्तु जब काम आरंभ किया गया था तो उस समय कम दरों पर अपेक्षित परिमाप के काम के लिए विश्वसनीय ठेकेदार प्राप्त नहीं थे। मंडलीय/प्रभागीय आयुक्त के माध्यम से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह शिकायत थी कि ये दरें अत्यधिक ऊँची थीं।

(ख) तथा (ग) स्थानीय अधिकारियों से आपत्ति प्राप्त करने के लगभग एक महीना पहले मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को इस संबंध में जांच पड़ताल करने का निर्देश दे दिया था और उसके बाद अपने वैधानिक सहायक तथा वित्त–सलाहकार को आगे और जांच पड़ताल व पूछताछ के लिए लगा दिया था। उस समय तक स्थिति और सरल हो गई थी और पहले स्वीकृत दरों में कमी करना संभव था। उसके परिणामस्वरूप कुछ दरों में अत्यधिक वृद्धि की गई। परन्तु कोई भी दर पहले स्वीकृत दर से एक तिहाई तक कम नहीं की गई। कुछ कार्यों के संबंध में, ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत दर में कोई कमी नहीं की गई। मुख्य रनवे के संबंध में कमी 15 प्रतिशत, साधारण भवनों के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत और विशेष भवनों के मामले में 30 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत की गई। तथापि, ठेकेदार ने घरेलू भवनों के मामले में प्रस्तावित घटी दरों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। अतः उस ठेके को उससे ले लिया गया और उसे घटी दरों पर एक दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया।

(घ) मुख्य अभियंता के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का कोई मामला नहीं है।

28

*नई दिल्ली छावनी में अवतरण भूमि के निर्माण के लिए ऊँची दरें

144. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई छावनी, नई दिल्ली में अवतरण भूमि के काम की दरें मूल रूप में उच्च स्तर पर स्वीकार की गईं और दी गई थीं परन्तु बाद में उन्हें घटाना पड़ा और ठेकेदार वह निर्माण/काम घटी दरों पर कर रहे हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर हां में है तो प्रारंभ में ऊँची दरें क्यों स्वीकार की गईं ओर किसके प्राधिकार के अंतर्गत की गईं;

(ग) ऐसे मामले व स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का इरादा है;

(घ) भारत सरकार द्वारा ऐसे मामलों को पुनः न होने देने के लिए और ऐसे सब कार्यों के सम्पादन में दृढ़ मितव्ययिता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या सावधानी बरती है या बरतने जा रही है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तथा (ख) तीन काम निर्माण कार्यों अर्थात् (1) अवतरण भूमि (2) घरेलू/आन्तरिक भवन तथा (3) तकनीकी भवन पर नवीन छावनी, नई दिल्ली में निर्माण के संबंध में काम किया गया। जहां तक (1) तथा (2) का संबंध है, इनका उत्तर 'न' में है।

जहां तक (3) का संबंध है, विनिर्देश में परिवर्तन के कारण दरों में कुछ कमी की गई। (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

29

@भारतीय रेलवे अधिनियम के अध्याय VI-क के लागू करने के संबंध में अनियमितताएं

146. श्री एन.एम. जोशी : (श्री लालचंद नवलराय की ओर से) : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम XIV, 1930 कब लागू किया गया;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 19 फरवरी, 1943, पृष्ठ 118.

** इस प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर रखा गया, क्योंकि प्रश्नकर्ता अनुपस्थित थे।

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 19 फरवरी, 1943, पृष्ठ 420-21

(ख) क्या यह सच है कि समझौता अधिकारी (रेलवे) तथा रेलवे श्रमिक पर्यवेक्षक, जो अधिनियम के अधीन निरीक्षक हैं, की वार्षिक रिपोर्टों में यह देखा गया है कि भारतीय रेलवे अधिनियम के अध्याय VI-क के उपयोग के संबंध में रेलवे में वे ही अनियमितताएं निरंतर देखी गई हैं;

(ग) यदि ऊपर (ख) का उत्तर हाँ में हो तो क्या समझौता अधिकारी (रेलवे) तथा रेलवे श्रम पर्यवेक्षक ने किसी समय इन अनियमितताओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे (संशोधन), अधिनियम, 1930 के दंड प्रावधानों की सहायता का आह्वान किया है और यदि हां तो क्या माननीय सदस्य उदाहरण देते हुए सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत करेंगे;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) के प्रथम भाग का उत्तर 'न' में हो तो क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि कानून की दंड वाली धारा को लागू न करने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या अब ऐसा करने का इरादा है; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1930 की धारा (1) 26 मार्च, 1930 को लागू हुई। धारा (2) विभिन्न रेलवेज पर नीचे लिखी तारीखों पर लागू हुईः–

– उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी भारतीय रेलवे (ईस्ट इंडियन रेलवे) – 1 अप्रैल, 1931

– ग्रेट इंडियन पेनिनसुला तथा ईस्टर्न बंगाल (अब बंगाल तथा असम) रेलवे– 1 अप्रैल, 1932

– बम्बई, बड़ौदा तथा मध्य–भारत तथा मद्रास तथा दक्षिणी महाराष्ट्र रेलवे– 1 नवम्बर, 1935

– बंगाल तथा उत्तर–पश्चिमी (अब अवध तथा तिरहुत) रेलवे – 1 अक्तूबर, 1937

– दक्षिण भारत तथा रोहिकुंड तथा कुमाऊँ (अब अवध तथा तिरहुत का भाग) रेलवे – 1 अप्रैल, 1940

– बंगाल, नागपुर तथा असम बंगाल (अब बंगाल तथा असम का भाग) रेलवे– 1 जनवरी, 1941

(ख) हाँ।

(ग) नहीं।

(घ) तथा (ङ) विधि के दंड प्रावधानों की सहायता/साधन का आह्वान आवश्यक नहीं हुआ क्योंकि अनियमितताओं को प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा सुधारना हमेशा संभव हुआ है।

30

*समझौता अधिकारी (रेलवे) के कार्यकलाप के क्षेत्र

147. श्री एन.एम. जोशी : (श्री लालचंद नवलराय की ओर से) : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि समझौता अधिकारी (रेलवे) के पद का सृजन होने के बाद, उसे रेलवे के समूह के बीच समझौता संबंधी कार्यकलाप चलाने के लिए कलकत्ता में नियुक्त किया गया और उसका मुख्यालय कलकत्ता में रखा गया; और

(ख) क्या यह सच है कि समझौता अधिकारी (रेलवे) तथा रेलवे श्रम पर्यवेक्षक के कार्यालय को अब लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया है और क्या उसके समझौता कार्यकलापों का क्षेत्र, रेलवे के समूह तक ही सीमित रहेगा और मुख्यालय कलकत्ता में ही रहेगा या लाहौर में उत्तर–पश्चिमी रेलवे से सबंधित होगा या लाहौर तथा कलकत्ता दोनों स्थानों पर मुख्यालय वाली रेलवे से संबंधित होगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ

(ख) समझौता अधिकारी (रेलवे) तथा रेलवे श्रम पर्यवेक्षक के मुख्यालयों को केवल मात्र अस्थायी व्यवस्था के रूप में स्थानांतरित किया गया था क्योंकि पद के लिए एक नए पदधारी की नियुक्ति की जा रही थी और रेलवे श्रम उपपर्यवेक्षक जिसका मुख्यालय लाहोर में है, समझौता अधिकारी (रेलवे) तथा रेलवे पर्यवेक्षक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए था। पद पर नए पदधारी की नियुक्ति के बाद उसके मुख्यालय को अब फिर वापिस कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार समझौता अधिकारी के कार्य का विस्तार कलकत्ता मुख्यालय वाली रेलवे के अलावा अन्य रेलों तक ही करेगी?

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 19 फरवरी, 1943, पृष्ठ 421

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, मै उस पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : इनके प्रश्नों को प्रस्तुत करने की अनुमति मैंने श्री एन.एम. जोशी को दी है, यद्यपि, माननीय सदस्य श्री लालचंद नवलराम ने जिन्होंने इन प्रश्नों का नोटिस दिया था, श्री जोशी को प्राधिकृत नहीं किया था। आमतौर से यह प्रथा है कि जब तक वह माननीय सदस्य जिसके नाम से प्रश्न है सदस्य को प्राधिकृत नहीं करता तब तक कोई अन्य सदस्य प्रश्न नहीं रख सकता। परंतु इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मैंने श्री जोशी को इन प्रश्नों को रखने की अनुमति दी।

31

*शत्रु के हवाई हमले के शिकार लोगों के आश्रितों को सहायता

183. श्री एच.ए. साथर एच इसाक सेट : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) भारत में शत्रु द्वारा की गई बमबारी के परिणामस्वरूप मारे गए या घायल हुए लोगों के उत्तराधिकारियों तथा आश्रितों को सहायता देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या उनकी सहायता के लिए ऐसी व्यवस्था आक्रमण के बाद तत्काल लागू हो जाएगी या आश्रितों को सहायता प्राप्त करने से पहले आवेदन करने तथा पूछताछ व जांच–पड़ताल आदि की औपचारिकताओं में से गुजरना पड़ेगा; और

(ग) नागरिकों को विशेष रूप से कलकत्ता के तथा भारत में अन्य स्थानों के जहां पर बमबारी की गई निर्धन वर्ग के लोगों को निम्नलिखित के लिए दी गई सहायता का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(i) उनके मृत व्यक्तियों का निपटारा,

(ii) घायलों की चिकित्सा,

(iii) उनके जीविकोपार्जन के साधनों की क्षति, और

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 24 फरवरी, 1943, पृष्ठ 556

(iv) उनका साधारणतया पुनर्वास?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तथा (ख) शत्रु के द्वारा बमबारी में घायल व्यक्तियों तथा ऐसी कार्यवाही में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को राहत देने की व्यवस्था, युद्ध आहत अध्यादेश के अंतर्गत सरकार द्वारा युद्ध आहत योजना में की गई है।

राहत के लिए आवेदन पत्र देना स्वाभाविक है परन्तु प्रक्रिया को यथासंभव बहुत तीव्र बना दिया गया है। जहाँ सबंधित व्यक्ति आवेदन पत्र देने में समर्थ नहीं होता वहाँ उसकी ओर से आवेदनपत्र को स्वीकारने तथा उस पर कार्यवाही करने की व्यवस्था भी कर दी गई है।

यह भी व्यवस्था की गई है कि मृत्यु या घायल होने की स्थिति में दी जाने वाली राशि के प्रति प्रत्येक मामले में नियोजकों द्वारा 50/- रुपये की राशि पेशगी के रूप में दे दी जाए।

युद्ध आहत अध्यादेश योजना तथा विनियम वाली पुस्तिका की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ग)(i) तथा (ii) में प्रान्तीय उत्तरदायित्व के मामले हैं। भारत सरकार के पास यह विस्तृत ब्यौरा नहीं है कि उन्होंने कार्य किस प्रकार किया। भारत सरकार द्वारा शवों को निपटाने, आहतों की चिकित्सा के लिए संगठनों के निर्माण के लिए पूरा परामर्श दिया गया है तथा संस्तुत रूपरेखा संबंधी योजना को वास्तव में लागू कर दिया गया है। प्रान्तीय सरकारों ने भारत सरकार को सूचना दी है कि योजना में संतोषजनक रूप में कार्य हुआ है। उनकी कुशल कार्य प्रणाली के संबंध में कोई शिकायत या आलोचना भारत सरकार के सामने नहीं आई है। (iii) तथा (iv) इनके संबंध में भारत सरकार के पास कोई विस्तृत ब्यौरा या सूचना नहीं है। अब तक आक्रमण हल्के रहे हैं और भारत सरकार के पास जो सूचना है, उससे यह पता चलेगा कि बमबारी हुए क्षेत्र के मामले में, इस संबंध में कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। यह समझा जाता है कि युद्ध आहत योजना के अंतर्गत राहत अनेक मामलों में प्रदान की गई है और कुछ मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री एच.ए. साथर एच. इसाक सेट : क्या भाग (ख) के संबंध में मेरे माननीय मित्र संतुष्ट हैं कि विलम्ब के संबंध में वास्तव में कोई शिकायत नहीं हुई?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे किसी शिकायत की जानकारी नहीं है।

32

*चतुर्थ श्रमिक सम्मेलन की तथा स्थायी श्रमिक समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण

@**माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर** : (श्रम सदस्य) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) 7 अगस्त, 1942 को हुए चतुर्थ श्रम सम्मेलन (प्रथम त्रिपक्षीय सम्मेलन) की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण।

(2) 30 नवम्बर तथा 1 दिसम्बर, 1942 को हुई स्थायी श्रमिक समिति की प्रथम बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण।

(3) स्थायी श्रमिक समिति की 25 जनवरी, 1943 को हुई द्वितीय बैठक की कार्यवाही का सारांश।

33

**अधिसूचित (नोटिफाइड) क्षेत्र शाहदरा तथा दिल्ली में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करने की वांछनीयता

211. श्री मुहम्मद अजहर अली : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा सरकारी कार्यालयों में लगे अधिकांश कर्मचारी, शाहदरा तथा दिल्ली के अधिसूचित (नोटिफाइड) क्षेत्र में रहते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये उक्त कर्मचारी अधिकांश निम्नवेतन भोगी कर्मचारी हैं और उनकी संख्या उन लोगों से अधिक है जो नोटिफाइड एरिया, सिविल सेशन, दिल्ली तथा दरियागंज तथा करोल बाग, दिल्ली के नव विस्तृत क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 25 फरवरी, 1943, पृष्ठ 603

@ इन वादविवादों में शामिल नहीं थी, परन्तु इनमें से प्रत्येक की प्रति सदन के पुस्तकालय में रखी गई है।

** विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 2 मार्च, 1943, पृष्ठ 653

(ग) नोटिफाइड एरिया, शाहदरा तथा दिल्ली में किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू न करने के क्या करण हैं; तथा –

(घ) क्या सरकार का शाहदरा तथा दिल्ली के अधिसूचित क्षेत्र (नोटिफाइड एरिया) के अंतर्गत आवासीय भवनों पर किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू करने का प्रस्ताव है; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तथा (ख) इन तथ्यों को मैं माननीय सदस्य से लेने के लिए तैयार हूँ।

(ग) तथा (घ)। नई दिल्ली गृह किराया नियंत्रण आदेश, 1939 को इन क्षेत्रों में लागू करना प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है, परंतु पंजाब अरबन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट (पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम) को उन पर लागू किया गया है।

श्री लालचंद नवलराय : दिल्ली गृह किराया नियंत्रण आदेश, 1939 (दिल्ली हाउसरेंट कंट्रोल आर्डर, 1939) को लागू न करने के क्या कारण हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : क्योंकि पहले वाला अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी है।

34

*नई दिल्ली में गृह किराया नियंत्रण के मामले

#228. खान बहादुर शेख फ़जले हक़ पिराचा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1942 में नई दिल्ली में मकानों की किरायेदारी सम्बन्धी कितने मामले किराया नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा निबटाये गये;

(ख) क्या ऐसे भी मामले थे जिनमें मकान मालिकों ने यह आवेदन किया था कि उनको मकानों की आवश्यकता अपने निजी उपयोग के लिए है;

(ग) यदि (ख) का उत्तर 'हाँ' में है तो गृहस्वामियों के कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया गया और कितनों को स्वीकार किया गया? और

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने की कार्यवाही

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 2 मार्च, 1943, पृष्ठ 660-61

\# इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने के कारण सभा पटल पर रखा गया।

गृह–स्वामियों के घोर विरुद्ध है और यह कार्यवाही किराया नियंत्रण आदेश की भावना के विरूद्ध है; यदि हाँ तो क्या माननीय श्रम सदस्य का ऐसे मामलों की जाँच पड़ताल करने का इरादा है और जहाँ आवश्यक है किराया नियंत्रक के निर्णयों पर पुनर्विचार कराने का प्रस्ताव है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : माँगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित करने के लिए काफी समय तथा परिश्रम लगेगा जो युद्ध के समय में उचित नहीं होगा।

35

*नई दिल्ली में गृह किराया नियंत्रण के मामले

#229. खान बहादुर शेख फ़जले हक पिराचा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में मकानों के किराए के निर्धारण संबंधी कितने मामले किराया नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा 1942 में निपटाये गये;

(ख) गृहस्वामियों को कितने मामलों में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया;

(ग) अन्य मामलों में गृहस्वामियों को क्यों नहीं बुलाया गया; और

(घ) क्या माननीय सदस्य (ग) में उल्लिखित मामलों में गृहस्वामियों को बुलाने के लिए किराया नियंत्रक को निर्देश देंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 534 (ख) व (ग) मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसके एकत्रित करने में काफी समय तथा परिश्रम लगेगा जो कि युद्ध के समय में उचित व न्यायसंगत नहीं होगा।

(घ) जिन मामलों में गृहस्वामियों को बुलाना आवश्यक होता है, उन सभी मामलों में नियंत्रक मामले को ठीक प्रकार से निर्धारित करने के उद्देश्य से गृहस्वामियों को बुलाता है। इसलिए कोई विशेष निर्देश देना आवश्यक नहीं है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 2 मार्च, 1943, पृष्ठ 660-61

\# प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

36

*नई दिल्ली में गृह किराया नियंत्रण के मामले

230. खान बहादुर शेख फ़जले हक़ पिराचा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किराएदारी के समय को बढ़ाने के मामले नई दिल्ली में 1942 के दौरान तत्कालीन किराया नियंत्रक स्व. श्री जोन्स द्वारा वास्तव में सुने गए थे, परन्तु निर्णय उनके उत्तराधिकारी ने संबंधित पक्षों को सुने बिना दिए, यदि हां तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या ऐसे मामलों की पुनः जांच करने के लिए उनका एक अधिकारी की नियुक्ति करने का इरादा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं; प्रश्न के पिछले भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

37

#पंजाब किराया प्रतिबंध अधिनियम को समस्त दिल्ली प्रान्त में लागू करने की वांछनीयता

##231. खान बहादुर शेख फ़जले हक पिराचा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या पंजाब किराया प्रतिबंध अधिनियम को दिल्ली प्रान्त के कुछ भागों में लागू किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि किराया नियंत्रण आदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उस अधिनियम को लागू नहीं किया गया है; और

(ग) क्या माननीय सदस्य का इरादा किराया नियंत्रण आदेश को वापस लेने का है और सरकार को यह सलाह देना चाहते हैं कि कथित अधिनियम को उन क्षेत्रों में भी लागू किया जाए; यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 2 मार्च, 1943, पृष्ठ 661

** प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

\# विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 2 मार्च, 1943, पृष्ठ 661

\## प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तथा (ख) हाँ।

(ग) नहीं। किराया नियंत्रण आदेश एक ऐसे घर का ठीक किराया निर्धारित करने की तीव्र विधि प्रदान करता है, जिसके लिए पंजाब अधिनियम में व्यवस्था नहीं है और मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता, जिससे इस आदेश को वापिस दिया जाए।

*शिमला में गृह किराया नियंत्रण

#232. खान बहादुर शेख फ़ज़ेल हक़ पिराचा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य को यह जानकारी है कि दिल्ली में सरकार के सिविल विभागों को रोके रखने के कारण शिमला में निजी सम्पत्तियों के किरायों में भारी कमी हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में मकान खाली पड़े रहे थे या सम्बन्धित भूस्वामियों ने, उस वर्ष के दौरान उन्हें नाममात्र के किराए पर पट्टे पर दे दिया था; यदि हां तो क्या सरकार का उस वर्ष के लिए किराए को किराया नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मूल किराया के रूप में निर्धारित न करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि मरम्मत की लागत बहुत अधिक हो गई है और पंजाब सरकार ने नए अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्ति पर 7½ प्रतिशत का एक नया कर थोप दिया है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि शिमला के मकान मालिकों को सम्बंधित सरकार द्वारा एक या दूसरे तरीके से प्रतिबंध थोपे जाने के कारण, आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है;

(घ) क्या माननीय सदस्य का शिमला के लिए गृह नियंत्रण आदेश में संशोधन करने का इरादा है ताकि 1939 के लिए किराए का निर्धारण बेसिक किराया तथा मरम्मत की बढ़ी हुई लागत/खर्च को 25 प्रतिशत के रूप में किया जा सके अथवा विकल्पतः किराया नियंत्रण आदेश को वापिस हटाना और उसके बदले पंजाब किराया प्रतिबंध अधिनियम को लागू करना चाहते हैं; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 1940 के प्रारंभ में किराए 1939 की अपेक्षा कम थे। 1939 में मकान मालिकों ने किरायों में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी। तथापि, 1940 में मकान नाममात्र के किराए पर नहीं दिए गए थे और भारत सरकार ने यह विचार किया कि 1940 के किराए, किराया नियंत्रण आदेश के अंतर्गत बेसिक किराए मानने के लिए, ठीक किराए हैं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 2 मार्च, 1943, पृष्ठ 662

\# प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(ख) हाँ।

(ग) मकान मालिकों को, उनपर सरकार द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों से आर्थिक क्षति न हो रही है परन्तु उन्हें अपनी सम्पत्ति से न्यायसंगत लाभ से अधिक लाभ कमाने से रोका गया है।

(घ) नहीं; किराया नियंत्रण आदेश, एक संकटकालीन उपाय है जिसे मकानों के किरायों के संबंध में शीघ्र निर्णय करने के लिए बनाया गया है। यदि इसके बजाए, पंजाब अरबन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट (पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम) को लागू किया गया तो किराएदारों को सिविल अदालतों के दरवाज़े खटखटाने पड़ेंगे जोकि केवल खर्चीला ही नहीं होगा, परन्तु उसमें निर्णय होने में भी बहुत लम्बा समय लगेगा।

38

*केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टरों का स्थानीय स्कूलों आदि के कर्मचारियों को आवंटन

#234. **श्री मुहम्मद अज़हर अली :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग के उन क्वार्टरों को जो विशेषरूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाए गए थे, कुछ विभागों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक तरजीह देकर स्थानीय स्कूलों के कर्मचारियों तथा अदालतों को आवंटित किया जाता है;

(ख) क्या उन्हें यह जानकारी है कि तथाकथित "हकदार कार्यालयों" के बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों के उन स्थायी कर्मचारियों के ऊपर तरजीह दी जाती है जो उनकी अपेक्षा अधिक वेतन ले रहे हैं, इससे सरकार को राजस्व की हानि होते हुए भी ऐसा किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि उसी विभाग के सह–कार्यालयों के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे क्लियरिंग (समाशोधन) लेखा कार्यालय को अनधिकृत कार्यालय माना गया, परन्तु उस निर्णय को अब बदल दिया गया है; और

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 2 मार्च, 1943, पृष्ठ 663

प्रश्नकर्त्ता का कोटा समाप्त हो जाने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर रखा गया।

(ङ) क्या माननीय सदस्य का इस स्थिति पर पुनर्विचार करने का इरादा है और केन्द्रीय सरकार के समस्त कार्यालयों को एक समान मानने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) ये क्वार्टर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा नई दिल्ली और दिल्ली में तैनात स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों के लिए हैं और इन्हें स्कूलों तथा अदालतों में काम करने वाले कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकता है।

(ख) मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूँ कि नियमों के लागू होने के कारण माननीय सदस्य द्वारा सुझाए गए परिणाम हो सकते हैं।

(ग) इन आवासों के अधिकृत व हक़दार कार्यालयों के संबंध में नियमों की अपेक्षाकृत और अधिक उदार व्याख्या हाल में उत्पन्न हुई है और यह संभव है कि इसके परिणाम स्वरूप कुछ विसंगतियां हो सकती हैं।

(घ) हाँ।

(ङ) यदि मेरे सामने किसी विशेष कार्यालय का मामला लाया जाएगा तो मैं उसकी जाँच करने के लिए तैयार हूँ, परन्तु एक सामान्य पुनर्विचार या समीक्षा का इरादा नहीं है।

39

*दिल्ली में सरकार द्वारा प्राइवेट घरों को पट्टे पर लेना

252. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नई दिल्ली नोटिफाइड एरिया, करोल बाग, दरियागंज आदि में अलग अलग कितने प्राइवेट (निजी) मकानों को पट्टे पर लिया है;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में पहला तथा आखिरी मकान पट्टे पर कब लिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि सर्दी का मौसम प्रारंभ होने से पहले सब मकान के पट्टे पर लिया गया था; यदि नहीं, तो सर्दी का मौसम प्रारंभ होने के बाद कितने मकानों को पट्टे पर लिया गया था;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 1, 8 मार्च, 1943, पृष्ठ 811-12

(घ) इन भवनों के मालिकों को सरकार द्वारा किराये का भुगतान किस आधार पर किया जाता है, आवंटन के लिए मकानों का वर्गीकरण कैसे किया गया और उस वर्गीकरण के अनुसार उन्हें किस प्रकार आवंटित किया गया;

(ङ) नीचे की टाइप के हकदार कितने लोगों को उच्चतर टाइप के मकान आवंटित किए गए, और क्यों;

(च) आवंटियों से इन मकानों के लिए किराया किस प्रकार वसूल किया जाता है;

(छ) क्या यह सच है कि यह उनके वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता;

(ज) 1942-43 के दौरान, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग, प्रथम तथा अंतिम मकानों पर कब्जा कब किया गया;

(झ) क्या यह सच है कि अनेक मकान अब भी खाली हैं;

(ञ) सरकार द्वारा मकान मालिकों को भुगतान की गई कुल राशि तथा किराएदारों से वसूल की गई राशि के अंतर से सरकार को कितनी हानि हुई;

(ट) मकानों के कई महीनों तक खाली पड़े रहने से सरकार को कितनी हानि हुई;

(ठ) क्या सरकार को सम्भावित माँग की जानकारी नहीं थी;

(ड) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में मकान मालिकों को जितने किराए का भुगतान किया गया वह किराया उससे कहीं अधिक था जो उनके द्वारा सरकार को पट्टे पर देने से पहले वसूल किया जाता था और यदि हाँ तो क्यों, और इस क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने का इरादा रखती है;

(ढ) अगले वर्ष के लिए सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है;

(ण) क्या उन्हें पट्टे पर अभी और मकान लेने की आवश्यकता पड़ेगी या वे उनमें से कुछ को मुक्त करेंगे जो पहले से पट्टे पर लिए हुए है;

(त) क्या सरकार विगत समय में मकानों को पट्टे पर लेने के मामले की जाँच करने के लिए एक जाँच समिति बनाने के लिए तैयार है, जिससे कोई संदेह न रहे कि सरकार को अधिकारियों की लापरवाही तथा समाचारों के समुचित आकलन के अभाव में अनावश्यक हानि उठानी पड़ी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तथा (ख) माँगी गई सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

(ग) नहीं। सर्दी के मौसम के आरंभ होने के बाद छियालीस (46) मकान पट्टे पर लिए गए।

(घ) सरकार ने "अच्छा किराया" अदा किया है जैसा कि नई दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश, 1939 के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। आवंटन के लिए उपयुक्त आवासों में फ्लैटों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया कि वे जो पत्नी तथा परिवारों वाले अधिकारियों के लिए उपयुक्त थे, और वे जो केवल पत्नी वाले अधिकारियों के लिए उपयुक्त थे और उनका आवंटन तदनुसार सिद्धांत के अनुसार किया गया कि ऊँचे किराए वाले मकान अधिक वेतन वाले अधिकारियों को आवंटित किए गए। लिपिकों (क्लर्कों) के लिए उपयुक्त मकानों का आवंटन उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार नहीं किया गया।

(ङ) कोई नहीं। मकानों को टाइपों में विभाजित नहीं किया गया, परन्तु "अधिक किराए वाला आवास, अधिक वेतन वाले अधिकारी के लिए" सिद्धांत का उपलब्ध मकानों के आवंटन में हमेशा पालन किया गया।

(च) किराए का हिसाब नियमों के अनुसार किया जाता है और उसकी वसूली आवंटी से उसके वेतन का दस प्रतिशत या पूरे किराये की वसूली, जो भी कम हो, की जाती है।

(छ) हाँ, वेतन नहीं, परिलब्धियों का दस प्रतिशत।

(ज), (झ) तथा (ञ) माँगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इस सूचना को एकत्रित करने में समय तथा श्रम लगेगा, वह युद्ध काल में न्यायसंगत नहीं होगा। यह असंभव है कि इतनी बड़ी आवास सम्पदा में, सभी मकान हमेशा भरे रहें – मकानों में कभी कभी खाली रहने और दस प्रतिशत के नियम के लागू होने के कारण कुछ हानि अवश्यंभावी है।

(ट) नई दिल्ली तथा दरियागंज में पट्टे पर लिया गया कोई भी मकान खाली नहीं है और अधिकारियों के लिए उपयुक्त आवास के चार सूट तथा लिपिकों के लिए उपयुक्त आवास के तीन सूट करोल बाग में खाली हैं।

(ठ) सरकार को पूरी जानकारी थी।

(ड) किरायों का भुगतान किया गया वे किराया नियंत्रक द्वारा निर्धारित किए गए थे, जहां तक मालूम है उन मामलों में जहां पर मकान पहले पट्टे पर लिए गए थे, उनका किराया पहले भुगतान किए गए किराए से अधिक नहीं था। प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

(ढ) तथा (ण) सरकार एक निश्चित उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। यह संभावना है कि सरकार को और अधिक मकानों की आवश्यकता पड़ेगी।

(त) नहीं। यह प्रश्न अन्य भागों के मेरे उत्तर की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

विवरण

(क)	नई दिल्ली क्षेत्र	122 बंगले तथा फ्लैट
	अधिसूचित क्षेत्र (नोटिफाइड ऐरिया)	8 बंगले
	करोलबाग	143 फ्लैट (लिपिकों के लिए उपयुक्त आवास सहित)
	दरियागंज	34 फ्लैट (केवल लिपिकों के लिए उपयुक्त)।

		प्रथम मकान का आधार	अंतिम मकान का आधार
(ख)	नई दिल्ली	1.4.41	2-7-43
	अधिसूचित क्षेत्र	1.6.41	31-12-42
	करोल बाग	7.7.42	15-1-43
	दरियागंज	15.8.42	25-10-42

श्री लालचंद नवलराय : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ मकान खाली क्यों पड़े हैं, क्या उनकी आवश्यकता अधिकारियों तथा लिपिकों (क्लर्कों) को नहीं है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : कुछ अस्थायी कारण होना चाहिए जिसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री लालचंद नवलराय : क्या क्लर्कों का अधिक के लिए और अधिक मकानों की आवश्यकता है या नहीं और या आपको पूरे मकान मिल गए है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : उस प्रश्न के विषय में मुझे नोटिस मिलना चाहिए।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या यह सच नहीं है कि सरकार को अधिकारियों तथा अन्य लोगों के आवास के लिए बहुत सारे तम्बुओं (टैंटों) की व्यवस्था करनी पड़ी थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वह बिल्कुल ऐसा ही है।

डा. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : इससे पता चलता है कि मकान पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ।

40

*नई दिल्ली में संयुक्त 'सी' टाइप क्वार्टरों में सुधार

279. सरदार संत सिंह : (क) तारांकित प्रश्न के (च) भाग के उत्तर के संदर्भ में जो 18 मार्च, 1940 को पूछा गया था, क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में "सी" टाइप के ऑर्थोडोक्स संयुक्त क्वार्टरों में क्या सुधार करने की मांग, सरकार द्वारा प्राप्त उन आवेदन पत्रों में की गई है जो किरायेदार एसोसिएशनों के माध्यम से या ऐसे क्वाटरों के निवासियों द्वारा अलग अलग दिए गए हैं;

(ख) प्रत्येक दृष्टि पर मांगे गए सभी परिवर्तनों तथा अतिरिक्त भाग को बनवाने पर कितना खर्च होता;

(ग) क्या 18 मार्च, 1940 से नई दिल्ली में क्लर्कों या अधिकारियों के किसी क्वार्टर में कोई परिवर्तन, या परिवर्धन या अतिरिक्त भाग का निर्माण किया गया है और यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों की अलग अलग श्रेणी क्या है जिनमें ऐसे परिवर्तन आदि किए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार परिवर्धित या परिवर्तित क्वार्टरों की प्रत्येक अलग अलग श्रेणी पर किए गए खर्च की राशि कितनी थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) तथा (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसके एकत्रित करने में काफी समय तथा परिश्रम लगेगा, जो युद्ध के समय लगाना उचित नहीं होगा।

(ग) हाँ, परिवर्तन तथा परिवर्धन 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' तथा 'ई' टाइप के क्वार्टरों में किए गए।

विवरण

एक वर्तमान स्थलों पर रसोईघर, स्नानागार तथा भंडार (स्टोर) घरों को तोड़ दिया जाए और उनके बदले शौचालय तथा स्नानागार के बीच आंगन में खुले स्थान में नए बनवा दिये जाएं और सभी तीनों कमरों के सामने एक लम्बा बरामदा बनवा दिया जाए।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 11 मार्च, 1943, पृष्ठ 969

दो कमरों को अच्छा हवादार बनाने के लिए अंदरूनी बरामदे में प्रत्येक कमरे में एक खिड़की लगा दी जाए।

तीन पहले कमरे के बाहरी प्रवेश द्वारा से मिली हुई एक खिड़की लगवा दी जाए।

चार बाहरी बरामदे पर दूसरे छोर पर खुलने वाले स्थान पर कमरे में एक दरवाजा बनवा दिया जाए।

पाँच पानी की एक और टोंटी लगवा दी जाए।

छहः सेवक (नौकर) का एक कमरा।

सात एक अतिरिक्त स्नानागार और उसमें एक खिड़की।

आठ सब कमरों में मानक प्रकार के रोशनदान और छत में विद्यमान छेदों को बंद करना।

नौ अग्नि स्थल रहित सभी कमरों में लकड़ी की वाहकभित्ति/आवरण।

दस सब कमरों में दीवारों में अलमारियां।

ग्यारह अन्दरूनी बरामदे के स्थान में वृद्धि, आदि।

41

*नई दिल्ली में संयुक्त 'सी' टाइप के क्वार्टरों में सुधार

280. सरदार संत सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में संयुक्त ''सी'' टाइप के आर्थोडोक्स क्वार्टरों में निम्नलिखित परिवर्तन व हेरफेर करने में कितना खर्च हुआ :

(i) सामने के कमरे में एक खिड़की की फिटिंग;

(ii) नियमित रोशनदानों (वातायनी) की व्यवस्था जैसी कि अन्य टाइप के क्वार्टरों के तीनों कमरों में की गई है;

(iii) आंगन में पक्के फर्श की व्यवस्था करना; और

(iv) रसोईघर में एक दूसरी खिड़की की व्यवस्था करना।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : 0415 रुपये प्रति क्वार्टर।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 11 मार्च, 1943, पृष्ठ 969-70

42

*नई दिल्ली में संयुक्त 'सी' टाइप के क्वार्टरों में सुधार

281. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि डी.आई. जैड़ एरिया, नई दिल्ली में 'डी' टाइप ऑर्थोडॉक्स क्वार्टरों में 1940 या 1941 में आँगन में पक्के फर्श की व्यवस्था की गई थी;

(ख) ऐसे क्वार्टरों तथा अन्य क्वार्टरों की संख्या कितनी है जिनमें यह परिवर्तन व सुधार किया गया था;

(ग) संयुक्त "सी" टाइप क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है जो इन 'डी' टाइप क्वार्टरों के बीच में स्थित हैं;

(घ) इन सभी संयुक्त "सी" टाइप क्वार्टरों में पक्के फर्श की व्यवस्था करने पर कुल कितना खर्च होता; और

(ङ) 'डी' टाइप के उन सब क्वार्टरों पर जिनमें यह सुधार किया गया, कुल कितनी राशि खर्च हुई?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ

(ख) 1079

(ग) 60

(घ) वर्तमान मूल्यों पर 13,500 रुपये

(ङ) 29, 415 रुपये।

43

@नई दिल्ली में संयुक्त 'सी' टाइप के क्वार्टरों का निरीक्षण

282. सरदार संत सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य तारांकित प्रश्न सं. 438 के दो पूरक प्रश्नों के 18 मार्च 1940 को दिये गए उत्तर की ओर ध्यान देंगे जिनमें तत्कालीन श्रम सदस्य ने नई दिल्ली में संयुक्त "सी" टाइप के क्वार्टरों का

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 11 मार्च, 1943, पृष्ठ 970

@ वही।

निरीक्षण करने का वायदा किया था और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने इन क्वार्टरों का निरीक्षण वास्तव में किया है और यदि हां, तो क्या उनका सभा पटल पर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विचार है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं। प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

44

*नई दिल्ली में बहुत पुराने 'डी' टाइप क्वार्टरों में सुधार

283. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 1940 में डी.आई.ज़ैड एरिया, नई दिल्ली में बहुत पुराने 'डी' टाइप क्वाटरों की गैलरियों को जब कवर किया गया तब एक सुझाव दिया गया था कि गैलरी के दोनों ओर दो कमरों की दीवारों में लगाए गए रोशनदान शीशे के केस वाले होने चाहिए ताकि उन्हें बंद किया जा सके;

(ख) क्या यह सच है कि पुरानी किस्म के शीशे के केस वाले रोशनदानों के बजाए केवल बड़े छेदों वाले वायर गेज़ रोशनदान ही इस आधार पर प्रदान किए गए थे क्योंकि नई दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारी ने बाद वाली किस्म के रोशनदानों की व्यवस्था पर आपत्ति की थी क्योंकि वे अस्वास्थ्यकर थे;

(ग) क्या यह सच है कि यह प्रस्ताव रखा गया था कि इन क्वार्टरों में शौचालय तथा स्नानागार के बीच खुले स्थान को कवर कर दिया जाए ताकि ईंधन आदि के भंडारण के लिए साथ मिल जाए; और

(घ) क्या यह सच है कि इसे कवर करने पर भी स्वास्थ्य विभाग, नई दिल्ली ने आपत्ति की थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) हां।

(घ) नहीं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 11 मार्च, 1943, पृष्ठ 970

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : सरदार संत सिंह के अन्य प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रख दिए जाऐंगे।

45

*नई दिल्ली में संयुक्त 'सी' टाइप के क्वार्टरों का निरीक्षण

#**284. सरदार संत सिंह** : (क) क्या शिक्षा सचिव यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वास्थ्य अधिकारी नई दिल्ली को कभी नई दिल्ली के आवासीय स्थानों का निरीक्षण करने और यह देखने के लिए आमंत्रित किया गया था कि रहने के सभी स्थानों में समुचित रोशनी व हवा आदि के लिए समुचित रोशनदान की व्यवस्था है;

(ख) यदि (क) का उत्तर हां में हो तो क्या अधिकारी ने कभी डी.आई.ज़ैड एरिया, नई दिल्ली में संयुक्त 'सी' टाइप क्र्वाटरों का निरीक्षण किया था;

(ग) यदि (ख) का उत्तर हां में हो तो क्या उक्त अधिकारी ने उन क्वार्टरों में शयन कक्षों आदि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कमरों की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका या भारत सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; यदि हां तो क्या उनका उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखने का इरादा है; यदि उसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, तो क्यों नहीं; और

(घ) यदि स्वास्थ्य अधिकारी को इन क्वार्टरों का निरीक्षण करने के लिए कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया तो उसके ऐसा न करने के क्या कारण थे; क्या वे ये निर्देश जारी करने के लिए तैयार हैं कि इन क्वार्टरों का निरीक्षण शीघ्र किया जाए; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) तथा (ग) उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन क्वार्टरों के निर्माण होने से पहले इनके डिज़ाइन को नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किया गया था और सरकार ने यह आवश्यक नहीं समझा कि इन क्वार्टरों का निरीक्षण स्वास्थ्य अधिकारी से कराया जाए।

---

* विधान सभा वाद--विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 11 मार्च, 1943, पृष्ठ 970-71

\# प्रश्नकर्ता का कोटा समाप्त होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

46

@नई दिल्ली में संयुक्त 'सी' टाइप क्वार्टरों के आवंटियों के धारणाधिकार पर स्थानांतरण

#285. **सरदार संत सिंह** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पिछले वर्ष तक नई दिल्ली में मॉड, इबस्टन तथा रीडिंग रोडों पर संयुक्त ''सी'' टाइप क्वाटरों के आवंटियों को आवेदन पर, हैवलोक स्क्वायर, बेयर्ड रोड, मार्केट रोड, इर्विन रोड आदि में जब भी ऐसे क्वार्टर उपलब्ध होते थे, नियमित 'सी' टाइप क्वार्टरों के साथ, धारणाधिकार सहित अपने क्वार्टर बदलने की अनुमति थी;

(ख) सबसे अधिक लम्बा समय कितना था जो उन मामलों में संयुक्त ''सी'' टाइप के आवंटी को नियमित 'सी' टाइप का क्वार्टर आवंटित करने में लगा जिन मामलों में आवंटी ने ऐसे संयुक्त क्वार्टर के आवंटन होते ही, उसी समय से बदली के लिए मांग की थी;

(ग) क्या ऐसे संयुक्त क्वार्टर के वर्तमान आवंटी को इस वर्ष धारणाधिकार सहित परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी;

(घ) ऊपर (क) में उल्लिखित स्क्वेयरों तथा रोड़ों (सड़कों) में क्वार्टरों (नियमित ''सी'' टाइप) की कुल संख्या कितनी है जो इस वर्ष वर्तमान आवंटियों के द्वारा किसी एक या अन्य बातों जैसे सेवानिवृत्ति, या उच्चतर टाइप के क्वार्टर के आवंटन के कारण उन्हें स्थायी रूप में खाली कर दिया जाएगा;

(ङ) क्या उनका यह देखने का प्रस्ताव है कि कम से कम इन सयुंक्त 'सी' टाइप के किरायेदारों को यदि वे चाहें तो धारणाधिकार सहित परिवर्तन करने की अनुमति दी जाएगी, और यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ।

(ख) माँगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसको एकत्रित करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा, जो युद्ध के समय में न्यायसंगत नहीं होगा।

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 11 मार्च, 1943, पृष्ठ 970-71

प्रश्नकर्ता का कोटा समाप्त हो जाने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर रखा गया।

(ग) तथा (ङ) हां। इसकी अनुमति देने के लिए संशोधित नियमों को यथासंभव शीघ्र बदला जा रहा है।

(घ) जब तक आगामी ग्रीष्म तथा सर्दी के मौसम के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं कर लिए जाते तब तक सूचना नहीं दी जा सकती।

47

*युद्ध में आहत (क्षतिपूर्ति बीमा) विधेयक

माननीय डा. बी.आर. अम्बेड़कर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं एक विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ जिससे कि नियोक्ताओं पर युद्ध में आहत हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व सौंपने और ऐसे दायित्व के विरूद्ध नियोक्ताओं के बीमा के लिए व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है:

''कि नियोक्ताओं पर युद्ध में आहत हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व सौंपने और ऐसे दायित्व के विरूद्ध नियोक्ताओं के बीमा के लिए व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

48

**तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली पॉलिटैक्नीक में इन्स्ट्रक्टरों आदि की बरखास्तगी

311. मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुरः (क) क्या माननीय श्रम सदस्य, 25 मार्च, 1942 को अतारांकित प्रश्न सं. 75 के उत्तर के भाग (ङ) की ओर ध्यान देंगे और तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली पालिटैक्नीक में इन्स्ट्रक्टरों तथा सहायक इन्स्ट्रक्टरों की निरन्तर बरखास्तगी, का कारण बताएंगे, विशेष रूप से उस समय, जब कुशल व्यक्तियों की भारी कमी; है और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मुसलमानों को कोई कारण बताए हटा दिया गया है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 11 मार्च, 1943, पृष्ठ 976.

** विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 16 मार्च, 1943, पृष्ठ 1120.

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 1 अप्रैल, 1942 से चौदह इन्स्ट्रक्टरों को हटाया गया है। उनमें से 13 को अयोग्यता व अदक्षता के कारण तथा एक को राजनैतिक कार्यकलापों के कारण हटाया गया।

(ख) मेरी जानकारी के अनुसार, नहीं।

49

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के जिल्द विभाग में कर्मचारियों की शिकायत

312. काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली के सभी कर्मचारियों ने पहली तथा दूसरी दिसम्बर, 1942 को हड़ताल की थी और यह कि 2 दिसम्बर 1942 को श्रम सचिव वहां गए और उनके सामने छह मांगें रखी गईं और कि एक मांग जिल्द विभाग में वार्षिक वृद्धि थी और कि वेतन का प्रारंभ 30 रु. प्रतिमास से होना चाहिए और कि 20 वर्ष की सेवा अवधि के अंदर वेतन 75 रुपये प्रतिमास के अधिकतम ग्रेड तक पहुंच जाना चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि जिल्द विभाग, 1927 से, एक वार्षिक वृद्धि के लिए, निर्माण समिति (वर्क्स कमेटी) को प्रश्न तथा ज्ञापन प्रस्तुत करता रहा है और विधान सभा में प्रश्न रखता रहा है और प्रेस की यूनियन ने भी एक ज्ञापन दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि लोग पिछले 15/20 वर्ष से वही वेतन ले रहे हैं और उनमें से अधिकांश लोगों को उनके वेतन में से फंड, सोसायटी, पानी, क्वार्टर आदि के लिए कटौतियाँ हो जाने के बाद प्रतिमास केवल 10/12 रुपये ही मिलते हैं, इस राशि से उनके लिए अपना जीवन निर्वाह करना असंभव है;

(घ) क्या यह सच है कि जिल्द विभाग की यूनियन ने नवम्बर, 1942 में श्रम विभाग के सचिव को एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह लिखा गया था कि जब तक वार्षिक वृद्धि न दी जाए तब तक जिल्द विभाग के कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा से पहले सेवानिवृत्त न किया जाए और इस प्रकार उनकी थोड़ी सी क्षतिपूर्ति की जाए; और

(ङ) क्या सरकार जिल्द विभाग में लोगों को उस समय तक रखने के लिए तैयार है जब तक वे 25 वर्ष की सेवा पूरी न कर लें?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 16 मार्च, 1943, पृष्ठ 1121.

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ पर्यवेक्षण कर्मचारियों तथा कुछ अन्य कर्मचारियों को छोड़कर। जिल्द विभाग में वेतन एक समय–मान को आरम्भ करने के प्रश्न की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) हाँ।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं। प्रेस की कर्मचारी यूनियन ने नवम्बर, 1942 में एक आवेदन पत्र दिया था। परन्तु उसमें वह अनुरोध नहीं है जो बताया गया है।

(ङ) नहीं। साधारणतया किसी भी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जाता।

50

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के जिल्द विभाग में कर्मचारियों की शिकायत

@**313. काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में जिल्द विभाग में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो प्रतिमास तीस रुपये ले रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कार्यालय ने गलती से उनकी सेवा में कटौती कर दी और वह सेवा उन्हें पुनः अब तक नहीं मिली है जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्षों से वे प्रति मास तीस रुपये ही ले रहे हैं, यद्यपि दूसरे लोग जिनकी सेवा कम है अधिक राशि ले रहे हैं, उदाहरणार्थ जो लोग प्रतिमास 25 रुपये लेते थे वे अब प्रतिमास 40 रुपये तथा 45 रुपये ले रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उन लोगों ने जिनकी सेवा रद्द कर दी गई है नियंत्रक को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने उनकी पिछली सेवा को उनकी वर्तमान सेवा में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या सरकार उन व्यक्तियों की सेवा को जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, शामिल करने के लिए तैयार है; और यदि हाँ तो क्या उनको उन लोगों से वरिष्ठ बनाना संभव है जिन्होंने उनका स्थान ले लिया था?

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 16 मार्च, 1943, पृष्ठ 1121.

@ प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) माफी का अभिप्राय यह नहीं है कि व्यवधान से पहले की उस अवधि को लिए जाने वाले वेतन के निर्धारण के लिए सेवा के रूप में गिना जाए। इसमें कोई गलती नहीं की गई।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

51

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुसलमान इंजीनियरों आदि का अभाव

319. **खान बहादुर शेख फ़ज़ले हक पिराचा** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि विमानन तथा पहुंच सड़क निर्माण सहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं तथा उपमंडलीय अधिकारियों (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) की जाति–वार कितनी संख्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त प्रत्येक संवर्ग में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है और यदि हां तो मुसलमानों के कम–प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का इरादा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) हाँ। मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व इस सच के कारण है कि अधिकांश नियुक्तियां विमानन के निर्माण कार्य के लिए की गई थी। ये कार्य तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण थे और उनके लिए काफी बड़ी संख्या में अनुभवी तथा योग्य अधिकारियों की आवश्यकता थी। भारत को जापान की धमकी के कारण, इन अधिकारियों की आवश्यकता बहुत कम सूचना पर थी और यदि नियुक्तियां बिल्कुल साम्प्रदायिक रोस्टर के अनुसार की जाती तो उसके कारण उनमें विलम्ब होता जो देश की रक्षा के लिए अत्यंत हानिकारक होता। वे सब नियुक्तियां जिनके संबंध में साम्प्रदायिक नियमों का पालन नहीं किया गया है केवल अस्थायी हैं और जैसे ही वर्तमान संकटकाल समाप्त होगा सभी अनियमितताओं को ठीक कर दिया जाएगा।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 16 मार्च, 1943, पृष्ठ 1124-25.

विवरण

अधिकारियों का पदनाम	यूरोपीय	एंग्लो–इंडियन	हिन्दू	मुसलमान	सिख	भारतीय ईसाई	पारसी	कुल
1. अधीक्षण अभियंता	5	-	3	-	2	-	-	10
2. कार्यपालक अभियंता	12	4	35	5	1	5	-	62
3. उपमंडलीय अधिकारी, राजपत्रित (सहायक कार्यपालक अभियंता)	1	5	25	6	2	4	-	43
4. उपमंडलीय अधिकारी (अस्थायी अधिकारी)	-	4	43	4	3	-	1	55
5. उपमंडलीय अधिकारी (अराजपत्रित)	-	3	124	23	22	1	-	173

मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : क्या हमें यह समझना है कि जब तत्काल नियुक्तियाँ की जाती हैं, तो मुसलमान समुदाय ही ऐसा दुर्भाग्यशाली है जिसे हानि उठानी पड़ती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : केवल वही दुर्भाग्यशाली समुदाय नहीं है, अन्य समुदाय/सम्प्रदाय भी हैं जो समान रूप से प्रभावित हैं।

मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनी : क्या सरकार का प्रस्ताव अन्य प्रान्तों से मुसलमान अधिकारियों को यदि वे उपयुक्त व योग्य पाए गए तो नियुक्त करने का है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ।

श्री जमनादास एम. मेहता : जब साम्प्रदायिक/जातीय अनुपात ठीक हो जाएगा तो जो लोग पहले नियुक्त हो चुके हैं, क्या उन्हें बरखास्त कर दिया जाएगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वे सब अस्थायी नियुक्तियां हैं।

श्री जमनादास एम. मेहता : इसलिए उन्हें पदच्युत/बरखास्त कर दिया जाएगा।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वे अस्थायी हैं, बरखास्तगी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जमनादास एम. मेहता इस प्रश्न को प्रस्तुत करने के बाद भी अपने स्थान पर खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहमान) : जब माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछ लिया है तो उन्हें अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए।

श्री जमनादास एम. मेहता : श्रीमन, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इसका अर्थ यह है कि वे लोग जो संकट की घड़ी में आपकी सहायता के लिए आए उन्हें अल्पकाल के लिए रखा जाएगा?

माननीय डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर : उनकी नियुक्तियाँ अस्थायी हैं। अतः उनकी बरखास्तगी का प्रश्न नहीं है।

खान बहादुर शेख़ फ़ज़ले हक पिराचा : इन अस्थायी नियुक्तियों की अवधि कितनी है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह कहना बिल्कुल असंभव है।

खान बहादुर शेख़ फ़ज़ले हक़ पिराचा : क्या यह बात नियमों में या सरकार द्वारा पारित संकल्प में नहीं है कि तीन या उससे अधिक समय के लिए कोई भी नियुक्ति सरकार के संकल्प के अनुसार की जानी चाहिए और उनमें विभिन्न सम्प्रदायों/समुदायों को ध्यान में रखा जाना चाहिए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वह सब संकटकाल के अधीन व उसकी शर्त पर होना चाहिए।

52

*नए सहायक सम्पदा अधिकारी तथा सम्पदा अधिकारी के सहायक

320. खान बहादुर शेख फ़ज़ले हक पिराचा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्ष के दौरान सृजित सहायक सम्पदा अधिकारियों तथा सम्पदा अधिकारी के सहायकों के पदों की संख्या कितनी है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 16 मार्च, 1943, पृष्ठ 1125.

(ख) क्या उनमें से कोई पद किसी मुसलमान को दिया गया है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सहायक सम्पदा अधिकारियों की संख्या – तीन, सम्पदा अधिकारी के सहायकों की संख्या – एक।

(ख) नहीं।

तीन पद, मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के अधीक्षकों में से चयन तथा प्रोन्नति द्वारा भरे गए थे। इन पदों पर भर्ती का यह सामान्य तरीका है। कोई उपयुक्त मुसलमान अधीक्षक उपलब्ध नहीं था। चौथा पद बर्मा, पी.डब्ल्यू.डी. से प्रतिनियुक्ति पर एक अस्थायी अधिकारी द्वारा भरा गया।

खान बहादुर शेख़ फज़ले हक़ पिराचा : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या उस समय जब इन पदों को भरा गया श्री करीम बक्श सबसे वरिष्ठ अधीक्षक थे?

माननीय डा.बी.आर. अम्बेडकर : मुझे नोटिस चाहिए।

खान बहादुर शेख़ फ़ज़ले हक़ पिराचा : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या श्री ब्राउन, श्री ग्रांट, श्री एलिस तथा श्री ब्रोंखरर्ट अधीक्षक के पदों पर थे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : उसके लिए मुझे नोटिस मिलना चाहिए।

श्री मुहम्मद नोमैन : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस बारे में सब जाँच पड़ताल कर ली गई थी कि अन्य व्यक्ति योग्य या कुशल हैं या नहीं और जब माननीय श्रम सदस्य को हर बात के लिए नोटिस चाहिए, यदि कोई मुसलमान उपयुक्त नहीं पाया गया था तो उन्हें उसके समुचित उत्तरों के साथ आना चाहिए था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसमें संदेह नहीं है कि समुचित जाँच पड़ताल की गई है।

श्री मुहम्मद नोमेन : परन्तु माननीय श्रम सदस्य के पास कम से कम कोई सूचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय (सर अब्दुर रहीम) : वह प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न।

53

*विमानन निर्माण कार्यों में ठेके

321. खान बहादुर शेख फ़ज़ले हक पिराचा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विमानन निर्माण कार्य के मामले में सरकार की यह प्रथा व चलन रहा है कि संकटकालीन निर्माण कार्य के लिए ठेके निजी बातचीत द्वारा दिए जाते हैं निविदा आमंत्रित नहीं की जाती;

(ख) कैलेंडर वर्ष 1942 के दौरान निजी बातचीत द्वारा दिए गए ठेकों का कुल मूल्य कितना है; और

(ग) निजी बातचीत द्वारा मुसलमान ठेकेदारों को दिए गए ठेकों का कुल मूल्य कितना है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे उपयुक्त समय पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

54

**भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के जिल्द विभाग के कर्मचारियों की शिकायत

338. काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चूंकि भारत सरकार, मुद्रणालय, नई दिल्ली के जिल्द विभाग के व्यक्तियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाती, अतः वे जब अन्य विभागों में रिक्त स्थान होते हैं तो वे वहाँ जाना चाहते हैं, परन्तु उनके आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं किए जाते;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों की परीक्षा व जाँच की गई थी जिसमें वे सफल हुए, परन्तु उनको अभी तक स्थान प्रदान नहीं किए गए;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबंधक को अनेक बार कहा गया है कि जब तक जिला विभाग में वेतन वृद्धि नहीं लागू की जाती तब तक उन लोगों को जो उस विभाग में पहले से काम कर रहे हैं अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और बाहरी

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 16 मार्च, 1943, पृष्ठ 1125.

** वही, 20 मार्च, 1943, पृष्ठ 1269.

उम्मीदवारों के मुकाबले में तरजीह देकर सफल उम्मीदवारों को स्थान प्रदान किए जाने चाहिए; परन्तु प्रबंधक ने इन अनुरोधों की ओर ध्यान नहीं दिया, और

(घ) क्या सरकार "वितरण" अनुभाग में सफल उम्मीदवारों को लेने के लिए तैयार है ताकि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनको हानि न उठानी पड़े?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं। एक स्थापना से दूसरी स्थापना में औद्योगिक कर्मचारियों के स्थानांतरण का नियंत्रण राष्ट्रीय सेवा (तकनीकी कार्मिक) अध्यादेश, 1940 द्वारा किया जाता है।

एक वेयरहाउसमैन का आवेदनपत्र वास्तव में अग्रेषित किया गया था। उसने पिछली जनवरी में वायुसेना में नौकरी के लिए आवेदन किया था।

(ख) एक वेयरहाउसमैन ने 1941 में हुई परीक्षा में वितरक (डिस्ट्रिब्युटर) के लिए अर्हता प्राप्त की थी। चूंकि अन्य उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने उससे पहले यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और चूंकि वितरक (डिस्ट्रिब्युटर) का पद वेयरहाउसमैन की प्रोन्नति की साधारण श्रेणी में नहीं आता, अतः उत्तीर्ण व अर्हता–प्राप्त वेयरहाउसमैन की नियुक्ति उस समय रिक्त हुए स्थानों पर नहीं की गई थी।

(ग) प्रथम भाग का उत्तर ना में है। दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सफल उम्मीदवारों को वितरक के पद पर नियुक्त करने पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

क़ाज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : जहाँ तक भाग (घ) के उत्तर का प्रश्न है, क्या मैं जान सकता हूँ कि जिन व्यक्तियों की परीक्षा ली गई और उन्हें सफल पाया गया उनकी सही स्थिति क्या है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, कुछ और उम्मीदवार भी थे जिन्होंने परीक्षा उससे पहले उत्तीर्ण कर ली थी।

क़ाज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : परन्तु जहां तक उन लोगों का संबंध है जिनको सफल पाया गया था, क्या उनके दावों पर विचार किया जाएगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : निश्चय ही।

55

*भारत सरकार मुद्रणालय के जिल्द विभाग में चयन श्रेणी (सैलेक्शन ग्रेड) पद

339. **काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी :** (क) जबकि भारत सरकार के मुद्रणालय के लगभग सभी विभागों में चयन पदों की घोषणा कर दी गई है तो क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि चयन श्रेणी का ऐसा कोई भी पद जिल्द विभाग को क्यों नहीं दिया जाता;

(ख) क्या यह सच है कि पहले जिल्द विभाग के कर्मचारियों की संख्या 50/60 थी और उनके काम के पर्यवेक्षण के लिए एक फोरमैन, एक जमादार तथा एक जिल्द परीक्षक था, परन्तु अब कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है, तब भी अभी भी पर्यवेक्षक श्रेणी में केवल तीन व्यक्ति ही हैं, और

(ग) क्या सरकार जिल्द विभाग को दो अनुभागों में विभक्त करने और एक–एक और फोरमैन, जमादार तथा परीक्षक की व्यवस्था करने को तैयार है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रेस के जिल्दसाजी (बाइंडरी विभाग) में बाइंडरी तथा वेयरहाउस फोरमैन का एक चयन पद है।

(ख) पहले 60 से अधिक कर्मचारी थे तब बाइंडरी वेयरहाउसमैन का पर्यवेक्षक पद केवल एक था। बाइंडरी में इस समय कर्मचारियों की संख्या 107 है जिसमें 20 अस्थायी पद युद्ध के लिए हैं और अब पर्यवेक्षक श्रेणी के तीन व्यक्ति हैं।

(ग) नहीं।

काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : मैं माननीय श्रम सदस्य के उत्तर को ठीक तरह से समझ नहीं पाया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मैंने कर्मचारियों की संख्या में जो वृद्धि बताई है वह उसे स्वीकार करते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, मैंने कहा कि बाइंडरी में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 107 है।

काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : इस वृद्धि से क्या माननीय श्रम सदस्य इस बात पर विचार करेंगे कि कम वेतन भोगी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए पर्यवेक्षक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना उपयुक्त व वांछनीय है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं विचार करूँगा।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), का खंड 2, 20 मार्च, 1943, पृष्ठ 1269-70.

56

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के मशीन विभाग में उजरती कारीगरों व कर्मचारियों की शिकायत

340. काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रणालय, नई दिल्ली के मशीन विभाग में अनेक लोग ऐसे हैं जो उजरती कार्य में लगे हुए हैं और अनेक वेतन पर लगे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि समस्त उजरती कारीगरों व कर्मचारियों को काम समान मात्रा में नहीं दिया जाता, जिसके फलस्वरूप कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक पारिश्रमिक मिलता है;

(ग) क्या यह सच है कि काम के आवंटन में अधिकारी कुछ लोगों के प्रति पक्षपात तथा भेदभाव इस प्रकार दर्शाते हैं कि पारिश्रमिक का बहुत ही असमान वितरण होता है और उजरती कारीगरों व कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को मिलने वाले पारिश्रमिक की राशि इतनी कम होती है कि वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके परिवारों के रखरखाव के लिए पर्याप्त नहीं होती, और

(घ) क्या सरकार का इरादा सब को समान काम देने की वांछनीयता पर विचार करने का है ताकि महीने के अंत में सबको वेतन की समान राशि मिले और इस प्रकार उनकी शिकायत दूर हो?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) प्रथम भाग का उत्तर 'ना' में है। दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं।

(घ) यह वास्तव में किया जाता है, परन्तु काम से समान वेतन सुनिश्चित नहीं होता। माननीय सदस्य का ध्यान इस सदन में 17 फरवरी, 1941 के तारांकित प्रश्न सं. 85 के भाग (ग) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय सदस्य ने इस आरोप की जाँच की है कि इस समय काम के वास्तविक वितरण से उस काम में लगे व्यक्तियों को समान वेतन नहीं मिलता?

माननीय डा. बी.बार. अम्बेडकर : उत्तर जाँच पर ही आधारित है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 20 मार्च, 1943, पृष्ठ 1270.

57

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की वर्क्स समिति के लिए वार्षिक चुनाव

341. काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रणालय, नई दिल्ली की वर्क्स समिति का वार्षिक चुनाव जो 8 अप्रैल को होता है, ठीक प्रकार से नहीं कराया जाता;

(ख) क्या यह सच है कि मतदाताओं को एक एक करके नहीं बुलाया जाता बल्कि सब मतदाता एक साथ एकत्रित होते हैं और उस कमरे में खड़े हो जाते हैं जिसमें मत लिए जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार सम्बंधित लिपिक से मतदाताओं को दूर रखने और केवल उन्हीं व्यक्तियों को आगे आने देने की अनुमति देते जिन्हें अपना मत देने के लिए बुलाया जाता है, की समुचित व्यवस्था करने के लिए तैयार है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर :

(क) तथा (ख) नहीं।

काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : क्या माननीय श्रम सदस्य ने उन शिकायतों के संबंध में जांच की है जो मत दान के समय निर्वाचन अधिकारी को की गई थी और स्वयं को इस बात से संतुष्ट किया है कि उस प्रकार की शिकायतें थीं जो मैंने प्रश्न में की हैं।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं।

यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं जांच करूँगा।

काज़ी मुहम्मद अहमद काज़मी : अब चूंकि मैंने प्रश्न रखा है तो क्या माननीय श्रम सदस्य इस बात की जांच करेंगे कि क्या यह सच है कि जो शिकायतें की जाती हैं वे सही हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 20 मार्च, 1943, पृष्ठ 1270-71.

58

*बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट

349. श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताएंगे कि क्या यह सच है कि वर्ष 1942 में बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों में कोयले की पैदावार पहले वर्ष की पैदावार की अपेक्षा बहुत कम थी; यदि हां, तो वर्ष 1939, 1940 तथा 1941 की पैदावार की तुलना में गिरावट का अलग अलग प्रतिशत क्या था और पैदावार में इस कमी के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं। बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों में वर्ष 1942 में कोयले की पैदावार वर्ष 1939 की पैदावार की तुलना में बहुत अधिक थी। सबसे अधिक पैदावार का वर्ष 1940 रहा है। 1940 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1941 में थोड़ी सी गिरावट आई थी, और उससे आगे थोड़ी सी गिरावट 1942 में आई। 1940 की पैदावार में आंकड़ों में कुल गिरावट एक प्रतिशत से कम है।

चूंकि उत्पादन में गिरावट इतनी हल्की व कम है, अतः इसके कारण की विस्तृत जाँच नहीं की गई है।

श्री के.सी. नियोगी : क्या इस विशेष बिन्दु पर व्यापारियों द्वारा भारत सरकार को कोई आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें किसी शिकायत का उल्लेख किया गया जिसके कारण यह गिराबट हुई है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

59

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने का मापदंड

417. श्री अनंग मोहन दाम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने का मापदंड/कसौटी क्या है और क्या उनको सूची में शामिल करने के लिए कोई शुल्क लिया जाता है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 20 मार्च, 1943, पृष्ठ 1276.

** वही, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1582.

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के नाम सूची में शामिल करते समय उनकी वित्तीय स्थिति तथा उनके द्वारा पहले किए गए कार्यों की किस्म तथा सीमा से प्रमाणित उनके अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। फर्मों के मामले में, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना एक आवश्यक शर्त माना जाता है। प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर नकारात्मक है।

60

@केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अधीनस्थ इंजीनियरी सेवाओं तथा कार्यालयों में मुसलमान

418. मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अधीनस्थ इंजीनियरी सेवा तथा कार्यालयों में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) भाग (क) में दिए गए प्रत्येक वर्ग में मुसलमानों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रथम श्रेणी = 122

द्वितीय श्रेणी = 63

अधीनस्थ इंजीनियरी सेवा = 1179

(ख) प्रथम श्रेणी = 14

द्वितीय श्रेणी = 4

अधीनस्थ इंजीनियरी सेवा = 202

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान 16 मार्च, 1943 को प्रश्न के भाग (ख) के दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1582.

61

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरी स्थापना के लिए कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी की योजना

419. मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरी स्थापना के लिए कर्मचारियों की छंटनी योजना विचाराधीन है, और यदि हां, तो क्या उससे मुसलमान कर्मचारी प्रभावित होंगे, चाहे उनकी संख्या में कुल संख्या की 25 प्रतिशत की कमी है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस समय नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

62

@भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता में मुसलमान लिनो आपरेटर, मोनो आपरेटर आदि

420. हाजी चौधरी मुहम्मद इसमाइल खां : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता में लिनो आपरेटरों, मोनो आपरेटरों, मोनो कास्टर्स तथा फार्म वाहकों (कैरियर्स) की संख्या बताने की कृपा करेंगे; उनमें से मुसलमान कितने हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन ग्रेडों की कुल कितनी नियुक्तियाँ की गईं, और इन ग्रेड़ों में से प्रत्येक में कितने मुसलमान नियुक्त किए गए;

(ग) इन पदों पर मुसलमानों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या माननीय सदस्य का सभा पटल पर एक विस्तृत विवरण रखने का विचार है जिसमें, भारत सरकार के मुद्रणालय, कलकत्ता में स्थायी तथा अस्थायी

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1582.

@ वही।

नौकरी में लगे क्लर्कों तथा कापी होल्डरों के समुदायवार आंकड़े/संख्या दर्शायी गई हो?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर :

(क), (ख) तथा (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) भारत सरकार मुद्रणालयों में सेवाओं में साम्प्रदायिक/जातीय प्रतिनिधित्व संबंधी आदेशों का पालन किया जा रहा है।

विवरण

पद (स्थायी)	संख्या	मुसलमानों की संख्या
लिनो आपरेटर	6	2
मोनो आपरेटर	6	1
मोनो कास्टर	10	–
फार्मे वाहक (कैरियर) :		
स्थायी	12	शून्य
अस्थायी	10	शून्य

भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता में 1940, 1941 तथा 1942 में लिनो आपरेटरों, मोनो आपरेटरों, मोनो कास्टरों तथा फार्मे कैरियरों के पदों पर की गई नियुक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण -

पद (स्थायी)	नियुक्तियां		
	1940	1941	1942
लिनो आपरेटर	शून्य	शून्य	शून्य
मोनो आपरेटर	शून्य	शून्य	शून्य
मोनो कास्टर	शून्य	1 (हिन्दू)	शून्य
फार्मे कैरियर (स्थायी तथा अस्थायी)	शून्य	शून्य	शून्य

भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता में कलर्कों तथा कॉपी होल्डरों (स्थायी तथा अस्थायी) का साम्प्रदायिक/जातीय गठन दर्शाने वाला विवरण

	कुल संख्या	हिन्दू अनुसूचित जातियों के अलावा	अनुसूचित जाति	मुसलमान	एंग्लो इंडियन	भारतीय ईसाई
कलर्क (कम्प्यूटर, टाइम कीपर आदि) :						
स्थायी	43	31	1	10	1	शून्य
अस्थायी	7	5	शून्य	1	शून्य	1
कॉपी होल्डर :						
स्थायी	34	23	शून्य	5	2	शून्य
अस्थायी	4	3	शून्य	1	शून्य	शून्य
(नियमित) अस्थायी सीमित अवधि के लिए	5	2	शून्य	2	शून्य	1

63

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुसलमान कार्यपालक अभियन्ता

421. मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रान्तों से कितने कार्यपालक इंजीनियर लिए गए हैं और उनमें से मुसलमान कितने हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : बाईस, उनमें दो मुसलमान थे। एक मुसलमान सहित तीन को पिछले पद पर भेज दिया गया है।

64

@नई दिल्ली में अस्थायी भवन

422. सर एफ.ई. जेम्स : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या उनका ध्यान कनॉट प्लेस में निर्माण के दौरान कुछ अस्थायी भवनों से संबंधित नोटिस की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह सूचना दी गई है कि इन भवनों को युद्ध के तुरन्त बाद गिराया जाना है; और

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1583.

@ वही।

(ख) क्या यही शर्त क्विसंवे के निकट बनाए गए अस्थायी भवनों पर भी लागू होती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सभी भवन अस्थायी भवनों के रूप में बनाए गए हैं। मंशा यह है कि युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें यथासंभव शीघ्र गिरा दिया जाएगा, यद्यपि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सर एफ.ई. जेम्स : क्या माननीय सदस्य युद्ध के तत्काल बाद, तथा ''यथासंभव शीघ्र'' के बीच अंतर को समझाएंगे चूंकि कनॉट प्लेस में कुछ भवनों पर यह दर्शाया गया है ''युद्ध के बाद तत्काल गिराने के लिए''?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार से विज्ञापन या इश्तहार से कोई अंतर नहीं पड़ता।

श्री लालचंद नवलराय : उन्हें गिराया क्यों जाए और उन्हें किसी और काम के लिए प्रयोग में क्यों न लाया जाए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा है अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

65

*श्रम विभाग के अधीन मुद्रण तथा लेखन-सामग्री (प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी) शाखा में मुसलमान अधिकारियों की कमी

423. मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम विभाग में मुद्रण तथा लेखन–सामग्री नियंत्रक, लेखन सामग्री, उपनियंत्रक, तथा सहायक नियंत्रक, मुद्रण, सहायक नियंत्रक, लेखन–सामग्री तथा मुद्रण शाखा के अधीक्षक और सहायक सचिव, ये सब गैर–मुसलमान हैं; और यदि हाँ तो सरकार इन पदों पर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हाँ में है, केवल इस अपवाद को छोड़कर कि श्रम विभाग में लेखन–सामग्री तथा मुद्रण (स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग) शाखा का वर्तमान अधीक्षक मुसलमान है। प्रश्न में उल्लिखित सभी पद साधारणतया योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और चयन

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1583.

पदों पर प्रोन्नति के मामलों पर साम्प्रदायिक या जातीय प्रतिनिधित्व नियम लागू नहीं होता। साम्प्रदायिक विचार के अधीन की जाने वाली नियुक्तियों के मामले में नियमों का पालन किया जाता है और उनका पालन भविष्य में भी किया जाएगा। सरकार के विचार में कोई और कदम उठाना आवश्यक नहीं है।

मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : क्या मैं माननीय श्रम सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि जब उसी योग्यता के दो पदस्थ व्यक्ति मैदान में थे तो एक मुसलमान को 50/- रुपये पर और उसी योग्यता के एक गैर–मुसलमान को 200/- (दो सौ) रुपये पर नियुक्त किया गया?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : क्या आप कृपा करके पूछताछ करेंगे?

माननीय डा.बी.आर. अम्बेडकर : मैं पूछताछ करूँगा।

66

*श्रम विभाग के अधीन मुद्रण तथा लेखन-सामग्री शाखा में मुसलमान अधिकारियों की कम संख्या

424. मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के नियंत्रक के कार्यालय, केन्द्रीय लेखन सामग्री (स्टेशनरी) कार्यालय, कलकत्ता, केन्द्रीय प्रकाशन शाखा तथा भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों (प्रेसों) में मुसलमान राजपत्रित अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या यह सच है कि मुद्रण तथा लेखन सामग्री के नियंत्रक के कार्यालय में सहायक नियंत्रक का पद जब से बना है तभी से उस पर बंगाली हिन्दू रहा है या ईसाई और इस पद पर नियुक्ति के लिए मुसलमान की नियुक्ति करने का कभी विचार नहीं किया गया और यदि हां, तो क्यों?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : क) दो। एक फार्म प्रेस कलकत्ता में और दूसरा भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में।

(ख) प्रथम भाग का उत्तर ना में है। जहाँ तक दूसरे भाग का संबंध है, मैं यह कह सकता हूँ कि यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, सीधी भर्ती द्वारा नहीं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1584.

इस पद पर भर्ती के लिए कभी भी कोई मुसलमान इतना अधिक वरिष्ठ नहीं था कि उसके ऊपर विचार किया जाता।

मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : इस संबंध में क्या मैं माननीय श्रम सदस्य से यह पूछ सकता हूँ कि क्या यह सच है कि पचास रुपये पर जिस मुसलमान को नियुक्त किया गया था, उसने जब यह देखा कि भविष्य में उसके प्रौन्नत होने का कोई अवसर नहीं है तो उसने अपना स्थानांतरण बंगाल में करा लिया जहाँ उसे 225/- रुपये मिल रहे हैं और जिस व्यक्ति को 200/- रु पर नियुक्त किया गया था, वह अब 350/- रुपये ले रहा है और उस मुसलमान के दावे की उपेक्षा कर दी गई है, जो पहले से ही वरिष्ठ है और 250/- रु. ले रहा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु यदि मेरे माननीय मित्र ऐसा चाहें तो मैं जांच पड़ताल/पूछताछ कर सकता हूँ।

मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : क्या आप पूछताछ/जाँच पड़ताल करने की कृपा करेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ।

67

*श्रम विभाग के अधीन मुद्रण तथा लेखन-सामग्री शाखा में मुसलमान अधिकारियों की कम संख्या

424. मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों में सहायक प्रबंधकों की वर्तमान संख्या कितनी है और उनमें से मुसलमान कितने हैं;

(ख) मुद्रण तथा लेखन सामग्री नियंत्रक के कार्यालय की प्रशासन शाखा में और श्रम विभाग की मुद्रण शाखा में अलग अलग मुसलमान लिपिकों तथा सहायकों की संख्या कितनी है; और

(ग) मुद्रण तथा लेखन–सामग्री नियंत्रक के कार्यालय में तथा प्रकाशन शाखा में मुसलमान अधीक्षकों की संख्या कितनी है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1585.

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तीन। उनमें से एक मुसलमान है।

(ख) श्रम विभाग की लेखन सामग्री तथा मुद्रण शाखा में एक मुसलमान सहायक है और नियंत्रक के कार्यालय की प्रशासनिक तथा वित्त शाखा में एक सहायक तथा एक लिपिक है।

(ग) कोई नहीं।

68

*मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग में मुसलमान तथा गैर-मुसलमान प्रशिक्षुओं के बीच भेदभाव/पक्षपात

426. मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रण तथा लेखन–सामग्री विभाग में उपयुक्त/योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है;

(ख) क्या ये व्यक्ति विभिन्न मुद्रणालयों में उच्चतर पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एक ऐसे प्रशिक्षु श्री वी.सी. सेनगुप्ता को भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में प्रतिमास तीन सौ रुपये पर नियुक्त किया गया है और एक दूसरे प्रशिक्षु – एक मुसलमान को – कोई उपयुक्त काम नहीं दिया गया और अंततोगत्वा, उसे स्वयं को सहायक प्रबंधक के रूप में सरकारी मुद्रणालय, कलकत्ता में स्थानांतरित कराना पड़ा, और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर हां में है तो ऐसे भेदभाव व पक्षपात के क्या कारण हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ।

(ख) हां, वे पात्र हैं, परन्तु उनका नियुक्ति के लिए कोई विशेष दावा नहीं होता।

(ग) श्री सेनगुप्ता को प्रारंभ में गलती से 200-10-250 रुपये के पुराने वेतनमान में नियुक्त कर दिया गया था। गलती का पता लगने पर उन्हें 100/- रुपये पर प्रारंभ होने वाले समुचित नए वेतनमान पर ले आया गया।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1585.

मुसलमान को 100/- पर आरंभ होने वाले समुचित नए वेतनमान में नियुक्त किया गया था। उसके बाद दोनों को प्रोन्नत कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या उन दोनों को उसी समान वेतनमान में प्रोन्नत किया गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा ऐसा ख्याल है।

69

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की मशीनों की मरम्मत

427. मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य उस राशि को बताने की कृपा करेंगे जो भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की मशीनों की मरम्मत पर खर्च हुई;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त मुद्रणालय में एक यांत्रिक (मैकेनिकल) अनुभाग है और यदि हाँ तो मरम्मत वहाँ क्यों नहीं की जाती;

(ग) क्या यह सच है कि प्रधान यांत्रिक (हैड मैकेनिक) व्यक्तिगत रूप से पुर्जों की मरम्मत नगर में कराता है और मरम्मत करने वाली फर्म को भेजा जाने वाला पत्र में मरम्मत के स्वरूप के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया जाता बल्कि उसमें केवल इतना उल्लेख किया जाता है कि उनके सम्बन्ध में प्रधान यांत्रिक (हैड मैकेनिक) समझा देगा और यदि हाँ तो मरम्मत का काम करने वाली फर्म को भेजे जाने वाले पत्र में मरम्मत का पूरा ब्यौरा क्यों नहीं दिया जाता?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वर्ष 1942-43 के दौरान संयंत्र की मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि रु. 1,177-2-0 है।

(ख) प्रथम भाग का उत्तर हाँ में है। जहाँ तक द्वितीय भाग का संबंध है, केवल ऐसा ही काम बाहरी ऐजेंसी को दिया जाता है जो कि मुद्रणालय में नहीं किया जा सकता।

(ग) नहीं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1585-86.

70

[@]भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में फालतू कर्मचारी

[#]**428. मौलवी सैयद मुर्तज़ा साहिब बहादुर :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि फार्मों के वितरण के संबंध में अलीगढ़ प्रेस द्वारा कलकत्ता फार्म प्रेस से कितना अतिरिक्त (फालतू) काम लिया गया है और उस काम के लिए प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ द्वारा कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और

(ख) क्या नियुक्त किए गए कर्मचारी प्राप्त काम के अनुरूप हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 16 मार्च, 1943 तक जो काम प्राप्त हुआ और उसके लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए गए उनको दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) उत्तर हाँ में है।

विवरण

क्रम सं.	फार्म नं.	अपेक्षित प्रतियों की संख्या
1.	आई.ए.एफ.ए. 176	13000 पुस्तिकाएं
2.	आई.ए.एफ.ओ. 1287	3,00,000 पुस्तिकाएं
3.	आई.ए.एफ.ओ. 1435	1,400 पुस्तिकाएं
4.	आई.ए.एफ.एम. 1213	1,000 पुस्तिकाएं
5.	आई.ए.एफ.जेड 2187ए	30,000 पुस्तिकाएं
6.	आई.ए.एफ.जेड 2197	35,000 पुस्तिकाएं
7.	आई.ए.एफ.जेड 2011*	50,000 पुस्तिकाएं
8.	आई.ए.एफ.जेड 2011**	40,000 पुस्तिकाएं
9.	आई.ए.एफ.जेड 2157	2,500 पुस्तिकाएं
10.	आई.ए.एफ.जेड 175	7,000 पुस्तिकाएं
11.	आई.ए.एम.ए. 2 (बड़े)	37,000 पुस्तिकाएं
12.	आई.ए.एफ.एफ. 1068	43,000 पुस्तिकाएं
13.	आई.ए.एफ.ओ. 1367ए	1,50,000 पुस्तिकाएं

@ विधान सभा वादविवाद (केन्द्रीय), 30 मार्च, 1943, 1943 काक खंड 2, पृष्ठ 1585-86.

चूंकि प्रश्नकर्त्ता का कोटा पूरा हो गया था, इसलिए प्रश्न का उत्तर सभा–पटल पर रखा गया।

14.	ए.एफ.ओ. 1810ए	7,500 पुस्तिकाएं
15.	ए.एफ.डब्ल्यू. 3010	9,000 पुस्तिकाएं
16.	आई.ए.एफ.जैड 2135	6,000 पुस्तिकाएं
17.	एस–90ए	1,00,000 पुस्तिकाएं
18.	एस– 90ए	50,000 पुस्तिकाएं
19.	एस– 97ए	4,00,000 पुस्तिकाएं

* छोटा आकार ** बड़ा आकार

फार्म प्रेस, कलकत्ता से प्राप्त फार्म आदि के संबंध में की गई नियुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण :

3 कम्पोज़िटर – 25 रुपये पर
1 रीडर – 90-4-110 के वेतनमान में,
1 कॉपी होल्डर – 28-2-38 के वेतनमान में
3 स्टीरियोटाइपर – 20 रुपये पर
1 टाइप सप्लायर – 20 रुपये पर
2 कागज़ जारीकर्ता (पेपर इश्यूयर) – 20 रुपये पर
3 कम्प्यूटर – 35-2-75 के वेतनमान में
2 लिपिक कलर्क – 35-2-75 के वेतनमान में
1 जनरल फोरमैन – 125-5-150 रुपये के वेतनमान में
1 सहायक फोरमैन प्रिंटर – 55-3-70 रुपये के वेतनमान में
1 सहायक फोरमैन कम्पोजिटर – 50-3-65 रुपये के वेतनमान में
1 प्रधान (हैड) कम्प्यूटर – 70-3-100 रुपये के वेतनमान में
1 लिपिक सहायक स्टेशनरी तथा स्टोरकीपर 80-4-100 रु. के वेतनमान में।

टिप्पणी (नोट)

भारतीय मुद्रा तथा वित्त संबंधी रॉयल कमीशन ने वित्तीय प्रणाली की जांच करने के लिए तथा भारतीय मुद्रा में सुधार का सुझाव देने के लिए 1924-25 में भारत का दौरा किया था। इस कमीशन में निम्नलिखित सदस्य थे:

ई. हिल्टन यंग, अध्यक्ष

आर.एन. मुखर्जी

नॉरकोट वारेन

आर.ए. मैंट

एम.बी. दादाभाई

हेनरी स्ट्राकोश

ऐलम्स आर. मुरे

पुरूषोत्मदास ठाकुरदास

जे.सी. कोयाजी

डब्ल्यू.ई. प्रेस्टन

जी.एच. बक्सटर } सचिव
ए. आयंगर

डा. अम्बेडकर ने कमीशन द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए बयान में अपने दृष्टिकोण व विचारों को स्पष्ट किया। कमीशन के समक्ष उनके बयान तथा साक्ष्य को यहां पर प्रश्नावली के साथ दिया जा रहा है।

71

*भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के प्रबंधक के विरूद्ध शिकायत

429. मौलवी सैयद मुर्तजा साहिब बहादुर : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में एक महीने के अन्दर लिफाफा बनाने वाले कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है और इनमें विभिन्न समुदायों का क्या प्रतिशत है;

(ख) क्या यह सही है कि भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के प्रबंधक ने बिना किसी परीक्षण के उनको नियुक्त किया है और उनमें से अधिकांशतः गैर–मुस्लिम हैं;

(ग) क्या यह सही है कि भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के प्रबंधक व्यावहारिक परीक्षण के बिना ही तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति करते हैं और हमेशा ही अनारक्षित पदों तथा कभी–कभी आरक्षित पदों पर भी गैर–मुस्लिमों की भर्ती करते हैं और यदि हां तो इसके कारण बताएं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वर्ष 1942 में लिफाफा बनाने वाले 43 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई जिनमें 29 हिन्दू, 11 मुस्लिम तथा 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 16 मार्च, 1943, पृष्ठ 1586

72

@नई दिल्ली में सचिवालय के साउथ तथा नॉर्थ ब्लाकों में अस्थायी कमरे इत्यादि।

431. भाई परमानंद : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नई दिल्ली के सचिवालय के साउथ तथा नॉर्थ ब्लाकों के कुछ कारीडोरों या बरामदों को कमरों में बदला गया और उनका भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इन परिवर्तित कमरों में से कुछ में लगभग सारे दिन धूप आती है;

(ग) क्या यह सही है कि भाग (ख) में उल्लिखित ऐसे कमरों में से कुछ कमरों में धूप से बचने के लिए केवल साधारण कांच की खिड़कियां हैं;

(घ) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ कमरे बहुत ही संकरे (छोटे) हैं;

(ङ) ऐसे परिवर्तित कमरों में से सबसे छोटे की चौड़ाई क्या है जिनमें सारे दिन धूप आती है; ऐसे कमरों की संख्या कितनी है;

(च) इन कमरों में फरवरी के दूसरे पखवाड़े तथा मार्च के पहले पखवाड़े में दिन के समय तापमान कितना था; इन परिवर्तित कमरों (जिनका मुंह सूरज की ओर है) में वर्ष 1942 के अप्रैल, मई, जून, जूलाई तथा अक्टूबर के महीनों के दौरान तापमान क्या था;

(छ) क्या यह सही है कि ये कमरे जलती हुई भट्ठी की तरह है, जहाँ कर्मचारी सारे दिन झुलसते रहते हैं;

(ज) क्या इन कमरों के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कभी यह देखने के लिए निरीक्षण किया गया कि वे गर्मी के दौरान उपयोग करने योग्य हैं और यदि हां, तो क्या उनकी रिपोर्ट यह है कि वे उपयोग लायक थे; और

(झ) यदि (ज) के बाद के हिस्से का उत्तर सकरात्मक है तो क्या सरकार संबंधित कार्यालयों के राजपत्रित अधिकारियों के लिए इन कमरों के आवंटन पर और जो स्टाफ वर्तमान में इन कमरों में काम कर रहा है उन्हें मूल रूप से उनके लिए बनाए गए कमरों में स्थानांतरित करने के लिए विचार करने को तैयार है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 16 मार्च, 1943, पृष्ठ 1587

(ख) इन परिवर्तित कमरों में से दक्षिण की ओर मुँह वाले कुछ कमरों में दोपहर के बाद धूप आती है।

(ग) जी नहीं, ऐसे कमरों में कांच की खिड़कियों के अतिरिक्त परदे भी लगाए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इन परिवर्तित कमरों में से सबसे छोटे कमरे की चौड़ाई 8 फुट 3 इंच है। ऐसे कमरों की संख्या 3 है।

(च) मांगी गई संबंधित सूचना विषयक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(छ) जी नहीं।

(ज) जी हां, इन कमरों का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की।

(झ) पिछली गर्मियों में इन परिवर्तित कमरों में से कुछ कमरे वास्तव में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाए गए।

विवरण

फरवरी का दूसरा पखवाड़ा	60	डिग्री फारेनहाइट
मार्च का प्रथम पखवाड़ा	75	डिग्री फारेनहाइट
अप्रैल, 1942	98	डिग्री फारेनहाइट
मई, 1942	104	डिग्री फारेनहाइट
जून, 1942	106	डिग्री फारेनहाइट
जुलाई, 1942	96	डिग्री फारेनहाइट
अक्टूबर, 1942	90	डिग्री फारेनहाइट

73

नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय, नई दिल्ली में लिपिकों के शौचालयों आदि में प्रकाश की अपर्याप्त व्यवस्था

432. भाई परमानन्द : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य कृपया यह बतायेंगे कि नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय, नई दिल्ली के लिपिकों के अधिकतर शौचालयों में खास तौर से प्रथम तल पर विद्युत बल्ब नहीं लगाये हैं;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च, पृष्ठ 1587-88

प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया।

(ख) क्या यह सच है कि इस भवन के सभी अधिकारियों के शौचालयों में विद्युत बल्ब लगे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ लिपिकीय स्टाफ देर रात तक कार्य करता है;

(घ) क्या सरकार इन व्यक्तियों से आशा करती है कि वे अंधेरे में शौचालयों का प्रयोग करें या आशा करती है कि अंधेरा होने के पश्चात् वे शौचालयों का प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस न करें;

(ङ) लिपिकों के शौचालयों में ही विद्युत बल्ब प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सच है कि कुछ सीढ़ियों में प्रकाश व्यवस्था नहीं है या कुछ हिस्से अंधेरा होने के बाद बिना प्रकाश व्यवस्था के छोड़ दिए जाते हैं;

(छ) क्या यह सच है कि प्रत्येक शाम सचिवालय के इर्द–गिर्द का क्षेत्र पूर्णतया प्रकाश से जगमगाता रहता है;

(ज) यदि उपरोक्त (छ) का उत्तर हां है तो भवन के अन्दर की सीढ़ियों विशेषतया मुख्य सीढ़ियों में प्रकाश की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती; और

(झ) यदि सीढ़ियों में प्रकाश की व्यवस्था व्यवहार्य नहीं है तो, क्या सरकार सभी कार्यालयों को कुछ निश्चित अनुदेश जारी करने को तैयार है कि वे अंधेरा होने के पश्चात् किसी भी स्टाफ को रूकने की इजाजत न दें ताकि उनको नीचे आने के लिए अपना मार्ग न टटोलना पड़े?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) कुछ बल्ब फ्युज हो गये थे तथा बल्बों की कमी के कारण उन्हें बदला नहीं जा सका।

(ख) जी हाँ, न केवल अधिकारियों के शौचालयों में बल्कि सभी शौचालयों में बल्ब लगे हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) कुछ शौचालयों में कुछ समय तक आंशिक तौर पर ही बल्ब क्यों लगे थे, इसका कारण है कि बल्ब उपलब्ध नहीं थे। बल्बों का कुछ माल अभी प्राप्त हुआ है और फ्यूज बल्बों की जगह नये बल्ब लगाने की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

(च) विद्युत की कमी के कारण प्रकाश में सामान्य कमी किए जाने को ध्यान में रखते हुए सीढ़ियों की प्रकाश व्यवस्था को कम किया गया। उनमें आंशिक तौर पर ही प्रकाश व्यवस्था है।

(छ) मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य सड़क की रोशनी का संदर्भ दे रहे हैं। यहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है क्योंकि यहाँ यातायात अत्यधिक रहता है।

(ज) पर्याप्त विद्युत उपलब्ध होते ही प्रकाश के स्तर को बढ़ा दिया जायेगा।

(झ) यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि साधारणतया सीढ़ियों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होती है। यदि कहीं कोई संदेह है तो विद्युत की उपलब्धतानुसार प्रकाश में सुधार करवाउंगा।

74

*दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश के अधीन परेशानियाँ

436. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई दिल्ली भवन मालिक एवं पट्टेदार संघ ने रात दिसम्बर में श्रम विभाग के किराया नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के विरूद्ध एक अभ्यावेदन दिया था; यदि हाँ, तो क्या विभाग ने अभ्यावेदन की जाँच की है; यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) क्या माननीय सदस्य को यह मालूम है कि किराया नियंत्रण आदेश के कारण अत्यधिक कठिनाई हो रही है; यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जगह पंजाब किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1941 लाने को तैयार है जो कि पुरानी दिल्ली में लागू है;

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। यह अभ्यावेदन अभी विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं। इस प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नही उठता। किन्तु मै माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या 231 के भाग (ग) के उत्तर की ओर दिलाना चाहूंगा।

सरदार संत सिंह : क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूँ कि क्या इस संबंध में उन्होंने दिल्ली के माननीय मुख्य आयुक्त के ताजा निर्णय का अध्ययन किया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी नहीं, मैंने नहीं किया।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च 1943, पृष्ठ 1590

75

*सम्भाव्य तेल स्रोतों की खोज तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए लाइसेंस

441. श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत के कुछ सम्भाव्य तेल स्रोतों के खोज कार्य तथा वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लाइसेन्स ब्रिटिश व अमरीकी कम्पनियों को दिये गये हैं; यदि हाँ, तो कौन सी पार्टियों को ऐसे लाईसेंस प्रदान किए गए है तथा उसकी शर्तें क्या हैं?

माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर : केन्द्र शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त, संदर्भित लाइसेंस प्रादेशिक सरकारों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। प्रादेशिक सरकारों द्वारा प्रदान किये गये लाइसेंसों के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। केन्द्र शासित क्षेत्रों में इस प्रकार के कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किये गये हैं।

इस प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के.सी. नियोगी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने अभी उपयोग शाखा शुरू की है, क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि महत्वपूर्ण खनिजों के मामलों में प्रादेशिक प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त लाइसेंसों की सूचना उन्हें दी जाए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : निश्चित रूप से।

श्री के.सी. नियोगी : क्या मैं यह समझूं कि भारत सरकार, विशेषतया भू–वैज्ञानिक विभाग की सूचना के अनुसार प्रादेशिक सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई लाइसेंस नहीं प्रदान किए गए हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस समय हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि मेरे माननीय मित्र को आवश्यकता है तो मैं उनके लिए यह सूचना एकत्र कर सकता हूँ।

श्री के.सी. नियोगी : एक वैज्ञानिक पत्रिका से मुझे ज्ञात हुआ कि खनिज विषयक खोज किए जाने के लिए ब्रिटिश व अमेरिकी कम्पनियों को वास्तव में लाइसेन्स दिये गये हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय मित्र यह सूचना चाहते है तो मै उनके लिए सूचना अवश्य एकत्र करूंगा।

श्री के.सी. नियोगी : धन्यवाद।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च 1943, पृष्ठ 1594

76

*"अधिक अन्न उपजाओ" अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के पारम्परिक क्वार्टरों के सामने वाले अहाते के विभाजन की वांछनीयता

444. हाजी चौधरी मुहम्मद इस्माइल खान : अधिक अन्न उपजाने के संबंध में सरकार द्वारा किये गये प्रचार के संदर्भ में, क्या माननीय श्रम–सदस्य का नई दिल्ली के "क", "ख", और "ग", टाइप के पारम्परिक क्वार्टरों के सामने संयुक्त अहाते को झाड़ियों द्वारा विभाजित किए जाने की वांछनीयता पर विचार किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि किराऐदार इस योजना का पालन कर सकें और यदि नही, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : संबंधित किरायेदारों ने सामान्य तौर पर कोई माँग नहीं की है और यदि किरायेदारों द्वारा कोई ठोस सुझाव सामने रखे गये तो मै उन पर विचार करने को तैयार हूँ।

77

@नई दिल्ली के नये क्षेत्र में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को पुराने क्षेत्र के क्वार्टरों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की वांछनीयता

89. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय : (क) माननीय श्रम–सदस्य को इस बात की जानकारी है कि:–

(i) वर्गीकरण नियमों के अनुसार भारत सरकार के अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली के क्वार्टरों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है (क) पुराना क्षेत्र (सचिवालय के पास) तथा (ख) नया क्षेत्र (मिन्टो रोड की तरफ);

(ii) जब स्टाफ का कोई सदस्य किसी एक निश्चित वर्ग के क्वार्टर से बाहर जाता है और उच्च वर्ग के लिए पात्र हो जाता है तो उसे पुराने क्षेत्र में क्वार्टर प्रदान किये जाने से पहले उसे एक वर्ष के लिए नये क्षेत्र में रहना होता है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च 1943, पृष्ठ 1595

@ वही।

(iii) भारत सरकार ने अभी आवंटन के लिए नये नियम पारित किए हैं जिनके अधीन जिन व्यक्तियों के पास क्वार्टर का पुनः ग्रहणाधिकार है उन्हें उसी वर्ग में किसी अन्य क्वार्टर के लिए आवेदन नहीं करने दिया जायेगा;

(iv) उक्त संदर्भित नये नियमों के अधीन, नये आवेदक, पुराने क्षेत्र में क्वार्टरों के लिए सीधे तौर पर पात्र हो गए हैं जबकि वे व्यक्ति जो नये क्षेत्र में काफी लम्बे समय से रह रहे हैं तथा जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में रहे हैं, इस विशेषाधिकार से वंचित हो गए हैं क्योंकि वे लम्बे समय से बिना किसी खास कारण के इस विशेषाधिकार का लाभ उठा रहे हैं;

(v) भारत सरकार ने अनुसचिवीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाले इम्पीरियल सचिवालय संघ, सम्बद्ध कार्यालय संघ और सामान्य मुख्यालय संघ से परामर्श किये बिना नये नियम बनाये हैं;

(vi) नये क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों को कार्यालय आने व जाने के लिए छह आने प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन बस या तांगा के किराये पर खर्च करना पड़ता है; तथा

(vii) नये क्षेत्र में रह रहे स्टाफ के कर्मचारियों को कोई वाहन भत्ता नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) के (i) से (vii) तक का उत्तर "हां" में है तो क्या उनका इस अपात्रता को समाप्त करने का प्रस्ताव हैं जिससे नये क्षेत्र (मिन्टों रोड क्षेत्र) में रह रहे सरकारी कर्मचारी पुराने क्षेत्र में क्वार्टर के लिए आवेदन कर सकें?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) (i) व (ii) जी नहीं।

(iii) जी हाँ।

(iv) नये नियम के अधीन "सी" संयुक्त पारम्परिक टाइप के मामले को छोड़कर क्वार्टर बदलने की अनुमति नहीं है, लेकिन जैसा कि (क) (i) के उत्तर में बताया गया है, इन क्वार्टरों को क्षेत्रों में नहीं बांटा गया है।

(v) जी हाँ।

(vi) मैं माननीय सदस्य से यह तथ्य लेना चाहता हूँ।

(vii) किसी भी क्वार्टर के किरायेदारों को कोई वाहन भत्ता नहीं दिया जाता है।

(ब) मैं मामले पर विचार करवाने को तैयार हूँ।

78

*कुछ खनिजों के संदर्भ में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा के कार्य

92. श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम–सदस्य सीसा, गंधक, वोल्फ्रैम, टिन, तांबा तथा खनिज जलों के संदर्भ में भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा के कार्यों की प्रगति को दर्शाते हुए विस्तृत ब्यौरा देने की कृपा करेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. **सीसा**– 1941-42 में भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजपूताना की कुछ चिर परित्यक्त सीसा– जिंक अभ्रक खानों की बारीकी से जांच की। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत में अत्यधिक आशाजनक सीसा जिंक निक्षेप खानें उदयपुर राज्य के ज्वार में थी जिनमें कभी कार्य हुआ करता था लेकिन वे पिछले 100 वर्षों से परित्यक्त पड़ी है। ये खनिज अधिकार मेवाड़ राज्य के पास थे जिन्हें उन्होंने एक व्यावसायिक फर्म को पट्टे–पर दे दिया। चूंकि यह फर्म अपने पट्टे को तीव्रता से दोहन करने की स्थिति में नहीं थी (और चूंकि युद्ध प्रयासों को सहायता दी जानी थी अतः तीव्र दोहन आवश्यक था), सरकार ने उनके अधिकार खरीदने और राज्य से स्वयं पट्टा लेने का निर्णय लिया। यह कार्य किया गया (उस व्यावसायिक फर्म की उचित क्षतिपूर्ति की जा रही है) तथा मेवाड़ राज्य द्वारा प्रदत्त पट्टे की शर्तों के अधीन सरकार अपना दोहन कर रही है। मई, 1942 के अंत में कार्य शुरू हुआ। उनको दो स्तरों में नियोजित किया गया है (1) एक विस्तृत प्लेन–टेबल सर्वेक्षण और गहन ड्रिलिंग प्रचालन, उसके बाद (2) पायलट–अयस्क–ड्रैसिंग प्लांट का बनाया जाना जैसे ही ड्रिलिंग कार्यों में लोड की व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाती है। एक मुख्य अयस्क–शुद्धिकरण की स्थापना करके पुरानी कार्यपद्धति को 4 एडिट या हैडिंग द्वारा शुरू किया जा रहा है। इनमें से एक हैडिंग को सीसा–जिंक अयस्क के लोड के काम लाया गया जो कि काफी विस्तृत है, लेकिन कुल मिलाकर यह उतना समृद्ध नहीं है जितना वांछित था। अन्य हैडिंग को अभी लोड लेना है। खनिज पदार्थ एवं मशीनरी प्राप्त करने में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इन प्रचालनों की प्रगति संतोषजनक है। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि चारों में से किसी एक हैडिंग को उच्च ग्रेड के सीसा अयस्क पर

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 30 मार्च 1943, पृष्ठ 1596-98

कार्य करना चाहिये। ये केवल प्रारम्भिक प्रचालन है तथा जब तक इन्हें पूर्ण रूप से संचालित नहीं किया जाता निक्षेप के आकार और बाहुल्यता के बारे में आंकना गलत होगा। शांति–समय परिस्थितियों में वर्तमान प्रगति की दर पर दो वर्ष का विकास उचित होगा, इससे पहले कि आवश्यक संयत्र के बारे में कोई निर्णय लिया जाये। यद्यपि भारत सरकार युद्ध प्रयास को ध्यान में रखते हुए, यथाशीघ्र उत्पादन प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, ऐसी आशा की जाती है कि लगभग तीन महीनों में किसी हद तक अयस्क की किस्म के बारे में मापन संभव होगा। यदि, इस अवधि के अंत तक देने योग्य अयस्क प्राप्त हो जाता है तो सरकार आदेश देने व अयस्क ड्रैसिंग मशीनरी लगाने के लिए कदम उठायेगी।

2. **गंधक**– युद्ध के छिड़ने पर भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने युद्ध–उद्देश्यों के लिए आवश्यक खनिजों की खोज के अभियान के हिस्से के रूप में गंधक पर विशेष ध्यान दिया। भारत में गंधक की अत्यधिक सम्भावित उपस्थिति बलूचिस्तान में कोह–इ–सुल्तान में एक लुप्तप्राय ज्वालामुखी के मुख में है। निक्षेपों की कार्यप्रणाली की वास्तविक सम्भावनाएं व कार्य आपूर्ति विभाग के प्रशासनिक प्रभार के अन्तर्गत किए गए, जिसने कि विशेष अधिकारी के अधीन एक छोटा खनन अनुभाग स्थापित किया। यद्यपि, प्रथम योजना की अपेक्षा खनन प्रचालनों को अधिक तकनीकी योजना की आवश्यकता थी और भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा के बनने के साथ ही यह अधिक सुविधाजनक पाया गया कि वह शाखा खननकार्य सम्भाले और ऐसा ही हुआ। कोह–इ–सुल्तान में दो कार्य–क्षेत्र हैं– (i) मीरी–जो कि ऊंचाई पर है, कम पहुंच की जगह है तथा अभी काम नहीं हुआ है; और (ii) बटल– जो कि इस समय निक्षेप है और कार्य हो रहा है। +50 प्रतिशत गंधक अयस्क का उत्पादन मानकर उसे भारतीय उद्योग को दिया गया है। बटल में संचित निक्षेप में +50 प्रतिशत के संदर्भ में गंधक अयस्क समाप्ति पर है हालांकि निम्न श्रेणी की कुछ मात्रा वहां है और उपयोगिता शाखा मीरी निक्षेपों को खोलने पर गंभीरता से विचार कर रही है जिनके बटल से अधिक समृद्ध होने की आशा है। लेकिन यातायात के मामले में काफी दिक्कत है। कोह–इ–सुल्तान विशेषतया मीरी की जलवायु, बहुत ही दुष्कर है, सर्दी में अत्यधिक ठंड होती है तथा गर्मी में तीव्र गर्मी एवं अधिक तेज हवाऐं चलती हैं। मजदूरों को आकर्षित करना मुश्किल होता है। दुर्गमता के कारण, मीरी से अयस्क के यातायात में कठिनाई होने की आशंका है, लेकिन उनसे निपटने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

अब तक मात्र +50 प्रतिशत गंधक अयस्क निकाला गया है और उपयोगिता शाखा अब निम्न श्रेणी के अयस्कों को खोलने की संभावना तथा कोह–इ–सुल्तान के निकट इसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर विचार कर रही है।

उपयोगिता शाखा कलात राज्य में सानी के निकट कुछ पुरानी गंधक खानों को सिद्ध करने के लिए प्रचालन कार्य कर रही है। इस समय वहां खुदाई कार्य चल रहा है।

3. **वुल्फ्रैम**– उपयोगिता शाखा वुल्फ्रैम के दो छोटे निक्षेपों का दोहन कर रही है– एक बंगाल के बांकुरा जिले में है तथा दूसरा नागपुर सी.पी.ए. में। पहले वाले निक्षेप से वुल्फ्रैम, चट्टानों रीफ में बिखरा हुआ पाया जाता है और वहीं से निकाला जाना चाहिए। अनेक पुराने छितरे हुए निम्न श्रेणी के स्थानों में एक निरन्तर निर्गम प्राप्त हुआ और अब यह विचार किया जा रहा है कि मशीनरी लगाई जाये या नहीं। बंगाल की अपेक्षा मध्यवर्ती प्रदेशों में निक्षेप कम हैं। वुल्फैम की युद्ध के प्रति बहुमूल्यता को ध्यान में रखते हुए इस निक्षेप का ओर अन्वेषण किया जा रहा है और वुल्फ्रैम की एक निश्चित मात्रा निकालने की आशा है। वूल्फैम की प्राप्ति का मुख्य स्थान भारत के जोधपुर राज्य में है और इन खानों पर जोधपुर सरकार द्वारा कार्य हो रहा है। राज्य प्राधिकारियों के अनुरोध पर उपयोग शाखा, यथाआवश्यक तकनीकी सलाह तथा मशीनरी की आपूर्ति के माध्यम से हर सहायता दे रही है।

4. **टिन**– उपयोगिता शाखा ने भारत में बिहार के हजारीबाग जिले में टिन अयस्क के सम्भावित व्यवहार्य प्राप्ति स्थान पर ध्यान केन्द्रित किया है। कूड़े के ढेरों से प्राप्त नमूनों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में टिन अयस्क व्यापक काम करता है। पुरानी खानों को खोलने के प्रयास जारी है जो प्रतीत होती है कि काफी गहराई तक गई है लेकिन उनमें पानी भरा है। पानी निकालने की प्रक्रिया प्रगति पर है लेकिन उपयुक्त पम्पिंग उपकरणों की कमी से कार्य में बाधा आई है। पम्पिंग मशीनरी प्राप्त करने के प्रयास जारी है।

5. **तांबा**– उपयोगिता शाखा ने बिहार में ताम्बे की एक परित्यक्त खान को पुनः खोलने की सम्भावनाओं का अन्वेषण किया है। इन पुरानी खानों में पानी निकालने की आवश्यकता भी पड़ेगी तथा यह बताने से पहले कि ये कार्य योग्य होंगी या नहीं विस्तृत भूमिगत सर्वेक्षण व विश्लेषण करने पड़ेंगे। एक–दो तांबा प्राप्ति स्थानों का अन्वेषण भी किया जा रहा है। वे अपेक्षतया निराशाजनक प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि विश्लेषण अच्छे हैं तो आगे खोज की जायेगी।

6. **खनिज जल**– भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में खनिज स्रोतों का विस्तृत परीक्षण किया है और गत 18 महीनों में 6 प्रकार के भारतीय स्रोतों पर प्रयोग किया गया है। उन्हें लाल लेबल (अम्ल) सफेद लेबल (उदासीन), हरा लेबल (उदासीन), नीला लेबल (गैस्टीन), नीला लेबल (गैस्टीन), नीला लेबल (ऐक्सिस–लेस–बैन्स) एवं पीला लेबल (विची) प्रकार में बोतल बंद किया गया है।

लाल, सफेद एवं नीले (गैस्टीन) पानी लाभकारी सिद्ध हुए तथा बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए उन्हें बोतल बंद करने के लिए कदम उठाये गये। लेकिन प्रौपराइटरों के साथ अभी तालमेल बिठाना है। इन पानी के व्यावसायिक पहलू टेबल खनिल जल व बहुमूल्य औषध गुण दोनों विचाराधीन है।

79

*नई दिल्ली के पारम्परिक क्वार्टरों के परिसरों में नलों व अनिस्यंदित (बिना-छाना हुआ) पानी का प्रावधान

468. श्री मुहम्मद अजहर अली : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य को मालूम है:–

(i) कि कुछ समय पहले उनके पूर्वाधिकारी ने नई दिल्ली के अनुसचिवीय स्थापना के पारम्परिक क्वार्टरों के परिसरों या आंगनों में अनिस्यंदित पानी के नल प्रदान करने का वादा किया लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि क्वार्टर के बाहर लगे नलों को गत गर्मी के महीनों में खुला रखा जाये और कनैक्शन–तालों की चोरी की वजह से गत गर्मी के दौरान यह रियायत हटा ली गई;

(ii) कि इस प्रकार की व्यवस्था अत्यधिक असुविधाजनक थी और अधिकतर मामलों में गर्मी के महीनों में क्वार्टरों को पानी लम्बी दूरी से महिलाओं व बच्चों द्वारा धूप में लाया जाता था; और

(iii) कि क्वार्टरों के सामने काफी बड़े परिसर हैं जिन्हें सरकार के अधिक खाद्य उगाने के प्रचार के अनुरूप किरायेदारों द्वारा सब्जी व अन्य वस्तुएं उगाने के लिए काम में लाया जा सकता है;

(ख) क्या माननीय सदस्य का अपारम्परिक क्वार्टरों की तरह प्रत्येक क्वार्टर के आंगन में अनिस्यंदित पानी के नल लगाने की वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव हैं; और यदि नही, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) (i) आनुमानिक रूप से माननीय सदस्य, 28 फरवरी, 1940 को इस सदन में भाई परमानन्द द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं. 230 के उत्तर में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिये गये जवाब का संदर्भ दे रहे हैं। मेरे पूर्वाधिकारी ने, नई दिल्ली के पारम्परिक क्लर्कों के क्वार्टरों के परिसर या आंगनों में अनिस्यंदित पानी के नल लगाने का वादा नहीं किया और उन्होंने

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 2 अप्रैल, 1943, पृष्ठ 1733-34

कहा कि वे इसकी वांछनीयता पर विचार कर रहे हैं। इन क्वार्टरों के सामने गर्मी के महीनों के दौरान हाइड्रैन्ट्स (और नल नहीं) खुले रखने और उन पर कुछ यांत्रिक यंत्र लगाने का निर्णय लिया गया और यह व्यवस्था गत ग्रीष्म ऋतु के दौरान जारी रही, सिवाय कुछ मामलों के जहाँ यंत्र या तो क्षतिग्रस्त हो गया या चुराया गया।

(i) मैं नहीं कह सकता कि व्यवस्था अत्यधिक असुविधाजनक थी।

(ii) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। वित्तीय तंगी तथा साम्रगी की अनुपलब्धता के कारण इन क्वार्टरों के आंगनों में बिना छने हुए पानी के नल प्रदान करने पर सामान्य समय तक विचार नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्य की सूचना हेतु उल्लेख कर सकता हूँ कि क्लर्कों के अपारम्परिक क्वार्टरों के आंगनों में नल प्रदान नहीं किये गये और क्लर्कों के अपारम्परिक क्वार्टरों के सामने लगे हाइड्रैण्टों के ऊपर लगे यांत्रिक उपकरणों के जैसे उपकरण पारम्परिक क्वार्टरों में हाइड्रैण्टों के ऊपर लगाये गये।

श्री लालचन्द नवलराय :- क्या मैं माननीय सदस्य से जान सकता हूँ कि इन पारम्परिक क्वार्टरों को उपलब्ध कराए गए पानी का निशुल्क भत्ता क्या है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसके बारे में जानकारी चाहूँगा।

श्री लालचन्द नवलराय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार अब बिना छना हुआ पानी देने में असमर्थ है, क्या माननीय सदस्य छने हुए पानी की मुफ्त आपूर्ति 10,000 गैलन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस पर विचार करूँगा।

80

*बंगाल व बिहार के कोयला उद्योग की तरफ से शिष्टमण्डल

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 25 मार्च को बंगाल व बिहार के कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों की तरफ से एक शिष्टमंडल से उनकी भेंट हुई थी और यदि

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, 2 अप्रैल, 1943, पृष्ठ 1734-35

हाँ तो, शिष्ट–मण्डल द्वारा बनाये गये अभ्यावेदन की विषय–वस्तु क्या थी और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मैंने बंगाल एवं बिहार के कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के एक शिष्ट–मण्डल से 25 मार्च को भेंट की थी।

यह विषय–वस्तु उनकी चिन्ता का कारण थी जो कि वर्तमान चावल भंडार के पुर्नभरण के भविष्य की व्यवस्था के बारे में है। शिष्ट–मंण्डल ने कहा कि जहां तक प्रादेशिक सरकार का संबंध है, उनके संघों ने अपने भंडारों के रखरखाव के लिए कोई निश्चित आधार नहीं दिखाए, जबकि संभावित सहायता का वादा करते समय, ऐसा महसूस नहीं किया गया कि वे प्रदायों की गांरटी देंगे। केन्द्र सरकार ने बताया कि कुछ समय पूर्व संगठनों से संयुक्त वितरण योजना के लिए कहा था जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। शिष्ट–मण्डल को सूचित किया गया कि केन्द्र सरकार बंगाल में पर्याप्त मात्रा में चावल आयात कर रही है और यदि यह पाया गया कि प्रादेशिक सरकार मदद नहीं कर पा रही है तो केन्द्र सरकार सहायता देगी। तब से संघठनों के प्रतिनिधियों ने कलकत्ता के खाद्य विभाग के साथ साक्षात्कार किया और कोयला खान के मजदूरों के लिए खाद्य की स्थिति भविष्य के लिए केन्द्र सरकार की निश्चित आपूर्ति के प्रावधान द्वारा सुनिश्चित की गई।

श्री के.सी. नियोगी : माननीय सदस्य ने चावल के वर्तमान भण्डार को भरने का संदर्भ दिया है। क्या माननीय सदस्य यह बताने की स्थिति में है कि विभिन्न कोयला खानों में अनुमानतः अब कितना चावल उपलब्ध है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया, कोयला–खानों के मजदूरों की खाद्य स्थिति आगामी अवधि के लिए केन्द्र सरकार की निश्चित आपूर्ति के प्रावधान द्वारा सुनिश्चित की गई है।

श्री के.सी. नियोगी : मैं जो संदर्भ दे रहा था वह वर्तमान चावल भण्डार के बारे में था जिसका माननीय सदस्य ने संदर्भ दिया। इन वर्तमान चावल भण्डारों की मात्रा क्या है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : बंगाल व बिहार में स्थिति भिन्न थी और यदि मुझे ठीक से याद है तो शिष्ट–मण्डल ने बताया था कि उनके पास 4 या 5 सप्ताह का भण्डार था।

81

*बंगाल व बिहार के कोयला खान मजदूरों के लिए सस्ते अनाज की दुकानों की योजना

श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार के श्रम विभाग ने अप्रैल, 1942 में बंगाल एवं बिहार सरकारों को एक संदेश में, खान मजदूरों के फायदे के लिए सस्ते अनाज की दुकानों की स्थापना की योजना प्रस्तावित की थी; यदि हां, तो उस योजना का, दोनों प्रादेशिक सरकारों से तथा कोयला उद्योग के संगठनों से क्या प्रत्युत्तर मिला;

(ख) क्या उपरोक्त योजना के विकल्पस्वरूप कोयला खान मजदूरों को खाद्यानों की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रादेशिक सरकारों ने कोई प्रभावी कार्रवाई की है; यदि हां तो किस प्रकार और कब; और

(ग) कोयला उद्योग के संगठनों या अकेली खानों द्वारा मजदूरों को सस्ते खाघान्न की आपूर्ति हेतु क्या कार्रवाई की गई; यदि कोई हो तो तथा इस मामले में, दोनों प्रादेशिक सरकारों में से उनको क्या मदद दी गई, यदि मदद दी गई हो तो।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। बिहार सरकार ने माना कि इस समस्या से निपटने के अन्य तरीके ज्यादा मान्य थे। बंगाल सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

(ख) केन्द्र सरकार की सुचना के अनुसार दोनों प्रादेशिक सरकारों ने अपने स्थानीय अधिकारियों द्वारा खान मजदूरों को सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कदम उठाए हैं।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि सस्ते अनाज से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है। कोयला उद्योग के मुख्य मालिक संगठनों ने अपने मजदूरों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में उनकी सहायता की।

श्री के.सी. नियोगी : मुझे अफसोस है कि मुझे मेरे प्रश्न के द्वितीय भाग (ख) का जबाब नहीं मिला, यथा, – "क्या दोनों प्रादेशिक सरकारों में से किसी ने कोई प्रभावी कार्रवाई की है; यदि हाँ तो किन निर्देशों पर तथा कब?"

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 2, अप्रैल, 1943, पृष्ठ 1735

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने खाद्य–आपूर्ति उपलब्ध कराने में उनकी मदद की।

श्री के.सी. नियोगी : लेकिन किस तरीके से?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनकी मदद की।

श्री के.सी. नियोगी : लेकिन वह मदद किस प्रकार दी गई, क्योंकि ऐसे अवसर आ चुके हैं जिनमें वास्तविक रूप से कठिनाई थी?

डा. सर जियाउद्दीन अहमद : खान मालिकों ने अपने श्रमिकों के लिए खाने की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, उन्होने भंडारों का अनुरक्षण किया तथा प्रादेशिक सरकारों ने भी उनके रख–रखाव में उनकी सहायता की।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य का ध्यान इस एक घटना की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें चावल के कुछ भंडार खान मालिकों ने अपनी खानों के लिए प्राप्त किये जिन्हें वास्तव में सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया और इस संदर्भ में उन्होंने प्रादेशिक सरकार को तथा यहाँ भी शिकायत की थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

82

*युद्ध आहत (क्षतिपूर्ति बीमा) विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : महोदय, मैं युद्ध में आहत हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के दायित्व को मालिकों पर आरोपित करने तथा मालिकों को ऐसे दायित्वों के लिए बीमा प्रदान करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 26 जुलाई, 1943, पृष्ठ 43

83

*भारतीय बॉयलर्स (संशोधन) विधेयक

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष (माननीय सर अब्दूर रहीम) प्रश्न यह है कि :

"भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूँ।

84

@खान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खान प्रसूति लाभ अधिनियम, 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय (सर अब्दूर रहीम) प्रश्न यह है कि :

"खान प्रसूति लाभ अधिनियम, 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

85

#मोटर वाहन (चालक) संशोधन विधेयक

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मोटर वाहन (चालक) अध्यादेश, 1942 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 26 जुलाई, 1943, पृष्ठ 43

@ वही।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दूर रहीम) प्रश्न यह है कि :

"मोटर वाहन (चालक) अध्यादेश, 1942 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

86

*शिमला में विधान सभा-आवास हेतु असंतोषजनक व्यवस्था

61. **श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय** : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए जब विधान सभा के सदस्यों को आवश्यकता हो तो उनके लिए अस्थायी रूप से आवास की व्यवस्था करना क्या संपदा अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ड्यूटी नहीं है;

(ख) क्या यह देखना उनकी ड्यूटी नहीं है कि सदस्यों को प्रकाश व खराब आवास व्यवस्था के कारण कोई असुविधा नहीं हो;

(ग) क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत है कि हिन्दू कानून समिति की बैठकों के दौरान विधान सभा के सदस्यों के लिए निश्चित क्वार्टर नं. 20 की तुलना में कार्ट रोड के क्वार्टर सं. 2, 3 और 11 ज्यादा असुविधापूर्ण तरीके से व्यवस्थित थे; क्या माननीय सदस्य, मई और जून में समिति की बैठकों के दौरान संपदा अधिकारी द्वारा विधान सभा के सदस्यों हेतु क्वार्टरों के चयन के मामले में जाँच करने को तैयार है;

(घ) क्या माननीय सदस्य उचित जाँच के बाद इन क्वार्टरों की व्यवस्था में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) केन्द्रीय विधानमण्डल के सदस्यों को ऐसे आवास का आवंटन करना संपदा अधिकारी की ड्यूटी है जैसा कि आवास समिति से परामर्श कर सरकार द्वारा निधारित किया गया है।

(ख) सदस्यों को कोई असुविधा न हो इसके लिए सभी क्वार्टरों को नियोजित किया गया है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 28 जुलाई, 1943, पृष्ठ 129

(ग) कार्ट रोड के क्वार्टरों का निर्माण स्वीकृत नक्शों के अधीन किया गया है। क्वार्टर नं. 2 व 3 उच्चतम स्तर के हैं तथा उन्हें विधानमण्डल की आवास समिति से परामर्श करके सदस्यों के लिए आरक्षित रखा है क्योंकि उन्हें अति सुविधाजनक रूप से स्थित माना गया है। क्वार्टर नं. 2 व 3 में कक्षों की व्यवस्था क्वार्टर नं. 2 के कक्षों से थोड़ी भिन्न है। कुछ सदस्य किसी मकान में कमरों की एक विशेष व्यवस्था को सुविधाजनक समझते हैं चाहे मकान का स्तर कुछ भी हो जबकि कुछ उच्च–स्तरीय क्वार्टर पंसद करते हैं चाहे कमरों की व्यवस्था कुछ भी हो। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि क्वार्टर नं. 20 की अपेक्षा क्वार्टर नं. 2 और 3 अधिक असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है। क्वार्टर नं. 11 में, विधान–मंडल का कोई सदस्य नहीं रहा क्योंकि इसे क्वार्टर नं. 20 के साथ बदल लिया गया था। स्पष्ट की गई परिस्थितियों में, कोई विशेष जाँच बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विधानमंडल के सदस्यों के लिए क्वार्टर, विधानमंडल की आवास समिति से परामर्श कर आरक्षित किये गये थे। जब तक आवास समिति उनके लिए इच्छा व्यक्त नहीं करती, किसी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

सर मोहम्मद यामिन खान : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि शिमला में उप–समिति की बैठकों में किन–किन सदस्यों ने भाग लिया, जिनसे विद्युत एवं जल मिलने से पूर्व 75/- रूपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने को कहा गया?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न की जानकारी होनी चाहिए।

सर मोहम्मद यामिन खान : क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि सदस्यों से यहाँ दिल्ली में राशि जमा कराने को कहा गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या किसी अधिकारी को इन क्वार्टरों के पास जाकर सदस्यों के हितों को देखने के लिए नियुक्त किया गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री लालचन्द नवलराय : तब क्या माननीय सदस्य किसी अधिकारी को नियुक्त करेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं मामले की छानबीन करूँगा।

डा. पी.एन. बनर्जी : प्रत्येक सत्र के दौरान सदन समिति की कितनी बैठकें हुई?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह सदन समिति के निर्णय पर निर्भर करता है कि वे कितनी बैठकें करेंगे।

डा. पी.एन. बनर्जी : क्या आपको इस विषय की कोई जानकारी है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे ध्यान है कि गत सत्र के दौरान आवास समिति की एक बैठक हुई थी।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आवास समिति के कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई है तथा अन्य सदस्यों ने उनका स्थान ले लिया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह खबर सुनकर अत्यंत खेद हुआ लेकिन मुझे विश्वास है कि इस रिक्तता को भरने के लिए सदन कुछ आवश्यक कदम उठायेगा।

87

*कार्ट रोड क्वार्टर, शिमला में एक रिक्शा स्टैंड का प्रावधान

62. **श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय** : क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिमला में कार्ट रोड क्वार्टर केन्द्रीय विधानमंडल के सदस्यों के रहने हेतु रखे गये हैं और यदि हां तो क्या वह नगरपालिका समिति, शिमला से – (i) सदस्यों की सुविधाओं के लिए क्वार्टरों के आस–पास रिक्शा अड्डा स्थापित करने; और (ii) विधान सभा सदस्यों से अस्थायी आवास के दौरान विद्युत के दौरान सिक्योरिटी राशि नहीं लेने के लिए कहेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : चूंकि कार्ट रोड के क्वार्टरों में सदस्य बहुत ही कम संख्या में तथा अल्प समय के लिए रहते हैं अतः सरकार इलाके में रिक्शा स्टैण्ड के प्रावधान हेतु शिमला नगरपालिका समिति से सम्पर्क करना उचित नहीं समझती। शिमला में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति शिमला नगरपालिका समिति का दायित्व है तथा सरकार को अफसोस है कि इस सम्बन्ध में वे नगरपालिका व्यवस्था में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 28 जुलाई, 1943, पृष्ठ 130

88

*नई दिल्ली एंव दिल्ली में जल आपूर्ति

66. श्री लालचन्द नवलराय : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य इन गर्मी के दिनों में पानी की कमी के कारण हुई असुविधा को कम करने के लिए सभी कार्यों हेतु नई दिल्ली व दिल्ली में पानी की पर्याप्त आपूर्ति हेतु की गई नई व्यवस्था के बारे में बताने की कृपा करेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि यमुना नदी के मुहाने को, पम्पों तक पानी पहुँचाने के लिए सीधा किया जा रहा है; यदि हां तो इस योजना ने क्या प्रगति की है तथा क्या वहां से लाया गया पानी दिल्ली व नई दिल्ली दोनों के लिए पर्याप्त होगा;

(ग) इन गर्मी के दिनों में पाइपों में पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए क्या व्यवस्था करने का प्रस्ताव है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) छने हुए पानी की आपूर्ति में सुधार हेतु, इस गर्मी में पांच अतिरिक्त फिल्टर लगाए गये हैं तथा दो बड़े पम्पिंग सैट इंग्लैण्ड से मंगाये गये हैं जिनके अक्टूबर में भारत पहुचनें की आशा है। यमुना के जल स्तर में अचानक गिरावट के कारण बिना छने हुए पानी की कमी आई है। जल–स्तर बढ़ाने के लिए, चैनल के पार अनेक बांध बनाए गये। स्थिति में सुधार आ गया है तथा अब पानी की कोई कमी नहीं है।

(ख) सूखे मौसम चैनल को दाहिने किनारे की तरफ मोड़ने, जहाँ पम्पिंग स्टेशन स्थित है, के लिए केन्द्रीय हाइड्रो–डायनेमिक अनुसंधान केन्द्र, पूना नदी की ट्रेनिंग के लिए प्रयोग कर रहा है। मामले की छानबीन के लिए विशेषज्ञों की हाल ही में नियुक्त एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जाँच हो रही है।

(ग) पानी को ठंडा करने हेतु कोई व्यवस्था उपयुक्त नहीं है।

श्री लालचन्द नवलराय : यह क्यों उपयुक्त नहीं है और क्या इसलिए कि यहां बहुत ठंड है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य को हक है कि वे कोई भी निष्कर्ष निकाले।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 28 जुलाई, 1943, पृष्ठ 134-135

श्री लालचन्द नवलराय : क्या यहाँ असाधारण रूप से ठंड है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र स्वंय निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

पंडित लक्ष्मी कान्ता मैत्रा : इस कार्य के लिए आप भारत रक्षा अधिनियम उपयोग में क्यों नहीं लाते।

89

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुस्लिम सहायक सम्पदा अधिकारी

71. श्री नबी बक्श इलाही बक्श भुट्टो : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक सम्पदा अधिकारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे;

(ख) उनमें से कितने मुसलमान हैं; और

(ग) क्या मुस्लिमों का अनुपात बरकरार रखा गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) चार; एक पद इस समय रिक्त है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) इस समय नहीं, लेकिन शीघ्र ही मुस्लिमों के अनुपात का समायोजन किया जायेगा क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग से खाली पद के लिए एक मुस्लिम की भर्ती करने को कहा गया है।

90

@गाजियाबाद में नये भवन का निर्माण

72. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान दिनांक 29 जून, 1943 के डान में "थिक वेस्ट" शीर्षक के अंतर्गत शीर्ष की ओर दिलवाया गया है; यदि हाँ तो नई दिल्ली के निकट नहीं बल्कि गाजियाबाद में इन मकानों के निर्माण का क्या कारण है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 28 जुलाई, 1943, पृष्ठ 139

@ वही।

(ख) क्या यह सच है कि ये मकान युद्ध समय के लिए अस्थायी निर्माण होंगे; यदि हाँ तो क्या उनको विदित है नई दिल्ली में भारत सरकार के राजपत्रित कर्मचारियों के लिए आवास अपर्याप्त है; यदि हाँ तो सरकार ऐसे मकान बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखती जो कि युद्ध के पश्चात् राजपत्रित स्टाफ के काम आ सकें; और

(ग) यदि युद्ध के पश्चात् सेना विभाग को इनकी आवश्यकता नहीं है तो सरकार गाजियाबाद के मकानों को किस प्रयोग में लायेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। लेकिन लेख में लिखित सभी तथ्य पूर्णतया सही नहीं है।

(ख) तथा (ग) मामला विचाराधीन है तथा कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है।

91

*औद्योगिक कर्मचारियों हेतु बीमारी बीमा योजना

127. श्री नबी बक्श इलाही बक्श भुट्टो : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक कर्मचारियों हेतु बीमारी बीमा योजना तैयार हो चुकी है;

(ख) इस योजना के कब लागू होने की आशा है;

(ग) क्या माननीय सदस्य योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे; और

(घ) क्या प्रादेशिक सरकारों द्वारा योजना पर व्यक्त विचारों को भी सभा पटल पर रखा जाऐगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार ने चुनिन्दा उद्योगों में कर्मचारियों के लिए बीमारी बीमा की एक मसौदा योजना तैयार करने के वास्ते एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। यह योजना अभी तैयार की जा रही है लेकिन इस समय यह कहना मुश्किल है कि यह कब से लागू होगी।

(ग) तथा (घ) इन बिन्दुओं पर बाद में विचार किया जायेगा। इसके लिए विधान की आवश्यकता होगी तथा सदन को निश्चित रूप से योजना के बारे में पूर्णतया सूचित किया जायेगा।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 468

श्री लालचन्द नवलराय : योजना कहाँ तक पूरी हो गई है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त की गई है।

श्री लालचन्द नवलराय : यह लगभग कब तक पूरी हो जायेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री लालचन्द नवलराय : दो या एक वर्ष में?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : दो महीने के अंदर।

श्री लालचन्द नवलराय : धन्यवाद।

92

*बाबर रोड क्षेत्र में युद्ध पूर्व के किराये की कीमतों की अपेक्षा कम किराये निर्धारण करना

132. **सरदार संत सिंह** : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य जानते हैं :–

(i) कि बाबर रोड क्षेत्र में मध्यम श्रेणी के मकानों का किराया, किराया नियंत्रक द्वारा 1 जुलाई, 1942 से 42-8-0 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है; और

(ii) कि यह किराया, इन मकानों पर मकान पर लगाने के लिए 1938-39 से नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा निर्धारित 560/- रुपये प्रति वर्ष की किराये की राशि से कम है;

(ख) 1938-39 में नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा युद्ध–पर्व निर्धारित किराये से कम किराया निर्धारित किए जाने के क्या आधार हैं;

(ग) इतने वर्षों तक इतनी अधिक दर पर मकान कर की लेवी को सरकार किस प्रकार उचित ठहराती रही है;

(घ) यदि निर्धारण अधिक नहीं था तो, सरकार किराया नियंत्रक के आदेश को कैसे उचित ठहराती है;

(ङ) क्या उनको विदित है कि इस क्षेत्र के मकान–मालिक मध्यमवर्गीय लोग हैं जिनको कि किराया नियंत्रक के स्वैच्छिक निर्णय से भारी आघात लगा है;

(च) करोल बाग क्षेत्र में पूसा रोड के निकट या नई दिल्ली के अन्य संयुक्त क्षेत्र में लगभग समान आवासीय मकानों के लिए किराया नियंत्रक द्वारा क्या किराया निर्धारित किया गया;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 271

(छ) क्या उनको विदित है कि कलकत्ता में मकानों का किराया नियंत्रित करते समय, बंगाल सरकार ने 1941 में लागू किराये पर 10% की वृद्धि की अनुमति दी है।

(ज) क्या वे नई दिल्ली में किराये में समान वृद्धि का प्रस्ताव करते हैं और यदि नहीं तो क्यों?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) (i) बाबर रोड क्षेत्र में मकानों के अनेक भिन्न वर्ग हैं जहां किराया अलग–अलग है। 42-8-0 रुपये किराया मात्र एक वर्ग के मकान का है।

(ii) जी हाँ।

(ख) किराये, दिल्ली मकान किराया नियंत्रण आदेश, 1939 के क्लॉज 8 के अधीन निर्धारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत किराया नियंत्रक 1 सितम्बर, 1939 से 12 महीने पूर्व समान परिस्थितियों में या समान आवास के लागू किरायों को ध्यान में रखते हुए उचित किराया तय करता है।

(ग) यह मामला सरकार का नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हाँ, लेकिन सरकार को इस बात के लिए कोई कारण नजर नहीं आता कि मकान–मालिकों को भारी आघात लगा।

(च) करोल बाग में ऐसे कोई मकान नहीं है जिनमें वैसी ही या समान आवासीय व्यवस्था हो।

(छ) इस बिन्दु के संबंध में मेरे पास कोई सरकारी जानकारी नहीं है।

(ज) नहीं, सरकार को यह न्यायसंगत नहीं लगता।

सरदार संत सिंह : क्या माननीय सदस्य नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा निर्धारित किरायों की कीमत में भिन्नता की तथा मालिकों को मिलने वाले किराये की जाँच करेंगे और यह देखेंगे कि मकान मालिकों के प्रति कुछ न्याय किया जाए तथा किराया बढ़ाया जाए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उचित किराया, अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। यह सोचने का कोई कारण नहीं कि उनका निर्णय किन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित था, जिस पर उन्हे ध्यान नहीं देना चाहिये था।

93

*सीमेन्ट, इस्पात तथा लकड़ी के प्रकार के निर्माण कार्यों पर निषेध

135. सर अब्दुल हालिम गजनवी : (क) सीमेन्ट, इस्पात तथा लकड़ी के काम के सभी निर्माण पर कुछ स्थानों पर डंके की चोट पर लगाए गये निषेध की सरकार के आदेश की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय श्रम–सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह आदेश उन निर्माण कार्यों पर भी लागू होता है जो लगभग समाप्त हो रहे हैं तथा जिनमें सीमेन्ट, इस्पात व सागवान की लकड़ी की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक है तो, प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के पश्चात् यह संतुष्टि प्राप्त करने पर कि आवश्यक सामग्री उनके स्टॉक में उपलब्ध है, आम की लकड़ी व अन्य सामग्री से आवश्यक दरवाजे के पैनल तथा खिड़कियां बनाने व फिटिंग हेतु ऐसे परिसरों के मालिकों को क्या अनुमति मिलेगी;

(ग) यदि (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो, क्या सरकार का इन सभी प्रदेशों को इस संदर्भ में अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है; और यदि नहीं तो क्या सभी निर्माणों को चाहे उनमें सीमेन्ट, इस्पात और लकड़ी की आवश्यकता हो या नही, अब आस्थगित रखा जाना चाहिए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) से (ग) श्रम एवं सामग्री की मांग को कम करने तथा मुद्रा स्फीति प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारत सरकार ने प्रादेशिक सरकारों से पूछा है कि स्थानीय निकायों व प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा भवन निर्माण आदि को कम करने के लिए वे क्या कर सकती हैं। ये सामान्य अनुदेश है तथा प्रादेशिक सरकारें प्रदेश में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भी तरीके वे उपयुक्त समझते हों उन्हें लागू करने की उन्हें छूट है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि सदस्य उस प्रांतीय सरकार से सम्पर्क करें जिसके आदेश वह मंजूर करवाना चाहता है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या मैं जान सकता हूँ कि इन पर इसलिए रोक लगा दी गई क्योंकि ये युद्ध कार्यों के लिए सप्लाई की जा रही हैं या इन पर किन्ही अन्य कारणों से रोक लगाई गई है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 273-74

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : युद्ध कार्यों के लिए।

सर अब्दुल हालिम गजनवी : क्या मैं माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूँ कि मथूरा के जिलाधीश ने इस सदन के माननीय सदस्य को अपना मकान बनाने के लिए अनुमति देने से मना कर दिया है। वे मात्र 22 आम के पैनल तथा 22 पैनल दरवाजे के लिए लगाना चाहते थे। मात्र यही करना था, लेकिन जिला ने अनुमति देने से मना कर दिया।

अध्यक्ष महोदय (सैयद गुलाम भीक नैरंग) : पुनः यह तथ्यों का ब्यान है प्रश्न नहीं।

सर अब्दुल हालिम गजनवी : क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में आगरा प्रभाग के आयुक्त से सम्पर्क किया गया था और उन्होंने कहा कि यदि सम्बधित व्यक्ति जिलाधीश को यह विश्वास दिला सकें कि मकान को पूर्ण करने के लिए उनके पास पहले से ही आवश्यक लकड़ी है तो वे उन्हें स्वीकृत दे देंगे। उन्होंने जिलाधीश को विश्वास दिला दिया था कि उनके पास आवश्यक लकड़ी पहले से ही मौजूद थी, फिर भी उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय (सैयद गुलाम भीक नैरंग) : एक बार फिर यह एक ब्यान हैं न कि प्रश्न।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या मैं जान सकता हूँ कि अर्द्ध–निर्मित मकान या 3/4 निर्मित मकान को भी बनने से रोक दिया गया है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस बिन्दु पर कोई जानकारी नहीं है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या इस मामले में कोई अपवाद बनाये गये?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हमने प्रदेशों को सामान्य अनुदेश दे दिये हैं।

श्री लालचन्द नवलराय : उन्हें कोई स्वेच्छा शक्ति नहीं दी गई?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि स्वेच्छा शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जायेगा।

श्री लालचन्द नवलराय : तब क्या केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस समय कुछ नहीं कह सकता।

94

*नई दिल्ली व शिमला में युद्ध गतिविधियों से सम्बन्धित भवन निर्माण की कीमत।

144. सरदार संत सिंह : क्या माननीय श्रम–सदस्य, सितम्बर 1939 से नई दिल्ली व शिमला में अलग से युद्ध गतिविधियों से सम्बन्धित भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा की गई कुल लागत के बारे में बताने की कृपा करेंगे; क्या अमरीकियों की तरफ से कोई खर्च किया गया था; और यदि हां तो कितना और यह किसने वहन किया?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मार्च 1943 के अंत तक निम्नलिखित खर्च किया गया :

(i) नई दिल्ली– 1,55,14,629 रुपये

(ii) शिमला – 24,65,137 रुपये

(iii) अमरीकियों की तरफ से – 38,47,916 रुपये

पारस्परिक लीज/उधार व्यवस्थाओं के अधीन इसे रक्षा सेवाओं के अनुमान में नामें डाल दिया गया है।

मौलाना जफर अली खान : क्या मैं जान सकता हूँ कि युद्ध के पश्चात् इन सभी अस्थायी भवनों को गिरा दिया जायेगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

सरदार संत सिंह : अमरीकियों पर 38,47,916 रुपये का खर्च कौन सी सरकार वहन करती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : पारस्परिक लीज/उधार व्यवस्थाओं के अधीन भारत सरकार।

सरदार संत सिंह : भारत के कर–दाताओं पर क्या यह खर्च बाद में खातों में नामें डाल दिया जायेगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नोटिस चाहिए।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 282

95

*पूर्व मानक समय द्वारा बुरी तरह से प्रभावित फैक्टरियां

@ **151. काजी मुहम्मद अहमद काजमी :** (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौनसी फैक्टरियां हैं (और देश के किस भाग में) जिन पर पूर्व मानक समय का, जिसका प्रयोग भारत में पहले होता था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा;

(ख) ऐसी फैक्टरियों की संख्या कितनी है और मानक समय रखने के कारण उन फैक्टरियों को अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या सरकार, पुराने मानक समय की बहाली की सलाह पर विचार कर रही है और यदि हाँ तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि भारत के किसी भाग में फैक्टरियों पर पूर्व मानक समय से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है। समय को आगे किये जाने के कारण सरकार की प्रैस विज्ञप्ति में दिये गये हैं जिसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई है। पूर्व मानक समय की बहाली के लिए कोई कारण नहीं दिखाये गये।

प्रैस विज्ञप्ति

भारत में युद्ध कार्यों के लिए दो मानक समय का होना अवांछनीय है तथा इस वर्ष 15 मई से पूरे देश में एक ही मानक समय माना जाएगा। वह मानक क्या होना चाहिए यह निर्णय लेने के लिए सरकार को एक तरफ भारत के उस भाग की सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मेरिडियन 82 1/2 पश्चिमी भाग में पड़ता है तथा जिसमें पहले से ही पर्याप्त रोशनी मिलती है और दूसरी तरफ पूर्वी प्रदेशों की आवश्यकताएं जहां घरेलू के साथ फैक्टरी मांगों, कार्यालय तथा स्ट्रीट लाइटिंग के दोहरेपन के कारण बिजली के ओवरलोड से बचना आवश्यक है और जहां अदृश्यता के प्रभाव को कम करने के लिए अतिरिक्त सूर्य–प्रकाश की आवश्यकता है। चूंकि गर्मी के महीनों में पूर्वी क्षेत्रों में सूर्य–प्रकाश का पर्याप्त मार्जिन है, इसलिए ऐसा माना गया कि कार्यालय और फैक्टरी के कार्य समय

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 285

@ प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया।

में एक सामंजस्य द्वारा गर्मी के दिनों में उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरे भारतवर्ष में ग्रीनविच मीन टाइम से साढ़े पांच घंटे आगे मानक समय निर्धारित करके पूर्णतया पूरा किया जा सकता है और तदनुसार 15 मई से एक समान समय लागू किया गया। यद्यपि सर्दी का मौसम शुरू होने से पूर्व भारत सरकार ने और परिवर्तन पर भी विचार किया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वी प्रांतों में पर्याप्त सूर्य–प्रकाश को जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए, निकट भविष्य में यह परिवर्तन करना आवश्यक है और कि पूरे देश में भारतीय मानक समय को ग्रीनविच मीन टाइम से साढ़े छह घंटे आगे बढ़ाना चाहिए। यह परिवर्तन 31 अगस्त – 1 सितम्बर की मध्य रात्रि से प्रभावी होगा। उस दिन से घड़ियां एक घंटे आगे कर दी जायेगी। ऐसा पूर्णतया महसूस किया गया है कि घड़ियों को एक घंटे आगे किये जाना मैरिडियन साढ़े बियासी के पश्चिम में पडने वाले क्षेत्रों को कुछ असुविधा अवश्य होगी लेकिन ऐसा समझा जाता है कि कार्य घंटों में सामंजस्य करके, इस असुविधा को कम किया जा सकता है और जब लोग नये समय के अभ्यस्त हो जाएंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी।

96

*कोयले के उत्पादन में गिरावट

28. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनवरी, 1943 से ब्रिटिश भारत में कोयले का उत्पादन घट गया है; यदि हाँ तो, क्या कोयले के उत्पादन में गिरावट के कारणों के बारे में सरकार ने कोई जाँच की है, और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या प्रायोगिक कदम उठाने का प्रस्ताव करती है;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटिश भारत की खानों में 31 दिसम्बर, 1942 को बताये गये भंडार की अपेक्षा 31 मई, 1943 का भंडार बहुत कम था; यदि हाँ तो, बिगड़ती हुई इस स्थिति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1943, और 31 मई, 1943 के मध्य उस अवधि विशेष में बढ़ते हुए माल को ले जाने के लिए भी पर्याप्त संख्या में वैगनें उपलब्ध नहीं थी; यदि हाँ तो, भण्डार में कमी के लिए क्या स्पष्टीकरण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि बंगाल के काजोरा क्षेत्र की लगभग 10 लाख टन प्रति वर्ष के माल सहित लगभग 30 कोयला खानों को वैगन सुविधाओं के कारण

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 286

बंद किया जा रहा है क्योंकि इन खानों में काम आने वाली लाइन का एक भाग रक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, यद्यपि रक्षा सामान ओडल जंक्शन से मिलिटरी लारियों से ले जाना संभव है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

(ख) 31 दिसम्बर, 1942 को बतायी गयी भंडारण संख्या उपलब्ध नहीं हैं। तब से भंडारण संख्या एकत्र करने के संबंधित तरीके लागू किये गये हैं। ऐसा माना जाता है कि भंडारण की स्थिति खराब नहीं हुई लेकिन 31 दिसम्बर, 1942 और 31 मई, 1943 के बीच इसमें वृद्धि हुई है।

(ग) उत्तर का प्रथम भाग सकारात्मक है। उत्तर का द्वितीय भाग नकारात्मक है।

(घ) जी नहीं। काजोरा क्षेत्र में अनेक पायलट कार्यरत हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह प्रश्न विशेषतया ओखरा सं. 1 व 2 के कार्यरत पायलट क्षेत्र से संबंधित है। लगभग 30 खानों में ये दो पायलट कार्यरत हैं। इन दो पायलटों की कोयले की क्षमता 100 वैगन हैं जिसमें लगभग 2,000 टन कोयला प्रतिदिन या 7,20,000 टन प्रति वर्ष होता है। इन दोनों पायलटों को वैगनों की अग्रिमता आधार पर आपूर्ति मिलती रही है क्योंकि उनके पास बी. और ए. रेलवे से भारी ऑर्डर हैं। बंगाल व बिहार के क्षेत्रों में वैगन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हौता कि यदि इन पायलटों की क्षमता को बढ़ा भी दिया जाये तो खानों को प्रतिदिन 100 वैगन से अधिक मिलेंगे। रक्षा डिपो के लिए, ओखरा सं. 2 पायलट की क्षमता के अन्दर 20 वैगने प्रदान की गई लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है इससे यह खानें बंद नहीं हो जायेंगी। भारत सरकार को यह विदित नहीं है कि सेना, ओडल जंक्शन से मिलिटरी लारियों से माल ला सकती है।

97

*ब्रिटिश इंडिया के तेल स्रोतों से ब्रिटिश या अमरीकी फर्मों को रियायत

30. श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम–सदस्य दिनांक 30 मार्च, 1943 के तारांकित प्रश्न सं. 441 का संदर्भ देंगे और प्रत्येक मामले में मुख्य निबंधनों व शर्तों के सारांश सहित ब्रिटिश भारत के किसी भी भाग में संभावी तेल स्रोतों के

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 287

संदर्भ में उन ब्रिटिश या अमेरिकन फर्मों के नाम जिनको रियायतें मिली होती (दोहन या उपयोगीकरण लाइसेंसों सहित) का ब्यौरा पटल पर रखेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : दिनांक 30 मार्च, 1943 के प्रश्न सं. 441 के पूरकों के उत्तर में बताये अनुसार सूचना देते हुए आज सभा पटल पर रखे ब्यौरे पर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया गया है।

98

*स्थायी श्रम-समिति की तीसरी बैठक की कार्यवाही का सारांश

@**माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य)** : महोदय, मैं, दिनांक 7 व 8 मई, 1943 को आयोजित स्थायी श्रम–समिति की तीसरी बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

99

#केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उच्च वेतन पदों पर कार्यरत सिक्ख

209. सरदार संत सिंह : क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं के.लो.नि. विभाग के अतिरिक्त अन्य अनुभागों में प्रतिमाह 400/- रुपये या इससे अधिक वेतन के कितने पद हैं और इन पदों में से कितने पदों पर सिक्ख कार्यरत हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : 400/- रुपये तक उससे अधिक के वेतन वाले 60 पद हैं तथा 400/- रुपये या उससे अधिक वेतन से आरम्भ होने वाले 82 पद हैं। कुल 142 पदों में से 6 पर सिक्ख कार्यरत हैं।

यह स्पष्ट नहीं है कि के.लो.नि.वि. के अलावा अनुभागों से सदस्य का अर्थ किस कार्यालय से है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 292

@ इस वाद–विवाद में शामिल नहीं। परंतु सदन के पुस्तकालय में इसकी एक प्रति रखी गई है।

विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 5 अगस्त, 1943, पृष्ठ 426

100

*मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय की स्थापना शाखा

[+] **210. सरदार संत सिंह :** (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सच है कि स्थापना मामलों को देखने तथा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में चयन बोर्ड के कार्य को आसान बनाने के लिए हाल ही में एक अलग शाखा स्थापित की गई थी;

(ख) इस शाखा में कार्य करने वाले स्टाफ की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने हिन्दू, मुस्लिम व सिक्ख हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधीक्षक सहित स्टाफ के किसी भी सदस्य को स्थापना से संबंधित मामलों का कोई अनुभव नहीं है;

(घ) स्थापना शाखा में पहले से कार्यरत अनुभवी लोगों को इस शाखा में रखने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं माना गया;

(ङ) क्या यह सच है कि मुस्लिम कार्मिकों के स्थापना मामलों पर तेजी से ध्यान दिया गया जबकि अन्य समुदायों के मामले अनिश्चित काल से अनछुए पड़े हैं; और

(च) क्या सरकार इस शाखा द्वारा किये गये सांप्रदायिक कार्य में जांच करने का प्रस्ताव करती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) स्टाफ की कुल सं. 12

हिन्दू –	5
मुस्लिम –	6
सिक्ख –	शून्य
भारतीय इसाई –	1

(ग) जी नहीं; दो सहायक तथा तीन क्लर्क स्थापना शाखा से लिए गये थे।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 5 अगस्त, 1943, पृष्ठ 426

\+ प्रश्नकर्ता का कोटा समाप्त होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(घ) वहां काम को क्षति पहुंचाये बिना और स्टाफ स्थापना शाखा से नहीं हटाया जा सका।

(च) जी नहीं।

(छ) जी नहीं।

101

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मदन सिंह बक्शी की नियुक्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन

@ **211. सरदार संत सिंह** : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्क्स अनुभाग में "अन्य अल्पसंख्यकों" के लिए आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध किसी मदन सिंह बक्शी की सहायक के रूप में नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या गृह विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन भर्ती के समय उनके सिक्ख होने का अधिकृत प्रमाणपत्र उनसे मांगा गया था; यदि नहीं तो, क्यों नहीं;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि सेवा में आने से पूर्व बक्शी मदन सिंह ३ या ४ बार "पेटिट" रह चुका है तथा सिक्ख समुदाय के लिए आरक्षित नौकरी प्राप्त करने के लिए सरकार को धोखा देने हेतु उन्होने बाल बढ़ाये;

(घ) क्या यह सच है कि स्थानीय सिक्ख संगठनों द्वारा अपर मुख्य अभियंता तथा प्रशासनिक अधिकारी को अनेक अभ्यावेदन दिये गए, लेकिन अभी तक एक का भी जवाब नहीं दिया है; और

(ङ) क्या इस व्यक्ति के स्थान पर एक वास्तविक सिक्ख को रखने का सरकार का प्रस्ताव है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। सरकार को उसकी नियुक्ति के समय उसके सिक्ख होने पर कोई संदेह नही था।

(ग) जी नहीं। सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 426-27

@ प्रश्नकर्ता का कोटा समाप्त होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया।

(घ) जी हाँ। उनका जवाब दिया जा रहा है।

(ङ) केवल तब जब यह सिद्ध होता है कि रोजगार के लिए उनके आवेदन के एक वर्ष के अंदर उन्होंने सिक्ख धर्म अपनाया हो अथवा केशधारी होने के नाते अपनी नौकरी से पहले पेटिट बन गये।

102

*भारतीय झरने के पानी का व्यावसायिक पहलू

50. श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम–सदस्य दिनांक 30 मार्च, 1943 के अतारांकित प्रश्न सं. 92 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे तथा एक वक्तव्य देंगे :

(क) जिसमें स्पष्ट करेंगे कि क्या यहां उल्लिखित भारतीय झरने के पानी के व्यावसायिक पहलुओं की जांच की गई है और परीक्षण हेतु पानी को बोतलों में बंद करने की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है; और

(ख) यह बतायेंगे कि वे झरने कहां कहां स्थित हैं जिनकी जांच हो चुकी है और जो संतोषजनक पाए गये?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारतीय झरनों के पानी के व्यावसायिक पहलू अभी भी जाँचाधीन हैं। परीक्षण के लिए पानी को बोतल बंद करने की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है।

(ख) झरने निजी भूमि पर हैं, जैसा कि भूमि के मालिकों से बातचीत जारी है, इसलिए इस समय झरनों के स्थान को उजागर करना सरकार वांछनीय नहीं मानती।

103

*भारत में पन-बिजली संभावनाओं का सर्वेक्षण

274. श्री टी.टी. कृष्णामाचारी (श्री आर.आर. गुप्ता की ओर से) : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में पन–बिजली सम्भावनाओं के सर्वेक्षण का निर्देश दिया है; यदि हाँ तो, आखिरी बार सर्वेक्षण कब किया गया था और किसने किया था;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 5 अगस्त, 1943, पृष्ठ 434

* वही, 12 अगस्त, 1943, पृष्ठ 642

(ख) क्या सरकार नहीं मानती कि भारत के उत्तम श्रेणी के कोयला स्रोतों के संरक्षण की सामान्य रूप से स्वीकृत नीति को ध्यान में रखते हुए, पन–बिजली विकास कार्यों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, विशेषतया संयुक्त प्रदेशों यथा पंजाब तथा केन्द्रीय भारतीय राज्यों में जो कि भारत के कोयला आपूर्ति स्रोतों से दूर स्थित है;

(ग) बम्बई में टाटा तथा पड़ोसी राज्यों जैसे मैसूर तथा ट्रावनकोर संयुक्त प्रांतों और पंजाब सरकारों द्वारा विकसित राज्य पन–बिजली योजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा वर्तमान में इन योजनाओं से उपलब्ध अनवशोषित भार कितना है;

(घ) क्या माननीय सदस्य का प्रत्येक उत्पादन योजनाओं से सम्भवतः प्राप्त होने वाली बिजली सहित, भारत में नई पन–बिजली योजनाओं के संभावित मुख्य कार्य–स्थलों से उनके ताजा आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने उन स्थानों पर जहां सस्ती बिजली प्राप्त की जा सकती है, रेलगाड़ियों को बिजली से चलाये जाने की संभावना पर विचार किया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार के विद्युत आयुक्त द्वारा 1941 के आखिर में पूरे भारत में मुख्य पन–बिजली संभावनाओं का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) पन–बिजली योजनाओं का संवर्धन मुख्यतः प्रांतीय सरकारों और राज्यों का विषय है। फिर भी केन्द्रीय सरकार पन–बिजली विकास की वांछनीयता के बारे में पूरी तरह से जागरूक है तथा पन–बिजली विकास समेत विद्युत आपूर्ति उद्योग के युद्धोपरांत संगठन की ओर परिषद की पुर्नगठन समिति ध्यान दे रही है।

(ग) तथा (घ) में पूछी गई सूचना का युद्धावधि में प्रकाशन करना जनहित में नही है। तथापि जैसाकि पहले बताया जा चुका है पन–बिजली योजनाओं का संवर्धन मुख्यतः प्रांतीय सरकारों तथा राज्यों का विषय है।

(ङ) जी हाँ, प्रश्न पर समय–समय पर विचार किया जाता रहा है तथा इसे हमेशा ध्यान में रखा जाता है परन्तु किसी विशेष स्थान पर रेलगाड़ियों का बिजली से चलाया जाना वहां सस्ती बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

104

*श्रम भुगतान अधिनियम के संचालन में कुछ जानकारियों का समावेश

274. श्री मुहम्मद अजहर अली : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम के कार्यकरण की रिपोर्ट मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा उनके द्वारा निबटाए गए आवेदनों का ब्यौरा नहीं दर्शाती; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हाँ में है तो क्या वे अगली रिपोर्टों में आवेदनों के ब्यौरे उनकी समीक्षा सहित सम्मिलित करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव रखते है; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वर्तमान में माननीय सदस्य ने जो सुझाया है, वह सच है।

(ख) मैं सुझाव पर विचार करूंगा।

105

@बलूचिस्तान में खान से प्राप्त सल्फर तथा फर्में जिन्हें सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने वाले संयत्रों की आपूर्ति की गई

290. श्री टी.टी. कृष्णामाचारी (श्री आर.आर. गुप्ता की ओर से) : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा द्वारा बलूचिस्तान में खान से निकाली गई सल्फर की मात्रा बताने की कृपा करेंगे तथा ऐसे खुदाई के कामों में अब तक व्यय हुई कुल राशि क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बलूचिस्तान में वर्तमान खनन स्थल में उपलब्ध सल्फर और खोज के लिए कम है; बहरहाल, इस समय उस जमा सल्फर का अनुमानित टनभार क्या है जिस पर कार्य नहीं हुआ है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 12 अगस्त, 1943, पृष्ठ 654

@ वही।

(ग) क्या यह सच है कि आपूर्ति विभाग ने भारतीय चीनी मिल को सूचित किया है कि अगले पिराई मौसम के सम्बन्ध में मिलों के लिए सल्फर की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की जा सकती; यदि हां तो चीनी मिलों को दिए गए ऐसे नोटिस के क्या कारण है; यदि ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है तो गत दो पिराई मौसमों में चीनी मिलों के लिए सल्फर की आपूर्ति कैसे प्राप्त की गई थी तथा अगली आपूर्ति की व्यवस्था कैसे करने का विचार है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत में तांबा गलाने की भट्‌टी में गौण उत्पाद के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड (So_2) गैस की बड़ी मात्रा बेकार हो जाती है; यदि हाँ तो क्या यह सच है कि ऐसी बेकार गैस को आसानी से सल्फयूरिक एसिड में बदला जा सकता है; क्या सरकार ने सल्फयूरिक एसिड की आपूर्ति के ऐसे साधन अथवा संभावना को खोजा है, तथा यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) क्या यह सच है कि जब से युद्ध आरंभ हुआ है आपूर्ति विभाग ने कई सल्फयूरिक एसीड उत्पादन संयंत्रों का आयात किया; यदि हां तो ऐसे संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा उनका निपटान कैसे किया गया है; और क्या सरकार का ऐसी फर्मो, यदि कोई हो तो, जिनको ऐसे संयंत्र उपलब्ध कराए गए हैं, को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करने का विचार है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) खदान से प्राप्त सल्फर की मात्रा बताना जनहित में नहीं है। बलूचिस्तान में सल्फर के कार्यो में अब तक खर्च हुई कुल राशि रु. 11,85,000/- मात्र है।

(ख) जी नहीं। जिस जमा सल्फर पर अब तक कार्य नहीं हुआ है उसके अनुमानित टन भार को बताना जनहित में नहीं है।

(ग) जी नहीं। गत पिराई मौसम के दौरान चीनी उद्योग के लिए सल्फर की कुछ आपूर्ति अमेरिका के आयात से की गई तथा कुछ आपूर्ति आरक्षित स्टॉक को खत्म करके की गई। चीनी मिलों को बलूचिस्तान की कच्ची सल्फर की आपूर्ति की जा रही है जिसको वे स्वयं परिष्कृत करेंगे अथवा सरकार की स्वीकृति से स्थापित केन्द्रीय संयंत्र पर विकल्पतः परिष्कृत करते हैं। परिणामस्वरूप पिराई मौसम में चीनी मिलें शुद्ध सल्फर का उपयोग कर सकेंगी। अनुमानित आवश्यकताओं में कोई भी कमी आपूर्ति विभाग द्वारा अमरीका से आयात करके पूरी की जाएगी।

(घ) सल्फर डाइऑक्साईड भारत में तांबे को पिघलाकर शुद्ध करने के दौरान उप–उत्पाद के रूप में उत्पन्न की जाती है। यह अन्य गैसों के उच्च अवमिश्रित

अवस्था में गैसों की नलियों में बनती है तथा उसका सल्फयूरिक एसिड में कारगर परिवर्तन मुश्किल है। सल्फर तथा सल्फयूरिक एसिड के उत्पादन के लिए आपूर्ति के इस स्रोत की सम्भावना की युद्ध के दौरान शुरू में ही जांच की गई थी परंतु इसे कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए जटिल और मंहगी मशीनरी का आयात करना पड़ता और तकनीकी व्यक्तियों का प्रबंध भी करना पड़ता तथा इसके बावजूद भी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता।

(ङ) जी नहीं। 4 अगस्त, 1943 के अतारांकित प्रश्न सं. 47 के उत्तर में माननीय आपूर्ति सदस्य ने अमेरिका से संयंत्रों के प्रस्तावित आयात के संबंध में पूरी सूचना दे दी है।

106

*उदयपुर राज्य में जवार में सीसे की खान

291. श्री टी.टी. कृष्णामाचारी (श्री आर.आर. गुप्ता की ओर से) : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उदयपुर राज्य में जवार में चल रही सीसे की खान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा द्वारा चलाई जा रही है; यदि हाँ तो इस खान में चल रहे कार्य पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है तथा इस खान में से निकाले गए अयस्क में सीसे तथा जस्ते का औसत प्रतिशत क्या है; और

(ख) क्या सरकार को भारत के किसी अन्य भाग में सीसे के पाए जाने की कोई सूचना है और यदि नहीं, तो भारत की सीसे की आवश्यकताओं का कितना अंश केवल जवार स्रोत से प्राप्त होने की आशा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। जून, 1943 तक साढ़े छह लाख रुपए की धनराशि इस पर खर्च की जा चुकी है। अब तक किए गए खनन में औसतन 2 प्रतिशत सीसा तथा 8 प्रतिशत जस्ता प्राप्त किया जा चुका है।

(ख) जी हाँ। इस समय इसके जयपुर राज्य के चौथ का बरवारा में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 12 अगस्त, 1943, पृष्ठ 655

107

बंगाल के एक जिले में वुल्फ्रैम निक्षेपों की खोज

292. श्री टी.टी. कृष्णामाचारी (श्री आर.आर. गुप्ता की ओर से) : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बंगाल के एक जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कुछ वुल्फ्रैम निक्षेपों की खोज की गई है; और यदि हां, तो अब तक इस स्रोत से प्राप्त की गई वुल्फ्रैम की मात्रा कितनी है, तथा इसका निपटान कैसे किया गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ। युद्धावधि के दौरान वुल्फ्रैम की प्राप्त को बताना जनहित में नहीं है। कच्चे माल का निपटान आपूर्ति विभाग (महानिदेशक, अस्त्र उत्पादन) द्वारा किया जाता है।

108

*श्रम कल्याण सलाहकारों और श्रम सलाहकारों के कार्य

297. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में नियुक्त श्रम कल्याण सलाहकारों और श्रम सलाहकारों के कार्य क्या हैं; और

(ख) अब तक ऐसे कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) श्रम कल्याण सलाहकार, उनके डिप्टी और सहायकों के कार्य सरकार को रिपोर्ट देना तथा सरकार के निदेशानुसार भारत में औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना है।

श्रम सलाहकारों का कर्तव्य प्रशासन और श्रम विधान के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से उस पद्धति पर जिसके अन्तर्गत श्रम संबंधी समस्याएं जो विचाराधीन थी अथवा उठ सकती थी इंग्लैंड में किस प्रकार निपटाई गई अथवा निपटाई जा रही है।

(ख) इसमें एक श्रम कल्याण सलाहकार, एक उप श्रम कल्याण सलाहकार तथा 7 सहायक श्रम कल्याण अधिकारी हैं।

---

* विधायी सभा बहस (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 12 अगस्त, 1943, पृष्ठ 657

दिसम्बर, 1942 से जून, 1943 तक एक श्रम सलाहकार नियुक्त किया गया था।

वर्तमान में कोई श्रम सलाहकार नहीं है।

श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय : क्या वे महंगाई भत्ते पर अपनी राय देगें?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी नहीं।

श्री टी.टी. कृष्णामाचारी : क्या माननीय सदस्य का श्रम सलाहकार जोकि श्रम कल्याण सलाहकार से भिन्न है, कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : बिल्कुल नहीं।

109

*औद्योगिक विवादों के कारणों को तुरंत दूर करने के लिए कदम

298. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध आदेशों पर आंशिक और पूर्ण रूप से लगी निजी फैक्ट्रियों और सरकार की अपनी युद्ध फैक्ट्रियों दोनों में अबाधित रूप से युद्ध उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक विवादों के कारणों को तुरंत दूर करने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारियों के मजबूरन हड़ताल पर जाने से पहले सभी विवादों को न्याय निर्णय के लिए भेजने की व्यापक नीति अपनाने का निर्णय लिया है; और

(ग) क्या वे प्रांतीय सरकारों को भी ऐसा करने की सलाह देने का विचार रखते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार ने निजी रोजगार में और उसकी अपनी फैक्टरियों दोनों में श्रम के लिए उचित परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास किया है। जहां विवाद उत्पन्न होते हैं वहां समझौते और न्याय–निर्णय के तरीके उपलब्ध हैं।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। सरकार की सामान्य नीति यह है कि यदि समझौता कराने की पद्धति विफल हो जाती है तो न्याय–निर्णय का सहारा लिया जाए।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 21 अगस्त, 1943, पृष्ठ 897

प्रांतीय सरकारों के परामर्श से विवादों के निपटारे के लिए वर्तमान तंत्र को विकसित किया गया है तथा कार्यप्रणाली की सामान्य एकरूपता पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।

110

*अशोक रोड, नई दिल्ली में मस्जिद का गिराया जाना

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय अब्दुर रहीम) : मुझे मौलवी अब्दुल घानी से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जो लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा अशोक रोड पर क्वाटर नं. 9 के परिसर में एक मस्जिद को गिराए जाने के अविलम्बनीय लोक महत्व के एक निश्चित विषय पर चर्चा चाहते हैं।

यह घटना कब घटी?

मौलवी मुहम्मद अब्दुल घानी (तिरहुत विभाग, मुहम्मदन) : यह घटना दस दिन पहले घटी थी लेकिन इसकी सूचना मुझे कल रात को ही मिली।

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय अब्दुर रहीम) : इस मामले में माननीय सदस्य ही रूचि रखने वाले व्यक्ति नहीं है। यदि यह अत्यावश्यक सार्वजनिक हित का मामला है तो शीघ्र ही प्रत्येक को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया?

महोदय मुहम्मद यामिन खान (आगरा विभाग, ग्रामीण मुहम्मदन) : महोदय चूंकि यह घटना एक सरकारी क्वार्टर में घटी थी, इसलिए कल तक सदन के किसी भी सदस्य को इसकी सूचना नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय अब्दुर रहीम) : तब माननीय सदस्य को इस सबके बारे में कैसे मालूम हुआ?

महोदय मुहम्मद यामिन खान : वहां से गुजर रहे कुछ लोग आए और उन्होंने कुछ सदस्यों को सूचित किया और शिकायत की।

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय अब्दुर रहीम) : क्या सरकार को इस विषय में कुछ कहना है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय मुझे इस प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं थी। स्पष्टतया मेरे माननीय मित्र ने शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं भूमि को इस

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 21 अगस्त, 1943, पृष्ठ 897

स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हुए एक पत्र लिखा था जो मुझे थोड़ी देर पहले ही मिला है।

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय अब्दुर रहीम) : मैं सचाई जानना चाहता हूँ।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने अपने विभाग से पूछताछ की है तथा मुझे बताया गया है कि उन्हें ऐसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास इस विषय में जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था तथा मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मस्जिद को गिराने की ऐसी घटना कब घटित हुई है। फिर भी, यदि मेरे माननीय मित्र अल्प सूचना प्रश्न पूछना पंसद करते हैं तो मैं जांच करूंगा तथा जो सूचना व चाहते हैं उन्हें दूंगा।

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय अब्दुर रहीम) : मैं समझता हूँ कि यही सही होगा।

श्री एच. ए. सथर एच. इस्साक सेठ (पश्चिमी तट तथा नीलगिरि : मुहम्मदन) : इस स्थिति में यह प्रस्ताव रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय अब्दुर रहीम) : यदि अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है तो मैं इस पर बाद में विचार करूंगा।

महोदय मुहम्मद यामिन खान : किसी भी दशा में अल्प सूचना प्रश्न आज नहीं रखा जा सकता तथा यह मंगलवार को ही पूछा जा सकता है यदि सभा तब तक बैठती है तो।

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय अब्दुर रहीम) : अल्प सूचना प्रश्न पूछना ही अच्छा है।

111

*अशोक रोड, नई दिल्ली में मस्ज़िद का गिराया जाना

मौलवी मुहम्मद अब्दुल घानी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे अशोक रोड स्थित सरकारी क्वाटर नं. 9 में मस्जिद की मौजूदगी से अवगत हैं;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 3, 25 अगस्त, 1943, पृष्ठ 980

(ख) क्या उक्त मस्जिद को लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के अनुरोध पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा आंशिक रूप से गिरा दिया गया है;

(ग) क्या मस्जिद को गिराए जाने का काम मुसलमानों के आंदोलन के कारण रोक दिया गया था;

(घ) क्या ऐसे विध्वंस कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं तथा उन्होंने दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कदम उठाए हैं; यदि हां तो उसके क्या परिणाम हैं : तथा

(ङ) सरकार भवन को पहुंचाए गए नुकसान के संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने जा रही है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ, एक पुरानी, जीर्णशीर्ण और इस्तेमाल में न लाई जाने वाली मस्जिद।

(ख) जी नहीं, मस्जिद के उत्तरी खण्ड की मेहराबों में से एक जिसने पेड़ का सहारा लिया हुआ था वृक्ष के टूट कर गिरने से गिर पड़ी। इस समय मकान में रहने वाले मेजर अनवर द्वारा वृक्ष को हटाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने शिकायत की थी कि वृक्ष के कारण मकान में रोशनी नहीं आ रही।

(ग) जी नहीं।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मस्जिद को गिराने का कार्य नहीं किया गया था। इसलिए इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) यह एक पुराना जीर्णशीर्ण भवन है अतः इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया।

सर मुहम्मद यामिन खान : जब वृक्ष को काटा गया तब यह सावधानी क्यों नहीं बरती गई कि जो मेहराब वृक्ष का सहारा लिए हुए थी उसको सुरक्षित स्थिति में रखा जाए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह मानने का कोई कारण नजर नहीं आता कि ऐसी दुर्घटना के लिए उचित सावधानी नहीं बरती गई थी।

सर मुहम्मद यामिन खान : यहां तक कि लोक निर्माण विभाग के दक्ष अभियंता भी एक मेहराब को नहीं बचा सके और क्या मैं इसे उचित सावधानी समझूं कि वे एक मेहराब को नहीं बचा पाए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : उचित सावधानी और ध्यान के बावजूद भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है।

सर मुहम्मद यामिन खान : जब वह मस्जिद उस क्वार्टर में मौजूद थी जो सरकार के अधिकार में हैं तथा जो सरकार के क्वार्टर बनाने से पूर्व जनता के लिए खुली हुई थी तो क्या सरकार का यह देखने का कर्तव्य नहीं है कि उसकी उचित प्रकार से मरम्मत की गई है और उसे सही अवस्था में रखा गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि सरकारी क्वार्टर बनाये जाने के पहले अथवा बाद में वास्तव में इस मस्जिद का उपयोग किया गया।

मौलाना जफर अली खान : क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि मस्जिद के टूटे हुए हिस्से की आवश्यक मरम्मत के द्वारा उसका जीर्णोद्धार होगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह कहना बिल्कुल अनावश्यक है क्योंकि न तो इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया गया और न ही यह एक संरक्षित स्मारक है।

सर मुहम्मद यामिन खान : क्या माननीय सदस्य इस मस्जिद को आम जनता के लिए खोलेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, अब यह मस्जिद के रूप में इस्तेमाल में नहीं है।

सर मुहम्मद यामिन खान : क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ कि मस्जिद के रूप में इस्तेमाल में क्यों नहीं है?

अध्यक्ष महोदय (सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं।

सर मुहम्मद यामिन खान : मैं जानना चाहता हूँ कि इसे जनता के लिए खोले जाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है जिससे कि इसका मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा सके?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इसका इस्तेमाल मस्जिद के रूप में कभी नहीं किया गया।

मौलाना जफर अली खान : यदि मैं अपने खर्च पर इसकी मरम्मत करवाता हूँ तो क्या सरकार को कोई आपत्ति है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य आवेदन कर सकते हैं तथा विभाग इस पर विचार करेगा।

सेठ युसूफ अब्दुला हारून : क्या यह सच नहीं है कि क्वार्टर में रहने वाले ने वृक्ष काटने पर आपत्ति की थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : स्थिति बिल्कुल विपरीत है। क्वार्टर में रहने वाले के अनुरोध पर ही वृक्ष काटा गया था।

सेठ युसूफ अब्दुला हारून : क्या माननीय सदस्य क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति का हवाला देंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मेरे द्वारा दी गई सूचना सही नहीं है।

नवाबजादा मुहम्मद लियाकत अली खान : माननीय सदस्य के पास यह मानने के क्या कारण है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना सही नहीं है?

अध्यक्ष महोदय (सर अब्दुर रहीम) : वह बहस कर रहे हैं।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास शासकीय जानकारी है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य की सूचना का स्रोत कितना विश्वसनीय है।

112

*भारतीय व्यापार संघ (संशोधन) विधेयक

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर(श्रम सदस्य) : महोदय, मैं भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है कि : "भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मै विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 8 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 30

113

*भारतीय युद्ध आहत योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए भत्ते की दरें बराबर करना

47. श्री एन.एम. जोशी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य का इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध आहत योजनाओं के तहत महिलाओं और पुरूषों को दिए जाने वाले भत्तों की दरों के बीच अंतर को कुछ समय पहले समाप्त कर दिया गया है जिससे महिलाएं और पुरुष समान दरों पर भत्ते प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) यदि उत्तर 'हां' में है, तो क्या भारतीय सरकार भारतीय युद्ध आहत योजनाओं में ऐसा ही परिवर्तन करेगी तथा महिलाओं और पुरुषों को दिए जाने वाले भत्तों की दरों को समान स्तर पर लाएगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जब इस प्रश्न की सूचना मिली तो मैंने ग्रेट ब्रिटेन में स्थिति का पता लगा लिया है। यह सच्चाई है कि ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं और पुरुषों के लिए राहत की दरों के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

114

@श्रमिकों से न्यायोचित व्यवहार की शर्त का सरकारी संविदाओं में शामिल किया जाना

48. श्री एन.एम. जोशी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रमिकों से न्यायोचित व्यवहार करने संबंधी शर्त को सरकारी संविदाओं में शामिल किए जाने की आवश्यकता पर किसी त्रिपक्षीय श्रमिक सभा में चर्चा की गई थी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, यह चर्चा स्थायी श्रमिक समिति की तीसरी बैठक में की गई थी। वास्तव में सरकारी संविदाओं में श्रमिकों को उचित मजदूरी संबंधी शर्त को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 8 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 30

@ वही, 9 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 68

न कि श्रमिकों के साथ "न्यायोचित व्यवहार" पर। जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का संबंध है, सरकार ने पहले ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है तथा ऐसे प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक प्राथमिक कार्यवाही पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रमिकों से सम्बन्धित योजना लागू होने के तुरन्त बाद अन्य सरकारी विभागों की संविदाओं में ऐसे उपबन्ध की शुरूआत करने से संबंधित प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

श्री हुसैनभाय ए. लालजी : "सक्रिय रूप से विचार" का क्या अर्थ है? क्या इसमें कोई समय सीमा शामिल है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हां, मैं विचाराधीन तथा सक्रिय रूप से विचाराधीन मामले दोनों में अंतर को एकदम स्पष्ट रूप से समझता हूँ।

श्री हुसैनभाय ए. लालजी : क्या समय का कोई अंतर है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इसका अर्थ यह है कि मामला वास्तव में समाप्त होने वाला है।

115

*नई दिल्ली में "श्रेणी से बाहर" आवंटियों से सम्बंधित नियम

49. मौलवी मुहम्मद घानी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि युद्ध के दौरान नई दिल्ली में आवासों के आवंटन संबंधी संशोधित नियम लागू करने से पहले उन व्यक्तियों को जिन्हें क्वार्टर आवंटित किए गए थे, श्रेणी से बाहर होने के बाद भी रियायत के रूप में उन्हीं क्वाटरों में रहने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उस श्रेणी में कोई आवास उपलब्ध नहीं थे जिसके वे हकदार थे;

(ख) यदि (क) का उत्तर हां में है तो जिन तारीखों को वे श्रेणी से बाहर हो गए उनकी तैनाती की तारीखें मानकर उन्हें कनिष्ट स्थिति में डालकर उन्हें नियम 7 (2) (ख) के तहत परन्तुक लागू करके उन क्वार्टरों में रहने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि उक्त (ख) में उल्लिखित परन्तुक के लागू होने के कारण व्यक्ति निम्न श्रेणी के क्वार्टरों में अधिक लम्बे समय तक रहते हैं तथा

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 9 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 68-69

इस तरह उन व्यक्तियों को परेशानी होती है जो परिशोधित नियम 4 के तहत उन क्वार्टरों के हकदार हैं क्योंकि वे परन्तुक के लागू होने के कारण आवश्यकता से अधिक समय तक इंतजार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं;

(घ) क्या माननीय सदस्य का सूची 2 और 3 के अंतर्गत नियम 7 (ख) के तहत परन्तुक को हटाकर सभी सम्बंधितों की शिकायतों को दूर करने और पुनः विचार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि नई नीति लागू करके अर्थात् कुल सेवाकाल द्वारा क्वार्टरों के लिए दावे के सम्बंध में वरिष्ठता के निर्धारण की नीति के कारण व्यवहारतः सभी नए लोगों को चाहे वे किसी भी श्रेणी के क्वार्टरों के लिए हकदार रहे हों, बिना क्वार्टरों के रहना पड़ेगा तथा उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा;

(च) उनकी शिकायत को दूर करने की दृष्टि से क्या उनका नियम में संशोधन करने की सम्भावना पर विचार करने का प्रस्ताव है जिससे कि उन नए लोगों के मामलें में जिनको अभी तक क्वार्टर आवंटित नहीं किए गए हैं, वरिष्ठता उनकी भर्ती की तारीख से, तथा अन्यों के मामलों में उस तारीख से जब वे श्रेणी से बाहर हो गए, गिनी जाये; और

(छ) यदि सुझाए गए संशोधन स्वीकार किए गए थे तो क्या उन्हें तत्काल प्रभावी बनाया जाएगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) दण्ड नियम 7 (2) (XX) (ख) के परन्तुक के बजाए, आवास की कमी के कारण ज्यादा प्रभावी हुआ है।

(ग) जी हाँ, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में हम विवश हैं।

(घ) जी नहीं, जब तक सरकार के पास उपलब्ध आवास स्थान में वृद्धि नहीं होगी जो युद्ध के चलते सम्भव नहीं लगती, तब तक ये शिकायतें दूर नहीं हो सकती।

(ङ) मैं नहीं मानता कि ऐसी बात है परन्तु जब तक उपलब्ध आवास आवश्यकता से कम है, तब तक हम जो भी नियम बनाएं कुछ व्यक्तियों को तो कठिनाई होगी ही।

(च) इसका पहले से ही नियमों में प्रावधान है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

116

*बंगाल के श्रम विभाग में कर्मचारियों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति

5. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगाल में कार्यरत उनके विभाग के नियंत्रणाधीन कौन–कौन सी श्रेणियों के कर्मचारियों को एक विशेष रियायत प्राप्त है जिसके अधीन उनको नियंत्रित अथवा घटी हुई कीमतों पर खाद्यानों की पूर्ति की जाती है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा गत जनवरी से प्रति मास उनको नियंत्रित अथवा घटी हुई कीमतों पर चावल, गेहूं अथवा अन्य खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई है;

(ग) इन कर्मचारियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का काम बंगाल में किसे सौपा गया है तथा माल की अनुमानित सीमा क्या है जिसका रख–रखाव उन्हें समय–समय पर करना पडता है ताकि वे अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें तथा बंगाल में प्रति मास औसतन किस कीमत पर तथा किन–किन एजेंसियों द्वारा यह माल खरीदा गया?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य का ध्यान 9 नवम्बर, 1943 को माननीय खाद्य सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न सं. 55 के दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

117

*मजदूरी भुगतान अधिनियम के कार्यकरण में कुछ अनियमितताएं

130. श्री लालचन्द नवलराय : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के कार्यकरण में वर्ष 1939-40 तथा 1940-41 के दौरान रेलवे श्रम पर्यवेक्षक तथा सुलह अधिकारी (रेलवे) द्वारा पाई गई अनियमितताओं की संख्या कितनी थी; यदि बाद के साल में उनमें वृद्धि हुई है तो इसे सुधारने के लिए संबंधित रेलवे प्रशासन को सूचित करने के अलावा

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 9 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 81

सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; यदि कोई कार्यवाही नहीं करने का विचार है, तो क्यों;

(ख) क्या माननीय सदस्य कृपया मजदूरी भुगतान अधिनियम के उस विशेष प्रावधान, अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लेख करेंगे जिसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 15 के अधीन स्थापित प्राधिकारियों के स्थान पर रेलवे प्रशासन को अनियमितताओं की सूचना देने के कार्य को मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो श्रम निरीक्षकों द्वारा मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 15 (3) के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वर्ष 1939-40 तथा 1940-41 के दौरान पाई गई अनियमितताओं की संख्या क्रमशः 3,012 तथा 4158 थीं। हाल ही में रेलवे प्रशासनों को इन अनियमितताओं की पुनरावृति रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निदेश दिए गए हैं। यदि अनियमितताएं लगातार बढ़ती हैं तो अधिनियम की धारा 15 के तहत औपचारिक आवेदन करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। जब व्यक्तिगत मामलों को संतोषपूर्ण ढंग से निपटाया जा सकता है तो सरकार उस धारा के प्रावधानों के औपचारिक रूप से कार्यवाही करने को आवश्यक नहीं समझती।

(ख) मजदूरी भुगतान अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) धारा 15 (3) के प्रावधान आदेशात्मक नहीं है और अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निरीक्षक को रेलवे प्रशासन को सूचना देने तथा शांतिपूर्ण ढंग से दावों को निपटाने से रोक सके।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या इन निरीक्षकों को सिफारिशें करने का पर्याप्त अधिकार है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये अनियमितताएं कम्पनी द्वारा संचालित रेलवे अथवा राज्य द्वारा संचालित रेलवे में भी पाई जाती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : उस प्रश्न के लिए मुझे नोटिस चाहिए।

118

*सुलह अधिकारी (रेलवे) के कार्य

130. श्री लालचन्द नवलराय : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य कृपया 19 फरवरी, 1943 को मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 147 के संबंध में श्री एन.एम. जोशी को दिए गए अपने उत्तर को देखेंगे जिसमें बताया गया था कि वे सुलह अधिकारी (रेलवे) के कार्य के क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार करेंगे और बताएंगे कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है; और यदि हाँ तो क्या इस विषय पर संक्षिप्त वक्तव्य देने का प्रस्ताव रखा गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : प्रश्न अभी तक विचाराधीन है तथा मैं इस समय कोई भी वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्री लालचन्द नवलराय : विचार करने में इतनी देर क्यों हो रही है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा कि मामला विचाराधीन है।

श्री लालचन्द नवलराय : इसमें इतना समय क्यों लग रहा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में इसमें ज्यादा समय नहीं लगा है।

श्री हुसैनभॉय ए.लालजी : यह सक्रिय विचाराधीन होने की अवस्था में कब पहुंचेगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : विचाराधीन की अवस्था अब पूरी हुई है।

श्री गोबिन्द वी. देशमुख : यह मामला कब से विचाराधीन है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : लम्बे समय से और विशेष रूप से उस समय से जब श्री जोशी ने अपना प्रश्न पूछा था।

119

इंजीनियर संस्था

136. श्री अनंग मोहन दाम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या इंजीनियर संस्था एक परीक्षा लेने वाला निकाय है जिसके ए.एम. आई.ई. डिप्लोमा को भारत सरकार इंजीनियरिंग में डिग्री स्तर के समकक्ष मानती है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 231

(ख) क्या सरकार (केन्द्रीय अथवा प्रांतीय) इस संस्था को वित्तीय सहायता देती है; यदि हाँ तो स्वीकृत सहायता की राशि क्या है;

(ग) क्या यह सच नहीं कि महामहिम वायसराय तथा प्रांतीय गर्वनर इस संस्था के संरक्षक तथा अवैतनिक सदस्य हैं;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस संस्था ने रॉयल चार्टर प्राप्त किया है;

(च) क्या यह सच है कि इंजीनियर्स संस्था, भारत द्वारा कराई गई परीक्षाओं को इंग्लैंड में इसकी अन्य संस्थाओं जैसे इन्स्टीट्यूट आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, दी इन्स्टीट्यूट आफ सिविल इंजीनियर्स, दी इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने अभी तक मान्यता नहीं दी है; और

(छ) क्या भारत सरकार ने इस भारतीय संस्था को मान्यता दिलाने के लिए इन ब्रिटिश संस्थाओं से अनुरोध करने के लिए महामहिम की सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस संस्था को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी, परंतु मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं कि क्या प्रांतीय सरकारों ने ऐसा किया है अथवा नहीं।

(ग) महामहिम वॉयसराय तथा प्रांतीय गवर्नर संस्था के अवैतनिक सदस्य हैं।

(घ) जी हाँ,

(च) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(छ) यदि आवश्यक हो तो भारतीय संस्था को ही यह प्रश्न उठाना चाहिए। अतः मैं अपने माननीय मित्र को सुझाव दूंगा कि इस मामले में वे उस संस्था को लिखे।

120

*नई दिल्ली में भारतीय क्लर्कों के लिए बड़े होटल का निर्माण

145. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नई दिल्ली में भारतीय क्लर्कों को भोजन और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जिन्हे इस समय इनके लिए बहुत परेशानियां

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 242-43

उठानी पड़ती हैं, एक बड़े होटल के रूप में बहुमंजिली इमारत बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत सी इमारतें अकेले युरोपीयन नान–कमिशंड अधिकारियों आदि के आवास के लिए बनाई गई है तथा ये होस्टलों के रूप में चलाई जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार अकेले भारतीय क्लर्कों के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार क्लर्कों के लिए होस्टल निर्माण करने की संभावना पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हाँ।

(ग) सरकार द्वारा अकेले भारतीय क्लर्कों के लिए पारम्परिक तथा गैर–पारम्परिक प्रकार की चमरीयां पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं तथा वे विचार कर रहे हैं कि क्या होस्टल के निर्माण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त मांग होगी।

121

*नई दिल्ली स्थित मिन्टो रोड और हेवलॉक स्क्वेयर पूछताछ कार्यालयों में की गई शिकायतों पर ध्यान देने में देरी

@ **147. सरदार संत सिंह :** (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि मिंटो रोड तथा हेवलॉक स्क्वेयर पूछताछ कार्यालयों के पड़ोस में स्थित पारम्परिक क्लर्कों के क्वार्टरों की मरम्मत आदि से संबंधित की गई शिकायतों पर सामान्यतः काफी विलम्ब के बाद ध्यान दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि :–

(i) इन शिकायतों में से कुछ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता; तथा

(ii) डिवीजन "ख" में अन्य प्राधिकारियों को अथवा कार्यपालक इंजीनियर निर्माण III विभाग को इस विषय में भेजे गये पत्रों की पावती भी नहीं भेजी जाती तथा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

(ग) क्या सरकार संबंधित प्राधिकारियों को उन्हें भेजे गए पत्रों की पावती भेजने

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 242-43

@ प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

तथा उन पर उचित कार्यवाही करने के लिए अनुदेश जारी करने के लिए तैयार है; यदि नहीं, तो क्यों;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है :–

(i) कि सफेदी आदि के संबंध में ठेकेदारों द्वारा अपनाएं गए अनियमित तरीकों से उनके किरायेदारों को बहुत अधिक असुविधा हो रही है;

(ii) कि वे व्यक्तियों को क्वार्टरों पर भेजते हैं तथा किरायेदारों को किसी निश्चित दिन क्वार्टर खाली रखने के लिए कहते है, और कई दिनों के बाद भी सफेदी करने वाले मजदूर नहीं भेजे जाते हैं;

(iii) कि जब सफेदी का कार्य पूरा हो जाता है तो दरवाजों और शीशों की तुरंत सफाई नहीं की जाती तथा किराएदार कई दिनों तक अपने घरों को व्यवस्थित करने में असमर्थ रहते हैं;

(च) क्या सरकार अपने किरायेदारों की इन शिकायतों को दूर करने के लिए कार्यवाही करने को तैयार हैं; और यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी नहीं।

(ख) (i) जी नहीं।

(ii) कार्यपालक अभियंताओं द्वारा प्राप्त किए गए पत्रों पर तुरंत कार्यवाही की जाती है तथा सभी पत्रों की पावती भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती।

(ग) जी हाँ।

(घ) (i) (ii) तथा (iii) जी नहीं।

(च) जी हाँ। सरकार का कार्यपालक अभियंताओं को थोड़े–थोड़े समय बाद वैयक्तिक निरीक्षण करने जाने के लिए निदेश जारी करने का विचार है।

122

*नई दिल्ली स्थित बेयरड स्क्वेयर पूर्वी और इर्विन रोड के बीच खुले स्थान पर नव-निर्मित इ-टाइप पारम्परिक क्वार्टर

@ **148. सरदार संत सिंह :** (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य इस बात से अवगत हैं कि नई दिल्ली स्थित बेयरड स्क्वेयर पूर्वी तथा इर्विन रोड के बीच खाली पड़े खुले स्थान पर बड़ी संख्या में इ–टाइप पारम्परिक क्वार्टरों का निर्माण किया गया है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 243-44

@ प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(ख) क्या उनको जानकारी है–

(i) कि यह क्षेत्र अब छोटी गलियों और लेनों वाले शहर के भाग की तरह दिखने लगा है तथा

(ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्तमान अधिकारियों ने नई दिल्ली के नक्शे के मूल विचार को पूरी तरह से नकार दिया है और उक्त क्षेत्र को बहुत भीड़भाड़ वाला बना दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि ई–टाइप के और पारम्परिक क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार "क्लर्को के आवासीय क्षेत्रों" के नए क्वार्टरों को इस ढंग से बनाने की सलाह पर विचार करने को तैयार है जिसमें वे वर्तमान से ज्यादा तंग न हो तथा क्या इन क्वार्टरों के नजदीक खुले स्थानों तथा पार्कों का प्रावधान रखा जाए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) (i) तथा (ii) जी नहीं।

(ग) जी हाँ।

(घ) सरकार ने हमेशा इसी ढंग से कार्य किया है।

123

*नई दिल्ली स्थित हेवलॉक तथा बेयरड स्क्वेयर मे कुछ रास्तों को बन्द करने की वांछनीयता

@ **149. सरदार संत सिंह** : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई दिल्ली के डी. आई. जेड क्षेत्र में डी. टाइप के पारम्परिक क्लर्कों के क्वार्टरों के सभी स्क्वेयरों के चारों कोने रास्ते के रूप में खुले थे;

(ख) क्या यह सच है कि बाद में इन रास्तों को बन्द कर दिया गया;

(ग) क्या उन स्क्वेयरों में क्वार्टरों के सामने पार्कों को बचाने का एक कारण था;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 244-45

@ प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा–पटल पर रखा गया।

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है–

(i) कि हेवलॉक तथा बेयरड स्क्वेयरों में बी और सी–टाइप के क्वार्टरों में किनारे के क्वाटरों को छोड़कर प्रत्येक दो क्वार्टरों के बाद रास्ता था; तथा

(ii) कि कुली और मजदूर इन रास्तों का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तथा पार्कों को विभिन्न स्थानों से पार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन दो स्क्वेयरों में पार्क पॉव के निशान पड़ने से बनी पगडंडियों के कारण विकृत हो गए हैं;

(ङ) क्या सरकार उन रास्तों को बन्द किए जाने तथा इन पगडंडियों पर पुनः घास लगाने को तैयार है; और यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तथा (ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ।

(ङ) सरकार सुझाव पर विचार करेगी।

124

*नई दिल्ली स्थित पारम्परिक क्वार्टरों में अधिक मात्रा में सब्जियाँ उगाना

@ **150. सरदार संत सिंह :** (क) अधिक खाद्यान्न तथा सब्जियां उगाने की सरकार की सामान्य अपील के संदर्भ में क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में पारम्परिक टाइप के क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी अधिक मात्रा में सब्जियाँ उगा सकते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विशेषतया डी–टाइप तथा ई, सी और बी. टाईप के पारम्परिक क्वार्टरों के आंगन सामान्यतया आकार में बहुत छोटे हैं तथा इनको सब्जियाँ आदि की अधिक मात्राओं की पैदावार करने में प्रयोग नहीं किया जा सकता;

(ग) क्या सरकार अपने पारम्परिक क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों को उनके क्वार्टरों के बाहर सब्जियां आदि उगाने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त भूमि आंवटित करने तथा उसके चारों और बाड़ आदि लगाने को तैयार है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 245

@ प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा–पटल पर रखा गया।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इन क्वार्टरों में रहने वाला स्टाफ घरेलू उपभोग के लिए कम मात्रा में सब्जियाँ उगा सकता है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ। यदि प्रस्ताव स्वीकार्य हुआ तो परिणामतः बगीचे जल्दी नष्ट हो जायेंगे। बाड़ लगाना बहुत मंहगा है तथा सरकार इसका प्रावधान नहीं कर सकतीः तथा यह असंभव है कि इन क्वार्टरों में रहने वाला स्टाफ ऐसी अतिरिक्त भूमि का उचित प्रयोग कर सकेगा।

125

सिविल पायनियर फोर्स, संयुक्त प्रांत में कमीशन अधिकारी

29. श्री प्यारे लाल कुरील : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल पायनियर फोर्स, संयुक्त प्रांत में अब तक भर्ती किए गए कमीशन अधिकारियों (विभिन्न श्रेणियों) की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने हिन्दू, मुस्लिम तथा अनुसूचित जाति के है;

(ग) इन कमीशन अधिकारियों में से कितनों की उच्चतर श्रेणियों में पदोन्नति की गई है;

(घ) क्या किसी अनुसूचित जाति के कमीशन अधिकारी की अब तक उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की गई है; तथा

(ङ) यदि (घ) का उत्तर ना में है तो क्या सरकार का अब ऐसी पदोन्नति करने का प्रस्ताव है?

माननीय डा. बी.आर.. अम्बेडकर : (क) तथा (ख) कमीशन पद के पच्चीस अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। अधिकारियों की श्रेणी तथा समुदाय निम्नलिखित है :–

		मुस्लिम	अनुसूचित जाति	अन्य
कमांडेंट	...	...	...	2 (एक ईसाई)
कैप्टेन	...	...	...	2 (एक ईसाई)
लेफ्टिनैंट	...	...	...	7 (एक ईसाई)
सैकेंड लेफ्टिनैंट	...	4	3	7

(ग) प्रथम कमीशन पर इन श्रेणियों में दो कमांडेंट तथा दो कैप्टनों की नियुक्ति की गई थी। सात सैकेंड लेफ्टिनेंटों की लेफ्टिनेंटों के पदों पर पदोन्नति की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) श्रेणियों में रिक्तियां उपलब्ध होने पर उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन, पदोन्नति करने का अधिकार प्रांतीय सरकार को सौंपा गया है। अन्याय को रोकने के अतिरिक्त, इस विषय में, विशेषकर उच्चतर पदों के संबंध में प्रांतीय सरकार के विवेक में हस्तक्षेप करना वांछनीय नहीं है। पदोन्नति दो बातों, अर्थात (1) दक्षता और (2) वरिष्ठता के आधार पर नियत की जाती है। चूंकि यूनिट की दक्षता उसके अधिकारियों की दक्षता पर निर्भर होनी चाहिए, पदोन्नति का आधार दक्षता होना चाहिए। परंतु उस मामले में जहां दक्षता समान है, पदोन्नतियां करने में सेना में सेवा की वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा जाता है।

126

*सिविल पायनियर फोर्स में कमीशन अधिकारियों की सेवाओं को युद्ध सेवाएं मानना

30. श्री प्यारे लाल कुरील : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल पायनियर फोर्स में कमीशन अधिकारियों की सेवाएं युद्ध सेवाएं मानी जाएगी, यदि नहीं, तो क्यों; तथा

(ख) यदि उक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार अपने निर्णय में संशोधन करने का है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 249

127

*युद्धोपरांत सामाजिक सुरक्षा के लिए बिवेरिज रिपोर्ट

229. खान बहादुर मियां गुलाम कादिर मुहम्मद शाहबान : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्धोपरांत सामाजिक सुरक्षा के लिए बिवेरिज रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) क्या युद्ध–समाप्ति के बाद भारत के लिए उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा की योजना है;

(ग) यदि उनका ध्यान अभी तक इस ओर नही गया है तो क्या वे इस देश के लिए "बिवेरिज योजना" की तरह योजना बनाने पर विचार करेंगे; और

(घ) युद्धोपरांत पुनर्निर्माण समिति क्या कार्य कर रही है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यूनाइटेड किंगडम में सरकार को प्रस्तुत की गई बिवेरिज रिपोर्ट पर भारत सरकार को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, भारत सरकार को रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) तथा (ग) मैं माननीय सदस्य का ध्यान त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की सितम्बर, 1943 में हुई अंतिम सभा में इस विषय पर पारित संकल्प की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। संकल्प की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी गई हैं। भारत सरकार संकल्प को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है।

(घ) मैं माननीय सदस्य का ध्यान माननीय पण्डित एच.एन. कुजरूँ के प्रश्न संख्या 74 के उत्तर में माननीय सर ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा 4 अगस्त, 1943 को काउंसिल आफ स्टेट के पटल पर रखे गये वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

6 और 7 सितम्बर, 1943 को नई दिल्ली में हुए त्रिपक्षीय प्लेनरी श्रम सम्मेलन में पारित हुआ संकल्प

यह त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन सिफारिश करता है कि मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की नीति की योजना बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की सरकारों, भारतीय राज्यों और

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 13 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 249

प्रिंस चैम्बर के सहयोग से, सामान्यतः सामाजिक शर्तों:, रोजगार तथा आवास, मजदूरी और आमदनी के प्रश्नों की जांच करने के लिए शीघ्र तंत्र स्थापित करें, तथा अपेक्षित आंकड़े और आधारभूत सामग्री की प्राप्ति के बाद जैसे ही सम्भव हो केन्द्रीय सरकार सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाने के लिए मिली–जुली समिति नियुक्त करे।

128

*नई दिल्ली के डी.आई.जेड. एरिया में पारम्परिक क्लर्कों के क्वार्टरों के सामने बगीचों की उपेक्षा

232. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई दिल्ली के डी.आई.जेड. एरिया में पारम्परिक क्लर्कों के क्वार्टरों के सामने के बगीचों की उचित रूप से देखरेख नहीं की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि ज्यादातर भूमि सूखी घास से ढकी हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि इन बगीचों के साथ सटी सड़कों के सभी किनारों की सीध लगभग खत्म हो चुकी है, तथा सड़कों के कुछ हिस्से घास से ढक चुके हैं जबकि अन्य जगहों में घास पूरी तरह से गायब हो चुकी है तथा वह बजरी और मिट्टी से ढक गई है;

(घ) क्या यह सच है कि इन बगीचों की देखरेख करने के लिए उद्यान प्रभाग द्वारा मालियों को नियमित रूप से काम पर लगाया गया है;

(ङ) क्या माननीय श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि ये माली महीने में एक या दो बार ही बगीचों में पानी देते है तथा अन्य किसी काम की ओर और ध्यान नहीं देते; और

(च) इन बगीचों की उचित ढंग से देखरेख कराने के लिए क्या सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हाँ।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 412

(ङ) माली बगीचों में सिर्फ पानी ही नहीं देते बल्कि उनकी देखरेख भी करते हैं।

(च) प्रश्न ही नही उठता, परंतु सरकार इस विषय में की गई वास्तविक शिकायतों की जांच करने के लिए तैयारी करेगी।

सरदार संत सिंह : क्या माननीय सदस्य ने विभाग द्वारा तैयार किए हुए नोट का उत्तर दिया है अथवा यह जानने के लिए कि क्या प्रश्न में लगाए गए आरोप सही हैं अथवा नहीं उन्होंने इन क्वार्टरों की स्थिति देखने का कष्ट किया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मुझे दी गई सूचना सही नहीं है।

129

*पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम का लागू होना

236. नवाब सिद्दीकी अली खान (काजी अहमद काज्मी की ओर से) : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) वर्ष 1941, 1942 के दौरान तथा 15 अक्टूबर, 1943 तक पूर्वी भारतीय रेलवे में पता लगाए गए मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936 का अधिनियम 4) के उल्लंघन के मामलों की संख्या क्या है;

(ख) 1937 में जबसे यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ, पूर्वी भारतीय रेलवे द्वारा किए गए अपराधों के लिए निरीक्षकों द्वारा मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को किए गए आवेदनों की संख्या क्या है; और

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें धारा 20 के अंतर्गत पूर्वी भारतीय रेलवे अधिकारियों को दण्डित किया गया?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) पूर्वी रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम के उल्लघंनों के मामलों की संख्या 1941-42 के दौरान 334, 1942-43 में 481 तथा 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर, 1943 तक 123 थीं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) कुछ नहीं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 414

130

*पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम का लागू होना

237. नवाब सिद्दीकी अली खान (काजी अहमद काजमी की ओर से) : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे श्रम निरीक्षक, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधीन यदि अपराधियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना चाहें तो उन्हें रेलवे श्रम पर्यवेक्षकों से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है और

(ख) यदि उक्त (क) का उत्तर 'हाँ' में है तो 1937 से वर्षानुवर्ष पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम के उल्लंघनों के मामलों से संबंधित दृष्टांतों की संख्या कितनी है जिनमें ऐसी अनुमति मांगी गई थी और मंजूरी प्रदान की गई?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सिर्फ रेलवे श्रम पर्यवेक्षक तथा उसके डिप्टी ही हैं जिनकी मजदूरी अधिनियम, 1936 की धारा 14 के अधीन निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति की गई है, अतः अवश्य ही अधिनियम के अधीन कोई भी औपचारिक कार्यवाही इन दो अधिकारियों द्वारा ही की जाती है तथा उनकी पूर्व स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

131

**पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम का लागू होना

238. नवाब सिद्दीकी अली खान (काजी अहमद काजमी की ओर से) : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम को प्रभावी तथा उचित रूप से संचालित न कर पाना ही पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम के ऐसे बार–बार उल्लघंनों के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ख) क्या सरकार का रेलवे अधिकारियों द्वारा मजदूरी भुगतान अधिनियम के ऐस उल्लघंनों पर उचित एवं प्रभावी रोक लगाने की दृष्टि से वर्तमान तंत्र में बदलाव करने के औचित्य पर विचार करने का प्रस्ताव है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह सत्य नहीं है। यह तथ्य कि ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं प्रत्येक वर्ष प्रकाश में लाई जाती हैं तथा रेलवे श्रम पर्यवेक्षक के कहने पर ठीक की जाती हैं इस बात को सिद्ध करता है, जो इस उद्देश्य के लिए अब विद्यमान है, कि यह तंत्र पूरी तरह कारगर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

132

*कामगारों के लिए युद्ध बोनस के संबंध में वी.जी. बालवेक का अभ्यावेदन

239. श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या उन्हें कामगारों के लिए युद्ध बोनस के संबंध में 1943 के अक्टूबर माह में केन्द्रीय प्रांतों तथा बेरार प्रांतीय कामगार महासंघ, नागपुर के अध्यक्ष श्री वी.जी. बालवेक से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार एम्प्रेस एण्ड मॉडल मिल्स द्वारा अतिरिक्त युद्ध बोनस से जुड़ी शर्त के बारे में किसी निर्णय पर पहुची है अर्थात् भारत सरकार को निर्णय लेना है कि क्या युद्ध बोनस के रूप में दो महीने से ज्यादा की मजदूरी को ऐसा व्यय माना जा सकता है जिस पर कम्पनी को कोई कर नहीं देना पड़ेगा; यदि हाँ तो उनका निर्णय क्या है; तथा

(ग) यदि मिल मालिक प्रांत में 14 नवम्बर, 1943 तक युद्ध बोनस की उस अतिरिक्त अथवा द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं करेंगे तो 15 नवम्बर, 1943 से केन्द्रीय प्रांतों की कार्य समिति तथा बेरार टेक्सटाइल कामगार महासंघ हड़ताल पर चले जाऐंगे, क्या वे उनके इस निर्णय से अवगत है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी नहीं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 416

(ख) जी नहीं। राजस्व व्यय के रूप में ग्राह्य बोनसों की सीमा का सामान्य प्रश्न विचाराधीन है तथा वर्तमान अवस्था में और जानकारी देना उचित नहीं होगा।

(ग) जी हाँ

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या मैं उन कारणों को जान सकता हूँ जिनकी वजह से शीघ्र निर्णय पर पहुँचना तथा जानकारी देना सम्भव नहीं होगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हम निर्णय पर पहुंचने के लिए जहाँ तक संभव हो सकता है, पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि हड़ताल मेरे अनुदेशों के अधीन ही वापस ली गई हैं कि भारत सरकार इस प्रश्न पर निर्णय लेगी तथा हड़ताल स्थगित करना ही अच्छा था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं कोई जानकारी देने में असमर्थ हूँ।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या भारत सरकार इस बात से अवगत है कि इस तथ्य के कारण कि भारत सरकार ने इस प्रश्न पर पहले निर्णय नहीं लिया केन्द्रीय प्रांतों के टेक्सटाइल कामगारों में अत्यधिक असंतोष है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

133

*धनबाद स्कूल आफ माइन्स में दाखिल हुए छात्र

242. मौलवी मुहम्मद अब्दुल घानी : क्या माननीय श्रमसदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) धनबाद स्कूल आफ माइन्स में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या तथा उसमें 1941, 1942 तथा 1943 के दौरान मुसलमानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मुसलमानों के दाखिले के लिए कोई कोटा निर्धारित है; तथा

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दाखिले कि लिए आवेदन करने वाले मुसलमानों की कुल संख्या कितनी है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 1941, 1942 तथा 1943 में प्रत्येक वर्ष के दौरान 24 विद्यार्थी दाखिल हुए थे। 1941 तथा 1942 में कोई मुसलमान

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खंड 4, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 416

विद्यार्थी दाखिल नहीं हुआ। 1943 में दो दाखिल हुए थे परन्तु एक विद्यालय में नहीं आया।

(ख) जी नहीं; तथा

(ग) 34

डा. सर जियाउद्दीन अहमद : मुस्लिम विद्यार्थियों के दाखिले न होने का क्या कारण है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : क्योंकि वे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए।

डा. सर जियाउद्दीन अहमद : जहाँ तक शैक्षणिक योग्यताओं का प्रश्न है मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो संस्थान में प्रवेश के योग्य हैं। परंतु क्या यह सच नहीं है कि मुसलमानों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती।

माननीय डा. बी आर. अम्बेडकर : मैं नहीं कह सकता। मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए।

मौलवी मुहम्मद अब्दुल घानी : क्या यह सच है कि गत वर्ष अर्हता प्राप्त मुसलमानों ने आवेदन किया था परन्तु उन्हें दाखिल नहीं किया गया।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जी नहीं। क्या मैं माननीय सदस्य को विद्यालय के दाखिले की विधि के बारे में बता सकता हूँ कि सबसे पहले 50 प्रतिशत स्थान प्रवेश परीक्षा के परिणामस्वरूप भर जाते है जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए खुली है। उसके पश्चात् निर्धारित किए हुए कोटे के अनुसार प्रत्येक प्रांत को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक विशेष कोटा भरा जाता है। उसके पश्चात् शेष विद्यार्थियों को नितांत गुणवत्ता के आधार पर लिया जाता है। इस विद्यालय में किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षण बिल्कुल नहीं है।

134

*कोयला के उत्पादन में कमी

250. के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य 20 मार्च, 1943 को विधान सभा में मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित पृष्ठ संख्या 349 के उत्तर में दिए गए अपने इस आशय के वक्तव्य की ओर ध्यान देंगे कि कोयला के उत्पादन में कमी इतनी

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खण्ड 4, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 421-22

कम थी कि इसके बारे में अभी तक कोई विस्तृत जांच नहीं की गई और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गत जनवरी से ब्रिटिश इंडिया और भारतीय प्रांतों/रियासतों दोनों में कोयले के उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि (क) का उत्तर 'हाँ' में है तो क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि जब से इस कमी का पता चला तब से अब तक प्रति मास यह कमी कितनी कितनी रही;

(ग) क्या किसी व्यापार संगठन अथवा व्यापार के किसी सदस्य ने सरकार की सूचना के लिए होने वाले कोयले की कमी के बारे में कोई चेतावनी दी थी और यदि हाँ तो सरकार के समक्ष सबसे पहली बार ऐसी चेतावनी कब आई और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) गत वर्ष के इसी महीने की तुलना में ब्रिटिश इंडिया और भारतीय प्रांतों/रियासतों में 1943 के दौरान कोयले के उत्पादन में कमी आई है। वर्ष के प्रथम पांच महीने में यह कमी कम थी : परन्तु जून के बाद में यह कमी काफी अधिक हो गई।

(ख) वर्ष 1940 कोयले के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उत्पादन का वर्ष था। उसके बाद वर्ष प्रतिवर्ष उत्पादन में कुछ कमी आती गई। यह कमी जून, 1943 से गंभीर अनुपात के साथ अधिक हो गई। यदि 1942 के इन्हीं महीनों के उत्पादन की तुलना की जाए तो इसी वर्ष जून, जुलाई और अगस्त का उत्पादन लगभग 353,000 टन प्रति मास कम हुआ जबकि सितम्बर में 299,000 टन की कमी देखी गई।

(ग) अगस्त, 1943 में इस व्यापार में लगे एक सदस्य द्वारा चेतावनी दी गई थी। सरकार को उस समय तक पहले से ही इस स्थिति का पता लग गया था और सरकार सक्रिय होकर इसके उपचार के साधनों पर विचार कर रही थी। आगे दिए गए कुछ प्रमुख कदम हैं जो इस स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए।

(1) अधिक वैगन उपलब्ध कराए गए ताकि कोयला ले जाया जा सके और यह व्यवस्था विशेष रूप से बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में की गई।

(2) कोयला खानों के भंडार (स्टोर) और मशीनरी को शीघ्र पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(3) अगस्त से महिलाओं को सैंट्रल प्रोवेंसिस ओर बरार के कोयला–क्षेत्रों में भूमिगत स्थलों में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

(4) कोयला क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाइयों से कोयला क्षेत्र के मजदूरों के साथ हस्तक्षेप को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है।

(5) ऐसी योजनाएं तैयार की जा रही हैं कि कोयला क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं और विशेष रूप से खाद्य–सामग्री की अधिक मात्रा उपलब्ध कराई जाए और इस बात के प्रबंध किए जा रहे हैं कि खनन मजदूरों को रियायती दरों पर पर्याप्त राशन दिया जाए।

(6) कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में की जा रही है ताकि खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को प्रोन्नत किया जाए।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य उन प्रमुख कारकों को बताने की स्थिति में हैं जिनकी वजह से कोयला–उत्पादन की यह कमी हुई?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्! मुख्य कारक यह है कि कोयला की कमी का कारण निसंदेह मजदूरों की कमी रही और इसका कारण यह है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन और सैन्य–निर्माण कार्यों द्वारा कोयला क्षेत्र से मजदूरों को हटा लिया गया है। यह गतिविधियाँ लगभग उसी क्षेत्र में प्रारंभ की गई थीं जहाँ कोयला खान स्थिति है।

135

*दिल्ली में आयोजित कोयला व्यापार सम्मेलन

251. के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 23 अक्तूबर को आपकी अध्यक्षता में दिल्ली में कोयला व्यापार और अन्य विषयों से संबंधित प्रतिनिधियों के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोयला के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करना था; यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में इस सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया और इसमें किए गए विचार–विमर्श का क्या परिणाम रहा;

(ख) क्या भारत से युद्ध के प्रयोजनों अथवा अन्य कारणों से कोयले के बढ़े हुए निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता द्वारा किसी सीमा तक कोयले के उत्पादन की वृद्धि के लिए मौजूदा प्रयत्न प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि श्रम विभाग द्वारा सम्मेलन के अतिथियों को जारी किए गए पत्र में भारतीय कोयले की बढ़ती हुई मांग के साथ कोयले के उत्पादन

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खण्ड 4, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 422-23

में लगातार भारी कमी आई है, यह कोयले की मांग भारत और विदेश से आई है और क्या इससे केन्द्रीय सरकार को भारी चिन्ता हो गई है; सर्व प्रथम यह चिन्ता भारत सरकार को कब हुई और इसके कारण कौन सी परिस्थितियां हैं, इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से क्या कार्रवाई की गई है और इसका क्या फल हुआ है, और

(घ) क्या देश में कोयले की आंतरिक सप्लाई सरकार की किसी ऐसी नीति द्वारा किसी भी तरीके से प्रभावित होने वाली है जो सरकार अथवा निजी लेखे के कारण कोयले के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई हो?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ, सरकार का यह विश्वास था कि कोयले के उत्पादन की कमी का एक कारण यह था कि मजदूरों की कमी थी। यदि मजदूरों की कमी को पूरा किया जा सकता था तो कोयले के उत्पादन की कमी को रोका जा सकता था और लक्ष्य के अनुसार आंकड़ों तक उत्पादन संभव हो जाता। सरकार इस बात से चिन्तित थी कि ऐसे किन्हीं भी साधनों में नियोक्ताओं का पूर्ण सहयोग मिले जो इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित किए गए थे। इस वाद–विवाद का मुख्य परिणाम ऐसा समझौता था कि बंगाल और बिहार के नियोक्ताओं के संघ (एम्प्लायर्स एसोसियेशन्स) को अपने मजदूरों के लिए खाद्यान्न और अन्य सामान की सप्लाई के लिए एक जैसे आधार पर योजनाओं को प्रारंभ करना चाहिए तथा भारत सरकार को ऐसी योजनाओं को प्रभावी बनाने में संघों की सहायता करनी चाहिए।

(ख) कोयले के उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है ताकि भारतीय उद्योग की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके जैसा कि उद्योग बढ़े हैं और कोयले के उत्पाद में कमी आ गई है।

(ग) जी हाँ, युद्ध के प्रारंभ होने के समय से सरकार इस बात से चिन्तित है कि कोयले का उत्पादन अधिकाधिक रखा जाए। सबसे अधिक कोयले का उत्पादन 1940 में हुआ। 1940 के आंकड़े की तुलना में 1941 में कोयले के उत्पादन में कुछ कमी आई और 1942 में भी कुछ अधिक कमी आई। ऐसा लगता है कि वर्ष 1943 में 1942 के आंकड़ों की तुलना में कुछ विशेष कमी आएगी।

इस वर्ष के लगभग जून से यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध–उद्योगों, रेलवे और प्रथम महत्व की सैन्य परियोजनाओं जैसे आवश्यक उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ाई गई मांगों की पूर्ति के लिए कोयले का उत्पादन पर्याप्त न था। तदनुसार कोयले के सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयले की सप्लाई का राशन कर दिया गया। इन राशन

की गई मांगों की और बाध्य मांगों की पूर्ति के लिए, जैसा कि उनकी पूर्ति महसूस की गई, सरकार को प्रतिवर्ष 25-65 मिलियन टन कोयले के उत्पादन को आश्वस्त करना था, खपत होते कोयले को उपलब्ध कराया जाएगा। यह सबसे अधिक कोयले की मात्रा है जो इससे पूर्व कभी भी व्यवस्थित नही की गई थी और इसलिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए साधन सबसे अधिक तात्कालिक हो गए थे।

जहां तक कार्रवाई का संबंध है जो इस स्थिति को सुधारने के लिए की गई, माननीय सदस्य का ध्यान उनके तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (ग) में दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। इन उपायों के परिणामों तथा अन्य उपायों के मूल्यांकन के लिए अभी जल्दी है।

(घ) नहीं।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या यह सच है कि कोयला उत्पादन की वृद्धि के लिए महिला मजदूरों को कोयले की खानों में भूमिगत स्थलों में काम करने के लिए लगाया गया था।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने भी ऐसा ही कहा था।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : यदि यह ऐसा है तो क्या माननीय सदस्य यह बताएंगे कि महिला मजदूरों को इन खानों में कब तक काम पर लगाया जाएगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : ठीक है, जब तक आपात्कालीन स्थिति का अन्त होता है।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या माननीय सदस्य मुझे बताना चाहेंगे कि खानों में भूमिगत स्थलों में काम पर लगाई गई महिलाओं की देखभाल के लिए क्या सावधानियाँ बरती गई हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हम उपायों के बारे में विचार कर रहे हैं और यदि मेरे माननीय मित्र अगले सत्र में प्रश्न रखेंगे तो मैं उन्हें कुछ सूचना दे सकूंगा।

श्री के.सी. नियोगी : क्या महामहिम सरकार से कोयले के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहमान) : अगला प्रश्न करिए।

136

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली और कलकत्ता के प्रबंधकों की नियुक्ति

253. एच.ए. साथर एच. इसहाक सैत : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली और कलकत्ता के प्रबंधकों की हाल में नियुक्ति के लिए सबसे वरिष्ठ मुस्लिम सहायक प्रबंधकों के दावों की अवहेलना कर दी गई; यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि क्या भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के प्रबंधक ने मुस्लिम लिपिक को कार्यभार से मुक्त करने के लिए इनकार कर दिया था जिसका हाल ही में नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के कार्यालय में लिपिक के स्थान पर चयन किया गया था जबकि उन्होंने नियंत्रक के कार्यालय, विधान सभा विभाग और आपूर्ति विभाग में लिपिक के पदों के लिए कई गैर–मुस्लिम लिपिकों को कार्यभार से मुक्त किया;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के सहायक प्रबंधक ने लाइनो सेक्शन के 6 मुस्लिम पीस कम्पोजीशन के स्थानांतरण का आदेश दिया, यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं कि इस अनुभाग से इतनी अधिक संख्या में स्थानांतरण किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में प्रूफ संशोधक का पद नए कनिष्ठ वेतनमान के व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा स्थानापन्न प्रबंधक द्वारा भरा गया और पुराने वेतनमान में वरिष्ठ दावेदारों के दावों की अवहेलना की गई; यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकारी मुद्रणालयों के प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों को नियुक्तियाँ और पदोन्नति करने तथा स्थानांतरण के आदेश देने और कतिपय पदों को प्रवरण पदों में घोषित करने के अधिकार हैं; यदि हाँ तो क्या ऐसे मामलों में उनके मार्गदर्शन के लिए कोई नियम बनाए गए हैं;

(च) क्या माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव है कि इस बारे में जाँच की जाए

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खण्ड 4, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 424-25

कि क्या इन नियमों का पालन सभी मामलों में कठोरता से उन अधिकारियों द्वारा किया जाता है; और

(छ) भारत सरकार मुद्रणालयों के प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों में मनमाने और अन्यायपूर्ण कार्यों के बारे में प्रायः अधिक संख्या में की जाने वाली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य ऊपर बताए गए (ङ) में वर्णित शक्तियों के साथ स्वतंत्र समिति के गठन की सलाह पर विचार करेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) जी हाँ। यह ऐसे अनुभागीय अदल–बदल के सामान्य दौर में किया गया जो प्रति तीन महीने के बाद कार्यान्वित किया जाता है ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता को सरल और कठिन कार्य दिया जा सके। तीन गैर–मुस्लिम पीस कम्पोजीटर अन्य मुसलमानों के साथ स्थानांतरित किए गए और दो मुस्लिम पीस कम्पोजीटरों को लाइनों सेक्शन में लाया गया।

(घ) जी हाँ। प्रूफ संशोधक का पद चयन पद होने के कारण उपलब्ध सबसे योग्य व्यक्ति को चुना गया।

(ङ) भारत सरकार मुद्रणालयों के प्रबंधकों को यह अधिकार है कि वे विभागीय हैंड बुक में दिए गए नियमों के अनुसार कतिपय पदों के वर्गों में व्यक्तियों की नियुक्ति करें और उनकी पदोन्नति करें। वे किसी भी पद को चयन पद घोषित नहीं कर सकते।

(च) और (छ) ऊपर बताई विशिष्ट अनियमितताएं अभी तक नहीं हुई हैं। इसलिए प्रस्तावित कार्रवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

श्री एच.ए. साथर एच. इसहाक सैत : इस प्रश्न के भाग (घ) के संदर्भ में मेरे माननीय मित्र ने यह स्वीकार किया कि मुसलमानों के दावों की अवहेलना कुछ कारणवश की गई थी। क्या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि जिन मुस्लिम कार्यकर्ताओं के दावों की अवहेलना की गई उन्होंने 22 वर्ष कार्य किया था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ यद्यपि इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री एच.ए. साथर एच. इसहाक सैत : इसके बाद उन्होंने कहा कि (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हैं। क्या माननीय श्रम सदस्य मुझसे जानना चाहेंगे कि (क) के संबंध में की गई नियुक्तियाँ इसी वर्ष की गई हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए।

137

*कार्मिक संघ (ट्रेड यूनियन) जिन्हें सरकारी प्रकाशन आदि सप्लाई किए गए

35. **श्री मोहम्मद अज़हर अली** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पंजीकृत और गैरपंजीकृत कार्मिक संघों के नाम अलग–अलग क्या हैं जिनके उद्देश्य एक ही प्रांत तक सीमित नहीं हैं;

(ख) उन पंजीकृत और गैरपंजीकृत कार्मिक संघों के नाम अलग–अलग, क्या हैं जिन्हें निःशुल्क सरकारी प्रकाशन दिये जाते हैं;

(ग) उन पंजीकृत और गैरपंजीकृत कार्मिक संघों के नाम अलग–अलग, क्या हैं जिन्हें त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन और समितियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था; और

(घ) भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित विषयों में यदि कोई भेदभाव होता है तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) उन पंजीकृत कार्मिक संघों की सूची जिनके उद्देश्य एक प्रांत तक सीमित नहीं हैं, उपलब्ध सामग्री से संकलित की गई है और वह सूची यहाँ संलग्न की जाती है। गैरपंजीकृत कार्मिक संघों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य केवल उन संघों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके उद्देश्य एक प्रांत तक सीमित नहीं हैं। कुछ बुलेटिन वार्षिक रिपोर्ट आदि की प्रतियाँ दो अखिल भारतीय कामगार संघ (ऑल इंडिया एसोसियेशन ऑफ वर्कर्स) अर्थात् अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस और भारतीय श्रम फैडरेशन के निवेदन पर निःशुल्क दी गई हैं। कोई भी सरकारी प्रकाशन किसी कार्मिक संघ को निःशुल्क सप्लाई नहीं किया जाता।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 4, 1943, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 438-40

(ग) त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के संविधान में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था है जो इस प्रकार है :

(I) श्रम सम्मेलन के लिए –

कर्मचारियों के 11 प्रतिनिधियों में से 4 प्रतिनिधि सरकार द्वारा अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस की सहमति से, 4 प्रतिनिधि सरकार द्वारा भारतीय श्रम फैडरेशन की सहमति से और 3 प्रतिनिधि सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने वाले प्रतिनिधियों के रूप में नामांकित किए जाएंगे।

(II) स्थायी श्रम समिति के लिए –

कर्मचारियों के 5 प्रतिनिधि जिनमें से 4 प्रतिनिधि श्रम सदस्य द्वारा, दो अखिल भारतीय कामगार संघ की सहमति से और पांचवाँ प्रतिनिधि श्रम सदस्य द्वारा स्वतंत्र रूप से नामांकित किया जाएगा। सम्मेलन और समितियों में नामांकन उनके संविधान के अनुसार किए गए हैं और अलग–अलग संघों में कोई भेदभाव करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (ख) और (ग) के उत्तरों से यह स्पष्ट होगा कि कोई भेदभाव नहीं बरता गया।

अलग-अलग प्रांतों में पंजीकृत केन्द्रीय कार्मिक संघ

मुद्रणालय –

1. भारत सरकार मुद्रणालय कामगार संघ (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस वर्कर्स यूनियन)

नाविक –

2. भारतीय सौदागार नाविक अधिकारियों का संघ (इंडियन मर्चेण्ट्स नेवी ऑफीसर्स एसोसियेशन), बम्बई।

विविध –

3. अखिल भारतीय टेलीग्राफ लाइन स्टॉफ संघ, लाहौर।
4. भारतीय चीनी उद्योग कामगार संघ, लखनऊ।
5. भारतीय चीनी मिल संघ, कलकत्ता।
6. भारतीय जूट मिल संघ, कलकत्ता।
7. इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय कर्मचारीवर्ग संघ (इंडियन स्टॉफ एसोसियेशन), कलकत्ता।

8. तम्बाकू निर्माताओं के संघ की केन्द्रीय परिषद् (सेण्ट्रल कौंसिल ऑफ टबाको मेन्यूफेक्चरिंग वर्कर्स यूनियन)।
9. अखिल भारतीय टेलीग्राफ कामगार संघ (आल इंडिया टेलीग्राफ वर्कर्स यूनियन), लाहौर।
10. भारतीय दक्षिण प्रांत चीनी विपणन बोर्ड (दी इंडियन सदर्न प्राविन्सेज शुगर मार्केटिंग बोर्ड), मद्रास।

रेलवे और परिवहन –

11. नार्थ वेस्ट रेलवे जूनियर क्लर्क्स एसोसियेशन।
12. बंगाल असम रेल रोड वर्कर्स यूनियन।
13. असम बंगाल रेलवे एम्प्लाईज एसोसियेशन।
14. ईस्ट इंडिया रेलवे एम्प्लाईज एसोसियेशन, कलकत्ता।
15. बंगाल एण्ड असम रेलवे एम्प्लाईज एसोसियेशन।
16. बी.एन.आर. एम्प्लाईज यूनियन, कलकत्ता।
17. बी.एन. रेलवे इंडियन लेबर यूनियन, खरगपुर।
18. नार्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लाईज यूनियन, कराची।
19. जी.आई.पी. रेलवे मेन्स यूनियन, बम्बई।
20. जी.आई.पी. रेलवे एकाउंट्स स्टॉफ यूनियन, बम्बई।
21. बी.बी. एण्ड सी.आई. रेलवे एम्प्लाईज, एसोसियेशन, अहमदाबाद।
22. बी.बी. एण्ड सी.आई. रेलवे मेन्स यूनियन, बम्बई।
23. नेशनल यूनियन ऑफ रेलवे मेन ऑफ इंडिया एण्ड बर्मा, बम्बई।
24. बी.बी. एण्ड सी.आई. रेलवे एम्प्लाईज यूनियन, बम्बई।
25. जी.आई.पी. रेलवे कांट्रेक्टर्स एण्ड लाइसेंस्ड कुलीज़ यूनियन, भुसावल।
26. एन.डब्लू. रेलवे एकांउट्स यूनियन, लाहौर।
27. एन.डब्लू. रेलवे यूनियन, लाहौर।
28. ईस्ट इंडिया रेलवे मेंन्स यूनियन, लखनऊ।
29. रेलवे वर्कर्स एसोसियेशन, मुरादाबाद।

30. ईस्ट इंडिया रेलवे गार्डस एसोसियेशन, लखनऊ।

31. रेलवे वर्कमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया, इलाहाबाद।

32. बी.एन. रेलवेमेन्स एसोसियेशन, गोरखपुर।

33. ई.बी. रेलवे वर्कर्स यूनियन।

34. एसोसियेशन ऑफ एकांउटेंट्स, ई.आई. रेलवे।

35. एसोसियेशन ऑफ एकांउटेंट्स, एन.डब्लू. रेलवे, लाहौर।

36. ऑल इंडिया रेलवे मेकेन्किल वर्कर्स फेडरल यूनियन, लाहौर।

37. दिल्ली सोनीपत बस सर्विस यूनियन, सोनीपत।

38. इत्तिहाद मोटर यूनियन, पानीपत।

39. नार्थ वेस्ट रेलवे गार्डस एसोसियेशन, लाहौर।

40. फेडरेटेड यूनियन ऑफ द एन.डब्लू. रेलवे वर्कर्स, लाहौर।

41. यूनियन ऑफ दी ई.आई. रेलवे टिकट चेकिंग स्टॉफ, कलकत्ता।

42. ई.आई. रेलवे ज्वाइंट हैंड्स यूनियन, हुगली।

43. ऑल–इंडिया रेलवे मेन्स यूनियन, नागपुर।

44. यूनाइटेड यूनियन ऑफ एन.डब्लू.आर. वर्कर्स, लाहौर।

45. दिल्ली–गढ़मुक्तेश्वर मोटर एसोसियेशन।

46. ईस्ट इंडिया रेलवे मुस्लिम एम्प्लाईज एसोसियेशन, लखनऊ।

47. एस.एस. लाइट रेलवे एम्प्लाईज यूनियन, सहारनपुर।

48. बी.एन.डब्लू. रेलवे वर्कर्स एसोसियेशन, गोरखपुर।

49. ई.आई. रेलवे वर्कर्स एसोसियेशन, कलकत्ता।

50. द मद्रास एण्ड सदर्न महराठा रेलवे एम्प्लाईज़ यूनियन, पेरामबूर, मद्रास।

51. द साऊथ इंडियन रेलवे लेबर यूनियन, गोल्डन रॉक, त्रिचनापली।

52. द साऊथ इंडियन रेलवे एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, विल्लूपुरम्।

53. दी आल–इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन, माइलापुर, मद्रास।

138

*"समझौता अधिकारी" (रेलवे) और रेलवे मजदूरों के पर्यवेक्षक के कार्यालय में साम्प्रदायिक गठन

1. **श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समझौता अधिकारी (रेलवे) और रेलवे मजदूरों के पर्यवेक्षक के कार्यालय में कितने लिपिक हैं;

(ख) दिसम्बर, 1942 से फरवरी, 1944 के दूसरे सप्ताह तक अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर रेलवे मजदूरों के लिए कितने निरीक्षक नियुक्त किए गए; और

(ग) इन नियुक्तियों में से कितनी नियुक्तियाँ आगे दिए गए वर्गों में से की गईं –

(i) दलित वर्ग,
(ii) सवर्ण हिन्दू,
(iii) मुसलमान, और
(iv) अन्य सम्प्रदायों के सदस्य?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) ग्यारह जिसमें एक स्टेनोग्राफर सम्मिलित है।

(ख) दिसम्बर, 1942 से जनवरी, 1944 तक केवल पाँच अस्थायी निरीक्षक नियुक्त किए गए।

(ग) (i) तीन, (ii) और (iv) कोई नहीं, (iii) दो।

139

**रेलवे मजदूरों के मुस्लिम निरीक्षक

2. **श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अस्थायी तौर पर रेलवे के मजदूरों के निरीक्षकों के पद पर सेवा की और जो प्रशिक्षित व्यक्ति उस समय

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खण्ड 1, 7 फरवरी, 1944, पृष्ठ 24-25
** वही, पृष्ठ 25

थे जब श्री जादव की समझौता अधिकारी (रेलवे) के पद पर पहली बार नियुक्ति की गई; और

(ख) इन निरीक्षकों में से कितने निरीक्षक मुसलमान थे और कितने मुसलमानों को जिन्होंने अस्थायी रूप से निरीक्षक के पदों पर सेवा की, स्थायी अथवा अर्ध-स्थायी रिक्त स्थानों में नियुक्ति के अवसर दिए गए थे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) दो।

(ख) दोनों ही मुसलमान थे। एक ने अन्यत्र नियुक्ति प्राप्त कर ली है और दूसरा रेलवे मजदूरों के निरीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा है।

140

रेलवे मजदूरों के निरीक्षकों के पदों पर दलित वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्तियां

3. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ढाका, टाटानगर, अजमेर, आसनसोल और जलपाईगुड़ी में कार्य कर रहे रेलवे मजदूरों के पांचों निरीक्षक केन्द्रीय सिविल आपूर्ति विभाग या सैन्य विभाग में सिविल श्रम-कल्याण अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिए गए;

(ख) क्या यह सच है कि इन सभी पांच स्थानापन्न रिक्तियों पर, जो काफी दिन से हैं और युद्ध काल तक रहेंगी, पांच दलित हिन्दू निरीक्षकों की समझौता अधिकारी (रेलवे) और रेलवे मजदूर पर्यवेक्षक ने उन मुस्लिम उम्मीदवारों के दावों की अवहेलना करके जो छः माह से अधिक समय से कार्य कर रहे थे और प्रशिक्षित थे, नियुक्तियां की है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ, परन्तु सभी प्रतिनियुक्तियाँ सिविल आपूर्ति विभाग में या सिविल श्रम-कल्याण अधिकारी के रूप में नहीं की गईं।

(ख) नहीं, जैसा कि सदस्य के प्रश्न संख्या 1 के भाग (ग) के उत्तर से स्पष्ट है।

141

*रेलवे मजदूरों के निरीक्षकों के पदों पर दलित वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्तियां

4. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे मजदूरों के पाँच निरीक्षकों के पद काफी समय से स्थानापन्न रूप से रिक्त थे क्योंकि दो मुसलमान थे अर्थात् श्री ए. हमीद और श्री ए. करीम, एक सिख, श्री टी. सिंह और दो सवर्ण हिन्दू प्रतिनियुक्ति पर चले गए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सच है कि प्रतिनियुक्तियों के कारण रिक्त स्थान बने।

142

@रेलवे मजदूरों के निरीक्षकों के पदों पर दलित वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्तियां

5. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे मजदूरों के निरीक्षकों के पद पर दलित वर्ग की पाँच नियुक्तियां किसी विज्ञापन के बिना और चयन बोर्ड के चयन के बिना की गईं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, केवल तीन अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई। विज्ञापन अथवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती नहीं की गई।

143

#रेलवे मजदूरों के निरीक्षकों के पदों पर दलित वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्तियां

6. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) द्वारा

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 7 जनवरी, 1944, पृष्ठ 25

@ वही।

वही, पृष्ठ 26

किसी चयन के बिना पाँच दलित वर्ग के व्यक्तियों को निरीक्षकों के पदों पर नियुक्त करना न्यायोचित था; क्या वे बम्बई के अपने ही प्रांत के संबंधियों में से हैं;

(ख) क्या समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक, (रेलवे मजदूर) द्वारा अपने ही संबंधियों और अपने ही सम्प्रदाय के लोगों को लिपिक और निरीक्षक के पदों पर नियुक्त करना न्यायोचित था; क्या माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि अन्य प्रांतों में भी योग्यता प्राप्त दलित वर्ग के उम्मीदवार थे;

(ग) उन व्यक्तियों के दावों पर विचार क्यों नहीं किया गया जिन्होंने निरीक्षकों के रूप में स्थानापन्न व्यक्तियों की विश्वसनीयता पर एक बार सेवा की थी, और

(घ) रेलवे मजदूरों के पर्यवेक्षक ने चयन बोर्ड से परामर्श किए बिना निरीक्षकों की नियुक्ति क्यों की?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क), (ग) और (घ) मैं पिछले प्रश्न के अपने उत्तर का संदर्भ देना चाहूंगा। नियुक्त किए गए उम्मीदवार समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) से सम्बन्धित नहीं थे।

(ख) मैंने निरीक्षकों के संबंध में सूचना दी है। ग्यारह लिपिकों के संबंध में केवल एक लिपिक अनुसूचित जाति का है जिसे समझौता अधिकारी (रेलवे) ने नियुक्त किया है।

144

*रेलवे मजदूरों के निरीक्षकों के पदों पर दलित वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्तियां

7. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : क्या माननीय श्रम सदस्य रेलवे मजदूरों के निरीक्षकों के पांचों रिक्त पदों को एक चयन बोर्ड बनाकर भरने की वांछनीयता पर विचार करेंगे ताकि सभी समुदायों के न्यायोचित दावे खतरे में न पड़ें?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : निरीक्षकों के पदों को भरने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 7 फरवरी, 1944, पृष्ठ 26

145

*समझौता अधिकारी (रेलवे) और रेलवे मजदूरों के पर्यवेक्षक के कार्यालय में बंगाली निरीक्षक

8. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि समझौता अधिकारी (रेलवे) और रेलवे मजदूरों के पर्यवेक्षक के कार्यालय में कितने बंगाली निरीक्षक हैं; यदि केवल एक बंगाली है, तो इससे अधिक बंगाली नियुक्त क्यों नहीं किए गए; और

(ख) क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों में ही अनेक योग्यता प्राप्त बंगाली थे जो अवसर की प्रतीक्षा में हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) दो।

(ख) नियुक्ति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त बंगाली उपलब्ध हैं परन्तु इस प्रश्न के पीछे जो अनुमान है, कि उम्मीदवार के प्रांत के संदर्भ के साथ नियुक्तियां की गई हैं सही नहीं है।

146

@श्री डी.जी. जादव, समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) की योग्यताएं

9. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्री डी.जी. जादव इस समय भारत सरकार में समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) हैं; यदि हाँ तो उनकी योग्यताएं क्या हैं; क्या वह इससे पूर्व सरकारी सेवा या रेलवे सेवा में लगे थे;

(ख) क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) के कार्यालय में श्री अब्दुर रहमान पुरी प्रधान लिपिक थे और उन्हें पदावनत करके निरीक्षक बना दिया गया है और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 7 फरवरी, 1944, पृष्ठ 26

@ वही।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ, श्री डी.जी. जादव इस समय इस पद पर आसीन हैं। श्री जादव अपनी मौजूदा नियुक्ति से पूर्व बम्बई विधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे। पिछड़े वर्ग के बोर्ड, बम्बई के निर्वाचित सदस्य के अलावा उन्होंने कई चयन समितियों, विकास बोर्ड, सलाहकार समितियों में काम किया और वह पूर्व खानदेश के जिले में सहकारी समितियों के मध्यस्थ रहे। उन्होंने बी.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कर ली हैं। वह 1934 में बी.ए. हो गए थे और उन्होंने 1940 में एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त कर ली थी। वह इससे पूर्व सरकारी अथवा रेलवे सेवा में नहीं थे।

(ख) माननीय सदस्य संभवतः श्री अब्दुल हमीद पुरी का उल्लेख कर रहे हैं। उन्हें प्रधान लिपिक की नियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने के बाद निरीक्षक के स्थायी पद पर बहाल कर दिया गया।

147

*समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर)

10. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) के पदों पर इन पदों के सृजन के समय से कौन कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या माननीय श्रम सदस्य यह वांछनीय समझते हैं कि इस पद को आई.सी.एस. अधिकारी के समान माना जाए अथवा अन्यथा अनुभवी अधिकारी को समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) माना जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) के संयुक्त पद पर श्री खलीली, आई.सी.एस. काम कर रहे थे और उनकी नियुक्ति श्री जादव से पूर्व की गई थी।

(ख) मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि यह पद केवल आई.सी.एस. अधिकारी द्वारा भरा जाए अथवा इस पद पर ऐसे अन्य व्यक्ति को लगाया जाए जो सरकारी अधिकारी के रूप में अनुभव रखते हैं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 7 फरवरी, 1944, पृष्ठ 26-27

148

*ब्रिटिश इंडिया और रियासतों में कोयले का उत्पादन आदि

19. श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1941, 1942 और 1943 में ब्रिटिश इंडिया और रियासतों में अलग–अलग कोयले का उत्पादन कितना था;

(ख) वर्ष 1941, 1942 और 1943 के 31 दिसम्बर को ब्रिटिश इंडिया तथा रियासतों में कोयले का स्टॉक कितना था; और

(ग) वर्ष 1941, 1942 और 1943 में ब्रिटिश इंडिया तथा रियासतों/राज्यों में कोयला खानों से कितना कोयला, जिसमें कोयला खदान का उपयोग भी शामिल है प्रेषित किया गया?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) ब्रिटिश इंडिया और रियासतों में कोयले का उत्पादन वर्ष 1941 और 1942 में इस प्रकार था :

	1941	1942
ब्रिटिश इंडिया	26,088,600	25,949,800
रियासतें	3,260,400	3,385,100

(ख) ब्रिटिश इंडिया में कोयले का स्टॉक 31 दिसंबर 1941 को 2,767,500 टन और 3 दिसंबर 1942 को 2,521,600 टन का अनुमान सी.आई.एम. ने लगाया था। कोयला खानों से बताए गए आंकड़े अधिक बढ़ा चढ़ा कर पाए गए जब उन आंकड़ों की जांच सी.आई.एम. ने की। रियासतों के स्टॉक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ब्रिटिश इंडिया की कोयले की खानों से कोयले की खानों के उपभोग को शामिल करके कोयले का प्रेषण वर्ष 1941 और 1942 में क्रमशः 24,257,700 टन तथा 22,695,800 टन रहा। राज्यों में कोयले की खानों के उपयोग को छोड़कर कोयले का प्रेषण वर्ष 1941 और 1942 में क्रमशः 3,243,200 टन तथा 3,370,500 टन रहा। राज्यों में कोयला खानों के उपभोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 1943 के आंकड़े इस समय बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 7 फरवरी, 1944, पृष्ठ 37-38

149

*कोयले की स्थिति

20. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कोयला का उत्पादन देश की आवश्यकताओं से कितना कम है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में खानों के प्रधान निरीक्षक ने अलग–अलग खानों के स्टॉक को मापा और जैसा कि अलग–अलग खानों से रिपोर्ट की गई थी, उसके अनुसार स्टॉक में कमी पाई गयी और यदि हाँ तो कमी की मात्रा कितनी है और इस बारे में क्या स्पष्टीकरण दिया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है कि देश की आवश्यकताओं से इस समय कोयले का उत्पादन कितना कम है।

(ख) मई, 1943 के अंत में कोयले के स्टॉक की जांच की गई और 20 लाख से ऊपर कमी पायी गयी। 1942 के दौरान अनेक कोयला खानों ने अपने उत्पादन के काल्पनिक आंकड़े दिए ताकि वे आवंटन में अधिक वेगन प्राप्त कर सकें। अनेक कोयले खानों के विरुद्ध अशुद्ध आंकड़े दिए जाने के बारे में कार्रवाईयां की जा रही हैं। अब समय समय पर जाँच की जाती है।

150

@कोयला खान सुरक्षा (माल-भराई) संशोधन विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं कोयला खान सुरक्षा (माल–भराई) अधिनियम, 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

> "कि कोयला खान सुरक्षा (माल–भराई) अधिनियम, 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 7 फरवरी, 1944, पृष्ठ 55

@ वही।

151

*कोयला खानों में भूमिगत स्थलों में कार्य पर लगी महिलाओं के रोजगार की पाबन्दी का हटाया जाना

सभापति (माननीय सर अब्दुर रहीम) : अगला प्रस्ताव श्रीमती रेणुका रे के नाम से है। उनकी इच्छा है कि झीरिया और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में कोयला खानों में भूमिगत स्थलों में कार्य करने वाली महिलाओं को दी गई अनुमति के प्रश्न पर विचार–विमर्श किया जाए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं केवल एक ही विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो इस मामले में हैं जिसे इस स्थगन प्रस्ताव पर उठाने की अनुमति मांगी गई है। यह मामला हाल ही की घटना नहीं कहा जा सकता। मूल विज्ञप्तियां दो हैं जिनके अधीन निषेधाज्ञाओं को हटा दिया गया था; एक 2 अगस्त, 1943 की है और दूसरी 18 अगस्त, 1943 की है। तारीख 24 नवम्बर, 1943 की विज्ञप्ति केवल उस विज्ञप्ति के अनुक्रम में है जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं और वह अगस्त 1943 की नहीं है। अगस्त में विज्ञप्तियों के जारी किए जाने के बाद विधानमंडल के सत्र का आयोजन किया गया था।

सभापति महोदय (सर अब्दुर रहीम) : वह विज्ञप्ति क्या थी? क्या महिलाओं को भूमिगत स्थलों में कार्य करने की अनुमति दी गई थी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : जी हां, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव की इन औपचारिक आपत्तियों पर मैं कोई मंच नहीं बनाना चाहता और यदि सदन इस मामले में विचार–विमर्श करना चाहता है तो मैं भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हूं।

श्री एन.एम. जोशी (नामांकित गैर–सरकारी) : क्या मैं इस विषय में कुछ कह सकता हूं? यद्यपि भारत सरकार ने विधान–सभा के गत सत्र से पूर्व अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी थी तथापि सबसे महत्वपूर्ण कोयला खदानों में हाल ही में उन्हें प्रभावी बनाया गया। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यह विषय महत्व का है और यह हाल की की घटना है।

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहमान) : अगस्त की विज्ञप्ति झीरिया और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से संबंधित नहीं है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 7 फरवरी, 1944, पृष्ठ 93

श्री एन.एम. जोशी : नहीं।

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : क्या इन क्षेत्रों को विज्ञप्तियों से अलग कर दिया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था के क्रम में आगे बढ़े हैं। इस निषेधाज्ञा को उठाने का भारत सरकार का इरादा 2 अगस्त; 1943 का था। यह स्माइल प्राविनसेज और बरार प्रांतों पर लागू किया गया था।

श्रीमती रेणुका रे (नामांकित गैर–सरकारी) : क्या मैं बता सकती हूं कि 2 और 18 अगस्त, 1943 की विज्ञप्तियों का विरोध किया गया था परन्तु सरकार ने उन विरोधों की ओर ध्यान नहीं दिया। चाहे कुछ भी मामला क्यों न हो, मैंने केवल झीरिया और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया है तथा इनसे संबंधित विज्ञप्तियां विधानमण्डल के अन्तिम सत्र के बाद लाई गई।

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : यदि ऐसा है और प्रभारी श्रम सदस्य को इस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तो इस प्रस्ताव पर 4 बजे बहस की जाएगी।

152

*भारत में कोयले का संरक्षण

80. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या पटना विश्वविद्यालय में दिसंबर, 1943 में दिए गए कतिपय भाषणों के दौरान डॉ. एच.के. सेन, निदेशक, इंडियन लैक रिसर्च इन्स्टीट्यूट (भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान), रांची और अध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड की ईंधन अनुसंधान समिति द्वारा भारतीय कोयला के संरक्षण के प्रश्न पर की गई टिप्पणियों पर माननीय श्रम सदस्य का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रश्न समय–समय पर सरकार के विचारार्थ अलग–अलग विशेषज्ञों ने उठाया है; यदि हाँ तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है;

(ग) जैसा कि डॉ. सेन ने अपने भाषण में बताया था, कम ग्रेड के कोयला को रेलवे में उपयोग किया जाना चाहिए, क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है अथवा भविष्य में कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 10 फरवरी, 1944, पृष्ठ 203-4

(घ) देश में वर्तमान कोयला की स्थिति की कठिनाइयों को विशेष रूप से दृष्टि में रखते हुए क्या इन प्रश्नों पर शीघ्र विचार किया जा रहा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) जी हां।

(i) 1939 में भारत सरकार ने कोल माइन्स स्टोइंग एक्ट पारित किया। स्टोइंग के लिए सहायता दी और इसके फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता के कोयले के संरक्षण में पर्याप्त सफलता मिली है।

(ii) 1939 में पारित इंडियन कोल माइन्स ऐयूलेशन्स के अधीन कतिपय विनियम के अन्तर्गत कार्य के आयामों पर प्रतिबंध लगाए गए जो सुरक्षा के अलावा कोयले के संरक्षण के लिए विशेष सहायक रहे।

(ग) एम्सपर्ा कम्बशन इंजीनियरों को कोयला वितरण के नियंत्रण के कार्यालय के साथ सम्बद्ध किया गया है, इनके कर्त्तव्यों में से एक कर्त्तव्य यह होगा कि उद्योगों के बारे में आश्वस्त किया जाए कि वे निचले स्तर के कोयले की खपत कर लेते हैं और उन्हें उच्च स्तर के कोयले की सप्लाई नहीं की जाती। प्रान्तीय सरकारों की सहायता मांगी गई है ताकि कम्बशन इंजीनियरों के परामर्श के अनुसार बॉयलर निरीक्षकों की एजेन्सी द्वारा कोयले के खपत करने वाले कारखानों का सर्वेक्षण किया जाए। सरकार जोरदार ईंधन की बचत के आंदोलन को महत्व देती है और इसकी ओर पहले ही से कोयला आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। रेलवे की मांगों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु अधिक मात्रा में निम्न स्तर के कोयले की सप्लाई की जाती है।

(घ) इन प्रश्नों पर सरकार लगातार विचार कर रही है।

श्री के.सी. नियोगी : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने कहा कि उनका ध्यान उन बातों की ओर नहीं उठाया गया जिनका मैंने उल्लेख किया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा ध्यान उन भाषणों की ओर नही दिलाया गया जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है।

श्री के.सी. नियोगी : परन्तु समाचारपत्रों में इन भाषणों की चर्चा की गई थी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसा हो सकता है।

श्री के.सी. नियोगी : परन्तु क्या यह आशा नहीं की जाती कि माननीय सदस्य को ऐसी महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना चाहिए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रत्येक ऐसी बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है।

श्री के.सी. नियोगी : परन्तु महानुभाव एक उत्तरदायी प्रतिष्ठा रखते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य उसकी एक प्रति मेरे पास भिजवा दें। मैंने अभी तक वह टिप्पणी नहीं देखी है।

श्री के.सी. नियोगी : यह खेद की बात है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि वर्तमान कोयला आंदोलन में वह यह देखेंगे, जहां तक संभव है और जिस अनुपात में संभव है कि निम्न स्तर का कोयला इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने पहले ही कहा है कि सरकार ने इस दिशा में पहले ही साधन अपनाए हैं।

श्री के.सी. नियोगी : मैं वर्तमान कोयला आंदोलन के संबंध में माननीय सदस्य का आश्वासन चाहता था।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : निश्चय ही ऐसा होगा।

श्री हुसीनभाई ए. लाला जी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कितने विशेषज्ञ काम पर लगाए गए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के लिए नोटिस चाहिए।

153

*कोयले की स्थिति

82. **सर एफ.ई. जेम्स** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोयला–उत्पादन की अद्यतन स्थिति क्या है और क्या 1 दिसंबर, 1943 से कोयले के उत्पादन में कोई वृद्धि या कमी हुई है, और यदि हाँ तो इसकी मात्रा क्या है;

(ख) क्या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि अनेक कोयले की खानों में बिल्कुल काम नहीं होता अथवा वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाती;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 10 फरवरी, 1944, पृष्ठ 205-7

(ग) मजदूरों की व्यवस्था, खाद्यान्न, यंत्रीकरण और कराधान समायोजन के विशेष संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) (i) कोयला–खानों के उन अड़ियल मालिकों से निपटने के लिए जो जानबूझ कर यथासंभव अधिकतम कोयला–उत्पादन से बचते हैं; और

(ii) कोयला का दक्षतापूर्ण ढंग से वितरण सुनिश्चित करने तथा कोयले को काले बाजार में जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या रेलवे की कोयला–खानें अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) कोयला–उत्पादन में अभी हाल ही में कुछ सुधार हुआ है। दिसंबर 1943 में कोयला उत्पादन में नवम्बर की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। जनवरी के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं; परन्तु यह विश्वास किया जाता है कि अभी अधिक वृद्धि हो गई है।

(ख) सरकार अभी तक ऐसी खानों से अवगत नहीं है जहां सुरक्षा और मितव्ययता से काम किया गया है और कुछ ऐसी खानों से अवगत नहीं है जो बन्द कर दी गई है। अनेक खानों में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं हो सका क्योंकि मजदूरों अथवा मशीनरी की कमी रही अथवा गत मानसून में उनमें पानी भर गया।

(ग) (i) 10,000 व्यक्तियों तक सरकारी मजदूरों का बल बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में तैनात किया गया है ताकि वे मजदूर कोयला खोदने और कोयले के उठाने का कार्य कर सकें। यह आशा की जाती है कि वे कुछ अनुभव प्राप्त करके भूमिगत कार्य करने लगेंगे। प्रथम पारी में 1,000 व्यक्ति पहले ही आ चुके हैं। 1,000 व्यक्तियों के बल को कोयला ढोने के लिए अस्थायी तौर पर सेना ने उपलब्ध करा दिया है। सरकारी मजदूरों को रेलवे की कोयला–खानों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है और हैदराबाद में सिंगरेनी कोयला खानों के लिए सरकारी मजदूरों की व्यवस्था की गई है। इस बात के लिए भी कदम उठाए गए हैं कि खानों में कार्य करने वाले मजदूरों को कोयला–क्षेत्र के अन्य कार्यों पर न लगाया जाए।

(ii) खनन संघ (माइनिंग एसोसियेशन) इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे अपने मजदूरों को खाद्यान्न 6 सेर प्रति रुपया उपलब्ध कराएं। भारत सरकार प्रान्तीय सरकारों के साथ खानों में कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं और उनके आश्रित लोगों को कुछ मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रबंध कर रही है। इसके अलावा, 1939 के स्तर से अधिक उनकी मजदूरी और मंहगाई भत्ता में 50 प्रतिशत

की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार सभी कोयले की खानों के मालिकों को इस प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है कि वे उत्पादन बोनस दें जिसका आधार या तो उपस्थिति या उत्पादन हो और यह समझा जाता है कि अनेक कोयला खानों के मालिकों के पहले ही बोनस प्रारंभ कर दिए हैं।

(iii) इस बात का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है कि विदेश से मशीनरी मंगाई जाए। सरकार अधिक लाभ कर और ऐसी मशीनरी के कम लिए गए मूल्य पर 50% वार्षिक दर से खरीदी जाने वाली कोयला काटने की मशीनरी पर आयकर की छूट देने की अनुमति के लिए तैयार है। इस व्यापार में लगे व्यापारियों से पूछा गया है कि क्या वे ऐसी शर्तें स्वीकार करेंगे और यदि ऐसा है तो वे उस मशीनरी के विवरण भेजें जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

(iv) उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव इस व्यापार में लगे व्यापारियों के साथ विचाराधीन है कि यह प्रोत्साहन अधिक लाभ कर से मुक्त करके उत्पादन में वृद्धि के लिए बोनस दिए जाएं।

(v) इस बात के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता सामान, मानक कपड़ा और चिकित्सा भंडार की व्यवस्था की जाए।

(घ) (i) सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है कि कोई भी कोयला खान का मालिक जान–बूझ कर यथासंभव अधिकतम कोयला–उत्पादन से अपने को दूर रखे। फिर भी इस प्रकार की संभावना से बचाव के लिए एक योजना विचाराधीन है और कोयला–आयुक्त द्वारा इस व्यापार में लगे लोगों के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है ताकि प्रत्येक कोयला खान के लिए कोयला–उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि कोई कोयला–खान का मालिक लक्ष्य के अनुसार कोयला उत्पादन का टन भार पैदा नहीं कर सकता तो कोयला–आयुक्त जब तक वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि इस कमी के लिए ठोस कारण हैं, कोयला–खान के मालिक को एक चेतावनी देगा कि यदि यह कमी बराबर बनी रही तो सरकार उसकी खानों पर अपना अधिकार कर लेगी और यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो सरकार कोयला–खानों को सीधे ही अपने हाथ में ले लेगी।

(ii) परिषद की युद्ध संसाधन समिति द्वारा स्वीकृत राशनिंग योजना के अनुसार युद्ध परिवहन विभाग के निदेश के अधीन कोयला वितरण के आयुक्त द्वारा कोयले का वितरण किया जाता है। कोयले के सभी प्रेषण लाइसेंसों के द्वारा किए जाते हैं तथा कोयला वितरण कार्यालय के नियंत्रण द्वारा जारी किए गए प्राथमिकता के प्रमाणपत्रों के द्वारा कोयले का प्रेषण किया जाता है। ये प्रेषण सामान्य राशनिंग

अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक उद्योग के लिए नियत कोटे पर आधारित होते हैं तथा विभिन्न उद्योगों से संबंधित विभागों द्वारा की गई सिफारिशों के साथ एक जैसे होते हैं। दिन–प्रति–दिन ब्यौरेवार अनुदेश प्रत्येक कोयला खान को जारी किए जाते हैं जिनका संबंध उस परेषिती से होता है जिनके लिए कोयला भरा जाना चाहिए। कोयला–खानों के मालिकों की ओर से वास्तविक लदान का तौल डिपो स्टेशन पर चैक किया जाता है। डिपो स्टेशन द्वारा एकत्र किए गए विवरण आवंटन कार्यालयों द्वारा फिर से जांचे जाते हैं। रेलवे और नियंत्रण संगठन के अधीन काम करने वाले निरीक्षक आगमन स्टेशनों तथा गंतव्य स्टेशन की वास्तविक बुकिंग की प्रायः जांच–पड़ताल करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोयले की खानों के मालिकों ने उस परेषिती को वैगन बुक किए हैं जिसे प्राथमिकता के प्रमाणपत्र के अनुसार वैगन आवंटित किया गया है तथा गंतव्य स्टेशन पर उचित परेषिती को वैगन मिले तथा खुले बाजार में न जाने दिया जाए। कोयले में ऐसे अनेक मामले पकड़े गए हैं जिनमें कोयले को काले बाजार में भेजा गया है तथा इस संबंध में अभियोग भी प्रारंभ किए गए हैं।

(ङ) इस बात का हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि रेलवे कोयल–खानों की पूरी क्षमता का विकास शीघ्रता से किया जाए जैसी कि परिस्थितियां अनुमति देती हैं। इस संबंध में काफी प्रगति हो गई है। मैं अभी भी यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि सभी रेलवे कोयले की खानें अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं। वर्तमान कठिनाइयों के कारण इस प्रकार हैं :

(i) मजदूरों की कमी,

(ii) मेकेनिकल प्लाण्ट के प्रारंभ किए जाने में अपरिहार्य रूप से देरी,

(iii) बढ़ते हुए उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाइन की क्षमता का अभाव।

ये सभी कठिनाइयां निकट भविष्य में दूर किये जाने की आशा की जाती है।

सर मोहम्मद यामीन खां : इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय सदस्य ने ऐसी कोयला खानों के बारे में बताया है जो अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं। इनमें से कितनी कोयला–खानें यूरोपीय कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उसके बारे में इस अवस्था में कोई भी उत्तर देने में असमर्थ हूं। मैं यह नहीं सोचता कि हमें ऐसी कोई सूचना मिल सकती है कि कितनी कोयले की खानें अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रही हैं और उनमें से कौन सी कोयले की खानें यूरोपीय मालिकों की हैं और कौन सी कोयले की खानें भारतीय मालिकों की हैं।

सर मोहम्मद यामीन खां : क्या माननीय सदस्य इस बारे में पूछताछ करने की कृपा करेंगे और रेलवे बजट के आने से पूर्व इसी सत्र में सदन को सूचित कर सकेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह नहीं सोचता कि मैं ऐसी पूछताछ कर सकूंगा।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य इस स्थिति में हैं कि वे सर मोहम्मद यामीन खां द्वारा पूछी गई सूचना दे सकेंगे जिसका संदर्भ स्वामित्व के हित में राष्ट्रीयता से न हो अपितु क्या सभी कोयला खानें अर्थात् बड़ी और छोटी कोयला खानें समुचित ढंग से कार्य कर रही हैं और क्या माननीय सदस्य की योजना छोटी कोयला खानों के लिए वैसी ही हैं जैसी कि बड़ी कोयला खानों के लिए हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह योजना सभी कोयला–खानों पर लागू किए जाने के लिए हैं और मेरे मित्र के प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैं पूछताछ करने के लिए तैयार हूं जिससे अधिक कोयले के उत्पादन में सहायता मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि कोयले की खानों के बारे में पूछताछ करूं।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जब कभी माननीय सदस्य यह वक्तव्य देते हैं कि कोयला–खानों के मजदूरों की मजदूरी में 50% की वृद्धि कर दी गई है, उस समय उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कोयला–खानों के क्षेत्र में रहन–सहन की लागत युद्ध से पूर्व रहन–सहन की लागत की अनुसूची से तीन गुना हो गई है ताकि उस वक्तव्य के बारे में कोई गलतफ़हमी न उठे जैसा कि वे वक्तव्य देते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा विश्वास है कि यह मेरे लिए निदेश है और यह प्रश्न नहीं है।

नवाबज़ादा मोहम्मद लियाकत अली खां : क्या भारत से कोयले की किसी मात्रा का निर्यात किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, परन्तु श्रीलंका एक अपवाद है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या यह सच है कि माननीय सदस्य ने यह बताया कि महिला खनन मजदूरों को भूमिगत स्थलों में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यदि माननीय सदस्य ने ऐसा वक्तव्य दिया है तो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वे इस बात का समाधान किस प्रकार करते हैं कि उनके वक्तव्य का यह तथ्य है जो उन्होंने अभी बताया है कि भारत सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि खनन मजदूरों को अन्यत्र काम पर लगाए जाने से इनकार कर दिया जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसमें कोई विरोध नहीं पाता।

सर मोहम्मद यामीन खां : कराधान समायोजन के बारे में प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय सदस्य ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कोयला–खानों के मालिकों की क्या मांगें थीं – क्या वे ई.पी.टी. अदा करने के इच्छुक नहीं थे और क्या वे ई.पी.टी. अदा करने से छूट चाहते थे। वे किन आधारों पर ई.पी.टी. से छूट चाहते थे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनका आधार यह था कि कोयला बरबाद होने वाली सम्पत्ति है।

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : मैं यह जानना चाहूंगा कि श्रीलंका को कोयले की कितनी मात्रा निर्यात की गई?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

154

*रेलवे के मजदूरों से संबंधित कतिपय वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन

43. श्री लालचंद नवलराय : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निम्नलिखित रिपोर्टें जारी की गई हैं; यदि नहीं तो क्यों और उनके कब जारी किए जाने की संभावना है?

(i) समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर), कलकत्ता द्वारा संदाय मजदूरी 1936 का अधिनियम, IV, के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट, और

(ii) वर्ष 1941-42 के दौरान भारतीय रेलवे पर रोजगार के घंटों संबंधी विनियमों के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रकाशित अंतिम रिपोर्टें वर्ष 1940-41 के लिए थीं। कागज की भारी कमी के कारण आगे रिपोर्टों का प्रकाशन अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 10 फरवरी, 1944, पृष्ठ 210

155

*कोयला खान सुरक्षा (माल-भराई) संशोधन विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : सभापति महोदय, सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त इच्छा की दृष्टि से कि वे इस विधेयक पर विचार करने के लिए कुछ अधिक समय लेना चाहेंगे, मैं उस विधेयक के विचार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं करता जो मेरे नाम में है।

156

**प्रान्तों में नागरिक अग्रणी बल (सिविल पायनियर फोर्स) में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में पदोन्नत प्रशासकीय अधिकारी

111. श्री जी. रंगय्या नायडू : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1941, 1942 और 1943 में विभिन्न प्रांतों में नागरिक अग्रणी बल (सिविल पायनियर फोर्स) में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में कितने प्रशासकीय अधिकारियों की पदोन्नति की गई; यदि ऐसा नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया;

(ख) क्या बाद में कोई ऐसा कानून पारित किया गया जिसके द्वारा नागरिक अग्रणी बल के अधिकारियों को सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पदों के लिए आवेदन करने पर प्रतिबंध लगाया गया हो;

(ग) उन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और प्रशासनीय अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें हिन्दुओं यथा ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों, पिछड़ी और अनुसूचित सम्प्रदायों तथा ईसाइयों, मुसलमानों और एंग्लोइंडियनों में से भर्ती किया गया हो;

(घ) पायनियर के प्रतिदिन के राशन और प्रशासकीय अधिकारियों के प्रतिदिन के राशन की अलग–अलग दर क्या है; और

(ङ) सिविल पायनियर फोर्स (नागरिक अग्रणी बल) में उन लिपिकों की संख्या क्या है जिनकी 1941, 1942 और 1943 में प्रशासकीय अधिकारियों के पद पर पदोन्नति की गई थी; यदि ऐसा नहीं किया तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क), (ग) और (ख)। प्रश्न के इन भागों के संबंध में वांछित सूचना के अलग–अलग विवरण सभा–पटल पर रख दिए गए हैं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 10 फरवरी, 1944, पृष्ठ 211

** वही।

इनका संबंध 1942 और 1943 से है, सिविल पायनियर फोर्स 1941 में नहीं बनाई गई थी।

(ख) नहीं, परन्तु यदि कोई अधिकारी सिविल पायनियर फोर्स में सेवा करता है, उसका यह दायित्व होता है कि वह फोर्स में उस समय तक सेवा करेगा जब तक उसकी आवश्यकता है – देखिए सिविल पायनियर फोर्स आर्डीनेंस, सेक्शन 9। इस समय किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा जा सकता।

(घ) 1 मार्च, 1943 से पूर्व प्रशासकीय अधिकारियों को निःशुल्क राशन की अनुमति नहीं थी, उसके बाद उन्हें रियायत दी गई है जैसी कि सिविल पायनियर को दी जाती है अर्थात् 15 रुपये प्रतिमास प्रति व्यक्ति। हाल ही में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में घटा–बढ़ी के कारण इस दर को बनाए रखना संभव नहीं हो सका है। इसलिए प्रांतीय सरकार को यह प्राधिकार है कि स्वीकृत दर पर राशन खरीदा जाए जो बाजार के मूल्य की दर से अधिक दर पर न हो किन्तु शर्त यह है कि प्रांतीय प्राधिकारी स्वयं खरीद करें।

विवरण

भाग (क)

सेण्ट्रल प्राविन्सेज़ और बरार	1942 } 1943 }	5
उड़ीसा	1942 } 1943 }	2
मद्रास	1942 } 1943 }	1
बम्बई	शून्य	–
पंजाब	1942	–
	1943	3
संयुक्त प्रांत	1942	–
	1943	1
बिहार	1942	–
	1943	2
बंगाल	1942	3
	1943	11
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत	1942	1
	1943	2
योग		31

इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिकारियों के दो वर्ग बिल्कुल ही अलग–अलग दर्जे के हैं। यदि एक उम्मीदवार को प्रशासकीय अधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है तो प्रान्तीय सरकारों का यह दायित्व नहीं है कि उन्हें कमीशन प्राप्त अधिकारियों के ग्रेड में उन्नत किया जाए। फिर भी कुछ मामलों में प्रशासकीय अधिकारी जिन्होंने अपने मूल्य को सिद्ध कर दिया है, को सेकण्ड लेफ्टीनेंट के रूप में कमीशन दिया गया है जब रिक्त स्थान हो।

विवरण

भाग (ग)

प्रांत	गैर–ब्राह्मण	ब्राह्मण	पिछड़ी जातियां	अनुसूचित जातियां	मुसलमान	ईसाई	एंग्लो इंडियन
सेण्ट्रल प्राविन्सेज़ और बरार							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	5	4	1	2	3	1	–
प्रशासकीय अधिकारी	8	5	–	–	–	1	–
उड़ीसा							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	18	9	1	–	4	2	–
प्रशासकीय अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–
मद्रास							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	34	–	–	7	7	15*	–
प्रशासकीय अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–
बम्बई							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	2	6	–	3	2	–	–
प्रशासकीय अधिकारी	4	1	1	–	1	–	–
पंजाब							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	11	–	–	2	13	1	–
प्रशासकीय अधिकारी	8	–	–	–	9	–	–
संयुक्त प्रांत							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	15	–	–	4	5	2	1
प्रशासकीय अधिकारी	7	–	–	2	4	1	–
बिहार							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	17	–	–	2	5	2	–
प्रशासकीय अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–
बंगाली							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	31	–	–	17	56	7	–
प्रशासकीय अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रांत							
कमीशन प्राप्त अधिकारी	–	–	–	–	19	–	–
प्रशासकीय अधिकारी	1	–	–	–	7	–	–

विवरण

भाग (ङ)

सेण्ट्रल प्राविन्सेज़ और बरार	1942 1943	2
उड़ीसा		शून्य
मद्रास	1942	2
	1943	1
बम्बई	1942 1943	– 1
पंजाब	1942	–
	1943	3
संयुक्त प्रांत	1942	शून्य
बिहार	1943 1942	1 2
बंगाल	1943	11
	1942	
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत	1943	1
जोड़		24

सिविल पायनियर फोर्स में लिपिक तुलनात्मक रूप से कम वेतन की दर प्राप्त करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें से अधिकांश प्रशासकीय अधिकारी के पद पर उन्नति के लिए उपयुक्त नहीं होते।

श्री जी. रंगय्या नायडू : क्या यह सच नहीं है कि युद्ध के प्रारंभ में इन प्रशासकीय अधिकारियों को जब कभी भी स्थान रिक्त होते थे कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति थी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

157

*महिला सरकारी नौकरों के लिए आवास

112. सर एफ.ई. जेम्स : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में श्रम विभाग का नियम है कि 600 रुपये प्रतिमास से कम आय के सरकारी नौकर को दिल्ली या नई दिल्ली में सरकारी होस्टल, होटल या अन्य गृह में आवास पाने का अधिकार नहीं है क्योंकि इन स्थानों को "प्रथम श्रेणी का आवास" माना जाता है;

(ख) क्या यह नियम महिला सरकारी नौकरों पर भी लागू होता है;

(ग) यदि (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या उन महिला सरकारी नौकरों के मामले में इस नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है जो अपने घर से बहुत दूर रहती हैं और जिनके लिए उपलब्ध आवास उपयुक्त नहीं है, अथवा जो 600 रुपये प्रतिमास से अधिक आय नहीं रखतीं, ऐसी महिलाएं उन पदों को भर सकती हैं जिनमें स्थायी पुरुष पदधारी उस राशि से अधिक राशि प्राप्त करते हैं;

(घ) आवास परामर्शदात्री समिति में कौन–कौन सदस्य हैं;

(ङ) क्या यह समिति उपयुक्त मामलों में ऊपर बताए गए नियम से अलग हटने का अधिकार दे सकती है; और

(च) कितने मामलों में इस समिति ने महिला सरकारी नौकरों के संबंध में इस नियम का पालन नहीं किया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) नहीं।

(घ) (i) लेफ्टिनेंट जनरल टी.जे. हट्टन, सी.बी., एम.सी.

(ii) माननीय श्री एच.सी. प्रायर, सी.एस.आई., सी.आई.ई., आई.सी.एस.

(iii) माननीय श्री ई. कॉनरन–स्मिथ, सी.एस.आई., सी.आई.ई., आई.सी.एस.

(iv) श्री जी. मेकवर्थ–यंग, सी.आई.ई., आई.सी.एस.।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 16 फरवरी, 1944, पृष्ठ 283

(ङ) नहीं, समिति महामहिम गवर्नर–जनरल को ही सिफारिश कर सकती है।

(च) ऊपर बताए गए (ङ) के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं उठता।

सर एफ.ई. जेम्स : मेरे माननीय मित्र निस्सन्देह उन कठिनाइयों से अवगत होंगे जो इस नियम के कठोरता से पालन करने के कारण सरकारी नौकरी में पूर्णतः श्रेष्ठ, कठोर परिश्रमी और सुपात्र महिलाओं को उठानी पड़ती हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस बात से अवगत हूं।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनेक लोगों द्वारा महसूस की गई इन कठिनाइयों की दृष्टि से आवास का राशनिंग प्रारंभ किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस अवस्था में कोई उत्तर नहीं दे सकता।

पंडित लक्ष्मी कांत मैत्रा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि आवास परामर्शदात्री समिति को कब नियुक्त किया गया था और इस समिति को किसने नियुक्त किया था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस अवस्था में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

158

*कोयला खानों में महिला मजदूरों को काम पर रखा जाना

114. श्री लालचंद नवलराय : (क) क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि माननीय सदस्य ने महिलाओं को कोयले की खानों में पुनः काम पर रखना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में कोयला खानों में महिला मजदूरों को लोकप्रिय दबाव के अधीन काम करने से रोक दिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया श्री एमरी ने हाऊस ऑफ कॉमन्स में हाल ही में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में टालमटोल की कि क्या महिला मजदूरों को वही मजदूरी दी जाती थी जो पुरुषों को दी जाती थी और क्या वे भूमिगत स्थलों में कार्य कर रही थी;

(घ) क्या माननीय सदस्य ऊपर बताए गए (ग) में उल्लिखित दोनों बातों के बारे में वक्तव्य देने का विचार रखते हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि भारत में कोयला खानों में काम करने के लिए पुरुष मजदूर उपलब्ध हैं; यदि हाँ तो उन्हें महिला मजदूरों के स्थान पर क्यों नहीं रखा जाता;

(च) क्या यह सच है कि महिलाओं को काम पर इसलिए लगाया जाता है कि वे अधिक परिश्रम करती हैं और थोड़ी सी मजदूरी प्राप्त करके संतुष्ट हो जाती हैं यद्यपि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उनके परिवार टूट जाते हैं और यदि नहीं तो इसके विशेष कारण क्या हैं कि पुरुषों के बजाय महिलाओं को काम पर लगाया जाता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) अब सेण्ट्रल प्राविन्सेज़ और बरार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोयला खानों में भूमिगत स्थलों में महिला मजदूरों को काम करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) वर्षों से भारत सरकार की जानबूझ कर नीति रही है कि भारत में कोयला–खानों में भूमिगत स्थलों में काम करने के लिए महिला मजदूर न रखे जाएं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इण्डियन माइन्स एक्ट, 1923 में व्यवस्था की गई थी। 1929 में महिलाओं को भूमिगत स्थलों में काम करने के लिए रोक दिया गया और 1937 में यह प्रक्रिया पूरी हुई।

(ग) मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) नहीं। मैंने 8 फरवरी को श्रीमती रेणुका रे द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में दोनों बातों पर वक्तव्य दिया है।

(ङ) महिला मजदूरों को भूमिगत स्थलों में काम करने की अनुमति इसलिए दी गई है कि पुरुष मजदूरों की कमी है। जैसे ही सरकार द्वारा आवश्यक कोयले की मात्रा के उत्पादन के लिए पर्याप्त पुरुष–श्रम शक्ति आश्वस्त हो जाती है वैसे ही सरकार महिलाओं को भूमिगत स्थलों में काम करने के लिए यह प्रतिबंध फिर लगा देगी। सरकार इस बात के लिए शीघ्र कदम उठा रही है कि बंगाल और बिहार की कोयला की खानों से पुरुष मजदूरों को लाया जाए।

(च) नहीं। (ङ) के उत्तर में जैसा कहा गया है कि महिलाओं को कतिपय कोयला खानों में भूमिगत स्थलों में काम करने की अनुमति दी गई है क्योंकि पर्याप्त संख्या में पुरुष मजदूर उपलब्ध नहीं थे।

श्री लालचन्द नवलराय : इस प्रश्न के भाग (ख) के संदर्भ में क्या मैं यह

जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि महिलाओं के श्रम को लोक–दबाव के कारण रोक दिया गया था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसे नहीं जानता।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या मैं जान सकता हूं कि महिला मजदूरों पर प्रतिबंध उठाने से पूर्व जनता से परामर्श लिया गया था अथवा सरकार ने अपनी इच्छा से उस प्रतिबंध को हटाया था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार ने संबंधित लोगों से परामर्श किया था।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या उन्होंने इसके लिए आपत्ति की थी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कोई आपत्ति नहीं की गई।

श्री एन.एम. जोशी : इस प्रश्न के भाग (ग) के संदर्भ में क्या माननीय सदस्य यह कहेंगे कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं है कि महिलाओं को उतनी ही मजदूरी मिलती है जितनी पुरुषों को मिलती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रश्न का मुद्दा यह था कि क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्रश्न का उत्तर देने में टालमटोल की। मैंने कहा था कि मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है। महिलाओं को उतनी ही मजदूरी दी जाती है जितनी पुरुषों को दी जाती है।

श्री एन.एम. जोशी : जहां तक समान मजदूरी के भुगतान का संबंध है, क्या माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि उन पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के संयुक्त कार्य के आधार पर मजदूरी निर्धारित की जाती है जो भूमिगत स्थलों में कार्य करते हैं? ऐसी स्थिति में श्रम सदस्य यह कैसे कह सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी दी जाती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि इसे सरकार के ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे इस नियम की अवहेलना होती है तो सरकार इस मामले में निश्चय ही कार्रवाई करेगी।

श्री एन.एम. जोशी : क्या माननीय सदस्य इस बात की पूछताछ करेंगे कि क्या कोई ऐसा उचित तरीका है जिसके द्वारा वे यह पता लगा सकते हैं कि क्या कोयले की खानों में कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी दी जाती है? मेरी अपनी सूचना यह है कि पुरुषों और महिलाओं को संयुक्त कार्य के लिए मजदूरी दी जाती है और इसलिए यह पता लगाना असंभव है कि मजदूरी समान होती है क्योंकि दोनों को संयुक्त रूप से मजदूरी मिलती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस विचार के सोचने में असमर्थ हूं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार ऐसे निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए विचार कर रही है कि वे कल्याण के साधन अपनाए जाएं जिनकी घोषणा सरकार द्वारा की गई है।

श्री एन.एम. जोशी : इस तथ्य के विचार की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन दोनों में ही भूमिगत स्थलों में महिलाओं के कार्य करने के बारे में प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। क्या माननीय सदस्य किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रकाशित कराएंगे कि इस समय भूमिगत स्थलों में कार्य करने वाली महिलाओं की क्या दशा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस सुझाव पर विचार करना चाहूंगा।

159

*युद्ध के तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के केन्द्र

120. सैयद गुलाम भिक नैरंग : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल पर वह विवरण रखेंगे जिसमें युद्ध के तकनीशियनों के प्रशिक्षण के केन्द्रों के नामों का उल्लेख हो और प्रत्येक केन्द्र में अनुमति प्राप्त प्रशिक्षार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) (i) सरकारी संस्थाओं, (ii) रेलवे कर्मशालाओं; और (iii) निजी संस्थाओं के संबंध में कितने केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) इनमें से कितनी संस्थाएं हिन्दुओं की हैं और कितनी संस्थाएं मुसलमानों की हैं; और

(घ) इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के लिए स्वीकृत प्रशिक्षार्थियों की संख्या क्या है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) एक विवरण@ सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) (i) 125 [जिनमें भारतीय रियासतों के केन्द्र भी शामिल हैं (25), नगर निगम (4), म्युनिसिपल समितियां (4), जिला बोर्ड (5)], (ii) 26, (iii) 119.

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 16 फरवरी, 1944, पृष्ठ 290-91

@ विवरण छोड़ दिया गया है – संपादक

(ग) और (घ) निजी प्रशिक्षण केन्द्र औद्योगिक कम्पनियों, टेक्नीकल संस्थाओं, आदि से सम्बद्ध हैं और कई मामलों में लिमिटेड कम्पनियों या न्यासधारियों के बोर्ड द्वारा उनका प्रबंध होता है। ऐसे मामलों में ब्यौरेवार जांच के बिना यह कहना संभव नहीं है कि वे अधिकांशतया हिन्दू अथवा मुसलमान के स्वामित्व में हैं। सात प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें 763 सीटें हैं जो स्पष्ट रूप से मुसलमानों के अधिकार में हैं और 27 केंद्रों में 5,184 सीट हैं जो स्पष्टतया हिन्दुओं के अधिकार में हैं।

160

*उप-निदेशक, वरिष्ठ क्षेत्रीय निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक और तकनीकी निरीक्षक

121. सैयद गुलाम भिक नैरंग : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि उप–निदेशकों, वरिष्ठ क्षेत्रीय निरीक्षकों, क्षेत्रीय निरीक्षकों और तकनीकी निरीक्षकों की संख्या क्या है और

(ख) इनमें मुसलमानों की संख्या क्या; है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) संख्याएं इस प्रकार हैं :

प्रशिक्षण के उप–निदेशक	...	2
तकनीकी प्रशिक्षण के वरिष्ठ क्षेत्रीय निरीक्षक	...	7
तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्रीय निरीक्षक	...	15
तकनीकी निरीक्षक	...	8

पन्द्रह क्षेत्रीय निरीक्षकों में 7 अंशकालिक और 4 अवैतनिक अधिकारी हैं। 8 तकनीकी निरीक्षकों में 3 अंशकालिक अधिकारी हैं।

(ख) कोई नहीं।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है?

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : मैंने ऐसा ही कहा था।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 16 फरवरी, 1944, पृष्ठ 297

161

*बेविन बोयस प्रशिक्षण के लिए इंग्लैण्ड भेजे गए

122. सैयद गुलाम भिक नैरंग : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने बेविन बोयस प्रशिक्षण के लिए पहले ही इंग्लैण्ड को भेजे गए हैं और

(ख) इनमें से कितने मुसलमान हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 563

(ख) 110

162

@राष्ट्रीय सेवा श्रम अधिकरण के अध्यक्ष

123. सैयद गुलाम भिक नैरंग : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सेवा श्रम अधिकरण के कितने अध्यक्ष हैं; और

(ख) इनमें से कितने मुसलमान हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) दस। इनमें से 4 पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और शेष छः अंशकालिक अध्यक्ष हैं जो केन्द्रीय या प्रांतीय सरकार की पूर्णकालिक सेवा में हैं।

(ख) एक।

163

#कोयला आयुक्तों की योग्यताएं और कर्त्तव्य

142. श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम सदस्य 17 नवम्बर, 1943 को विधान सभा में प्रश्न संख्या 250 के उत्तर को देखने की कृपा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि "कोयले की कमी का मुख्य कारण निस्संदेह मजदूरों की कमी है" और यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यह क्यों आवश्यक समझा कि

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 16 फरवरी, 1944, पृष्ठ 297

@ वही।

विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 21 फरवरी, 1944, पृष्ठ 345

कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला आयुक्त की नियुक्ति की जाए जबकि इस कमी का मुख्य कारण मजदूरों की कमी थी, जैसा कि ऊपर बताए गए उत्तर से स्पष्ट है;

(ख) कोयला–आयुक्त के कर्त्तव्य क्या होंगे और इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यताएं क्या होंगी; क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अपेक्षित योग्यताओं का कोई भी भारतीय उपलब्ध नहीं है;

(ग) कोयला आयुक्त के श्रम विभाग, रेलवे विभाग और अन्य सरकारी विभागों से सरकारी तौर पर संबंध क्या होंगे; और

(घ) कोयला–आयुक्त को कितनी परिलब्धियां प्राप्त करने का अधिकार है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : युद्ध परिवहन के माननीय सदस्य 24 फरवरी, 1944 को प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहमत हो गए हैं।

164

*कोयला-उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

273. श्री के.एस. गुप्ता : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेन सेवा और देशी उद्योगों के अनुरक्षण जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या–क्या उपाय किए गए;

(ख) क्या यह सच है कि कोयला–खानों में सेवा कोयला खानों में काम करने वालों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है;

(ग) क्या यह सच है कि कोयला खानों में काम करने वालों को विशेष सुविधाएं नहीं दी जातीं जिससे कि दक्ष और कुशल कामगारों को इस सेवा की ओर आकर्षित किया जा सके;

(घ) क्या यह सच है कि कोयला खानों में काम करने वाले तथा उनके परिवार के सदस्य अपर्याप्त और अस्वच्छ घरों में रहते हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि कोयला खानों के क्षेत्रों में कोई भी चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान 10 फरवरी के तारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1944, 21 फरवरी, 1944, पृष्ठ 719

जिसे मैंने सर एफ.ई. जेम्स के प्रश्न के उत्तर में दिया था। इस उत्तर में वे सभी प्रमुख उपाय बताये गए हैं जिन्हें सरकार ने कोयले के उत्पादन की वृद्धि के लिए अपनाया है।

(ख) नहीं, खनन एक खतरनाक व्यवसाय है परन्तु आवश्यक रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है।

(ग) नहीं। कोयला खानों में काम करने वालों को रियायती दरों पर भोजन दिया जाता है और सरकार कोयला क्षेत्रों में उपभोक्ता सामान की सप्लाई में वृद्धि के लिए कदम उठा रही है। यह प्रस्ताव है कि कोयला खानों में काम करने वालों के लिए नवीन कोयला खानों के मजदूरों के कल्याण निधि अध्यादेश के अधीन कानून द्वारा सुविधाएं दी जाएं।

(घ) झीरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र के आवास क्षेत्र में झीरिया और आसनसोल खान बोर्ड ऑफ हैल्थ द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पक्की इमारतें बनाई गई हैं। अन्य कोयला क्षेत्रों में कोयला खान के मालिकों के विवेक के अनुसार मजदूरों के रहने के लिए आवास का प्रबंध किया जाता है जो प्रायः बहुत छोटे होते हैं। फिर भी सरकार कोयला क्षेत्र में आवास तथा स्वच्छता के वर्तमान प्रबंधों से संतुष्ट नहीं है और इनके सुधार की योजनाएं कोयला खान के मजदूरों की कल्याण निधि अध्यादेश के अधीन बनाई जा रही हैं।

(ङ) चिकित्सा सहायता और शैक्षिक सुविधाएं जो इस समय उपलब्ध हैं, बहुत संतोषजनक नहीं हैं। कोयला खान मजदूर कल्याण निधि अध्यादेश के अधीन इन सुविधाओं के सुधार की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

श्री एन.एम. जोशी : क्या भारत सरकार आवास और अन्य दशाओं के संबंध में कोयला खानों की दशाओं पर विधानमंडल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा सरकार द्वारा किए गए सुधारों के बारे में भी बताएगी और क्या यह रिपोर्ट सभा–पटल पर रखी जाएगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जहां तक मैं समझता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी रिपोर्ट की जाए। हमने अभी कार्य प्रारंभ किया है और यदि कुछ समय बाद यह अध्यादेश लागू किया जाता है, और मेरे माननीय मित्र उस पर रिपोर्ट चाहते हैं तो मैं इस मामले पर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं।

श्री एन.एम. जोशी : सदन इस बारे में अधिक रुचि रखता है तथा उसकी दशा के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहेगा तथा यह भी जानना चाहेगा कि क्या सुधार किए गए हैं। इसलिए क्या सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

165

*कारखाना (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन, मैं कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है :

"कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

166

@बलात श्रम और बेगार के अधीन अनुसूचित जातियां

राव बहादुर एन. शिव राज : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के श्रम विभाग का कार्य कृषि–मजदूरों के संरक्षण और कल्याण का है ;

(ख) क्या श्रम सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि 29 और 30 जनवरी, 1944 को कानपुर में आयोजित अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें भारत भर में प्रचलित बेगार और बलात श्रम की भर्त्सना की गयी थी जिसकी अनुसूचित जातियां ही केवल शिकार हैं ;

(ग) सरकार बेगार की पद्धति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है; और

(घ) क्या भारत सरकार कानून द्वारा इस पद्धति के उन्मूलन की दृष्टि से जाँच के लिए कोई समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 3 मार्च, 1944, पृष्ठ 798

@ वही, 7 मार्च, 1994, पृष्ठ 903-4.

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यह विषय श्रम विभाग के अन्तर्गत आता है। श्रम विभाग भारत सरकार के विभागों में से एक है; भारत शासन अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची III के भाग II में सहवर्ती विषयों की सूची में सामान्य विषयों में यह विषय जोड़ा गया है।

(ख) अखिल भारतीय अनुसूची जाति सुझाव पर संघ से कोई भी औपचारिक पत्र नहीं मिला है।

(ग) भारत सरकार ने अभी तक इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

(घ) समय रहते विचार कर लिया जाएगा।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि सेंट्रल प्राविन्सेज़ और बरार में यह बेगार की पद्धति का उन्मूलन कर दिया गया है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है?

श्री के.सी. नियोगी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि महामहिम सम्राट के प्रतिनिधि और उनके एजेण्ट प्रदेशों के प्रशासन को यह कह रहे थे कि बलात श्रम को समाप्त कर देना चाहिए और इसको समाप्त करने के देश के कुछ भागों में अधिक लाभदायक परिणाम निकले हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह सूचना पाकर प्रसन्नता है।

डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या मैं यह जान सकता हूं कि माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत है कि संयुक्त प्रांत में जिन्हें किसान कहा जाता है, उनमें से 35 प्रतिशत ग्रामीण मजदूर हैं और उन्हें ऊंची कीमतों का कोई लाभ नहीं मिलता। किसानों को किस्म में भी कोई लाभ नहीं मिलता। उन्हें राशि में भुगतान किया जाता है और वे बहुत कठिन पाते हैं ....

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : प्रश्न क्या है?

डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि किसान ....

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य ने लम्बा भाषण दिया है।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं और सरकार क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव करती है। यह प्रश्न है।

(कोई उत्तर नहीं)

167

*समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) के कार्यकलापों का विस्तार

394. श्री लालचन्द नवलराय : क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि समझौता अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक (रेलवे मजदूर) के कार्यकलापों के कलकत्ता स्थित हेडक्वार्टर्स के अलावा रेलवे में विस्तार के बारे में निर्णय लिया गया है जैसा कि गत 13 नवम्बर को पूछे गए मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 131 के उत्तर में बताया गया था, यदि नहीं तो यह निर्णय कब लिया जायेगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न के बारे में सामान्य रूप से केंद्रीय उपक्रमों कारोबारों के व्यापारिक विवादों के निपटारे के लिए मशीनरी के संबंध में व्यापक विचार के न होने तक निर्णय आस्थगित कर दिया गया है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या यह निर्णय उस समय लिया जाएगा जब युद्ध समाप्त होता है अथवा यह निर्णय अभी लिया जाएगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने जो उत्तर दिया है उससे यह बात नहीं निकलती।

168

@संयुक्त प्रांत सिविल पायनियर फोर्स में अनुसूचित जाति के कमीशन प्राप्त अधिकारी

415. श्री प्यारेलाल कुरील : 15 फरवरी, 1994 को श्री जी. रंगैया नायडू द्वारा पूछे गए सिविल पायनिर फोर्स में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के संदर्भ में माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त प्रांत में सिविल पायनियर फोर्स के अनुसूचित जाति के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के नाम क्या है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 14 मार्च, 1944, पृष्ठ 1024-25

@ वही, पृष्ठ 1036

संयुक्त प्रांत सिविल पायनियर फोर्स यूनिट्स में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में नियुक्त अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का विवरण दिखाने वाली तालिका

अनुसूचित जाति के अधिकारियों के नाम	पहली नियुक्ति की तारीख और रैंक (पद)	मौजूदा रैंक (पद)	नियुक्त अधिकारियों की कुल संख्या	नियुक्त अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या
1. नंदलाल कुरील	19.5.43	सेकेंड लेफ्टिनेंट	28	4
2. एस.के. मलिक	3.7.43	--वही--	--वही--	
3. के.वी. माले राव	19.11.43	--वही--	--वही--	
4. क्षेमपाल सिंह सागर	29.1.44	--वही--	--वही--	

169

*सिविल पायनियर फोर्स लिपिक का साम्प्रदायिक गठन

416. श्री प्यारेलाल कुरील : क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलग–अलग प्रांतों में सिविल पायनियर फोर्स में लिपिकों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) अलग–अलग प्रांतों में इन लिपिकों में हिन्दुओं, मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन की संख्या क्या है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : कई यूनिटें युद्ध क्षेत्र में हैं और शेष बाह्य स्टेशनों पर सेना के साथ हैं इसलिए इन परिस्थितियों में यह संभव नहीं है कि पूछी गयी सूचना एकत्र की जाए।

170

**नई दिल्ली स्थित परम्परागत और गैर-परम्परागत क्वार्टरों के बीच असमानता

493. सरदार संत सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे के :

(क) क्या बाह्य आवास और उद्यान को सम्मिलित करते हुए कुरसी और भूमि क्षेत्र गैर–परम्परागत लिपिकों के क्वार्टरों में समान टाइप के परम्परागत लिपिकों

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 16 मार्च, 1944, पृष्ठ 1037

** वही।

के क्वार्टरों (विशेषकर मिंटो रोड क्षेत्र में) की तुलना में कहीं अधिक हैं और इतना अधिक हैं कि गैर–परम्परागत क्वार्टरों के किराएदार साग–सब्जियों की अच्छी फसल उगाते हैं, फूलों की क्यारियां बनाते हैं, मुरगा–मुरगी पालते हैं, दूध देने वाले जानवर रखते हैं, बेडमिंटन या टेनिस का कोर्ट बनाते हैं परन्तु पारम्परिक क्वार्टरों में पर्याप्त खुली जगह नहीं होती कि ग्रीष्म के मौसम में एक औसत परिवार के सदस्य चारपाइयां बिछा सकें तथा पारंपरिक टाइप "डी" और "ई" क्वार्टरों की छतें इतनी निचली होती हैं कि वे ग्रीष्म काल में बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं तथा उनमें रहना कठिन हो जाता है;

(ख) क्या गैर–परम्परागत क्वार्टरों के निर्माण में प्रयुक्त सामान जैसे लकड़ी, बोल्ट आदि तथा उसमें सप्लाई किया गया फर्नीचर परम्परागत क्वार्टरों के सामान की तुलना में कहीं अधिक अच्छा होता है और गैर–परम्परागत क्वार्टरों की कारीगरी भी अधिक श्रेष्ठ होती है;

(ग) क्या निम्नलिखित सुविधाएं जो गैर–परंपरागत क्वार्टरों में होती हैं, परम्परागत क्वार्टरों में नहीं होतीं –

(i) उद्यान और झाड़ियां,

(ii) नौकरों के क्वार्टर,

(iii) फायर–प्लेस में लोहे के ग्रेट,

(iv) दीवार अल्मारियां,

(v) पर्दों के लिए फिटिंग्स और लटकने वाली चिकों के लिए रिंग,

(vi) बाथ रूम में वाश बेसिन,

(vii) कम्पाउंड में अनफिल्टर्ड पानी के कनेक्शन, और

(viii) "डी" और "ई" परम्परागत क्वार्टरों में वेनिसीयन खिड़की के शटर्स।

(घ) क्या वर्ग "ख" से नीचे परम्परागत क्वार्टरों में जानवरों के शेड निर्माण की अनुमति नहीं है जबकि गैर–परंपरागत क्वार्टरों में इनकी अनुमति दी जाती है;

(ङ.) क्या लोक निर्माण कार्य विभाग के पूछताछ कार्यालयों में गैर–परंपरागत क्वार्टरों से प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जाता है तथा वार्षिक मरम्मत और सामान्य अनुरक्षण आदि के लिए गैर–परंपरागत क्वार्टरों को वरीयता दी जाती है;

(च) क्या गैर–परंपरागत क्वार्टर के रखरखाव की लागत परंपरागत क्वार्टर की

अपेक्षा कहीं अधिक होती है और गैर–परंपरागत क्वार्टर के मामले में पूंजी की वापसी तुलनात्मक रूप से कम होती है जबकि परंपरागत क्वार्टर सरकार को पर्याप्त राजस्व उपलब्ध कराते हैं।

(छ) यदि (क) के संबंध में उत्तर सकारात्मक है तो गैर–परंपरागत टाइप के क्वार्टरों और परंपरागत टाइप के क्वार्टरों में सुविधाओं की दृष्टि से अंतर क्यों है जबकि एक जैसे आधार अर्थात् दस प्रतिशत दोनों टाइप के क्वार्टरों का किराया लिया जाता है, और

(ज) क्या सरकार अपने आधारभूत नियमों में संशोधन करने के लिए तैयार है ताकि उन्हें नितांत वाणिज्य के सिद्धांतों के अनुसार बनाया जा सके और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर सकारात्मक है और बाद के भाग का उत्तर नकारात्मक है

(ख) नहीं।

(ग) जी हां, जहां तक मद संख्या (i), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) का संबंध है, डी और ई टाइप के परंपरागत क्वार्टरों के अलावा अन्य क्वार्टरों में नौकर के लिए कमरा होता है तथा परंपरागत क्वार्टरों के बाहर खुले अहाते में अनफिल्टर्ड पानी का कनेक्शन उपलब्ध किया जाता है।

(घ) जी हां।

(ड.) नहीं।

(च) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर सकारात्मक है।

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, स्थिति इस प्रकार है :

सरकारी नौकर दोनों प्रकार के क्वार्टरों में रहते हैं और वे मानक किराया अथवा अपने वेतन का 10 प्रतिशत भाग उन क्वार्टरों के किराए के लिए अदा करते हैं, इनमें जो भी कम हो परंतु परंपरागत क्वार्टरों के मानक किराए अपेक्षाकृत कम होते हैं। अतः अधिकांश कर्मचारी मानक किराया अदा करते हैं।

(छ) दोनों प्रकार के क्वार्टरों में उपलब्ध सुविधाएं उन क्वार्टरों के मानक डिजाइन के अनुसार होती हैं जो परंपरागत और गैर–परंपरागत शैली के रहन–सहन के उपयुक्त तैयार किए जाते हैं। किराया नियमों के अनुसार लिया जाता है।

(ज) नहीं, सरकार ऐसा आवास उपलब्ध कराती है जो नियमों में दी गई

रियायती दरों के अनुसार होता है और वह अधिकारियों की अलग–अलग परिस्थितियों के उपयुक्त अलग–अलग नहीं हो सकता।

सरदार संत सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह नियम का एक भाग है कि परंपरागत क्वार्टरों के अहातों में पानी उपलब्ध कराया जाए और गैर–परंपरागत क्वार्टरों में केवल क्वार्टर में ही पानी उपलब्ध कराया जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसा ही होना चाहिए।

171

*भारत सरकार मुद्रणालयों में योग्यता प्राप्त कॉपी होल्डरों और पुनरीक्षकों की रीडर के स्थान पर पदोन्नति

501. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : (क) 25 फरवरी, 1944 को काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी द्वारा पूछे गए उस तारांकित प्रश्न संख्या 231 के भाग (घ) के उत्तर के संदर्भ में माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे जिसका संबंध भारत सरकार मुद्रणालय के कॉपीहोल्डरों और पुनरीक्षकों के रीडर के स्थान पर पदोन्नति से है, कि क्या यह 'असमानता' इस तथ्य के कारण है कि पूर्व तारीखों में उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई वरीयता उन कर्मचारियों की तुलना में नहीं मिलती जो बाद की परीक्षाओं में दूसरे अवसर पर उत्तीर्ण होते हैं;

(ख) क्या वह इस बात से अवगत हैं कि जो कर्मचारी पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, वे रीडर के पदों के लिए योग्यता, दक्षता और अनुभव के क्रम में विशेष रूप से उच्च स्थान पर होते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मौजूदा असमानता और कठिनाई जो मौजूदा नियम के लागू होने से पूर्व थीं, उन्हें तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक उत्तीर्ण होने की तारीख रीडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की स्थिति के निर्धारण के लिए कसौटी स्वीकार नहीं की जाती है; और

(घ) क्या सरकार वरिष्ठता और दक्षता अर्थात, वरिष्ठता के आधार पर परन्तु परीक्षा के उत्तीर्ण करने की तारीखों के अनुसार रीडर के पदों पर उन्नत करने का प्रस्ताव करती है; यदि नहीं है तो क्यों नहीं?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 17 मार्च, 1944, पृष्ठ 1224-25

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) नहीं, परीक्षा पहले उत्तीर्ण करने का आवश्यक रूप से अर्थ उच्च गुण नहीं है।

(ग) ऐसे लोगों के बारे में कोई असमानता नहीं है जो पहले अथवा दूसरे अवसर में रीडर की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुछ असमानताएं होती हैं जो तीसरे अवसर में परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और इनके दूर करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जैसा कि काजी मोहम्मद अहमद काज़मी के प्रश्न संख्या 231 के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है।

(घ) रीडर की परीक्षा अर्हता की परीक्षा होती है और प्रत्येक उम्मीदवार को दो अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है। सरकार का यह प्रस्ताव नहीं है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीखों के क्रम में पदोन्नति को विनियमित किया जाए।

172

*सहायक भू-वैज्ञानिकों के रूप में बिहार के लोग

@**504. श्री कैलाश बिहारी लाल** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के रिक्त स्थानों को प्रत्येक प्रांत के लिए निर्धारित कोटा के आधार पर भरा जाता है;

(ख) सहायक भू–वैज्ञानिकों के लिए बिहार का कोटा क्या है;

(ग) आजकल कितने बिहार के लोग सहायक भू–वैज्ञानिकों अथवा उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) अलग–अलग प्रांतों का क्या कोटा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 17 मार्च, 1944 पृष्ठ 1226

173

*भारत सरकार मुद्रणालयों में अर्हरता प्राप्त कॉपी होल्डरों तथा पुनरीक्षकों की रीडर के स्थान पर पदोन्नति

@**506. श्री कैलाश बिहारी लाल** : क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालयों में अर्हरता प्राप्त कॉपी होल्डर और पुनरीक्षकों की रीडर के स्थान पर पदोन्नति करने के संबंध में नियम में संशोधन हेतु विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालयों, उनकी कार्य समितियों और कार्यकर्ताओं के संघ के विचार आमंत्रित किए गए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ अर्हरता प्राप्त कॉपी होल्डर, जिन्होंने मौजूदा नियमों के अनुसार वर्ष 1936 में रीडर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, उन व्यक्तियों द्वारा अधिक्रमित कर लिए गए है जिन्होंने चार वर्ष बाद (1940 में) अर्हरताप्राप्त की थी; और

(घ) क्या यह सच है कि जिन लोगों ने इस परीक्षा को काफी पहले की तारीख में उत्तीर्ण कर लिया था, ऐसे लोगों ने अधिक्रमित कर दिया है जिन्होंने लम्बी अवधि के बाद अर्हरता प्राप्त की थी।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां, काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी के प्रश्न संख्या 231 के 25 फरवरी 1941 को दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) -- नहीं। 1940 तक लागू नियमों के अनुसार फिर से अर्हरता प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इसमें कोई भी अधिक्रमण निहित नहीं था।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 17 मार्च, 1944, पृष्ठ 1226

@ प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

174

*लोक सूचना ब्यूरो के भाषा-अनुभाग को लाहौर में स्थानान्तरण

140. श्री मोहम्मद अज़हर अली : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि लाहौर में भाषाओं के अनुभाग (अधिकारियों को छोड़कर) के लिए आवंटित स्थान का क्षेत्रफल और उसमें बैठने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; क्या सरकार कर्मचारियों की दक्षता के लिए यह स्थान पर्याप्त समझती है; क्या इतना स्थान दिल्ली में उपलब्ध नहीं था;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कर्मचारियों के लिए शौचघर की व्यवस्था की गई है जबकि कामचलाऊ मूत्रालय में पानी के निकास के लिए कोई प्रबंध नहीं है;

(ग) लोक सूचना ब्यूरो के उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जो दिल्ली से लाहौर को स्थानांतरित किए गए हैं; इनमें से कितने कर्मचारियों को दिल्ली में आवास क्वार्टर दिया गया था और कितने कर्मचारियों को लाहौर में आवास–क्वार्टर दिए गए हैं और लाहौर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने अपर्याप्त आवास क्वार्टर होने के कारण सरकारी आवास गृह छोड़ दिया है;

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इस कार्यालय के लिए 4,587 वर्ग फीट का क्षेत्रफल आवंटित किया गया था। लिपिक–वर्गीय कर्मचारियों की संख्या 407 थी।

दूसरा पैरा – जी हां।

तीसरा पैरा – नहीं।

(ख) इस प्रश्न के प्रथम आधे भाग का उत्तर सकारात्मक है और दूसरे आधे भाग का उत्तर नकारात्मक है।

(ग) दिल्ली से भेजे गए कर्मचारियों की संख्या 35

दिल्ली में उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें क्वार्टर उपलब्ध कराए गए.... 7

लाहौर में उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें क्वार्टर उपलब्ध कराए गए.....18

लाहौर में उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्होंने अपर्याप्त स्थान के आधार पर क्वार्टर छोड दिए 5

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 17 मार्च, 1944, पृष्ठ 1227

175

*प्रकाशन-प्रबंधक, दिल्ली के कार्यालय में देर होने की घटनाएं

506. श्री कैलाश बिहारी लाल : क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पुराने बिहार में प्रकाशन प्रबंध के कार्यालय के अधीन बिक्री–कार्यालय में प्रकाशनों के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इसका उत्तर नकरात्मक है।

176

@श्रम विभाग की स्थायी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि यह सभा ऐसे तरीके से जैसा कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें, ताकि उन विषयों पर, जिनका श्रम विभाग से संबंध है, सलाह देने के लिए स्थायी समिति में कार्य करने के लिए पांच गैर–सरकारी सदस्यों का निर्वाचन करे।"

177

#कोयले इत्यादि की कीमतों व वितरण के नियंत्रण के लिए योजना

577. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोयले के वितरण और कीमत के नियंत्रण तथा उसके उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए कोई योजना बनाई गई है; यदि हां

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 17 मार्च, 1944, पृष्ठ 1227

@ वही, पृष्ठ 1235

विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 22 मार्च, 1944, पृष्ठ 1393

तो क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि वह नीति क्या है जो इस योजना की पृष्ठभूमि में बनी और इसका ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे;

(ख) क्या यह ऐसी योजना है जो कोयला खान के मालिकों और वास्तविक उपयोक्ताओं के बीच बिचौलियों को अलग रखती है; यदि हां तो इस योजना के क्या लाभ हैं और वर्तमान कोयला सप्लाई करने वालों को इस योजना द्वारा क्या हानियां होती हैं; और

(ग) कोयला खानों के मालिकों को अधिक कोयले के उत्पादन के लिए बोनस क्यों दिया जाना चाहिए तथा कोयला खानों के मालिकों और उपभोक्ताओं द्वारा किसी बिचोलिये को 0-4-0 का कमीशन क्यों दिया जाना चाहिए जब कोयला खानों के मालिक सीधे ही उपभोक्ताओं को कोयला सप्लाई कर सकते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां, इस योजना के बारे में विवरण@ सभा पटल पर रखा जाता है। इस योजना के पांच भाग हैं : (क) प्रत्येक कोयला खान के मासिक उत्पादन का अनुमान, (ख) कोयला नियंत्रण बोर्ड का गठन ताकि सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में परामर्श दिया जा सके, (ग) सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर सभी उत्पादन का वितरण, (घ) अतिरिक्त लाभ कर से मुक्त कोयले के बढ़े हुए उत्पादन पर बोनस द्वारा सभी उत्पादन का वितरण, और (ड.) खनन की क्रियाओं का नियंत्रण। इस योजना का उद्देश्य यह आश्वस्त करना है (i) कि सभी उपलब्ध कोयला उचित रूप से ठीक कीमत पर उन सभी उपभोक्ताओं में वितरित किया जाए जिन्हें इस कोयले की आवश्यकता है और (ii) कोयले के अधिकतम उत्पादन के प्रति संभव प्रोत्साहन दिया जाए।

(ख) नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग संगत नहीं है।

(ग) उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए बोनस दिया जाता है। कमीशन की राशि निर्धारित नहीं की गई है। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। बिचौलियों को उसी स्थिति में रखा जाएगा जब कोयले की खदान के मालिक और कोयले के उपभोक्ताओं के बीच में यह समझौता हो जाए कि बिचौलियों को रखा जाए।

@ विवरण छोड़ दिए गए – संपादक।

178

*बोनस निधि के प्रयोजनों के लिए कोयलों पर उपकर का लगाया जाना

@578. **श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोयले की खदानों के मालिकों को दिए जाने वाले बोनस को पूरा करने के लिए निधि बनाने हेतु कोयले पर उपकर लगाया जाएगा और क्या उपभोक्ता पर यह दोहरा कर नहीं है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : पहले भाग का उत्तर है कि यही इरादा है। दूसरे भाग के लिए स्थिति यह है कि उपकर का लगाया जाना सभी संभावना की दृष्टि से उपभोक्ताओं पर कर लगाना होगा – परन्तु बोनस स्वयं उपभोक्ताओं के लाभ के लिए है क्योंकि इससे कोयले के उत्पादन की वृद्धि होती है जो इस समय उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है।

179

#भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में शुक्रवार की नमाज़ के लिए मुसलमान कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की कटौती

587. **सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून** (काजी मोहम्मद अहमद काज़मी की ओर से) : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के उन मुस्लिम कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते में से एक घंटे का समयोपरि भत्ता काट लिया जाता है जो शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इससे पूर्व इस एक घंटे की कोई कटौती नहीं की जाती थी; और

(ग) क्या सरकार ने पुराने रिवाज़ को फिर से कायम करने के औचित्य पर विचार किया है अथवा क्या विकल्प के रूप में इस घंटे को आकस्मिक छुट्टी अथवा औसत वेतन पर छुट्टी माने जाने पर विचार किया है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 22 मार्च, 1944, पृष्ठ 1395

@ इस प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया क्योंकि प्रश्नकर्ता अनुपस्थित थे।

\# विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 22 मार्च, 1944, पृष्ठ 1398-99

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) 1931 से पूर्व कोई कटौती नहीं की जाती थी परन्तु यह प्रथा अनियमित थी और इसे छोड़ दिया गया।

(ग) भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से अन्य प्रश्न नहीं उठते। भारतीय कारखाना अधिनियम (इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट) के अधीन कर्मचारी उन पदों के लिए समयोपरि भत्ते के प्राप्त करने का अधिकारी होता है जब वह इस अधिनियम में निर्धारित सामान्य रूप से काम करने वाले घंटों के अतिरिक्त घंटों में काम करता है। समयोपरि भत्ते की गणना करते समय नमाज के घंटों को कर्मचारी द्वारा काम पर लगाए गए कुल घंटों में से कम कर दिया जाता है।

सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून : क्या माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह परेशानी इसलिए हुई है कि भारत सरकार ने एक घंटे का समय बढ़ा दिया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं ऐसा विचार नहीं करता।

सेठ युसुफ अब्दुल्ला हारून : क्या माननीय सदस्य यह सुझाव देते हैं कि नमाज का वक्त बदला जा सकता है क्योंकि सरकार ने अपना समय बदला है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रश्न यह नहीं है कि नमाज का वक्त बदल दिया जाए। प्रश्न यह है कि नमाज के वक्त को समयोपरि कार्य के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

180

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली को रविवार और अन्य छुटियों में काम करने के लिए मजदूरी

588. सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून (काजी मोहम्मद अहमद काज़मी की ओर से) : क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के प्रबंधक के निदेशों के अनुसार कर्मचारी सरकार का तात्कालिक कार्य करने के लिए रविवार और अन्य त्योहारों की छुट्टी में आते हैं परन्तु उन्हें दिन भर काम करने के बाद केवल 4 घंटों की मजदूरी दी जाती है जबकि पहले उन्हें बारह घंटों की मजदूरी दी जाती थी; और

(ख) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों को बारह घंटों की मजदूरी अदा करने की प्रथा को पुनः प्रारम्भ करने पर विचार किया है जो छुट्टियों के दिनों में आठ

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 22 मार्च, 1944

घंटे काम करके नियमित वेतन पाते हैं अथवा आठ घंटों में चार घंटे जोड़ दिए जाते हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर सकारात्मक है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, भारतीय कारखाना अधिनियम (इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट) के अनुसार रविवार को काम करने वाले कर्मचारियों को इसके एवज में प्रतिकर छुट्टी मिल जाती है और उन्हें 4 घंटे के काम के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाता है अर्थात् उन्हें दिन का वेतन दिया जाता है और 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी जाती है। अन्य छुट्टियों के दिनों में उपस्थिति के लिए उन्हें दिन के वेतन के अतिरिक्त वेतन की 25 प्रतिशत अधिक राशि दी जाती है। बारह घंटे की अतिरिक्त मजदूरी (अर्थात एक दिन का वेतन तथा 150 प्रतिशत) कुछ वर्ष पूर्व किसी भूल से किया जाता था जबकि 4 घंटे का भुगतान अनुज्ञेय है।

(ख) नहीं।

181

*लाइनो-मशीन कुलियों के लिए स्टूलों की सप्लाई का न किया जाना

589. सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून (काजी मोहम्मद अहमद काजमी की ओर से) : (क) क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उन कुलियों को बैठने के लिए स्टूल उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जो लाइनों--मशीन पर कार्य करते हैं और उन्हें दिन भर खड़ा रहना पड़ता है और उन्होंने इस बारे में आवेदन--पत्र दिए परन्तु उन पर ध्यान नहीं दिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि बारमैन का काम कुलियों से लिया जाता है और बार–मैन के पद समाप्त कर दिए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने कुलियों की शिकायतों को दूर करने की वांछनीयता पर विचार किया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) लाइनों टाइप मशीनों पर काम करने वाले कुली वास्तव में खड़े होकर काम नहीं करते। उनकी आवश्यकता उस समय होती है जब लाइनों मशीनों में डिस्ट्रीब्यूटर बार के अवरोधों को दूर करना होता

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 22 मार्च, 1944

है और इस कार्य के लिए उन्हें लाइनों मशीनों को उचक कर देखना होता है। इसलिए उनके कार्य के लिए स्टूल की आवश्यकता निरर्थक है। मजदूर आराम करने के लिए प्रायः फर्श पर बैठते हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार मुद्रणालयों में बारमैन के पद नहीं है और इस प्रकार का पद कभी भी दिल्ली के मुद्रणालय में नहीं था। इसलिए ये प्रश्न नहीं उठते।

182

*श्रम विभाग के लिए श्रम सलाहकार

@**627. श्री के.एस. गुप्ता** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम विभाग के श्रम सलाहकार का पद नव–सृजित पद है; यदि हां तो यह पद क्यों सृजित किया गया;

(ख) यदि यह पद पहले ही से मौजूद था तो इस पर पर अंतिम पदाधिकारी कौन थे और उन्हें क्या वेतन दिया जाता था;

(ग) क्या यह सच है कि श्री बी.एल. वाटर्स को केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग में श्रम सलाहकार नियुक्त किया गया है; उनका वेतन क्या है, उन्हें समुद्रपार क्या भत्ते तथा अन्य भत्ते क्या क्या दिए जाते हैं;

(घ) क्या यह युद्ध के समय की कार्यवाही थी जिसने की श्री वाटर्स की नियुक्ति कराई; वे ब्रिटिश श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय में क्या वेतन ले रहे थे; और

(ड.) क्या उन्हें भारत की दशाओं का पूर्ण ज्ञान है; और यदि हां तो उन्हें भारत सरकार के किस प्रमुख के अधीन काम करने का अनुभव है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) श्रम सलाहकार का पद दिसम्बर 1942 में सृजित किया गया था। इस पद पर जून 1943 तक श्री डी. टी. जैक काम करते रहे और अब इस पद पर श्री बी.एस. वाटर्स काम कर रहे हैं। श्री जैक का वेतन 2,750 रुपये प्रति मास था।

श्रम सलाहकार का काम श्रम विधान और प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श देना है और विशेषकर उन तरीकों के बारे में सलाह देनी है जिनमें

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 27 मार्च, 1944, पृष्ठ 1559–60

@ आज प्रश्न–काल न होने के कारण परिपाटी के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर सभा–पटल पर रख दिये गए हैं। संपादक

श्रम की समस्याएं विचाराधीन हैं अथवा उठ सकती हैं और जो इंगलैंड में रही हैं अथवा इंगलैड में जिनका समाधान किया जाता है।

(ग) जी हां, श्री वाटर्स 2,000 रु. प्रमि मास वेतन प्राप्त करते हैं। उन्हें समुद्रपार भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता अदा नहीं किया जाता।

(घ) जी हां, श्री वाटर्स इस मौजूदा पद पर अपनी नियुक्ति के समय 850-30-1,000 पौंड के वेतनमान में 880 पौंड का वेतन प्रतिवर्ष श्रम और राष्ट्रीय सेवा के ब्रिटिश मंत्रालय से पाते थे।

(ङ) नहीं, श्रीमन्।

183

*नार्थ ब्लाक के लिपिकों के कुछ शौचालयों में प्रकाश का अभाव

629. सरदार संत सिंह : (क) तारांकित प्रश्न संख्या 432, तारीख 30 मार्च, 1943 को दिए गए अपने उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि नार्थ ब्लाक में उत्तर–पश्चिम सहन की पहली मंजिल पर अधिकारियों के शौचालय के समीप लिपिकों के शौचालय में एक वर्ष से अधिक समय से प्रकाश व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या श्रम सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि नार्थ ब्लाक के दक्षिण–पश्चिम के अन्दर के सहन की ओर लिपिकों का शौचालय है जिसका बाह्य भाग कुछ कमरों के निर्माण के लिए अब बन्द कर दिया गया है और शौचालय तक जाने के लिए एक अंधेरी गली है और इस शौचालय में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि से प्रकाश व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि नार्थ ब्लाक या भारत सरकार के अन्य भवनों में अन्य लिपिकों के शौचालयों का निरीक्षण किया जाए तो क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि वहां इसी प्रकार के असंतोषजनक हालात पाएंगे यद्यपि केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के प्राधिकारियों ने उन्हें यह सूचित किया है कि ऐसी स्थिति नहीं है;

(घ) क्या माननीय सदस्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों को सूचित किए बिना इन शौचालयों का यकायक निरीक्षण करने को तैयार हैं और

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 27 मार्च, 1944, पृष्ठ 1561

कम से कम महीने में एक या इससे अधिक बार निरीक्षण करेंगे ताकि वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों के कथन की सत्यता के बारे में निर्णय कर सकें?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क), (ख) और (ग) जी हां, मैं सचिवालय भवनों के नार्थ ब्लाक में लिपिकों के कुछ शौचालयों की प्रकाश व्यवस्था के असंतोषजनक होने के बारे में अवगत हूं। इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

लिपिकों के शौचालयों में यदाकदा बिजली के बल्ब उपलब्ध कराए जाते हैं। उनके बदले में अन्य बल्ब यथावत लगाए जाते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए यथा–संभव उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि लेम्प–तालों का उपयोग किया जाता है फिर भी प्रायः बल्ब चोरी हो जाते हैं। रिकार्ड से यह पता चलता है कि नार्थ ब्लाक के छः लिपिक शौचालयों में गत अक्तूबर से बल्ब–तालों की समान संख्या सहित 48 बल्ब बदले गए और इनमें से दो या तीन बल्ब बचे हैं तथा शेष बल्ब चुरा लिए गए हैं। साधारण दौर में इस अवधि में सभी प्वांइट (यदि एक बल्ब का औसत जीवन 1,000 घण्टे माना जाए) पर केवल 15 या 16 बल्बों की सप्लाई की जानी चाहिए। लेम्प–तालों की व्यवस्था से चोरियों को नहीं रोका गया है। अतः बिजली निरीक्षक इन शौचालयों में बिजली प्वाईटों के विशेष प्रकार की फिटिंग्स की व्यवस्था करने का प्रबंध कर रहे हैं। यह आशा की जाती है कि इस प्रबंध से चोरी रूकेगी और लिपिकों के शौचालयों में प्रकाश व्यवस्था में सुधार हो जाएगा।

(घ) ऐसे उपायों की दृष्टि से जिन्हें अब प्रारंभ करने का प्रस्ताव है, मैं आवश्यक नहीं समझता कि मैं यकायक निरीक्षण करूं।

184

*डी.आई.जैड क्षेत्र, नई दिल्ली में परम्परागत लिपिकों के क्वार्टरों के सामने हरी घास के मैदान

630. सरदार संत सिंह : (क) 17 नवम्बर, 1943 के तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि उन्हें नई दिल्ली स्थित डी.आई.जेड. क्षेत्र में पारंपरिक लिपिकों के क्वार्टरों के सामने हरी घास के मैदान के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासन द्वारा गलत सूचना दी गई है;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 27 मार्च, 1944, पृष्ठ 1561

(ख) यदि (क) के बारे में उत्तर नकरात्मक है तो क्या वे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना इन मैदानों का निरीक्षण करेंगे तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासन द्वारा उनके माध्यम से सदन को दी गई सूचना की शुद्धता का पता लगा सकेंगे;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(i) क्या क्वार्टर की बाहिरी दीवार के परे प्रत्येक मामले में जहां मैदान शुरू होता है, वहां दूसरी ओर सड़क है;

(ii) क्या यह सच है कि इन मैदानों के किनारे क्वार्टरों की दीवारों के समानान्तर हैं, अर्थात एक सीधी रेखा में हैं जहां तक क्वार्टर एक सीधी रेखा में बनाए गए थे अथवा किसी घुमाव आदि के साथ हैं परन्तु सदैव नियमित रूप से क्वार्टरों की दीवारों के समानान्तर हैं;

(iii) क्या मैदानों के किनारों का समरेखन अब भी बनाए रखा जाता है; यदि हां तो सड़कों की कितनी चौड़ाई है अर्थात, क्वार्टर और मैदान जैसा कि मूल रूप से निर्धारित और तैयार किये गए थे तथा बेयर्ड स्क्वेयर, हेवलॉक स्क्वेयर आदि में अधिकांश क्वार्टरों के सामने अथवा उनके कोनों की चौड़ाई यथावत है;

(iv) क्या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने सभी स्क्वेयरों आदि का निरीक्षण किया है ताकि हरी घास के मैदानों की दशा को देखा जा सके; यदि तो वह अधिकारी कौन था; अथवा यह मामला छोटे अधीनस्थ कर्मचारियों के हाथ में छोड़ दिया गया था; और

(v) क्या माननीय सदस्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अनुदेश जारी करने के लिए तैयार हैं कि इन स्थानों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाए जिसके बारे में शिकायतें दी गई हैं और प्रत्येक स्थान के आँधे दर्जन अथवा इससे कुछ अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए तथा उनकी शिकायतों का पता किया जाए, यदि कोई हो तथा संबंधित मामलों की रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर लिए जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो ऐसा क्यों नहीं किया गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) नहीं, मेरे पास यह विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि मुझे जो सूचना दी गई थी, वह गलत थी।

(ग) (i) जी हां, सामान्यतया स्थिति ऐसी ही है।

(ii) हरी घास के मैदान क्वार्टरों की दीवार के समानान्तर हैं और उनके मार्गों की चौड़ाई लगभग 8 फीट है।

(iv) सबडिवीजनल अधिकारी इन मैदानों को देखने के लिए उनके चारों ओर यदा कदा घूमा करता है तथा बागवानी के अधीक्षक प्रायः इन मैदानों का निरीक्षण करते हैं।

(v) जब कभी शिकायतें की जाती हैं तब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उनकी देखभाल की जाती है और इस बारे में विशेष अनुदेशों की आवश्यकता नहीं है।

185

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के कॉपी होल्डर और पुनरीक्षक जिन्होंने रीडर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है

646. मौलाना जाफर अली खां : क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1942 में रीडर की परीक्षा में तीसरे अवसर (अनुग्रह अवसर) पर भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के कुछ कॉपी होल्डर और पुनरीक्षकों के उत्तीर्ण होने पर यह बताया गया था कि यदि वे परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो वे उन सभी अर्हता प्राप्त लोगों से कनिष्ठ रहेंगे जिन्होंने प्रथम और द्वितीय अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;

(ख) क्या मई, 1942 में वर्तमान नियम लागू था जब भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में परीक्षा आयोजित की गई थी; और

(ग) क्या अर्हता प्राप्त कॉपी होल्डर तथा रीडर की पदोन्नति के संबंध में निकट भविष्य में नियम में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने तीसरे अवसर पर परीक्षा उत्तीर्ण की है, सभी से वरिष्ठ घोषित किया जाता है; यदि हां तो क्यों?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) काजी मोहम्मद अहमद काज़मी के तारांकित प्रश्न संख्या 231 के भाग (घ) और (च) तथा श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी के प्रश्न संख्या 501 के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 27 मार्च, 1944, पृष्ठ 1567-68

186

*दिल्ली में भूस्वामियों की ज्यादतियां

647. श्री कैलाश बिहारी लाल : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1944 के दिल्ली में वैश्य समाचार नामक हिंदी साप्ताहिक में "दिल्ली में मकानदारों की नादिरशाही" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने यह जान लिया है कि वास्तव में प्रभावकारी और धनी मकान–मालिक ऐसे अत्याचार करते हैं जिनका लेख में वर्णन किया गया है और वे पुलिस अधिकारियों के सहयोग से ऐसा करते हैं;

(ग) क्या यह सच है, जैसा कि साप्ताहिक पत्रिका में कहा गया है, कि पुरानी दिल्ली में मालीवाड़ा मोहल्ला में मकान का किराया 9 रु. से बढ़कर 21 रुपये 4 आने हो गया है;

(घ) क्या सरकार उन आरोपों का पता करना चाहती है जिन्हें समाचार पत्रिका में बताया गया है तथा पुरानी दिल्ली में मकान किराए के प्रश्न के संबंध में बताए गए तरीके से तानाशाही को रोकने के लिए उचित कदम उठाना चाहते हैं; और

(ड.) पुरानी दिल्ली में उसी प्रकार के कानून को लागू करने में सरकार की क्या क्या कठिनाइयां हैं, जो कानून नई दिल्ली में विनियमित और लागू हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : स्थानीय प्राधिकारियों के बारे में पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इस संबंध में उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

187

@खाद्य विभाग में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

648. श्री प्यारे लाल कुरील : (क) क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग और इसके अंतर्गत कार्यकारी और प्रांतीय संगठनों में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों को सम्मिलित करते हुए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 27 मार्च, 1944, पृष्ठ 1571-72

@ वही।

(ख) क्या सरकार खाद्य विभाग में अनुसूचित जातियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व के बारे में संतुष्ट है; यदि नहीं तो सरकार ऐसे क्या व्यावहारिक कदम उठा रही है ताकि खाद्य विभाग में उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुरक्षित हो सके; और

(ग) क्या सरकार ऊपर बताए गए राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए शैक्षिक योग्यताओं को अनुसूचित जातियों के लिए कम करने का प्रस्ताव रखती है; यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय सर ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव :

(क) (I) राजपत्रित पद :

यूरोपीयन	22
एंग्लो–इंडियन	1
अनुसूचित जातियों के सिवाय हिन्दू	60
मुस्लिम	22
अन्य अल्पसंख्यक संप्रदाय	8
अनुसूचित जातियां	1

(II) अराजपत्रित पद :

यूरोपीयन	3
एंग्लो–इंडियन	3
अनुसूचित जातियों के सिवाय हिन्दू	445
मुस्लिम	149
अन्य अल्पसंख्यक संप्रदाय	52
अनुसूचित जातियां	1

(ख) इस प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है। दूसरे भाग के बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान गृह मंत्रालय के प्रस्ताव संख्या 23/5/42 एस्टेट (एस), दिनांक 11 अगस्त, 1943 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके अधीन कुल रिक्त पदों में 8½ प्रतिशत पद सीधे ही भर्ती से किए जाएंगे और इन्हें अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाते हैं तथा आयु सीमा और फीस के संबंध में कुछ रियायतें ऐसे उम्मीदवारों को दी गई हैं। इन रिक्त स्थानों का विज्ञापन सभी महत्वपूर्ण समाचारपत्रों में दिया जाता है ताकि सभी उम्मीदवारों को सूचना मिल सके।

(ग) नहीं, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अधीन जारी किए गए आदेश जिनके बारे में मैंने संदर्भ दिया है, सभी मामलों में योग्यताओं का न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाता है तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए रिक्त पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए होना इस शर्त के अधीन है।

188

*पुरानी दिल्ली और शाहदरा में किराएदारों द्वारा सहन की जा रही दुःख-तकलीफ़

191. श्री मोहम्मद अनवर अली : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य पुरानी दिल्ली और शाहदरा के किराएदारों द्वारा सहन की जा रही दुःख–तकलीफ़ से अवगत हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गत दो वर्ष में कुछ धनी मकान की मालिकों ने किराए में 150 प्रतिशत वृद्धि की है और पंजाब अर्बन रूरल एक्ट लागू किये जाने के बाद ऐसा किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मकान–मालिकों ने पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं ताकि किराएदारों पर यह दबाव डाला जाए कि वे या तो मकान छोड़ दें अथवा किराए बढ़ा दें;

(घ) क्या सरकार नई दिल्ली में किराएदारों पर लागू किराया नियंत्रण अधिनियम (रेंट कंट्रोल ऐक्ट) के उपबंधों को पुरानी दिल्ली और शाहदरा तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। सामान्य स्थिति ऐसी है।

(ख) और (ग) मैं इस बात से अवगत हूं कि किराए में वृद्धि की गई है परन्तु पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट (पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम) 1941 के अन्तर्गत ये मामले न्यायालयों के निर्णय के लिए विचारार्थ हैं।

(घ) नई दिल्ली हाउस रेंट कंट्रोल आर्डर (नई दिल्ली आवास गृह किराया नियंत्रण आदेश), 1939 के विस्तार में प्रशासनीय कठिनाइयां विचाराधीन क्षेत्रों के लिए हैं परन्तु भारत सरकार अन्य कानूनों के बारे में विचार कर रही है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1944, 27 मार्च, 1944, पृष्ठ 1571-72

189

*ईस्ट इंडिया रेलवे के विरूद्ध मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन दर्ज कराई गई अनियमितताएं

54. श्री अनंग मोहन दाम : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि ईस्ट इंडिया रेलवे के विरूद्ध 1938 से मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन निरीक्षक ने कौन कौन सी अनियमिततायें दर्ज कराईं और इस बारे में सरकार, रेलवे बोर्ड और रेलवे प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है; यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन अनियमितताओं में से कोई अनियमितता वर्ष प्रति वर्ष रिपोर्टों में दोहराई गई है;

(ग) भाग (ख) में बताई गई अनियमितताओं के बारे में क्या कार्रवाई की गई है; यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई; और

(घ) अनियमितताओं के दोहराने के लिए रेलवे प्रशासन के विरूद्ध मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां न करने के क्या कारण है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और समय पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पता लगाई गई अनियमितताएं रेलवे प्रशासन के नोटिस में सुधार के लिए लाई गई हैं।

(घ) सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि औपचारिक रूप से इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए जब वैयक्तिक मामलों में अन्यथा समझौता किया जा सकता है।

190

@युद्ध के तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए भर्ती किए गए तकनीकी विशेषज्ञ

222. डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा युद्ध के तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए भर्ती किए गए तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या क्या है; वेतन और अन्य भत्तों को सम्मिलित करते हुए उनकी मासिक परिलब्धियां कितनी हैं;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 30 मार्च, 1944, पृष्ठ 358

@ वही, 25 फरवरी, 1944, पृष्ठ 539

(ख) युद्ध के तकनीशियनों के केन्द्रों की कुल कितनी संख्या है और इनमें से कितने केन्द्र इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा रेलवे वर्कशापों के समीपी सहयोग में हैं;

(ग) इंजीनियरिंग कॉलेजों और रेलवे वर्कशाप से संबद्ध युद्ध के टेक्नीशियन केन्द्रों में कितने विशेषज्ञ अनुदेशक तैनात हैं;

(घ) अब जबकि भारतीयों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है, क्या इन अनुदेशकों को अधिक उपयोगिता की दृष्टि से अन्यत्र काम पर लगाया जा सकता है; और

(ङ.) क्या यह सच है कि इन विशेषज्ञ अनुदेशकों को अध्यापन के कार्य के अलावा अन्य केन्द्रों के निरीक्षण के कार्य को भी आवंटित किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रत्यक्ष रूप से यह संदर्भ ब्रिटिश विशेषज्ञ अनुदेशकों के लिए है।

100 ब्रिटिश विशेषज्ञ अनुदेशकों की भर्ती की गई थी और अब उनमें से 87 सेवा में लगे हुए हैं। उनकी परिलब्धियां निःशुल्क फर्नीचर सहित क्वार्टरों अथवा इसके एवज़ में आवासीय भत्ता तथा उपयुक्त मामलों में यात्रा भत्ता शामिल करके 620 रुपये और 872 रुपये प्रतिमाह के बीच कोई राशि होती है।

(ख) टेक्नीकल ट्रेनिंग योजना के अन्तर्गत

प्रशिक्षण केन्द्रों की कुल संख्या 270

इंजीनियरिंग कॉलेजों में केन्द्र 12

रेलवे वर्कशापों में केन्द्र 27

(ग) प्रत्येक में 10

(घ) सरकार की राय में वे अन्यत्र की तुलना में तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयोगी ढंग से काम पर लगाए जाते हैं।

(ङ.) जी हां, कुछ ही मामलों में।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या कोई केन्द्र कराची में एकत्रित किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या यह सच नहीं है कि ये विशेषज्ञ अनुदेशक जो इंजीनियरिंग कॉलेजों अथवा वर्कशापों से सम्बद्ध केन्द्रों में तैनात किए जाते

हैं ऐसे केन्द्रों के निरीक्षण का अतिरिक्त काम करते हैं जो इन संस्थाओं से बाहर स्थापित किए गए हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, जैसा कि मैंने कुछ मामलों में कहा है।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ऐसे ये विशेषज्ञ जो इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ सम्बद्ध हैं, सरकार के अनुशासन के अधीन हैं अथवा संबंधित कॉलेज के कर्मचारीवर्ग के अन्य सदस्य के साथ सम्बद्ध हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नोटिस चाहता हूं।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ये विशेषज्ञ जो इंजिनियरिंग कॉलेजों के साथ सम्बद्ध हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टॉफ में अपने को सम्मिलित नहीं समझते और वे यह नहीं समझते कि वे उस अनुशासन के अधीन हैं जिसके अधीन स्टॉफ के सदस्य होते हैं, क्या सरकार इस तथ्य से अवगत हैं कि वे अन्य संस्थाओं के निरीक्षण में अधिक समय लगाते हैं और वे अध्यापन के कार्य को आकर्षक नहीं मानते तथा उनकी अध्यापन में रूचि नहीं होती?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस बात की पूछताछ करूंगा जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है।

191

*भारत सरकार मुद्रणालय में हड़ताल

230. काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकारी मुद्रणालय में कर्मचारियों में भारी असंतोष होने के फलस्वरूप 1 दिसंबर, 1942 को हड़ताल शुरू हो गई जिसे श्रम सचिव और श्रम कल्याण अधिकारी के प्रयासों से शान्त किया गया और इन अधिकारियों को कामगारों ने अपनी बड़ी–बड़ी शिकायतें बताई;

(ख) सरकार ने इन शिकायतों विशेषकर निम्नलिखित शिकायतों को दूर करने के लिए क्या किया है :

(i) रेलवे की दरों के अनुसार मुद्रणालय के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति;

---

* विधान सभा वाद–विबाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 25 फरवरी, 1944, पृष्ठ 546

(ii) सभी औद्योगिक कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी का दिया जाना;

(iii) सभी कर्मचारियों पर पॉच प्रतिशत मकान किराए की एकरूपता की दर का लागू किया जाना चाहे मुद्रणालय क्वार्टरों के कब्जे की तारीख कुछ भी क्यों न हो;

(iv) जिल्दसाजी शाखा में कर्मचारियों के वर्तमान कई वेतन मानों के स्थान पर एक उपयुक्त वेतनमान लागू करना ताकि उन्हें जीवनयापन की मजदूरी मिल सके; और

(v) प्रेस के सभी कर्मचारियों को कम से कम पुराने वेतनमान दिया जाना?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) (i) और (iii) चूकि इन प्रश्नों ने सभी सेवाओं को प्रभावित किया, इसलिए प्रेस कर्मचारियों का अलग व्यवहार का अनुरोध स्वीकार नही किया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि प्रेस के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर यह निर्णय किया गया है कि मंहगाई भत्ता को सरकारी आवास गृहों के कब्ज़ेदारों द्वारा देय किराए की गणना में महंगाई भत्ते को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) और (iv) – दोनों ही प्रश्न इस समय विचाराधीन हैं। इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि शीघ्र ही निर्णय किया जाए।

(v) यह ठीक समय नहीं है जब वेतनमान का सामान्य संशोधन का कार्य हाथ में लिया जाए। इस प्रकार के संशोधन का कार्य युद्धोत्तर दशाओं के परिप्रेक्ष्य में युद्ध के बाद ही हाथ में लिया जा सकता है।

192

*भारत सरकार मुद्रणालय में योग्यता प्राप्त कॉपी होल्डरों और पुनरीक्षकों की रीडरों के रूप में पदोन्नति

231. काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालयों में योग्यता प्राप्त कॉपी होल्डरों तथा पुनरीक्षकों की रीडर के स्थान पर पदोन्नति करने के बारे में नियम के संशोधन का मामला भारत के मुद्रण तथा लेखन–सामग्री नियंत्रक के कार्यालय में ½ वर्ष से विचार हेतु आस्थगित है;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 25 फरवरी, 1944, पृष्ठ 546-47

(ख) क्या यह सच है कि सभी भारत सरकार मुद्रणालय, उनकी कार्य समितियों और कर्मचारियों के संघों के विचार मुद्रण एवं लेखन–सामग्री नियंत्रक द्वारा आमंत्रित किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मुद्रण एवं लेखन–सामग्री नियंत्रक ने यह सुझाव दिया कि रीडर के लिए परीक्षा अनिश्चित् काल अर्थात उस समय तक के लिए स्थगित कर दी जाए जब तक प्रतीक्षा गत सूची के सभी अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को रीडर के पद पर स्थायी तौर पर लगा न दिया जाए;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ कॉपी होल्डर और पुनरीक्षक जिनकी पन्द्रह वर्ष से अधिक सेवाएं हो चुकी हैं, उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार उन लोगों से जूनियर कर दिया गया है जिन्होंने केवल चार या पांच वर्ष की सेवा पूरी की है जबकि सभी कर्मचारी एक ही परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं;

(ड.) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने पहले ही प्रयास में वर्ष 1936 में रीडर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, उन व्यक्तियों से जूनियर हो गए हैं जिन्होंने दूसरे प्रयास में चार वर्ष बाद (1940 में) अर्हता प्राप्त की थी; और

(च) यदि भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या माननीय सदस्य नियमों की विसंगतियों को दूर करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में मई, 1944 में होने वाली रीडर पद की परीक्षा इस निर्णय के अभाव में आस्थगित न कर दी जाए; यदि ऐसा नहीं है तो इतने समय तक निर्णय को आस्थगित रखने का क्या लाभ है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क), (ख) और (ग) जी हां। उठाए गए मुद्दों पर सरकार के निर्णय को अंतिम रूप देने में विलम्ब का कारण यह है कि उन अलग अलग पार्टियों द्वारा जिनके विचार आमंत्रित किए गए थे अलग–अलग विचार व्यक्त किए।

(घ) इन नियमों के कार्यान्वयन में निहित कतिपय विसंगतियां सरकार के नोटिस में लाई गई है। इन्हें दूर करने के प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता। रीडर के स्थान पर नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं और अर्हता प्राप्त करने के लिए परीक्षा के परिणामों के आधार पर गुणावगुण द्वारा नहीं की जाती।

(च) ऊपर (घ) के बताए गए उत्तर में इस विषय पर नियमों के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। यह आशा की जाती है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में आगामी रीडर–परीक्षा (मई, 1944 में संभावित) के आयोजन से पूर्व आदेश जारी कर दिए जाएं।

193

*नई दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश (न्यू दिल्ली रेंट कंट्रोल आर्डर) में संशोधन

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 24 जनवरी, 1944 को घोषित नई दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश (न्यू दिल्ली रेंट कंट्रोल आर्डर) के संशोधन पूर्वप्रभावी रूप से लागू हैं जैसा कि उनके संयुक्त सचिव श्री मजूमदार ने प्रेस सम्मेलन में कहा था जिसके विवरण 27 जनवरी को नई दिल्ली के स्टेट्समैन में प्रकाशित किए गए थे;

(ख) क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि इन संशोधन की व्याख्या दिल्ली स्थित न्यायालयों द्वारा की जाती है कि क्या ये संशोधन पूर्व प्रभावी हैं;

(ग) यदि सरकार का यह इरादा नहीं था कि इन संशोधनों को पूर्व प्रभावी बनाया जाए तो क्या वे प्रस्ताव करते हैं कि इस बारे में वे अपना स्पष्टीकरण जारी करें और यह स्पष्टीकरण दिल्ली स्थित न्यायालयों द्वारा उनकी व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए; यदि नहीं तो क्यों?

(घ) क्या वे इस तथ्य से अवगत है कि 24 जनवरी के असाधारण बजट की प्रति में इन संशोधनों की घोषणा की गई थी, और उन्हें हिन्दू समाचार पत्र के नई दिल्ली के संवाददाता श्री शिवराव को निजी तौर पर उनके कार्यालय से उस समय दे दी गई थी जब जनता को इसकी प्रतियां उपलब्ध न थीं ताकि श्री शिवराव इसका लाभ बेदखली के उस मुकदमें में उठा सकें जो दिल्ली सिविल कोर्ट में आस्थगित था और जिसके बारे में निर्णय 25 जनवरी को घोषित होने वाला था;

(ङ.) क्या माननीय श्रम सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि उनके संयुक्त सचिव श्री मजूमदार ने ये आदेश जारी किए थे कि बाराखंभा रोड स्थित हाउस नं. 7 का, जिसमें श्री शिव राव एक किराएदार की हैसियत में रहते हैं, अधिग्रहण करना चाहिए और यदि डिगरी के लागू किये जाने पर श्री शिव राव को बेदखल कर दिया जाए और सिविल कोर्ट द्वारा मकान मालिक के पक्ष में दे दिया जाए? यदि ये आरोप सही हैं तो क्या श्रम सदस्य यह प्रस्ताव करेंगे कि सरकारी नौकरों के तथाकथित पक्षपात की जांच प्रारंभ की जाए?

(च) क्या यह सच है कि श्री मजूमदार ने आदेश जारी किए हैं कि यदि श्री शिव राव को बेदखल किया जाता है तो उन्हें तीन कमरों का सरकारी मकान

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 1, 1944, 28 फरवरी, 1944, पृष्ठ 557-58

उपलब्ध कराया जाना चाहिए? क्या इसी प्रकार की सुविधाएं नई दिल्ली के अन्य पत्र–पत्रिकाओं के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इस प्रकार का वक्तव्य संयुक्त सचिव, श्रम विभाग में नहीं किया था।

(ख) हमारे पास इस विषय की कोई सूचना नहीं है।

(ग) नहीं। इस प्रकार के कानून और आदेश की व्यवस्था करने का काम अदालतों का है, यह काम सरकार का नहीं है।

(घ) नहीं। यह आरोप सही नहीं है।

(ङ) जी हां। यह आदेश पारित किया गया था क्योंकि बताई गई घटना के कारण यह आवास गृह खाली होगा और सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

सरकार के लिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इस गृह का अधिग्रहण श्री शिवराव के लिए किया जाए। यह सरकार की नीति है कि दिल्ली स्थित उन सभी उपलब्ध आवास–गृहों का अधिग्रहण किया जाए जो खाली हो जाते हैं।

(च) नहीं।

सर मोहम्मद यामीन खां : सरकार का क्या इरादा है? क्या वे इसे पूर्व प्रभावी बनाना चाहते हैं अथवा नहीं?

माननीयक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसकी कानूनी व्याख्या सदैव न्यायालय द्वारा की जाती है।

सर मोहम्मद यामीन खां : निःसंदेह न्यायालय इसकी व्याख्या करेंगे परन्तु सरकार का क्या आदेश है? क्या इसे पूर्व प्रभावी बनाना है अथवा क्या यह केवल भविष्य के लिए है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह ऐसा मामला है जिसे न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए।

श्री एन.एम. जोशी : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली के मकान–मालिक अपने किराएदारों को परेशान कर रहे हैं ताकि लाभ उठा सकें और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि मकान–

मालिक परेशान कर रहे हैं परन्तु हमसे किरायेदारों का प्रतिनिधिमंडल मिला और उसने सरकार के समक्ष कुछ शिकायतें प्रस्तुत कीं तथा नई दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश में संशोधन किया गया ताकि कुछ शिकायतों का निराकरण हो सके।

सर मोहम्मद यामीन खां : इस मामले में मकान–मालिक सेवा निवृत्त अधिकारी अभियंता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) रायबहादुर दुर्गादास हैं जिनका 20 व्यक्तियों का बड़ा परिवार है जिन्हें वे कहीं अन्यत्र घर में नहीं रख सकते।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

मौलवी मोहम्मदं अब्दुल गनी : क्या यह सरकार का इरादा है कि किसी भी पारित आदेश को स्पष्ट किया जाए यदि न्यायालय किसी प्रकार की संदिग्धता महसूस करता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को नहीं समझ पाया।

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपने पारित आदेश के बारे में न्यायालय को कोई स्पष्टीकरण जारी करने का प्रस्ताव करती है जिसका संबंध उसके पूर्व प्रभावी रूप से लागू किए जाने से है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : निश्चय ही यदि इस आदेश के बारे में कोई संदिग्धता है तो सरकार इसे स्पष्ट करेगी।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या यह आदेश बिल्कुल स्पष्ट है अथवा इसकी व्याख्या की आवश्यकता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र को एक प्रति सप्लाई कर सकता हूं।

श्री लालचन्द नवलराय : मेरा यह प्रश्न है : क्या आदेश स्पष्ट और संदिग्ध है अथवा इसकी व्याख्याएं की जाती हैं? माननीय सदस्य यह बताते हैं कि न्यायालय इसकी व्याख्या करेगा। न्यायालय निस्संदेह ऐसा करेगा परन्तु बाद के मामले में ऐसा करेगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र क्या कहना चाहते हैं।

श्री लालचन्द नवलराय : मेरा प्रश्न यह है। माननीय सदस्य ने बताया है कि इस आदेश की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जा सकती है। परन्तु मेरा कहना है कि क्या इस आदेश की व्याख्या की जाती है। इस बारे में माननीय सदस्य

का कहना है कि यह बात न्यायालय पर निर्भर करेगी ....

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : यह एक तर्क है।

श्री लालचन्द नवलराय : मैं एक प्रश्न कर रहा हूं।

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : शान्ति, शान्ति।

194

*कोयला खानों में भूमिगत स्थलों पर काम करने के लिए महिलाओं को लगाया जाना

701. श्री के.एस. गुप्ता : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि क्या श्री सोरेन सेन ने भारत में कोयला खानों में काम करने के लिए महिलाओं की भर्ती को सबसे गंभीर और अधोगामी कदम बताया है;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थों और जीवन की अन्य आवश्यकताओं का मूल्य युद्ध से पूर्व दरों की तुलना में चार से पांच गुना हो गया है जबकि अधिकांश कोयला खानों में मजदूरी पूर्व युद्ध की दरों से केवल 50 प्रतिशत अधिक है;

(ग) क्या यह सच है कि महिलाओं को कोयले की खानों में काम करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि पुरुषों की आवश्यक संख्या कोयला–खदानों में काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या यह सच है कि कोयला खानों में सेवा की सुविधाएं मजदूरों की आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम हैं जिसके फलस्वरूप पुरुष मजदूर वेतन और अच्छे भविष्य के लिए अन्यत्र सेवा–कार्य खोजने पर बाध्य हुए हैं जो कोयला–खानों की तुलना में कहीं लाभप्रद है; और

(ङ.) क्या यह सच है कि महिलाओं को कोयले–खानों और भूमिगत स्थलों (अर्थात् कोयलों की खानों के अलावा अन्य खदानों) में इंगलैंड और अमरीका में मना किया जाता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मैंने इस संबंध में प्रेस–नोटिस देखे हैं।

(ख) मेरे पास इस बारे में सही सूचना नहीं है कि युद्ध से पूर्व की स्थिति की तुलना में कोयला–क्षेत्र में जीवन के रहन–सहन की लागत में वृद्धि हुई है।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1944, 30 मार्च, 1944; पृष्ठ 1745

कोयला–खानों में काम करने वाले लोगों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) इस बात के साक्ष्य हैं कि कोयला खनन के काम में लगे मजदूरों ने कोयला खानों के पड़ोस में सैन्य–निर्माण कार्यों में सेवा करने को वरीयता दी। जहां तक सुविधाओं की बात है, मैं 1 मार्च, 1944 के उनके प्रश्न संख्या 273 के मेरे उत्तर के भाग (ग) की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(ङ.) महिलाओं को इंगलैंड में भूमिगत स्थलों पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। फिर भी महिलाओं को कोयला खानों में ऊपरी सतह पर काम करने के लिए रोजगार दिया जाता है। मेरे पास अमरीका के बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि युद्ध से पूर्व दिनों में चावल की कीमत 12 सेर प्रति रुपया थी और अब कोयला क्षेत्रों में खान में काम करने वालों से 6 सेर प्रति रुपया की कीमत वसूल की जाती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसकी सही जानकारी नहीं है।

195

*कोयला खदानों में भूमिगत स्थलों पर कार्य करने के लिए महिलाओं को रोजगार

702. श्री के.एस. गुप्ता : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयले की कमी का कारण यह है कि भारत सरकार ने भूमिगत स्थलों में काम करने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध हटा लिया है? यदि हां तो, क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि मानव जीवन का मूल्य कोयला उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक है;

(ख) क्या माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इस प्रकार की अनुमति इंगलैंड या अन्यत्र एक क्षण के लिए भी न सही जाएगी;

(ग) क्या यह सच है कि जीवन की बेहतर दशाएं और पर्याप्त मजदूरी भारतीय कोयला–खदानों के मजदूरों को उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक ढंग से कोयलों की खुदाई इंगलैंड और अमरीका की तुलना में भारत में उपलब्ध नहीं है; और

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1944, 30 मार्च, 1944, पृष्ठ 1745-46

(ङ.) क्या माननीय सदस्य को यह पता है कि अन्यत्र स्थानों की तुलना में भारत में मिट्टी की धसकन और कोयला–गैस के विस्फोट प्रायः होते हैं क्योंकि पर्याप्त पूर्वोपाय का अभाव है तथा कच्चे कोयले को निकालने के पुराने तरीके अस्तित्व में हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इस प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर सकारात्मक है।

(ख) ग्रेट ब्रिटेन की कोयला–खानों में महिलाओं को भूमिगत स्थलों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। मुझे उन देशों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) जैसा कि मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न संख्या 274, दिनांक 1 मार्च, 1944 के उत्तर में बताया था, खानों में काम करने की दशाएं अत्यंत संतोषजनक नहीं हैं। यह देखने के लिए प्रति संभव उपाय किया जा रहा है कि जीवन की दशा में सुधार किया जाये और पर्याप्त मजदूरी अदा की गई जाये।

(घ) भारतीय कोयला–खदानों में यंत्रीकरण उतना उन्नत नहीं है जैसा कि इंगलैंड और अमरीका में है।

(ङ.) भारतीय कोयला–खानों में भूमि के ढह जाने अथवा धसक जाने की घटनाएं उतनी नहीं होती जितनी अन्य देशों में होती हैं जहां कोयला सतह के समीप लगता है। गैस विस्फोट भी भारत की खानों में उतने नहीं होते जितने अधिकांश अन्य देशों की कोयला–खानों में होते हैं। इस देश में सावधानी के पूर्वोपाय किसी भी अन्य देश के पूर्वोपाय की तुलना में हितकर होते हैं।

196

*नई दिल्ली स्थित डी.आई.जेड. क्षेत्र के स्क्वेयर के खुली जगहों को बंद किया जाना

704. सरदार संत सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके क्या कारण है कि नई दिल्ली स्थित डी.आई.जैड. क्षेत्र के अलग अलग स्क्वेयरों के कोने तथा बीच के खाली स्थानों को बन्द कर दिया गया?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इन मार्गों के बन्द करने का कारण था कि लोगों को उपद्रव करने से रोका जाए। यह कार्रवाई लोक स्वास्थ्य के सुझाव पर की गई।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1944, 30 मार्च, 1944, पृष्ठ 174

197

*कराची पत्तन न्यास में मजदूरों की बैचेनी

715. सेठ युसुफ अब्दुला हारून : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान उस ज्ञापन की ओर आकर्षित किया गया है जिसे काज़ी मोहम्मद, महा सचिव, सिंध प्रांतीय व्यापार संघ कांग्रेस (सिन्ध प्राविन्शियल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) द्वारा शीर्षक "कराची पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) में मजदूरों की बैचेनी के बारे में कुछ तथ्य" के नाम से जारी किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि कराची पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) के 2,384 कामगारों ने अपनी मांगों की जांच के लिए एक निर्णायक की नियुक्ति की मांग की है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार के श्रम कल्याण अधिकारी ने जुलाई, 1943 में कराची की अपनी यात्रा के बाद कुछ सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि ऊपर दिए गए तथ्य का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार ने क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है अथवा इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य, युद्ध परिवहन ने इस प्रश्न का उत्तर देने पर सहमति प्रकट की है।

198

@सिविल पायनियर फोर्स में पायनियरों का वेतन

718. श्री प्यारे लाल कुरील : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिविल पायनियर फोर्स को आक्जीलियर पायनियर फोर्स में बदलने का इरादा रखती है; और

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार का कब सिविल पायनियर फोर्स को आक्ज़ीलियर पायनियर फोर्स में बदलने का विचार है, क्या यह परिवर्तन युद्ध के दौरान अथवा युद्ध के बाद किया जाएगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ी, पृष्ठ 1751

199

@सिविल पायनियर फोर्स में पायनियरों का वेतन

718. श्री प्यारे लाल कुरील : (क) क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सिविल पायनियर फोर्स में एक पायनियर का वेतन केवल 15 रुपये प्रति मास है;

(ख) क्या माननीय सदस्य पायनियर के मौजूदा वेतन को देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अधीन पर्याप्त समझते हैं; और

(ग) क्या सरकार पायनियरों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव करती है जैसा कि भारतीय सेना के सिपाहियों का वेतन बढ़ाया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सिविल पायनियर फोर्स के पायनियर का वेतन 15 रुपये प्रमि मास है। यदि वह युद्ध क्षेत्र में सेवा कर रहा है जहां रक्षा सेनाओं के सदस्यों को इसी प्रकार का भत्ता स्वीकार्य है तो उसे रुपये 3-8-0 प्रतिमास की दर से बट्टा दिए जाने की स्वीकृति है।

(ख) यह विचार करते हुए कि पायनियर को उसके वेतन के अलावा निःशुल्क राशन, निःशुल्क आवास–गृह, निःशुल्क वर्दी और साज–समान उपलब्ध कराया जाता है तो यह वेतन पर्याप्त है।

(ग) युद्ध क्षेत्र में काम पर लगे व्यक्तियों के बारे में विचार किया जाएगा।

200

*सिविल पायनियर फोर्स के दर्जियों को भत्ते का भुगतान न किया जाना

719. श्री प्यारे लाल कुरील : (क) क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त प्रांत सिविल पायनियर फोर्स की सेकेंड यूनिट से सम्बद्ध लिपिकों, सफाई करने वालों और धोबियों में से प्रत्येक को 5 रुपये प्रतिमास भत्ता दिया जाता है;

@ वही।

* वही।

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो ऊपर बताई गई फोर्स से सम्बद्ध दर्जियों के मामले में समान भत्ता क्यों नहीं दिया जाता; और

(ग) क्या सरकार यह प्रस्ताव करती है कि इस संबंध में दर्जियों की शिकायतों को दूर किया जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नाइयों, धोबियों और सफाई करने वालों को भर्ती करने की कठिनाई के कारण प्रांतीय सरकारों को विशेष व्यापार भत्ता विशेष वर्गों के भत्ते के बराबर अधिकतम 5 रुपये प्रतिमास भत्ता दिए जाने की अनुमति है। प्रांतीय सरकारों के लिए यह खुला प्रस्ताव है कि वे ऊपर बताए गए वर्गों के अलावा दर्जियों को मिलाकर उच्च वर्गों के लिए व्यापार भत्ता देने की सिफारिश करें।

(ख) संयुक्त प्रांत की सरकार द्वारा दर्जियों को विशेष भत्ता दिए जाने की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) भारत सरकार कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझती।

201

*रेल प्रशासन द्वारा अवैध कटौतियों आदि के विरूद्ध मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन आवेदन

222. श्री मोहम्मद अज़हर अली : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल प्रशासन द्वारा अवैध कटौतियों और देर से भुगतान करने के विरूद्ध पृथक–पृथक निदेशों के लिए 1 अप्रैल, 1938 से मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 15(2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राधिकरण के सामने हर वर्ष कितने आवेदन पेश किए जाते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 15(2) के अधीन रेल कर्मचारियों द्वारा पेश किए गए आवेदनों की संख्या के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। आवश्यक जानकारी हासिल करने में जो श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणाम से न्यायोचित नहीं होगा।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 3, 30 मार्च, 1944, पृष्ठ 1757.

202

*कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले रेल कर्मचारियों के काम के घण्टों के उल्लंघन के मामले

223. श्री मोहम्मद अज़हर अली : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1931 के कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले रेल कर्मचारियों के काम के घन्टों के उल्लंघन के कितने मामले आए हैं, और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जानकारी प्राप्त की जा रही है और ठीक समय पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

203

*केन्द्रीय विद्युत बोर्ड आदि के कार्य और कर्तव्य

224. श्री मोहम्मद अज़हर अली : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि (i) केन्द्रीय विद्युत बोर्ड, (ii) दिल्ली सैन्ट्रल इलैक्ट्रिक पावर अथारिटी लिमिटेड, और (iii) केन्द्रीय विद्युत शक्ति नियंत्रण बोर्ड के क्या–क्या कार्य और कर्तव्य हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (i) केन्द्रीय विद्युत बोर्ड इंडियन इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट (भारतीय विद्युत अधिनियम), 1910 की धारा 37 के अधीन नियम बनाने के लिए इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित किया गया प्राधिकरण है।

(ii) दिल्ली सैन्ट्रल इलैक्ट्रिक पावर अथारिटी लिमिटेड एक निजी कम्पनी है और यह थोक विद्युत ऊर्जा के उत्पादन और क्रय के लिए तथा थोक उपभोक्ताओं को उसके वितरण के लिए अर्थात् जो प्रति वर्ष कम से कम 5,00,000 यूनिट की खपत करने या उसके लिए भुगतान करने का वचन देते हैं, दिल्ली प्रांत में केन्द्रीय संगठन के रूप में काम करती है:

(iii) केन्द्रीय विद्युत शक्ति नियंत्रण बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं:–

(क) विद्युत प्रदाय के बारे में किसी भी सार्वजनिक विद्युत प्रदाय उपक्रम द्वारा लागू किए जाने वाले नियंत्रण के किसी भी उपाय के बारे में भारत सरकार को सलाह देना,

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 3, 30 मार्च, 1944, पृष्ठ 1757.

@ वही।

(ख) किसी सार्वजनिक विद्युत प्रदाय उपक्रम की स्थिति में ऐसा नियंत्रण रखना जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो और विशिष्ट तौर पर, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार विद्युत के नए प्रयासों के लिए और वर्तमान प्रयासों के प्रतिबंध के लिए परमिट जारी करना,

(ग) सार्वजनिक विद्युत प्रदाय उपक्रमों से ऐसी जानकारी एकत्र करना जिसे नियंत्रण की जरूरतों के बारे में उन क्षेत्रों के बारे में जिनमें अतिरिक्त विद्युत शक्ति सुलभ होनी संभव है, सरकार को सलाह देने की स्थिति में होने के लिए वह आवश्यक समझे।

(घ) ऐसी जानकारी एकत्र करना जो भारत के युद्ध प्रयासों और औद्योगिक विकास के सामान्य हित की वृद्धि में अधिकाधिक विद्युत शक्ति के विकास और उपयोग के समन्वय में सहायता के लिए आवश्यक हो।

204

*शाहदरा, दिल्ली में उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली विद्युत दरें

225. श्री मोहम्मद अज़हर अेली : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सच है कि (i) केन्द्रीय विद्युत बोर्ड (ii) दिल्ली सेंन्ट्रल इलैक्ट्रिक पावर अथारिटी बोर्ड और (iii) केन्द्रीय विद्युत शक्ति नियंत्रण बोर्ड को शाहदरा कस्बे में विद्युत प्रदाय पर पर्यवेक्षण, शक्ति और नियंत्रण प्राप्त है;

(ख) क्या यह सच है कि पित्कीथली रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि दिल्ली प्रांत में वर्तमान खपत के लिए एक--सी दरें लागू की जाएं;

(ग) क्या यह सच है कि शाहदरा कस्बे में बिजली के वितरण के लिए अपर जमना वेली इलैक्ट्रिसिटी कम्पनी को दिया गया लाइसेन्स पित्कीथली रिपोर्ट से पहले एक तारीख को था, यदि हां, तो किन कारणों से उस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर लाइसेंस में संशोधन नहीं किया गया और विद्युत दर -/6/- आने प्रति यूनिट से घटा कर -/4/- आने प्रति यूनिट नहीं की गई; और

(घ) क्या सरकार वितरण लाइसेन्स निविदा आमंत्रित करके ऐसी कम्पनी को देना चाहती है जिसकी सेवा कम खर्चीली होंगी, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 3, 30 मार्च, 1944, पृष्ठ 1757-58.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) यदि यह मान लिया जाए कि शाहदरा कस्बे में विद्युत प्रदाय पर पर्यवेक्षण, शक्ति और नियंत्रण के प्रति माननीय सदस्य का उल्लेख प्रदाय की शर्तों और दरों के संबंध में है, तो वर्णित प्राधिकरण इस विषय में जिम्मेदार नहीं है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रथम भाग – हाँ, दूसरा भाग – रिपोर्ट में यह सिफारिश नहीं की गई थी कि लाइसेन्स में संशोधन किया जाए।

(घ) जब तक वह समय नहीं आ जाता कि दिल्ली में केन्द्रीय पावर हाउस से शाहदरा लाइसेन्सधारी को ऊर्जा सप्लाई देना संभव पाया जाए, तब तक वे दरें जो शाहदरा लाइसेन्सधारी ले रहा है (और जो इसके लाइसेन्स के अनुसार हैं) अत्यधिक नहीं मानी जा सकती, और इस क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति को दूसरा वितरण लाइसेन्स देने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

205

*शाहदरा, दिल्ली में उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली विद्युत दरें

226. श्री मोहम्मद अज़हर अली : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सच है कि अपर जमना वेली इलैक्ट्रिसी कम्पनी लिमिटेड संयुक्त प्रांत सरकार के प्रदाय के लिए -/2/6 आने प्रति यूनिट अदा करती है;

(ख) क्या यह सच है, कि उक्त कम्पनी शाहदरा कस्बे के उपभोक्ताओं से विद्युत प्रदाय के लिए -/6/- आने प्रति यूनिट लेती है;

(ग) कम्पनी किस दर से लागू प्रभार निकालती है; और

(घ) 1939 से हर वर्ष उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है और उक्त कम्पनी द्वारा सेवा बनाए रखने के लिए हर वर्ष कितनी रकम खर्च की जाती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) हां।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 3, 31 मार्च, 1944, पृष्ठ 1758.

(घ) उपभोक्ताओं की संख्या का एक विवरण संलग्न है। "सेवा बनाए रखने के लिए खर्च" वाक्यांश इतना निश्चित नहीं है कि कोई आंकड़े दिए जा सकें।

	उपभोक्ताओं की संख्या
31 मार्च 1939 को समाप्त वर्ष	114
31 मार्च 1940 को समाप्त वर्ष	118
31 मार्च 1941 को समाप्त वर्ष	131
31 मार्च 1942 को समाप्त वर्ष	141
31 मार्च 1943 को समाप्त वर्ष	143

206

*कारखाना (द्वितीय संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : महोदय, मैं कारखाना अधिनियम, 1934 (द्वितीय संशोधन) में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है:

"कि कारखाना अधिनियम 1934 (द्वितीय संशोधन) में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

207

*नई दिल्ली में इर्विन रोड पर क्वार्टरों के बीच के मेहराब बंद करना

771. श्री मोहम्मद अज़हर अली : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य को यह मालूम है कि कुछ समय पहले नई दिल्ली में इर्विन रोड पर स्थित सरकारी क्वार्टरों के बीच के कुछ रास्ते (मेहराब) वाहनों आदि के आने–जाने के लिए बंद कर दिए गए थे;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 3, 3 अप्रैल, 1944, पृष्ठ 1870.

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 3, 4 अप्रैल, 1944, पृष्ठ 1914.

(ख) क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि उनमें से कुछ सीमेन्ट के छोटे–छोटे खम्भे खड़े करके बंद किए गए हैं और कुछ पांच टाइप की संरचना में नियत किए गए घूमने वाले लोह–छड़ द्वार लगाकर;

(ग) जब पांच टाइप की संरचनाएं वाहनों का आवागमन आसानी से रोक सकती हैं तो इन लोह–छड़ द्वारों को लगाने का क्या उद्देश्य और उपयोगिता है;

(घ) क्या माननीय सदस्य को यह भी मालूम है कि इन लोह छड़ द्वारों से बालकों को खेलते समय चोट – कभी–कभी बहुत गंभीर चोट लग जाती है;

(ङ) क्या माननीय सदस्य का विचार इन लोह–छड़ द्वारों को तुरन्त हटाकर किसी दूसरे तरीके से उनका इस्तेमाल किए जाने की वांछनीयता पर सोचने का है; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) हाँ।

(ग) साइकिल ट्रैफिक (यातायात) रोकने के लिए

(घ) नहीं।

(ड़) सरकार माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार होगी।

208

@केन्द्रीय लेखन-सामग्री कार्यालय में मुस्लिम अधिकारियों की कमी

773. श्री मोहम्मद अज़हर अली : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य को मालूम है कि केन्द्रीय लेखन–सामग्री कार्यालय में एक भी अधिकारी मुसलमान नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि सहायक नियंत्रक, लेखन सामग्री का एक नया पद हाल ही में मंजूर किया गया है और वह भरा नहीं गया है; यदि हां, तो क्या माननीय सदस्य का उसे मुसलमानों के लिए आरक्षित करने का विचार है; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हां में है। दूसरे भाग का उत्तर यह है कि यह पद साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियमों के अनुसार भरा जाएगा।

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 4 अप्रैल, 1944, पृष्ठ 1915.

209

*मुद्रण और लेखन-सामग्री नियंत्रक के कार्यालय में एक तकनीकी अधिकारी तैनात करने की वांछनीयता

774. **श्री मोहम्मद नौमन** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार के मुद्रणालयों में तकनीकी प्रकार का काम होता है;

(ख) क्या यह भी सही है कि मुद्रण और लेखन सामग्री नियंत्रक के मुख्यालय में कोई भी अधिकारी तकनीकी पक्ष का नहीं है; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है तो क्या उनके द्वारा नियंत्रक के कार्यालय में तकनीकी अधिकारी नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार करना प्रस्तावित है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां, अधिकांशतः।

(ख) हां।

(ग) नहीं, क्योंकि उनके कार्यालय में विस्तृत तकनीकी पर्यवेक्षण और मुद्रण कार्य की जांच–पड़ताल आवश्यक नहीं है।

210

@भारतीय मजदूर परिसंघ को सरकारी अंशदान

776. **श्री लालचंद नवलराय** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उनका विभाग श्री एम.एन. राय की मार्फत भारतीय मजदूर परिसंघ में 13,000 रु. का मासिक अंशदान करता है। यदि हां तो किस प्रयोजन के लिए; अंशदान राशि इससे अधिक है या कम; क्या माननीय सदस्य सही रकम बताने की कृपा करेंगे;

(ख) क्या भारतीय मजदूर परिसंघ को इस प्रकार से दी गई अंशदान राशि का कोई लेखा–जोखा दिया गया हैं; यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 4 अप्रैल, 1944, पृष्ठ 1915.

@ वही, पृष्ठ 1915-16.

(ग) यदि भाग (ख) के प्रथम भाग का उत्तर हां में है तो क्या माननीय सदस्य पिछले छह मास के लिए प्राप्त ऐसे विवरणों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) औद्योगिक मजदूरों का मनोबल बनाये रखने के लिए प्रचार–प्रसार के लिए भारतीय मजदूर परिसंघ को हर मास 13000/- रुपए का अनुदान दिया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) नहीं। अन्य लोक लेखाओं की भांति इन लेखाओं की भी जांच–पड़ताल की जाती है और उसे पटल पर रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या वह प्रचार–प्रसार के काम के लिए इस धन को अन्य लोगों को बांटने के लिए प्राधिकृत है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : धन उन्हें नहीं दिया जाता। यह अनुदान भारतीय मजदूर परिसंघ को दिया जाता है।

श्री लालचन्द नवलराय : इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो परिसंघ का प्रभारी है। क्या वह उस धन को दूसरे लोगों को इसलिए दे सकते हैं कि वे जाकर प्रचार–प्रसार करें?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह जानकारी नहीं है कि धन का वितरण किस प्रकार किया जाएगा।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या माननीय सदस्य इस बारे में छानबीन करेंगे क्योंकि लेखा बनाने होंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : दूसरे सभी लोक लेखाओं की भांति लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या माननीय सदस्य को मालूम है कि यह रकम वितरित की गई किस प्रकार दिखाई जाती है? क्या यह लेखा–परीक्षा द्वारा दिखाई जाती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई जानकारी नहीं है, किन्तु लेखाओं की वैसे ही जांच–पड़ताल की जाती है जैसे अन्य लोक लेखाओं की।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या परिसंघ ने कोई नियम बनाकर सरकार को प्रस्तुत किए हैं जिनके द्वारा यह विनियमित किया जाए कि यह अनुदान किस प्रकार खर्च किया जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या माननीय सदस्य इस बारे में छानबीन करेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि माननीय सदस्य सवाल पूछने का ध्यान रखेंगे तो मैं पूछताछ करूँगा।

डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : मुझे नहीं मालूम कि जब वितरण के नियम ही नहीं हैं तो लेखाओं की संपरीक्षा किस प्रकार की जाएगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे भरोसा है कि लोक लेखा अधिकारी को अपना समाधान अवश्य कर लेना चाहिए कि कुछ नियम हों जिनके अनुसार धन खर्च किया जाए।

श्री बद्री दत्त पाण्डे : क्या कुछ दूसरे संगठन भी हैं जिन्हें इस प्रकार धन मिल रहा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए था।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : कुछ नियम अवश्य होने चाहिए जिनके माध्यम से यह सुनिशिचित किया जा सके कि श्री राय सारा धन अपने मित्रों पर खर्च न कर दें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह ख्याल नहीं आया कि माननीय सदस्य के पास यह मानने का कोई औचित्य है कि नियम नहीं हैं।

डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : लगता तो ऐसा ही है क्योंकि सरकार ने अनभिज्ञता जाहिर की थी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार ने अनभिज्ञता जाहिर नहीं की। मेरा जवाब था कि लेखाओं की वैसे ही जांच पड़ताल की जाती है जैसे अन्य लोक लेखाओं की।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : क्या माननीय सदस्य ने अपना समाधान कर लिया है कि यही एकमात्र संगठन है जो श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने में सरकार की मदद करेगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे उस प्रश्न की सूचना मिलनी चाहिए थी।

211

*दिल्ली न्यायालयों में बेदखली के मामले

@782. **खान बहादुर शेख फ़ज्ल-इ-हक पिराचा** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब किराया नियंत्रण अधिनियम का विस्तार दिल्ली प्रांत पर करने से दिल्ली में बेदखली के कितने मामले फाइल किए गए हैं; कितने मामले निपटाए जा चुके हैं और कितने अभी तक न्यायालयों में लम्बित हैं;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि पंजाब किराया नियंत्रण अधिनियम को दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू किए जाने के ठीक बाद मकान–मालिकों ने मकान और फ्लैट अपने स्वयं के रहने के लिए खाली कराने के लिए बहुत से किरायेदारों से कहा; क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे अधिकांश मामले झूठे हैं और मकान नजराना अदा किए जाने पर उसी या दूसरी पार्टी को किराए पर दे दिए जाते है;

(ग) क्या वह पूरे दिल्ली प्रांत में नियंत्रण आदेश बनाने के लिए हिदायतें देने की कृपा करेंगे जिनमें यह प्रावधान किया जाए कि जब तक किराएदार नियंत्रित किराया देता है या देने का इच्छुक है तब तक कोई भी मकान या फ्लैट खाली न किया जाए;

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि नियंत्रण आदेशों के प्रवर्तन के समय से दिल्ली में मकान मालिक अपनी सम्पत्ति में मरम्मत करने से सामान्यतया इंकार कर देते हैं; और यदि हां तो क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि अपनी संपत्ति की देखभाल करने से इंकार करने के लिए मकान मालिकों को दण्डित करने के लिए उनका क्या–क्या उपाय करने का विचार है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) तारीख 28 मार्च 1944 तक दाखिल किए गए मुकदमों की संख्या 1444 थी। उनमें से 888 मामले निपटाए जा चुके हैं और 556 लम्बित हैं।

(ख) हां, मैं समझता हूं कि स्थानीय प्राधिकरणों की शिकायतें मिली हैं।

(ग) कुछ उपाय सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) स्थानीय प्राधिकरणों को कुछ शिकायतें मिली हैं और यह विषय विचाराधीन है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 3, 4 अप्रैल, 1944, पृष्ठ 1919-20.

@ प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रश्न का उत्तर पटल पर रखा गया।

212

*रेलवे श्रमिक पर्यवेक्षक की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन

262. श्री लालचन्द नवल राय : रेलवे श्रमिक पर्यवेक्षक की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन के बारे में 10 फरवरी, 1943 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 43 के माननीय श्रम सदस्य के उत्तर के संदर्भ में, क्या माननीय सदस्य सम्बन्धित हितबद्ध लोगों की जानकारी के लिए प्रेस विज्ञप्ति के रूप में संक्षिप्त रिपोर्टों का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे; यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : संभवतः माननीय सदस्य 10 फरवरी, 1944 को पूछे गए प्रश्न 43 का हवाला दे रहे हैं।

रेल श्रमिक पर्यवेक्षक की वार्षिक रिपोर्टों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

213

@शाहदरा, दिल्ली में सड़कों का रखरखाव

263. श्री जी. रंगैया नायडू : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रांत में शाहदरा कस्बे के अन्दर सड़कों को ठीक हालत में रखने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण कौन है (नगर पालिका समिति या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : शाहदरा कस्बे में सड़कों को ठीक रखने के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति, शाहदरा जिम्मेदार है।

214

#ईस्ट इंडियन तथा उत्तर पश्चिम रेल मार्गों पर अवैध कटौतियों आदि के विरूद्ध मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन आवेदन

266. श्री अनंग मोहन दाम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि ईस्ट इंडियन और उत्तर पश्चिम रेल प्रशासनों के विरूद्ध मार्च 1938 से की गई क्रमशः कटौतियों की रकम लौटाने के लिए और विलम्बित मजदूरी

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 3, 4 अप्रैल, 1944, पृष्ठ 1924-25.
@ वही, पृष्ठ 1935

के भुगतान के लिए, मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन निदेश के लिए रेल कर्मचारियों से मिले आवेदनों की संख्या कितनी है, तथा उन आवेदनों को निपटाने के परिणाम भी बताएं। यदि नहीं निपटाए गए, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेड़कर : माननीय सदस्य का ध्यान 30 मार्च 1944 को पूछे गए श्री मोहम्मद अज़हर अली के अतारांकित प्रश्न सं. 222 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

215

*भारतीय मज़दूर परिसंघ को सरकारी अंशदान

31. श्री लालचन्द नवलराय : (क) 4 अप्रैल 1944 को दिए गए मेरे तारांकित प्रश्न सं. 776 के उत्तर के संदर्भ में, क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय मजदूर परिसंघ को हर मास दी गई 13000/- रु. की धनराशि परिसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों में बांटी गई है। यदि हां, तो कितनी–कितनी;

(ख) क्या माननीय सदस्य ने परिसंघ के संपरीक्षित लेखाओं को यह पता लगाने के लिए देखा है कि इस धन का उपयोग किस प्रकार किया गया है; यदि नहीं तो क्यों नहीं; यदि हां तो क्या उनका इस तारीख से जिसको यह 13000/- रु. की मासिक सहायता दी गई थी आज तक के संपरीक्षित लेखाओं को सदन के पटल पर रखने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि यह मुद्दा अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के समक्ष उठा था जो भारतीय मजदूर परिसंघ और अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस के तुलनात्मक प्रतिनिधिक स्वरूप में फिलाडेल्फिया में हुआ था; और उस सम्मेलन का फैसला क्या था; अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन पर भारतीय मजदूर परिसंघ के भावी प्रतिनिधित्व के बारे में क्या विनिश्चय किया गया है; यह प्रतिनिधित्व एक ऐसे संगठन को दिया जाएगा जो सब्सिडी पर आश्रित नहीं है;

(घ) क्या भारतीय मजदूर परिसंघ को दी गई सब निधियां उसी प्रयोजन पर खर्च की गई हैं जिसके लिए वे दी गई थीं; यदि हां, तो क्या वह इस बाबत परिसंघ के क्रियाकलाप का संक्षिप्त विवरण देंगे; यदि उसका कोई हिस्सा उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसके लिए वह दिया गया था,

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 2 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 111-13.

तो क्या माननीय सदस्य उतने अंश को सरकार को वापस कराने के लिए कदम उठाने की कृपा करेंगे; यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) अनुदान भारतीय मजदूर परिसंघ को एक संगठन के नाते दिया जाता है, न कि उसके पदाधिकारियों में बांटा जाता है।

(ख), और (घ) (प्रथम भाग) सरकार का संबंध परिसंघ के लेखाओं से नहीं बल्कि उस रीति से है जिससे परिसंघ ने सरकारी अंशदान को खर्च किया है। उसका समाधान हो गया है कि हालांकि अनुदान के पहले की अवधि के पूरे और नियमित लेखा उपलब्ध नहीं है, फिर भी इस खर्च से उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई है जिनके लिए इसे मंजूर किया गया था। तारीख 1 जून 1944 से परिसंघ के कार्यालय में एक लेखापाल लेखा तैयार करेगा, और उनकी लेखा–परीक्षा सामान्य तरीके से की जाएगी।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालयों में अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस द्वारा भारतीय शिष्ट–मंडल में कामगारों के प्रतिनिधियों के प्रत्यय पत्रों के बारे में की गई आपत्ति में अनुदान का उल्लेख किया गया था। प्रत्ययपत्र समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सम्मेलन द्वारा अंगीकार कर ली गई थी, सम्मेलन से कहा था कि भारतीय कामगारों के प्रतिनिधियों और उनके सलाहकारों को सम्मेलन के सत्र में सम्भवतः प्रत्यायित (एक्रीडिटेड) माना जाए। समिति की रिपोर्ट में अनुदान का जिक्र नहीं था किन्तु उसमें यह कहा गया था–

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत सरकार सम्मेलन के भावी सत्रों में उचित रीति से दोनों संगठनों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करने का अपना प्रयास जारी रखेगी और उसे पूरी आशा है कि दोनों संगठनों में सहमति हो जाएगी जिससे भारतीय व्यवसाय संघ आन्दोलन के सभी सत्रों के प्रतिनिधियों के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। समिति समझती है कि यदि ऐसा समझौता नहीं होता है तो सम्मेलन के अगले सत्र में भारतीय कामगारों का प्रतिनिधि अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस की सहमति से नियुक्त किया जाएगा।"

(घ) (दूसरा भाग) मासिक अनुदान मुद्रित साहित्य के प्रकाशनों – मौखिक प्रचार, दृश्य प्रचार और आश्वासनप्रद समाचारों के प्रचार करने पर खर्च किया जाता है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं वह उद्देश्य जान सकता हूं जिसके लिए अनुदान दिया गया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसका उत्तर भाग (घ) (दूसरा भाग) के

मेरे उत्तर में मिल जाएगा। उसमें लिखा है कि अनुदान मुद्रित साहित्य के प्रकाशनों, मौखिक प्रचार–प्रसार, दृश्य प्रचार, और युद्ध संबंधी आश्वासनप्रद समाचारों के प्रचार पर खर्च किया जाता है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या सरकार का समाधान हो गया है कि उनके द्वारा दिया गया धन उन्हीं मदों पर खर्च होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हाँ, उसका समाधान हो गया है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि इस धन के एक हिस्से का उपयोग कांग्रेस विरोधी प्रचार–प्रसार पर खर्च किया जाता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उसके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : अपने जवाब में मैंने कहा है कि लेखा 1 जून 1944 से परिसंघ के कार्यालय में एक अर्हित लेखा–पाल द्वारा तैयार किए जाएंगे। और वे सामान्य तरीके से लेखा–परीक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगे।

सरदार मंगल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है या वार्षिक तौर पर?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस मुद्दे पर मेरे सामने कोई जानकारी नहीं है। मैं मानता हूं कि यह मासिक तौर पर किया जाता है।

सरदार मंगल सिंह : यह राशि सचिव को दी जाती है या अध्यक्ष को।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सम्बन्धित संगठन के किसी जिम्मेदार अधिकारी को।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रचार–प्रसार का विषय क्या है और जारी किए गए प्रकाशनों के क्या–क्या विषय हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह युद्धोन्मुखी प्रचार–प्रसार और युद्धोन्मुखी साहित्य है।

श्री बद्री दत्त पांडे : क्या माननीय सदस्य संपरीक्षित लेखाओं को सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार होंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : लेखा–परीक्षा के बाद पटल पर रख दिए जाएंगे और आम तरीके से सदस्यों को उपलब्ध रहेंगे।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : कितनी कालावधि पूरी कर ली गई है जिसके लेखा नहीं हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : पूर्ववर्ती अवधि के लिए हमारे पास कोई निश्चित लेखा नहीं है लेकिन अब हमने इन्तजाम कर लिया है कि लेखा–परीक्षा विभाग के एक लेखापाल द्वारा रखे जाएंगे।

श्री लालचंद नवलराय : कितनी रकम थी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं आंकड़े नहीं दे पाऊंगा।

श्री लालचंद नवलराय : पूर्ववर्ती अवधि में लेखा न रखने के लिए कौन जिम्मेदार है – माननीय सदस्य स्वयं या सरकार या वे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं आपका सवाल नहीं समझा।

श्री लालचन्द नवलराय : माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ समय तक लेखा नहीं रखे गए थे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने यह नहीं कहा है कि कोई लेखा नहीं रखे गए हैं। मैंने तो यह कहा था–

> "उसका समाधान हो गया है कि हालांकि पूरे और नियमित लेखा अनुदान की पूर्ववर्ती अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है फिर भी धन उसी तरीके से खर्च किया गया है जिस तरीके से सरकार उसे खर्च करवाना चाहती थी।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या सरकार का समाधान हो गया है कि धन ठीक ढंग से खर्च किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे अन्यथा विश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।

श्री लालचन्द नवल राय : प्रश्न माननीय सदस्य के अन्यथा विश्वास करने का नहीं है?

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहमान) माननीय सदस्य (बहस) जिरह कर रहे हैं।

श्री लालचन्द नवलराय : माननीय सदस्य के पास यह सोचने के लिए क्या सबूत है कि धन ठीक तरह खर्च किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसके विपरीत मानने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है।

श्री लालचन्द नवलराय : मेरा सवाल भिन्न था। माननीय सदस्य एक या दूसरी तरह विश्वास कैसे कर पाते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह विश्वास करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है कि रकम नियमित रूप से खर्च नहीं की गई।

सरदार संत सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह स्वयं माननीय सदस्य के समाधानप्रद रूप में है या क्या वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि जनता का इस बारे में समाधान करना होगा कि धन किस प्रकार खर्च किया गया है। माननीय सदस्य ने जनता का समाधान किस प्रकार किया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे पता नहीं कि मैं जनता का समाधान किस प्रकार कर सकता हूं लेकिन सरकार का जिसने धन दिया था समाधान हो गया है।

सरदार संत सिंह : सरकार जो धन देती है वह करदाताओं का धन होता है। सरकार करदाता का समाधान कैसे करेगी कि धन वैध तरीके से खर्च किया गया है?

(कोई उत्तर नहीं)

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या लेखाओं के सही होने के बारे में वित्त सदस्य का समाधान हो गया था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सवाल माननीय वित्त सदस्य से ही पूछा जाए।

श्री लालचन्द नवलराय : इस श्रमिक परिसंघ का सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है; क्या उन्हें इस निधि में से कोई वेतन या धन दिया जाता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसका सवाल ही नहीं उठता। यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं उनके लिए जानकारी हासिल करूंगा।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं व्यवस्था का मुद्दा उठा सकता हूं सरज़िया उद्दीन अहमद ने पूछा था कि क्या वित्त सदस्य का समाधान हो गया था और श्रम सदस्य ने जवाव दिया था कि यह सवाल वित्त सदस्य से पूछा जाए। प्रभारी सदस्य को मालूम होना ही चाहिए कि वित्त सदस्य का समाधान हुआ है अथवा नहीं; और उन्हें अवश्य जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहमान) : उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं माननीय सदस्य से किसी खास तरीके से जवाब देने के लिए नहीं कह सकता।

216

*भारतीय मजदूर परिसंघ को सरकारी अंशदान

32. श्री लालचन्द नवलराय : (क) 4 अप्रैल 1944 को दिए गए मेरे तारांकित प्रश्न सं. 776 के उत्तर के संदर्भ में, क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान परिसंघ के पहले वार्षिक अधिवेशन में पिछले दिसम्बर में बम्बई में भारतीय मजदूर परिसंघ के अध्यक्ष के इस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है अथवा नहीं कि यह घोर काला झूठ है कि उन्हें सरकार से हर मास 13000 रुपए मिल रहे हैं;

(ख) क्या माननीय सदस्य का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलाडेल्फिया के लिए प्रस्थान करते समय भारतीय मजदूर परिसंघ के अध्यक्ष श्री जमनादास मेहता के उस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है अथवा नहीं जिसमें सरकार की 13000/- रुपए की सहायता राशि के तथ्य से इन्कार किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह बयान 4 अप्रैल 1944 को सदन में माननीय श्रम सदस्य के बयान के जवाब में दिया गया था, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि भारतीय मजदूर परिसंघ को 13000/- रुपये की राशि दी जा रही है;

(घ) क्या यह सच है कि 13000/- रुपए की सहायता राशि श्री एम.एन. राय को गुप्त रूप से दी जाती है? यदि हां तो राशि इस व्यक्ति विशेष को क्यों दी जाती है भारतीय मजदूर परिसंघ को नहीं; और

(ङ) क्या माननीय सदस्य उन उपायों के बारे में एक संक्षिप्त बयान देने की कृपा करेंगे जो भारतीय मजदूर परिसंघ ने उस अवधि में किए हों जिसके दौरान उसे श्रमिक का मनोबल बनाए रखने में सरकार की सहायता करने का उद्देश्य पूरा करने के लिए मासिक सहायता राशि मिल रही थी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क), (ख) और (ग) सरकार का ध्यान उल्लिखित बयानों की ओर खींचा गया है। शुरू से ही समझौता भारतीय मजदूर परिसंघ के साथ किया गया है, न कि किसी व्यक्ति के साथ। परिसंघ का ध्यान श्री मेहता के बयानों की ओर आकृष्ट किया गया था। परिसंघ ने उत्तर में इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि समझौता परिसंघ के साथ किया गया है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड चार, 2 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 111.

(घ) जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में पहले की बताया जा चुका है, अनुदान सार्वजनिक रूप से भारतीय मजदूर परिसंघ को दिया जाता है न कि श्री एम. एन. राय को।

(ङ) माननीय सदस्य का ध्यान पहले प्रश्न के भाग (घ) के दूसरे हिस्से के मेरे जवाब की ओर आकृष्ट किया जाता है।

श्री लालचंद नवलराय : माननीय सदस्य ने अपने उत्तर में बताया है कि धन दिया गया था और श्री जमनादास मेहता ने फिलाडेफिया जाने से पहले यह बयान दिया था कि धन नहीं दिया गया। माननीय सदस्य इस विसंगति का निवारण किस प्रकार करेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : दो बयानों में तालमेल बैठाना मेरा काम नहीं है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या माननीय सदस्य ने बयान देकर ठीक किया है अथवा नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न का उत्तर देना मेरा काम नहीं है।

सरदार संत सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह घोर काला झूठ कौन बोल रहा है – परिसंघ या भारत सरकार?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र स्वतंत्र हैं जो चाहें निष्कर्ष निकालें।

217

*नई दिल्ली में निर्मित अस्थाई भवनों का युद्ध के बाद गिराया जाना

50. सर एफ.ई. जेम्स : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें मालूम है कि :

(i) लॉर्ड लिंलिथगो ने 16 अक्तूबर, 1943 को नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत विदाई भाषण के उत्तर में निम्नलिखित वक्तव्य दिया था:–

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 2 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 128-129.

"आपने बहुत से अस्थाई भवनों को युद्ध के बाद गिराए जाने के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है, जिनके बारे में यह मानना होगा कि वह शहर की सुन्दरता को नष्ट करते हैं। जैसा कि मैंने विधानमण्डल के सदनों के अपने हाल के भाषण में घोषणा की थी, जितनी जल्दी हो सके, उन भवनों को हटाया जाना भारत सरकार की निश्चित नीति है। आशा यह है कि सभी अस्थाई भवन जो सचिवालय के आस–पास, इरविन स्टेडियम में, विलिंग्डन हवाई अड्डा आदि के पास, कनाट सर्कस के आस–पास और विभिन्न ब्लाकों में कार्यालयों और होस्टलों आदि के रूप में इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, जो नई दिल्ली विकास परियोजना के अंतर्गत दूसरी परियोजना के लिए आवंटित किए गए थे, युद्ध स्थिति बन्द हो जाने के बाद यथा–शीघ्र हटा दिए जाएंगे।"

(ii) महामहिम लॉर्ड वावेल ने 30 अक्तूबर, 1943 को नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत स्वागत भाषण के उत्तर में निम्नलिखित वक्तव्य दिया था:

"मै आपको आश्वासन दे सकता हूं कि महामहिम साम्राज्ञी और मैं युद्ध के बाद अस्थाई भवनों को हटाए जाने के विषय में आपके साथ हूँ। आपको ध्यान होगा कि लॉर्ड लिंलिथगो ने भारत सरकार की ओर से आपको आश्वासन दिया था।"

(ख) लॉर्ड लिंलिथगो द्वारा घोषित भारत सरकार के आशय अक्तूबर 1943 से निर्माण कार्यक्रम चलाए जाने की दृष्टि से अब किन–किन भवनों पर लागू होते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) सभी भवनों को जो अस्थाई निर्माण के हैं और जो दिल्ली के भावी विकास में बाधक होंगे। यह 1941 में निर्मित लोधी रोड के आफिसर बंगलों को या हाल ही में निर्मित लिपिक क्वार्टरों में से अधिकांश पर लागू नहीं है। विशेष रूप से इसका संकेत ओब्जरवेटरी के पीछे लोदी रोड के दक्षिण में निर्माणाधीन लिपिक क्वार्टरों के बड़े ब्लाक की तरफ नहीं है।

सर एफ.ई. जेम्स : श्रीमन् क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह फैसला कौन करेगा कि इस समय निर्मित अस्थाई भवन दिल्ली के विकास में बाधक होंगे अथवा नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : स्पष्ट है कि भारत सरकार करेगी।

सर एफ.ई. जेम्स : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि वे भवन जिनका

उन्होंने अपने जवाब में हवाला दिया है, जो "अस्थाई" भवन पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, वस्तुतः, स्थाई आधार पर और क्वालिटी के मानक के अनुसार बनाए जा रहे हैं जिससे उन्हें स्थाई भवनों के रूप में रखे रहना न्यायोचित होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : निश्चय ही।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूं कि क्या वह यह समझते हैं कि समस्त विशाल भवन भी जो अमेरिका–वासियों के लिए बनाए गए हैं, शहर के सौन्दर्य को बिगाड़ते हैं; क्या वे अस्थाई हैं और क्या वे युद्ध स्थिति समाप्त होने के बाद हटाए जाएंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री लालचन्द नवलराय : होता है। उन भवनों की भांति जो कौंउसिल के नज़दीक बनाए गए हैं, ये भी शहर के सौन्दर्य को बिगाड़ते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सवाल अमेरिकी सैन्य दलों के लिए बनाए गए भवनों का उल्लेख नहीं करता।

श्री लालचन्द नवलराय : ये सब भवन सरकार द्वारा बनाये जा रहे हैं....।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न में अमेरिकी सैन्य दलों के लिए बनाये गये भवनों का उल्लेख नहीं है। इसलिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : अगला प्रश्न।

218

*भारतीय मजदूर परिसंघ से भिन्न संघों को सरकारी अंशदान

59. श्री बद्री दत्त पाण्डे : (क) भारतीय मजदूर परिसंघ को 13,000 रुपए के मासिक अनुदान के बारे में 4 अप्रैल, 1944 के तारांकित प्रश्न संख्या 776 के संदर्भ में क्या माननीय श्रम सदस्य मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे कि क्या अन्य संघ भी उक्त परिसंघ की भांति धन ले रहे हैं; और

(ख) इस धन के ऊपर सरकार का क्या नियंत्रण है ताकि यह देखा जा सके कि इसका इस्तेमाल लोक प्रयोजनों के लिए हो?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 2 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 134.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इस प्रयोजन के लिए किसी भी अन्य मजदूर संघ ने सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है। जिस पत्र में मजदूरों का मनोबल बनाए रखने के लिए प्रचार–प्रसार करने के विषय में सरकार से सहायता प्रस्तावित की गई थी वह आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय मजदूर परिसंघ दोनों को भेजा गया था। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपने उत्तर में कोई सहायता नहीं मांगी थी।

(ख) मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्री लालचन्द नवलराय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के पहले ही दिए जा चुके उत्तरों की ओर आकृष्ट करूंगा।

219

*शाहदरा (दिल्ली) सहारनपुर लाईट रेलवे और निर्णायक नियुक्त करने में सरकार का असांविधानिक आचरण

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : अगला प्रस्ताव श्री दाम के नाम पर है। "वह शाहदरा (दिल्ली) सहारनपुर लाईट रेलवे और उसके कर्मचारियों के बीच व्यवसाय विवाद में निर्णायक की नियुक्ति के विषय में केन्द्र सरकार के असांविधानिक आचरण पर चर्चा करना चाहते हैं और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार ने शाहदरा (दिल्ली) सहारनपुर लाईट रेलवे के कर्मचारियों को उपलब्ध अनाज पर उत्तर–पश्चिम रेलवे द्वारा ली जा रही दरों पर सस्ता अनाज सुलभ कराकर उक्त निर्णायक के अवार्ड पर दिए गए आदेश को ईस्ट इंडिया रेलवे के कर्मचारियों पर लागू क्यों नहीं किया।"

उनकी सही शिकायत क्या है? क्या वह चाहते हैं कि किसी प्रकार के भत्ते दिए जाएं, जो अन्यत्र दिए गए हैं?

श्री अनंग मोहन दाम (सूरमा वैली एवं शिलोंग गैर–मुसलमान) : श्रीमन्, नियम कहता है कि विवाद के दोनों पक्षों को न्यायालय में निर्देश के लिए आवेदन करना चाहिए। यह किया गया था। जहां तक सस्ते अनाज का संबंध हैं, जो उन्हें उपलब्ध कराया गया था, जो विशेषाधिकार उत्तर पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को दिए गए थे, वे ईस्ट इंडियन रेलवे के कर्मचारियों को नहीं दिए गए।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 2 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 218.

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : आप चाहते हैं कि वही विशेषाधिकार ईस्ट इंडियन रेलवे के कर्मचारियों को भी दिए जाएं।

श्री अनंग मोहन दाम : जी हां।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं यह कहूंगा कि मेरे माननीय मित्र को असली तथ्यों और परिस्थितियों की काफी गलत जानकारी है। यह न्यायनिर्णय नियम 81क के अधीन हुआ था।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : सदन के सामने केवल एक प्रश्न है कि क्या प्रस्ताव सही रूप में है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं तथ्यों को बताता हूं। यह न्यायनिर्णय भारत प्रतिरक्षा नियमों के नियम 81क के अधीन हुआ था और निर्णायक नियुक्त करने की शक्ति पूरी तरह भारत सरकार में निहित है। इसलिए इस विवाद को तय करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्णायक नियुक्त किए जाने में कुछ भी असांविधानिक नहीं है, विशेषकर तब जबकि विवाद के अंतर्गत एक रेलवे आता है जो दो प्रान्तों में रेलें चलाता है। रेल संयुक्त प्रान्त और दिल्ली में है तथा कोई भी एक प्रान्त सरकार निर्णायक को नियुक्त करने के लिए हकदार नहीं थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार की कार्यवाही में कुछ भी असांविधानिक नहीं है।

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, मेरा निवेदन है कि मेरे माननीय मित्र को इस मुद्दे पर काफी गलत जानकारी है क्योंकि निर्णायक के अवार्ड पर दूसरे रेलवे से संबंधित किसी विवाद को छोड़ा नहीं गया था। निश्चय ही सरकार अवार्ड के प्रावधानों को ऐसे किसी रेलवे पर लागू नहीं कर सकती थी जो विवाद की विषय–वस्तु ही नहीं था। विवाद केवल शाहदरा (दिल्ली) सहारनपुर लाईट रेलवे से संबंधित था न कि ईस्ट इण्डियन रेलवे से।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : ईस्ट इंडियन रेलवे के कर्मचारियों की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : निश्चय ही नहीं, श्रीमन्।

अध्यक्ष महोदय : (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय श्रम सदस्य द्वारा बताए गए तथ्यों से यह पता चलता है कि इस प्रस्ताव के लिए कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इसे नामंजूर किया जाता है।

220

*दिल्ली में भवनों पर व्यय

132. डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में स्थाई और अस्थाई भवनों पर भारत सरकार ने कितना धन खर्च किया है;

(ख) (i) ऋण, (ii) राजस्व से और (iii) भूमि और पट्टे के समझौतों से कितना धन दिया गया था; और

(ग) युद्ध के बाद इन भवनों का क्या होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 1939 से निर्मित स्थाई और अस्थाई कार्यालयों और मकानों की कुल लागत 6.38 करोड़ रुपए है।

(ख) मांगी गई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) स्थाई भवनों को युद्ध के बाद रख लिया जाएगा। जहां तक अस्थाई भवनों का संबंध है, सरकार का इरादा है कि उन्हें युद्ध के बाद यथासाध्य जब कभी दिल्ली के विकास के लिए स्थलों की जरूरत हो, गिरा दिया जाए।

221

@अस्थाई भवनों का गिराया जाना

@@133. **डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य ने अपने विभाग को यह सुझाव दिया था कि भवनों का निर्माण इस तरह किया जाए कि उन्हें युद्ध के शीघ्र बाद गिराया जा सके; उसमें भी अतिरिक्त धन खर्च होगा;

(ख) क्या सरकार अस्थाई भवनों को गिराने की सोच रही है; उसे गिराने में क्या खर्चा आएगा और इन भवनों को किस ढंग से गिराया जाएगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं। भवनों का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना है और वे इस तरह और उन स्थलों पर बनाए गए हैं

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 7 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 319.

** प्रश्नकर्ता का कोटा समाप्त होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 7 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 319-20.

@@ प्रश्नकर्ता का कोटा समाप्त होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

जो ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। अधिकांश मामलों में उन स्थलों पर अस्थाई निर्माण करने पड़े हैं जो युद्ध के बाद दूसरे प्रयोजनों के लिए चाहिए। भवनों को गिराने का वास्तविक आदेश स्थलों के उपयोग के लिए और दिल्ली के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम पर निर्भर होना चाहिए।

(ख) हां। फिलहाल भवनों को गिराने के खर्च का अनुमान लगाना और उस रीति को निर्धारित करना सम्भव नहीं है जिससे ये भवन गिराए जाएंगे।

222

*दिल्ली और नई दिल्ली में निर्मित आवास-सुविधा

@135. **सर एफ.ई. जेम्स** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) युद्ध प्रारम्भ होने के समय से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली और नई दिल्ली में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए (i) कार्यालय, और (ii) आवास निर्मित किए हैं:

(ख) इस प्रकार बनाई गई (i) अस्थाई, और (ii) स्थाई आवास–सुविधा की कुल लागत क्या है;

(ग) अब कितने अस्थाई कार्यालय और आवास निर्माणाधीन हैं और उन पर कितनी अनुमानित लागत आएगी;

(घ) क्या कोई और अस्थाई निर्माण विचाराधीन हैं और यदि हां, तो किस परियोजना के लिए; और

(ङ) युद्ध के बाद अस्थाई निर्माण को हटाने के लिए तथा उनमें काम आई सामग्री के निपटान तथा उपयोग के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) युद्ध के आरम्भ से 12,24,516 वर्ग फीट कार्यालय सुविधा और 969 अधिकारियों तथा 745 लिपिकों के लिए आवास पूरे किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों में ब्रिटिश सूचना मंत्रालय के फार इस्टर्न ब्यूरो, साऊथ ईस्ट एशिया कमाण्ड और अमेरिकी सेनाओं के लिए दी गई आवास–सुविधा शामिल नहीं है। कार्यालय सुविधा कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्मित की गई है, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 7 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 321-22.

@ प्रश्नकर्ता अनुपस्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(ख) सन् 1939 से निर्मित कार्यालयों और आवासों की कुल लागत (i) अस्थाई आवासों के लिए 5.29 करोड़ रुपए (ii) स्थाई आवासों के लिए 1.09 करोड़ रुपए हैं।

(ग) अपेक्षित जानकारी तथा निर्माणाधीन स्थाई आवास संबंधी जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(घ) और कोई प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है।

(ङ) युद्ध के बाद यथा–सम्भव शीघ्र अस्थाई भवनों को हटाने का फैसला किया गया है, सामग्री के निपटान और उपयोग का प्रश्न विचाराधीन है।

अब विचाराधीन अस्थाई और स्थाई कार्यालय और आवास तथा उनकी अनुमानित लागत का विवरण

	आवासों का वर्णन	*अनुमानित लागत (रुपयों में)*
1.	**अस्थाई**	
1.	जी.एच.क्यू. सिगनल्स अधिकारियों के लिए अतिरिक्त आवास	फिलहाल उपलब्ध नहीं
2.	किचनेर रोड पर एक हजार अविवाहित लिपिकों के क्वार्टर	23,41,000
3.	असमारा और मसवा लाईन्स में 367 लिपिकों के लिए आवास (वर्तमान अस्थाई भवनों में फेरबदल करके)	
4.	तिबिया कालेज पोस्टल कम्पाऊँड में 68 विवाहित लिपिकों और 224 अविवाहित लिपिकों के क्वार्टर	21,00,000
5.	वर्तमान सरकारी होस्टलों में 200 अविवाहित अधिकारियों के लिए आवास	7,80,000
6.	किंग एडवर्ड पर 160 विवाहित अधिकारियों के लिए होस्टल	फिलहाल उपलब्ध नहीं
7.	3,05,043 वर्ग फीट कार्यालय आवास सुविधा	39,65,559
1.	**स्थाई**	
1.	मिन्टो रोड के नज़दीक रेलवे भूमि पर 50 "डी" टाइप और 168 "ई" टाइप लिपिकों के क्वार्टर	23,67,386

2.	लोदी रोड़ पर 2468 लिपिकों के क्वार्टर	2,94,00,000
3.	करौल बाग में 12 एकड़ भूमि पर 228 विवाहित लिपिकों के क्वार्टर	32,00,000
4.	आराम बाग में 8 "ई" टाइप लिपिकों के क्वार्टर	80,000
5.	चित्रगुप्त रोड पर 120 लिपिकों के लिए तीन मंजिला फ्लैट	15,00,000

223

*सैन्ट्रल टैक्निकल पावर बोर्ड का निर्माण

139. श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सेन्ट्रल टैक्निकल पावर बोर्ड बनाने की कोई योजना है:

(ख) क्या यह सही है कि इस बोर्ड का अध्यक्ष पद एक ब्रिटिश फर्म मैसर्स मर्ज़ एण्ड मलैलन के एक पूर्व कर्मचारी को पेश किया गया है तथा बोर्ड पर दो में से एक सीट अमेरिकी इंजीनियर से भरी गई है:

(ग) क्या उनका ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि सरकार मेसर्स मर्ज़ एण्ड मलैलन तथा अमेरिकन बांड एण्ड शेयर कम्पनी को परामर्शदाता इंजीनियर के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या वे सही हैं:

(घ) क्या इन दो अमेरिकी और ब्रिटिश फर्मों ने अब तक भारत में विद्युत उपक्रम के निर्माण या आपरेशन में कोई हित अर्जित किया है और वह कितना है:

(ङ) क्या यह सही है कि इस साल के शुरू में सरकार द्वारा नियुक्त अग्रणी विद्युत इंजीनियरों की एक समिति ने यह रिपोर्ट दी है कि भारत को 400 करोड़ रुपए के मूल्य के विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी, और यह कि सरकार ने ईस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है: तथा

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 7 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 325-26.

(च) क्या सरकार उपरोक्त समिति की सिफारिशों के पूरे ब्योरे प्रकाशित करेगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ।

(ख) हाँ, किन्तु पूर्व कथित दशा में वह विद्युत आयुक्त के पद पर पिछले तीन वर्ष और 9 माह भारत सरकार की सेवा में रहे हैं।

(ग) सरकार ने इस तरह की कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं किन्तु वे सही नहीं हैं क्योंकि उनमें परामर्शदाता इंजीनियरों को नियुक्त करने के सवाल को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(घ) जहां तक मेसर्स मर्ज़ एण्ड मलैलन का संबंध है, उत्तर 'ना' में है। फिर भी सरकार यह समझती है कि अमेरिका की इलैक्ट्रिक बॉण्ड एण्ड शेयर कम्पनी (न कि अमेरिकन बॉण्ड एण्ड शेयर कम्पनी) जो एक धारक कम्पनी है, टाटा हाईड्रो–इलैक्ट्रिक ऐजेन्सीज तथा यूनाइटिड ईस्टर्न एजेंसीज़ में जो कराची ब्रीच, नासिक – देवली और पूना में विद्युत प्रदाय उपक्रमों के प्रबंध अभिकर्ता हैं, सारवान हित रखती हैं।

(ङ) नहीं।

(च) सम्मेलन की कार्रवाई को प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री के.सी. नियोगी : हम इन सिफारिशों को कब देखने की आशा कर सकते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में लगभग एक सप्ताह में।

श्री मनु सूबेदार : प्रश्न के भाग (ङ) के प्रसंग में क्या माननीय सदस्य हमें कुछ आंकड़े दे सकते हैं। क्या यह 400 करोड़ रुपए नहीं हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : तथ्य मुझे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

224

*भारतीय मजदूर परिसंघ को सरकारी अंशदान

152. प्रो. एन.जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य श्रम विभाग के पत्र संख्या एल–1882 तारीख 3 मार्च, 1942 के संदर्भ में, जिसमें 13 हजार रुपए प्रति माह के खर्च में श्रमिक मोर्चे के प्रचार–प्रसार के लिए श्री एम.एन. राय की स्कीम अनुमोदित की गई थी, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 7 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 337-38.

(क) क्या सरकार ने अपना यह समाधान कर लिया है कि उक्त धन स्कीम के अनुसार खर्च किया गया है:

(ख) क्या उन्हें उस धन के उपयोग के ढंग के बारे में श्री एम.एन. रॉय से या उनके श्रमिक संगठन से कोई रिपोर्ट मिली है:

(ग) क्या सरकार ने उनके काम और रिपोर्टों के बारे में कोई निष्कर्ष निकाले हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं और क्या वे सदन के पटल पर रखे जाएंगे:

(घ) क्या लेखा–परीक्षा हुई है और यदि हां तो किसने की है:

(ङ) क्या लेखा–परीक्षा रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी :

(च) क्या ऐसी सहायता किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को दी जा रही है। यदि हां, तो वे कौन हैं और कितनी राशि इस प्रकार दी जा रही है और उसके क्या परिणाम हुए हैं; तथा

(छ) क्या सरकार का इन अनुदानों को जारी रखने का विचार है; और

(ज) क्या ये अनुदान सहायतार्थ अनुदान हैं और यदि हां तो किस आधार पर?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) माननीय सदस्य श्री लालचन्द नवलराय द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 31 के भाग (घ) का मेरा उत्तर देखें।

(ख) हाँ।

(ग) जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में कहा गया था, सरकार का समाधान हो गया है कि उसे खर्च किए गए धन का पर्याप्त मूल्य मिल गया है। मासिक अनुदान मुद्रित साहित्य के प्रकाशन, मौखिक प्रचार–प्रसार, दृश्य प्रचार और अच्छी खबरों के प्रसार पर खर्च किया जाता है।

(घ) और (ङ) अन्य सभी व्ययों की भान्ति इस व्यय की भी सरकारी लेखा परीक्षा की जाती है और जो भी टिप्पणियाँ की जाएंगी वे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिखाई देंगी।

(च) और (छ) हाँ, फिलहाल परिसंघ को दिए गए अनुदान को जारी रखने का आशय है।

(ज) वह सहायतार्थ अनुदान नहीं है, बल्कि सरकार के अनुरोध पर एसोसिएशन द्वारा किए गए कुछ काम के बदले भुगतान के रूप में है।

225

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्वी अंचल में मुसलमानों की कमी

154. खान बहादुर शेख फज़ल-इ-हक पिराचा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में विभाजित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्वी अंचल में सेवा की सभी श्रेणियों में कम मुसलमान भर्ती किए गए हैं; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शिकायत को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और यदि हां, तो वे क्या हैं; यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ।

(ख) अधीनस्थों की दशा में पूर्वी अंचल में कम मुसलमान भर्ती किए गए हैं जबकि पश्चिमी अंचल में ज्यादा मुसलमान भर्ती किए गए यदि इन अंचलों को अलग–अलग यूनिट माना जाए। लेकिन समग्र रूप से सोचा जाए तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुसलमानों की भर्ती में कोई कमी नहीं है।

अस्थाई इंजीनियरों की दशा में पश्चिमी अंचल में मुसलमानों की अधिक भर्ती हुई है और पूर्वी अंचल में इस वजह से कम भर्ती हुई है कि भर्ती के समय इस अंचल में उपयुक्त मुसलमान अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। ज्यों–ज्यों उपयुक्त मुसलमान उपलब्ध होते जाएंगे, धीरे–धीरे पूर्वी अंचल की यह कमी पूरी कर ली जाएगी।

पूर्वी अंचल में या पश्चिमी अंचल में, अन्य किसी श्रेणी में मुसलमानों की कोई कमी नहीं है।

226

*लोक आसूचना ब्यूरो (पी.आई.बी.) आदि को हर वर्ष दिया जाने वाला कागज

39. भाई परमानन्द : क्या माननीय उद्योग और नागरिक आपूर्ति सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि (i) लोक आसूचना ब्यूरो (ii) प्रति प्रचार निदेशालय (iii) फिल्म प्रचार–प्रसार (iv) बाहरी प्रचार–प्रसार और (v) विदेश प्रचार–प्रसार को 1941 से हर वर्ष कितना कागज दिया गया?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 7 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 339.

* वही।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह प्रश्न श्रम विभाग से संबंधित है इसलिए इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। तुरन्त उपलब्ध जानकारी नीचे विवरण में दी गई है:

विवरण

मांगकर्ता	1.4.43 से 31.3.44 के दौरान खपत टन में	1.4.44 से 31.8.44 के के दौरान खपत टन में
(i) लोक आसूचना ब्यूरो	162	55
(ii) प्रति प्रचार निदेशालय	50	23
(iii) फिल्म प्रचार प्रसार	उपलब्ध नहीं	1
(iv) बाहरी प्रचार–प्रसार	18	शून्य
(v) विदेश प्रचार–प्रसार	99	17

टिप्पण–(i) फिल्म प्रचार–प्रसार की स्थिति में 1 अप्रैल 1944 से और शेष की स्थिति में 1 अप्रैल, 1943 से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़े वित्त वर्षों से संबंधित हैं।

(i) उपरोक्त मद संख्या (iv) के सामने दिए गए आंकड़े ब्रिटिश सूचना मंत्रालय की खपत दर्शाते हैं।

(iii) मद (iii) और (v) के सामने दिए गए आंकडे क्रमशः इन्फोरमेशन फिल्म्स ऑफ इंण्डिया तथा प्रचार अधिकारी की खपत की बाबत हैं।

227

*बेरोजगार श्रमिकों से संबंधित आंकड़े

221. **श्री गोविन्द वी. देशमुख** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बेरोजगार श्रमिकों से संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है;

(ख) यदि कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो सरकार उनका संग्रह कब करेगी और उन्हें उद्योगों के अनुसार तथा शिक्षित और अशिक्षित शीर्षों के अंतर्गत कब वर्गीकृत करेगी;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 10 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 546.

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र अपने देशों में रोजगार का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए कदम उठा रहा है और यदि हां, तो यह सरकार उनके साथ कदम बढ़ाने के लिए कब और क्या उपाय करने का विचार रखती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) पहले भाग का उत्तर ना में है। दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

(ख) फिलहाल सरकार कुछ उद्योगों में नियोजन संबंधी आंकड़े एकत्र करती है और उसका विचार है कि इन आंकड़ों में सुधार करने के लिए और शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए जाएं। फिर भी फिलहाल बेरोजगारी के बारे में आंकड़े एकत्र करना सम्भव नहीं है।

(ग) सरकार यह जानती है कि कुछ संयुक्त राष्ट्र युद्ध के बाद भी रोजगार का उच्च स्तर कायम रखने की योजनाएं बना रहे हैं। भारत सरकार की पुनर्निर्माण योजनाओं में यथासंभव रोजगार का उच्च स्तर बनाए रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात के प्रति जागरूक हैं कि युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत में हर आदमी को रोजगार मिले?

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं आपका प्रश्न नहीं समझा।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या माननीय सदस्य युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण स्कीम में श्रमिकों के हित पर नजर रखेंगे और यह देखेंगे कि कोई आदमी बेरोजगार न रहे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह मानता हूँ कि हमारा आदर्श यही होना चाहिए।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : आंकड़े एकत्र करने में क्या कठिनाई है? मैं समझता हूं कि मैंने एक साल पहले आंकड़ों के बारे में सवाल पूछ कर ही विभाग को इस दिशा में क्रियाशील कर दिया था। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या आंकड़े एकत्र करने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने अभी शुरू किया है और मैं समझता हूं कि हमने अच्छी शुरूआत की है।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वह पिछले एक साल से क्या कर रहे थे; और उन्होंने शुरूआत कब की?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसके अलावा भी हमें और बहुत से काम थे। हमने अच्छी शुरूआत की है।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या विभिन्न उद्योगों में बेरोजगारी के बारे में आंकड़े एकत्र करने शुरू करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जाएंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने आंकड़े एकत्र करने की नीति शुरू कर दी है।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या आंकड़े एकत्र करने में मुझे पिछली बार दिए गए वचन को कार्यरूप देने के लिए कुछ किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं पहले की कह चुका हूं कि शुरूआत कर दी गई है।

228

*स्त्रियों का खानों के अन्दर रोजगार

243. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भूमिगत स्त्रियों का नियोजन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जेनेवा कन्वेंशन के प्रतिकूल है;

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि युद्ध की आवश्यकता के बावजूद यूनाईटिड किंगडम में ऐसा कोई रोजगार नहीं दिया गया है;

(ग) सरकार ने यह छूट कब दी है और क्यों दी है;

(घ) कोयला खानों में स्त्रियों को कब तक रोजगार देते रहने की सरकार को प्रत्याशा है;

(ङ) कितनी स्त्रियों को इस प्रकार नियोजित किया गया है;

(च) भूमिगत स्त्रियों द्वारा कितनी मजदूरी कमाई जाती है और अन्य कामों में नियोजित स्त्रियों की कमाई की तुलना में कितनी है; और

(छ) सरकार ने कोयला खानों में भूमिगत स्त्रियों के स्वास्थ्य और मनोबल के रक्षोपाय के लिए क्या–क्या कदम उठाए हैं?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 10 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 559-61.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाँ।

(ख) हाँ।

(ग) मध्य प्रान्त और बरार के कोयला क्षेत्रों को में अगस्त 1943 में, बंगाल और बिहार के मामले में नवम्बर, 1943 में, उड़िया के मामले में दिसम्बर, 1943 में। इन कोयला क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों की भारी कमी के कारण हैं।

(घ) ज्यों ही कोयले का उत्पादन उस अंक तक पहुँच जाएगा जब यह निषेध पुनः लागू करना सम्भव हो जाएगा त्यों ही निषेध पुनः लागू कर दिया जायेगा।

(ङ) भूमिगत नियोजित स्त्रियों की कुल संख्या के सही आंकड़े नहीं दिए जा सकते। क्योंकि यह अंक दिन–प्रति–दिन भिन्न होता है। फिर भी अनुमान है कि बंगाल, बिहार, मध्य प्रान्त और उड़ीसा में सभी कोयला खानों में इस समय भूमिगत नियोजित स्त्रियों की संख्या लगभग 16 हजार है।

(च) भूमिगत नियोजित स्त्रियां उतनी मजदूरी के लिए हकदार हैं जितनी वैसे ही काम के लिए पुरुषों को मिलती है। भूमिगत नियोजित स्त्रियों की मजदूरी निःशुल्क चावल की रियायत को छोड़कर प्रतिदिन 0-12-0 आने से लेकर 0-15-0 आने तक है। दूसरे कामों में स्त्रियों की मजदूरी संबंधी अद्यतन जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

(छ) स्त्रियों को भूमिगत उन गैलरियों में नियोजित किए जाने की अनुमति नहीं है जिनकी ऊँचाई साढ़े पांच फीट से कम है। वे माईन्स मैटरनिटी बैनीफिट्स ऐक्ट 1941 की प्रसुविधाओं के लिए भी हकदार हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए तीन निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा तीन कल्याण अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं और खानों के लिए एक महिला कल्याण अधिकारी भी नियुक्त की जा रही है।

श्री मनु सूबेदार : क्या माननीय सदस्य ने कोयला खानों में स्त्रियों के बारे में यहां यूनाईटिड किंगडम में रिपोर्ट देखी है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी स्त्री को कमर से ऊपर कपड़े पहन कर काम नहीं करना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां।

श्री मनु सूबेदार : इस तथ्य की दृष्टि से कि यूनाइटेड किंगडम में या संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्रिटिश राष्ट्र संघ के किसी क्षेत्र में, युद्ध के दबाव के बावजूद, स्त्रियां भूमिगत काम में नियोजित नहीं हैं, क्या माननीय सदस्य यह बताएंगे कि वह इस अपमानजनक परिपाटी के पक्षकार क्यों रहे हैं?

माननीय बी.आर. अम्बेडकर : कोयले की कमी की वजह से।

श्री एन.एम. जोशी : माननीय सदस्य ने कहा कि स्त्री पुरुष के बराबर वेतन के लिए हकदार है और उन्होंने कहा कि औसतन औरत 12 आने कमाती है, मैं आपके आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार कोयला क्षेत्रों में स्त्री और पुरुष दोनों को संयुक्त उत्पादन के लिए संयुक्त रूप से भुगतान किया जाता है। भारत सरकार यह कैसे आश्वस्त होगी कि संयुक्त रूप से की गई कमाई का हिस्सा पुरुष स्त्री को दे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : संयुक्त मजदूरी वितरित करके आंकड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं।

श्री एम.एम. जोशी : क्या मैं पुनः माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूँ कि वह यह कैसे निश्चित करेंगे कि स्त्री पुरुष के समान मजदूरी पाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा था कि स्त्री उतनी ही मजदूरी के लिए हकदार है जितनी के लिए पुरुष उतने ही काम के लिए हैं।

श्री एन.एम. जोशी : वह यह कैसे आश्वस्त होंगे कि पुरुष स्त्री की मजदूरी का उसका आधा हिस्सा दें और ज्यादा हिस्सा अपने पास न रखें, और स्त्री को कम हिस्सा न दें।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि जो स्त्री–पुरुष काम करते हैं, वे पति–पत्नी होते हैं और मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अपनी संयुक्त मजदूरी का निश्चित गणितीय बंटवारा करवाने में बहुत अधिक रुचि रखेंगे।

श्री एन.एम. जोशी : इस तथ्य की दृष्टि से कि माननीय सदस्य ने कहा था कि उन्हें मालूम नहीं है, क्या मैं भारत सरकार से उस वक्तव्य को वापिस लेने की मांग कर सकता हूं, जो उसने किया है कि स्त्री–पुरुष के बराबर मजदूरी के लिए हकदार है। क्या माननीय सदस्य यह घोषणा नहीं कर रहे हैं कि स्त्री–पुरुष के बराबर मजदूरी ले रही हैं। जब तक वह यह पक्का नहीं कर लेते स्त्री–पुरुष के बराबर मजदूरी कैसे पा सकती है। उन्हें ऐसा बयान देने का हक नहीं है। मेरे विचार में ऐसा करना गुमराह करना है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह माननीय सदस्य की ओर से केवल एक वाक्छल है।

श्रीमती के.राधाबाई सुब्बारायण : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि पिछले सत्र के दौरान दिए गए आश्वासन के अनुसार सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है

और अपना समाधान कर लिया है कि खानों में स्त्रियों को नियोजित करने की इस निर्मम प्रथा को जारी रखना उनके लिए नितान्त आवश्यक है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है।

सर कावसजी जहांगीर : क्या मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूँ कि क्या गर्भवती स्त्री के लिए भूमि के नीचे जाने पर कोई पाबन्दी है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ऐसी कोई पाबंदी लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं, अनेक स्त्रियों में गर्भावस्था का पता लगाना अत्यन्त कठिन होता है।

सर कावसजी जहांगीर : निश्चय की माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह ऐसा कठिन मामला नहीं है। दूसरे कामों में भी यह किया जाता है। यहां भी ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता; और यदि व्यवहार में नहीं तो सिद्धान्त में ही यह पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा सकती कि कोई भी गर्भवती स्त्री भूमिगत काम नहीं करेगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह विषय सक्रिय तौर पर विचाराधीन है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या सरकार ने इन महिला कामगारों के शिशुओं और बालकों की देख–रेख के लिए कोई इन्तजाम किया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : एक कोल माइनर्स वेलफेयर फण्ड की स्थापना की गई है और बालकों की देख–रेख करना इस फण्ड के कर्तव्यों में से एक होगा।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इन स्त्रियों के शिशुओं और बालकों की देख–रेख के लिए कोई निश्चित इन्तजाम किया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह एक कानूनी संगठन है और इसके अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है महिला कामगारों के शिशुओं और बालकों की देखभाल करना।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने खानों में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या घटाने और वहां नियोजित किए जाने वाले पुरुषों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह भी विचाराधीन है।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उपायों पर विचार किया जा रहा है।

डॉ. जी.वी. देशमुख : कानूनी प्रावधान के अलावा क्या सरकार को ऐसी किसी व्यवस्था की जानकारी है जो इन गर्भवती स्त्रियों और बालकों की भलाई के रक्षोपाय के लिए की जानी चाहिए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि आसूचना उनका एकाधिकार नहीं है।

डॉ. जी.वी. देशमुख : और न ही यह सरकार का एकाधिकार है।

229

*कोयला खानों में श्रमिकों की कमी

240. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कोयला खानों में श्रमिकों की कमी इस कारण है कि हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सेना के ठेकेदार ऊँची मजदूरी दे रहे हैं;

(ख) युद्ध से पहले कोयला खानों में कितनी मजदूरी थी और युद्ध के पांचों वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कितनी मजदूरी रही है:

(ग) क्या यह सही है कि कोयला खानों में उत्पादन कम होने का कारण यह था कि कोयला खान मालिक उचित मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं थे जबकि रहन–सहन अधिक खर्चीला हो गया है; और

(घ) सरकार ने (i) श्रमिकों की कमी और (ii) कोयले की कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सेना के ठेकेदारों द्वारा ऊँची दरों पर श्रमिकों का नियोजन कोयला खदानों में श्रमिकों की कमी का एक कारण था:

(ख) @वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) यह सही है कि खदान मजदूरों की मजदूरी काफी समय से बढ़ी हुई

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 10 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 561.

@ वक्तव्य यहां शामिल नहीं किया गया है – सम्पादक

महंगाई से निपटने के लिए पूरी तरह समायोजित नहीं की गई है। श्रमिकों की सप्लाई की कमी का यह भी कारण था।

(घ) मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्री नियोगी के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (क), (ख), (ग), (ङ) और (च) के बारे में माननीय आपूर्ति सदस्य द्वारा विधान सभा में दिए गए उत्तरों की ओर आकर्षित करता हूं। उनमें श्रमिकों की कमी और कोयले की कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है।

उद्योग के प्रतिनिधि भी दिसम्बर 1943 में धनबाद में खदान मजदूरों की नकद मजदूरी बढ़ाने और भोजन की आपूर्ति पर रियायत देने के लिए राजी हो गए थे।

श्री मनु सूबेदार : मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई है जिसे युद्ध पूर्व दरों की तुलना में देने के लिए नियोजक बाध्य हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे अफसोस है कि मैं आंकड़े नहीं दे सकता। लेकिन यहां मेरे पास एक विवरण है जो अच्छा भरा हुआ है और मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय सदस्य को उसमें वह सब मिल जाएगा जो वह चाहते हैं।

श्री मनु सूबेदार : सरकार ने यह देखने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस कष्टकारी ढंग से खानों में काम करने वाली स्त्रियाँ कम से कम उन औरतों से कुछ थोड़ा ज्यादा पाएं जो अन्य व्यापारों में भूमि पर काम करती हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र को आश्वस्त करता हूं कि कोयला खानों में मजदूरी 50 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा दी गई है।

श्री मनु सूबेदार : सरकार ने कोयला खान मालिकों को बाध्य करने के लिए क्या उपाय किए हैं; सरकार युद्ध से पूर्व 3-8-0 रुपए के बजाय अब 9-8-0 रुपए कोयले के लिए देती है। यदि कोयले के लिए आप इतना अधिक देते हैं तो क्या आपने कोई शर्त रखी है कि यह अतिरिक्त भाग स्त्री कामगारों को मिलेगा जिन्हें आपने अपमानजनक ढंग से खानों में धकेल दिया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में हम सभी आवश्यक कदम उठा चुके हैं।

श्री एन.एम. जोशी : क्या यह बात सही नहीं है कि भारत सरकार सैनिक ठेकेदारों द्वारा खनिजों को नियोजित किए जाने से इसलिए रोकने के लिए उपाय कर रही है कि खनिकों को विवश होकर काम के लिए खानों में जाना पड़े जहां वे भूखे मरने की जोखिम उठाएं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस सवाल से यह तो पता नहीं चलता।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या इन 16 स्त्रियों के पास विशेष योग्यता या कौशल है जिससे कि उन्हें खानों में काम करने के लिए विवश किया जाता है; और वे ऐसी योग्यताएं हैं जिन्हें इस देश में पुरुष अर्जित नहीं कर सकते?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनसे न तो कहा जाता है और न ही उन्हें बाध्य किया जाता है। उन्हें अपने पारम्परिक काम धन्धे के लिए आगे आने के लिए केवल अनुमति दी जाती है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि आज कोयले का उत्पादन युद्ध पूर्व काल से भी कम है और क्या कोयले के उत्पादन में यह कमी खनिकों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को हक है कि वे जैसा चाहें निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

230

*रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय मजदूर परिसंघ को प्रान्तीय सरकारों का अंशदान

252. सर अब्दुल हलीम गज़नवी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा भारतीय मजदूर परिसंघ के पदाधिकारियों को अथवा किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार के 13 हजार रुपए मासिक के अनुदान के अलावा विभिन्न प्रान्तीय सरकारों से धन की मदद मिलती है;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि इन दो संगठनों को संयुक्त प्रान्त सरकार से 75 हजार रुपए प्रति माह की धनराशि मिलती है:

(ग) इन दो संगठनों को ही धन की मदद देने का सरकार का उद्देश्य क्या है: तथा

(घ) अन्य कौन से श्रमिक संगठन हैं जो सरकार से धन की मदद प्राप्त करते हैं?

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 10 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 568.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। 13000/- रुपए का अनुदान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं दिया जाता है बल्कि भारतीय मजदूर परिसंघ को दिया जाता है, न कि परिसंघ के किसी व्यक्ति, सदस्य को या पदाधिकारी को। जिस पत्र में सरकार से सहायता की पेशकश की गई थी वह अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस और भारतीय मजदूर परिसंघ दोनों को सम्बोधित किया गया था। अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस ने अपने उत्तर में कोई सहायता नहीं मांगी।

(ख) संयुक्त प्रान्त सरकार द्वारा परिसंघ को दिए गए किसी अनुदान की कोई जानकारी नहीं है। इस विभाग का संबंध केवल भारतीय मजदूर परिसंघ के अनुदान से है। इस अनुदान का उद्देश्य परिसंघ औद्योगिक श्रमिकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए प्रचार–प्रसार करना है।

(घ) केन्द्रीय सरकार से इस धन की मदद पाने वाले अन्य कोई श्रमिक संगठन नहीं हैं।

231

*सक्षम तेल संसाधनों के संबंध में ब्रिटिश और अमेरिकी फर्मों को अन्वेषणात्मक और पूर्वेक्षण लाईसेन्स

48. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य ब्रिटिश भारत में संभावित सक्षम तेल संसाधनों की बाबत ब्रिटिश और अमेरिकी फर्मों को दी गई खनिज रियायतों (अन्वेषणात्मक और पूर्वेक्षण लाइसेंसों सहित) के संबंध में 2 अगस्त, 1943 को सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई जानकारी को अद्यतन करने वाला एक विवरण सभापटल पर रखेंगे;

(ख) क्या यह बात सही है कि विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने भू–भौतिकी अन्वेषण करने के लिए लाईसेंस दिए हैं; यदि हां तो क्या संबंधित प्रान्तीय सरकारों ने ऐसे लाईसेंस देने से पहले भारत सरकार से परामर्श किया था; और

(ग) किन फर्मों को ये लाईसेंस दिए गए हैं, किस क्षेत्र के बाबत दिए गए हैं और उनकी क्या शर्तें हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जानकारी एकत्र की जा रही है और विवरण ठीक समय पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1944 का खंड 4, 10 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 574.

232

*भारतीय व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मेरा विचार उस प्रस्ताव को पेश करने का नहीं है जो मेरा नाम में है।

233

@दिल्ली विद्युत इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रैक्शन कम्पनी

419. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रैक्शन कम्पनी लिमिटेड भारत के बाहर निगमित कम्पनी है; दिल्ली प्रांत में यह कम्पनी कब से काम कर रही है, और वह किस क्षेत्र में काम करती है;

(ख) यह कम्पनी ट्रैक्शन परियोजना के लिए कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल करती है; उसने पिछले 12 माह के दौरान सप्लाई के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को कितनी यूनिटें बेची; अपनी कुल सप्लाई में से कितनी यूनिटें उसने अपनी निजी विद्युत केन्द्र से पैदा की; और कितनी यूनिटें कम्पनी ने दिल्ली सेन्ट्रल इलैक्ट्रिक पावर अथॉरिटी लिमिटेड से खरीदी;

(ग) क्या यह बात सही है कि दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड ने अनेक वर्षों से अपने, बिजली उत्पादन केन्द्र से सप्लाई काफी मात्रा में नहीं बढ़ाई है और सभी व्यावहारिक परियोजनाओं के लिए कुछ समय से वह सरकारी विद्युत केन्द्र पर आश्रित है जो फिलहाल दिल्ली सेन्ट्रल इलैक्ट्रिक पावर अथॉरिटी लिमिटेड के नियंत्रण में है;

(घ) क्या यह बात सही है कि दिल्ली सैन्ट्रल इलैक्ट्रिक पावर अथॉरिटी लिमिटेड सरकार द्वारा प्रत्यायोजित कम्पनी है और बिना लाभ के काम करती है;

(ड.) दिल्ली इलैक्ट्रिक पावर अथॉरिटी लिमिटेड द्वारा दी जाने वाले बिजली की प्रति यूनिट क्या कीमत होती होती है और वे विभिन्न दरें क्या हैं, जिन पर दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड अपने विभिन्न उपभोक्ता वर्गों को बिजली बेचती है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1944, 14 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 730.

@ वही – 15 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 780.

(च) क्या यह बात सही है कि सरकार के पास फरवरी 1947 में जब उनका वर्तमान लाईसेंस समाप्त हो जाएगा दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड को खरीदने का विकल्प है बशर्ते कि फरवरी 1945 में कम्पनी को नोटिस दे दिया गया हो; यदि हां, तो क्या विकल्प के प्रयोग के सवाल पर अभी तक विचार किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(छ) सरकार को इस उपक्रम को खरीदने की दशा में क्या रकम देनी होगी और इसे खरीदने पर सरकार किस सीमा तक इंग्लैंड में भारत के खाते में शेष स्टर्लिंग का इस्तेमाल कर सकती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां। कम्पनी का लाईसेंस 2 मार्च, 1905 से शुरू होता है। इस समय सप्लाई के क्षेत्र हैं – (i) दिल्ली नगरपालिका समिति के अधिकार का सम्पूर्ण क्षेत्र (ii) दिल्ली सिविल स्टेशन अधिसूचना सम्पूर्ण क्षेत्र, (iii) पश्चिमी दिल्ली अधिसूचित सम्पूर्ण क्षेत्र, और (iv) दिल्ली जिला बोर्ड के अधिकार की भूमि का एक हिस्सा।

(ख) युद्ध काल में जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

(ग) हां। इस समय कम्पनी का विद्युत जनन संयंत्र कमोबेश रूप में एक स्टेंड बाई (अतिरिक्त) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

(घ) हां।

(ङ.) विवरण पटल पर रखा है।

(च) हां। अब यह प्रश्न दिल्ली के मुख्य आयुक्त के विचाराधीन है।

(छ) भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 7 की उपधारा (i) के प्रथम परन्तुक के अनुसार लाइसेंस की समाप्ति के लिए दी जाने वाली कीमत, यदि खरीदने के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, माध्यस्थम द्वारा निर्धारित खरीद के समय उचित बाजार मूल्य होगी। जब तक यह मालूम न हो जाए कि इसमें कितनी रकम लगेगी तब तक सवाल के उत्तरार्द्ध का उत्तर देना संभव नहीं है।

विवरण

दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड से दिल्ली सैन्ट्रल इलैक्ट्रिक पावर अथॉरिटी लिमिटेड द्वारा थोक में प्रदत्त विद्युत पर 69 आने प्रति यूनिट लिया जाता है।

दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा ली जाने वाली दरें –

रोशनी और पंखे – 3 आने प्रति यूनिट – बिल का तुरन्त भुगतान करने पर प्रति यूनिट 3 पाई की छूट।

घरेलू बिजली (ठंडा करने, पानी गर्म करने, रेफ्रीजरेटर, रेडिऐटर तथा एयर कण्डीशनिंग) एक आना प्रति यूनिट।

बैटरी दरें – 2 आने प्रति यूनिट – बिल के तुरन्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट।

औद्योगिक

75 के.वी.ए. विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ता।

प्रतिबंधित घंटों के दौरान प्रदाय – 1.1 आना प्रति यूनिट – बिल का तुरन्त भुगतान करने पर .1 आना प्रति यूनिट छूट।

अप्रतिबंधित घण्टे के दौरान प्रदाय – जो दरें प्रतिबंधित घंटों के प्रदाय के लिए है और उसके अतिरिक्त पांच रुपए प्रति एच.पी. प्रति माह – बिल का तुरन्त भुगतान करने पर दस प्रतिशत की छूट।

विशेष दरें उद्धत हैं।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य को यह मालूम है कि कुछ साल पहले दिल्ली नगरपालिका समिति ने एक लाईसेंस के लिए आवेदन किया था, ताकि वह संबंधित क्षेत्र में या कम से कम उसके एक भाग में विद्युत प्रदाय कर सके और यह कि उस आवेदन के परिणामस्वरूप एक समिति द्वारा इस कम्पनी की स्थिति के बारे में जांच–पड़ताल की गई थी जिसके अध्यक्ष सम्भवतः सर जेम्स पितकीथली थे अथवा बंगाल सरकार के विद्युत सलाहकार उसके अध्यक्ष थे। क्या माननीय सदस्य इस कम्पनी के कार्यालय के बारे में इस समिति द्वारा या इन व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में इस सदन को कुछ बता सकेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि माननीय सदस्य स्पष्ट सवाल पूछें तो मुझे निश्चय ही जानकारी देने में खुशी होगी।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य ने इस कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ की कुल राशि का पता लगाने की कोशिश की है? क्या माननीय सदस्य का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक हाल ही के लेख में दिए गए एक बयान की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि कम्पनी द्वारा अर्जित कुल लाभ पहले ही उसकी पूंजी से लगभग पांच गुना हो गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां, मैंने देखा है।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य यह बताने की स्थिति में हैं कि यह बात सही है या नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : फिलहाल इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो उन्हें प्रश्न की सूचना देनी होगी।

श्री के.सी. नियोगी : भाग (ख) के संदर्भ में, क्या मैं इस कम्पनी द्वारा वास्तव में उत्पादित यूनिटों का सरकारी उपग्रमों से लागत कीमत पर, कम्पनी द्वारा खरीदी गई यूनिटे से अनुपात जान सकता हूं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि युद्ध काल में जानकारी देना लोकहित में नहीं होता।

श्री के.सी. नियोगी : मैं जानता हूं। क्या माननीय सदस्य इस बात से इन्कार करने की स्थिति में हैं कि इस कम्पनी द्वारा वास्तव में विद्युत यूनिटों से उसके द्वारा उत्पादित यूनिटों का अनुपात है बहुत कम?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है कि इससे अधिनियम के प्रावधानों को सीमित करना होगा जो मुझे जानकारी देने से मना करते हैं।

श्री के.सी. नियोगी : मुझे मालूम नहीं था कि माननीय सदस्य को उस अनुपात को बताने से भी रोक दिया गया है। बहरहाल मैं इस मुद्दे को छोड़ता हूं। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि यह मामला अन्तर्ग्रस्त महत्वपूर्ण नीति को ध्यान में रखते हुए मुख्य आयुक्त के विचाराधीन है, क्या सरकार किसी निष्कर्ष विशेष पर आने के बारे में मुख्य आयुक्त को निदेश देने का विचार रखती है अथवा क्या भारत सरकार का विचार केवल इस निमित्त मुख्य आयुक्त के फैसले को कार्यान्वित अथवा उसे अनुमोदित करना है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस मसले पर स्वयं भारत सरकार विचार कर रही है।

श्री के.सी. नियोगी : भाग (च) के संबंध में उस समय की कमी को ध्यान में रखते हुए जिसके दौरान सूचना तामील करनी होती है, क्या सरकार इस विषय में शीघ्र फैसला करेगी? क्या सरकार इस मामले के बारे में शीघ्रतम सम्भव मौकों पर इस सदन को विश्वास में लाने की कृपा करेगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार निश्चय ही समय बीतने से पहले अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी।

श्री के.सी. नियोगी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह विधानमंडल, जहां तक दिल्ली प्रान्त का संबंध है, वस्तुतः प्रान्तीय विधानमंडल की स्थिति में है, क्या माननीय सदस्य का विचार इस सदन को इस मामले पर विचार–विमर्श और चर्चा करने का मौका देने का है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

श्री आर.आर. गुप्त : क्या सरकार का विचार सरकार के नियंत्रणाधीन नई दिल्ली में स्थित विद्युत पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने का है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह सवाल पैदा नहीं होता। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

234

*कोयला खानों में स्त्रियों की हालत का अध्ययन करने के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को सुविधाएं देने से इन्कार

579. श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने कोयला खानों में स्त्रियों का निष्पक्ष अध्ययन करने के लिए एक अन्वेषण समिति भेजने के लिए सुविधाएं देने के बारे में अनुरोध किया था और यह कि 3 मई को भारत सरकार ने उक्त संगठन को सूचित किया कि ऐसे अन्वेषण पर कोई आपत्ति नहीं है। किंतु फिलहाल समय ठीक नहीं हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि बाद में 26 मई को अखिल भारतीय सम्मेलन के अनुरोध पर भारत सरकार ने अपनी सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया और उन्हें सूचित किया कि सरकार उन्हें उचित समय की सूचना दे देगी और यह कि अब तक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से इस प्रकार की कार्रवाई की गई है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1000-01.

(ख) सवाल के पहले भाग का जवाब हां में है। इसके कारण सम्मेलन के अध्यक्ष को सम्बोधित भारत सरकार के पत्रों में बता दिये गये थे।

श्री के.सी. नियोगी : क्या मैं वे कारण जान सकता हूं जिनकी वजह से सरकार को भाग (ख) में उल्लिखित आदेश पारित करना पड़ा था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : समय उपयुक्त नहीं था।

श्री एन.एम. जोशी : 'समय उपयुक्त नहीं था' से सरकार का क्या अभिप्राय है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में "उपयुक्त" शब्द बहुत साधारण शब्द है। इसे हर कोई समझ सकता है। मैं नहीं समझता कि मैं इसे और सरल कर सकता हूं।

श्रीमती रेणुका रे : क्या यह सच है कि सरकार ने उसी अवधि में वहां जाकर अन्वेषण करने के लिए रैगी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण समितियों को इजाजत दे दी थी? क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला संगठन को अभी तक इजाजत नहीं की गई है? यदि हां, तो इस भेदभाव का आधार क्या है; और ऐसा क्यों है कि अखिल भारतीय महिला संगठन जैसे जिम्मेदार निकाय को, जो स्त्रियों की भलाई में रूचि रखते हैं, इजाजत नहीं दी गई है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जिन्हें अनुमति दी गई थी वे शासकीय निकाय हैं।

श्रीमती रेणुका रे : क्या विधानमण्डल के सदस्य उस समिति में नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : स्त्रियों को खानों में जाकर अन्वेषण करने से क्यों रोका जाता है। सरकार ऐसा क्यों समझती है कि केवल स्त्रियों के संगठन के लिए उपयुक्त समय नहीं है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य जो चाहे निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि सरकार हर समय उपयुक्त नहीं समझती क्योंकि खानों में व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं कि वह नहीं चाहती कि किसी निष्पक्ष निकाय द्वारा छानबीन की जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य जैसा चाहे वैसे निष्कर्ष निकालें।

अध्यक्षस महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : अगला प्रश्न।

235

*मलेरिया की वजह से कोयला खानों में श्रमिकों की कमी

580. श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खासकर अगस्त और सितम्बर मास के दौरान कोयला खानों में श्रमिकों की कमी हुई थी, क्योंकि ज्यादातर खान मजदूर मलेरिया में पड़े हुए थे और पर्याप्त कुनैन न दिये जाने के कारण उनका समुचित इलाज सम्भव नहीं था : और

(ख) क्या माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि खान मजदूर बीमारियों और कुपोषण से इतने बुरी तरह ग्रस्त हैं कि इससे उनकी दक्षता पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है; और यदि हां तो इसके उपचार के लिए क्या–क्या कदम उठाए गए हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) कोयला खान मजदूरों को भी मलेरिया के मौसम में मलेरिया हो सकता है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि अगस्त और सितम्बर के दौरान ज्यादातर मजदूर मलेरिया से पीड़ित थे। झरिया कोयला क्षेत्र में काम करने वाले औसत दैनिक एक हजार मजदूरों में से 1943 और 1944 में अगस्त के महीने में इस रोग से पीड़ित लोगो की संख्या क्रमशः 81 और 80 थी और 1943 और 44 में सितम्बर महीने में यह संख्या 111 और 74 थी। इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए तथा काफी मात्रा में कुनैन और उसकी जगह दूसरी दवाइयां देने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

(ख) यह नहीं कहा जा सकता कि खान मजदूर भारी मात्रा में कुपोषण के शिकार हैं। जहां तक उनके स्वास्थ्य का संबंध है, 30 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली सभी खदानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी डिस्पेंसरी चलाएं और अपने डॉक्टर की मार्फत दवाईयां बांटे। कोयला खान मजदूर कल्याण–कोष की हाल ही में स्थापना की गई है जिसमें से खान में काम करने वाले लोगों की बीमारी को रोकने के उपाय और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए धन दिया जाएगा।

श्री के.सी. नियोगी : कुपोषण संबंधी मुद्दे के बारे में, क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि खानों में श्रमिकों की कमी

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1000-02.

के साथ–साथ काम का व्यक्तिगत उत्पादन भी कुपोषण की वजह से कम हो गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र द्वारा बताए गए तथ्यों के बारे में मुझे पक्की जानकारी नहीं है।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य माननीय आपूर्ति मंत्री से छानबीन करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने हाल ही में जब वह एक चेम्बर ऑफ कामर्स से मिले थे तब उन्होंने इस आशय का बयान दिया था।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : छानबीन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य के पास लगता है तथ्य की जानकारी है।

श्री के.सी. नियोगी : क्या माननीय सदस्य इस स्थिति की सच्चाई के बारे में अपने आपको आश्वस्त करेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां, मैं जानता हूं कि उत्पादन में कुछ कमी आई। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से इस कारण है कि मशीनरियों की कमी है।

श्रीमती रेणुका रे : जैसा कि माननीय सदस्य ने हमें विभिन्न खानों में डिस्पेंसरियों के बारे में बताया, क्या वह यह छानबीन करके पता लगाने की कृपा करेंगे कि रानीगंज और झरिया की खानों में क्या चिकित्सा सुविधाएं हैं और डिस्पेंसरियां कितना काम कर रही है और दवाईयां दे रही हैं? मेरी जानकारी है कि उनमें से कुछ इसलिए काम नहीं कर सकती कि उनमें पर्याप्त मात्रा में दवाइयां नहीं हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा था, सरकार ने कोयला खान मजदूर कल्याण कोष की स्थापना इससे पहले ही कर दी थी, क्योंकि सरकार की राय में सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी।

236

*खानों में भूमिगत काम में बालकों के रोजगार के मामले

581. श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि खानों में भूमिगत काम में बालकों

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1003.

को निषेध करने से संबंधित अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि इसका उत्तर हां में हैं तो अधिनियम का पृवर्तन निश्चित करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए गए हैं : और

(ग) यदि उत्तर ना में है तो क्या माननीय सदस्य मामले की छानबीन करके ऐसी किसी भी गैर–कानूनी परिपाटी को बन्द करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) खानों में बालकों के रोजगार के निषेध संबंधी भारतीय खान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए खान विभाग के अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते रहते हैं और यदि कहीं ऐसी कोई गैर–कानूनी परिपाटी है तो सामान्य तौर पर कारगर कदम उठाए जाएंगे।

श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय सदस्य को यह मालूम है कि झरिया और रानीगंज कोयला–क्षेत्रों में कुछ खानों में उल्लंघन के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और 14 तथा 15 साल के बालकों को वयस्क के रूप में काम पर लगाया जाता है और वे वास्तव में खानों में काम करने जाते हैं। माननीय सदस्य का इस बारे में क्या करने का विचार है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि माननीय सदस्य के पास किन्हीं खास खानों के संदर्भ में कोई खास मामले हैं और वह उन्हें मेरी जानकारी में लाएंगे तो मैं निश्चय ही इस पर विचार करूंगा।

237

*गर्भवती महिलाओं द्वारा खानों में भूमिगत काम

582. श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि गर्भवती स्त्रियां प्रायः खानों में नवें महीने तक और पुनः बालक को जन्म देने के 15 दिन बाद भी भूमिगत काम करती हैं और यह कि खानों में जहां प्रसुति सुविधाएं नहीं दी जाती हैं वे इससे भी लम्बी अवधि तक काम करती हैं;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1003.

(ख) सरकार ने गर्भवती स्त्रियों को भूमिगत काम करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या यह सच है पिछले साल के अन्दर ही भूमिगत काम करने वाली स्त्रियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनमें से कितनी दुर्घटनाएं गर्भवती स्त्रियों के साथ हुई हैं : और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ ही खानों में प्रसूति सुविधाएं दी जाती हैं; खान के क्षेत्रों में काम करने वाली सभी स्त्रियों के लिए प्रसूति सुविधाएं अनिवार्य बनाने के लिए सरकार क्या–क्या कदम उठाना चाहती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इस आरोप के आधार की कोई जानकारी नहीं है। खान प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (माइन्स मैटरनिटी बेनिफिट्स ऐक्ट) की धारा 3 के अधीन गर्भवती स्त्री के बच्चा जनने के बाद चार सप्ताह की अवधि तक उसको नियोजन वर्जित है। इसके अलावा स्त्री बच्चे को जन्म देने से पहले एक माह की छुट्टी के लिए हकदार है। इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण खान मुख्य निरीक्षक के अधीन श्रम निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं। वे सभी डॉक्टर हैं। ये निरीक्षण अधिनियम के प्रावधानों को और उसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए किए जाते हैं।

(ख) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गर्भवती स्त्रियां बच्चे के जन्म से लेकर एक माह की छुट्टी के लिए हकदार है तथा खान मुख्य निरीक्षक के अधीन श्रम निरीक्षकों के नियोजन का उद्देश्य इन स्त्रियों को अधिनियम के अधीन उनके अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें इस अधिनियम के फायदे दिलाने में उनकी मदद करना है।

(ग) हां। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इनमें से कई स्त्रियां गर्भवती थीं। दुर्घटना के बाद छानबीन के दौरान खदान डॉक्टर का साक्ष्य अनिवार्यतः लेखबद्ध किया जाता है और यदि कोई स्त्री गर्भवती थी तो उसकी हालत प्रकट की जाएगी और लेखबद्ध की जाएगी।

(घ) खान प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (माइन्स मैटरनिटी बेनिफिट्स ऐक्ट) 1941 ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित के सिवाय सभी खानों को लागू होता है :

(i) बम्बई प्रान्त में खानों के रूप में कुछ पत्थर तोड़ने वाले संयंत्र।

(ii) लोह अयस्क खानें, जो बिना यांत्रिक शक्ति के काम करती हैं, जिनमें से सारा अयस्क स्थानीय तौर पर ग्रामीण स्मेलटरों और लुहारों को दिया जाता है।

(iii) वे खाने जिनमें केवल भावी प्रयोजनों के लिए ही खुदाई चल रही है,

बशर्ते कि ज्यादा से ज्यादा बीस व्यक्ति ऐसी खुदाई में या कि आस–पास नियोजित हैं कुछ अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए।

इन छोटी–छोटी खानों में प्रसूति सुविधाओं को अनिवार्य बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या वास्तव में ऐसे कोई मामले हैं जिनमें गर्भवती स्त्रियों को चोट आई हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां, कुछ हैं।

श्री लाल चन्द नवलराय : कब?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जब से उन्होंने काम करना शुरू किया। कोयला खानों में ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं।

श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय सदस्य हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गर्भवती स्त्रियों को उन खानों में जाने से रोकने का सबसे बढ़िया तरीका भूमिगत काम करने वाली स्त्रियों पर निषेध बहाल करने का नहीं होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं पूरी तरह सहमत हूं, बशर्ते कि परिस्थितियां अनुकूल हों।

238

*कोयला खानों में भूमिगत काम करने वाली स्त्रियों पर निषेध की बहाली

582. **श्रीमती रेणुका रे** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार अपने पहले वायदे की दृष्टि से कोयला खानों में भूमिगत काम करने वाली स्त्रियों पर निषेध को कब बहाल करने का विचार रखती है, और

(ख) स्त्रियों के भूमिगत नियोजन से कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार निषेध को पुनः लागू करने के लिए अत्यन्त आतुर है। ज्यों ही कोयले का उत्पादन उतना हो जाएगा जब ऐसा निषेध पुनः लागू करना संभव हो तो वह लगा दिया जायेगा।

(ख) स्त्रियों के भूमिगत काम के परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है लेकिन कोई निश्चित आंकड़े नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अन्य कारक भी उसी समय क्रियाशील हैं।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1004.

श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय सदस्य को यह मालूम है कि स्त्रियों के भूमिगत काम करने से जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वह बहुत मामूली है और क्या वह समझते हैं कि वृद्धि से अन्तरराष्ट्रीय संहिता और नैतिक कन्वेंशन के उस उल्लंघन की भरपाई हो जाती है जो अधिक उत्पादन की दृष्टि से भी खानों में काम करने वाली स्त्रियों के कारण हुआ है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरी जानकारी इसके विपरीत है।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस निषेध को पुनः लागू करने के लिए सरकार का उत्पादन लक्ष्य क्या है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह बताने में असमर्थ हूं।

श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय सदस्य को यह मालूम है कि स्त्रियां भूमि के नीचे बेलदार का काम करती हैं और पुरुष कटर का काम करते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक टब की प्रगति दर बहुत कम है, क्योंकि स्त्री कटर का काम नहीं कर सकती और इसका परिणाम यह है कि पुरुष को आराम करना होता है, जबकि उत्पादन दर इससे कहीं तेज होगी ....।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य भाषण देंगे।

श्रीमती रेणुका रे : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या श्रम सदस्य यह नहीं समझते कि प्रति टब काम की प्रगति दर इसलिए बहुत धीमी है क्योंकि स्त्रियां बेलदार के रूप में काम करती हैं और कटर के रूप में काम नहीं कर सकतीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह जानकारी पा कर मुझे खुशी हुई। लेकिन मैं इय बयान की विश्वसनीयता पर या सुझाव की व्यावहारिकता पर कोई राय नहीं दे रहा हूं।

239

*भारत सरकार के मुद्रणालयों के लिए श्रम कल्याण अधिकारी का पद

586. मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रणालयों के लिए श्रम कल्याण अधिकारी का पद विज्ञापित किया गया था; यदि हां तो कब और कैसे;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1004.

(ख) क्या कोई चयन किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि वह पद मुसलमानों के लिए आरक्षित था;

(घ) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पिछले दो साल में सहायक श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है; और

(ङ.) उनकी शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं और उनमें से कितने मुसलमान हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार के मुद्रणालयों के लिए श्रम कल्याण अधिकारी का एक पद मंजूर किया गया है। इसे पिछले जून में अनुमोदित समाचार–पत्रों में फैडरल पब्लिक कमीशन द्वारा विज्ञापित किया गया था। आवेदन 10 जुलाई तक कमीशन के कार्यालय में पहुंचने थे।

(ख) और (ग) हां।

(घ) एक महिला सहायक श्रम कल्याण सलाहकार सीधे श्रम विभाग के अंतर्गत नियुक्त की गई थी।

(ङ.) वह एम.ए., एम.लिट. है और हिन्दू है।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या यह अधिकारी केन्द्रीय सरकार के मुद्रणालयों के लिए नियुक्त किया जाता है अथवा प्रान्तीय सरकार के मुद्रणालय के लिए भी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : केन्द्रीय सरकार के मुद्रणालय के लिए।

240

*निजी समाचार-पत्र मालिकों और उनके कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े

600. श्री कैलाश बिहारी लाल : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी समाचार–पत्र मालिकों और उनके द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े प्राप्त किए हैं; और

(ख) यदि (क) का उत्तर ना में है तो क्या सरकार का विचार उक्त आंकड़े प्राप्त करने का है ताकि बाकी ऐसे कर्मचारियों को (i) अवकाश के नियमों (ii) छुट्टियों की सूची (iii) वेतन श्रेणियों और (iv) महंगाई भत्ते के बारे में राहत दी जा सके?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1013.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) श्रम अन्वेषण समिति मुद्रण प्रेसों में कर्मचारियों की शर्तों से संबंधित सामान्य जानकारी एकत्र कर रही है। अतिरिक्त जानकारी क्या एकत्र की जाए और समाचार–पत्र संगठनों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित कानून बनाना कितना व्यावहारिक है, इस प्रश्न पर उचित समय में विचार किया जाएगा।

श्री कैलाश बिहारी लाल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार कम से कम दिल्ली प्रिंटिंग प्रैस संबंधी आंकड़े प्राप्त कर सकती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में इन्तजार करना बेहतर होगा ताकि यह पता चल जाए कि श्रम अन्वेषण समिति इस विषय में क्या कर रही है।

श्री कैलाश बिहारी लाल : दिल्ली एक छोटा–सा क्षेत्र है जिसके बारे में माननीय सदस्य ....

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं। अगला प्रश्न

241

*भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में सेवा का विस्तार

601. **काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में अनेक मामलों में सेवा में बार–बार विस्तार किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि हर साल उस मुद्रणालय का प्रबंधक भारत में मुद्रण और लेखन सामग्री नियंत्रक को विस्तार के बहुत सारे मामलों की सिफारिश करता है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबंधक जिन व्यक्तियों की सेवा विस्तार की सिफारिश करता है, उनकी जगह काम करने के लिए मुद्रणालय में पूरी तरह प्रशिक्षित और अर्हित आदमी हैं जो सेवा–निवृत्ति के बिल्कुल करीब हैं;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1013.

(घ) क्या यह सच है कि सेवा विस्तार की इन सिफारिशों के कारण इन सेवा–निवृत्त होने वाले लोगों के पदों के लिए कुछ अर्हित व्यक्तियों के दावे अवरूद्ध हो गए हैं; और

(ड.) यदि (क) से (घ) का उत्तर हां में है तो क्या माननीय सदस्य इस आशय की हिदायतें जारी करना ठीक समझते हैं कि भविष्य में किसी भी स्थिति में आगे विस्तार मंजूर न किया जाए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) नहीं। कुछ ही मामलों की सिफारिश की गई है।

(ग) कुछ मामलों में तो अर्हित आदमी उपलब्ध होते हैं, दूसरो में नहीं।

(घ) नहीं।

(ड.) उत्पन्न नहीं होता।

काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या मैं यह समझूं कि प्रश्न के भाग (क) का जबाव ना में है और वह किसी भी विस्तार की सिफारिश नहीं कर रहा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कहा था केवल थोड़े से मामलों की सिफारिश की जाती है।

काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या महाप्रबंधक कोई विस्तार मंजूर कर रहे हैं अथवा नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रबंधक विस्तार मंजूर करते रहे हैं।

काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब अर्हित व्यक्ति मौजूद हैं तो ये विस्तार क्यों मंजूर किए जाते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि अर्हित आदमियों के मौजूद होते हुए विस्तार मंजूर किया जाता है।

काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : मैं यह समझा कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कभी–कभी तब भी विस्तार मंजूर किया जाता है जब अर्हित आदमी मौजूद होते हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां, बहुत कम स्थिति में।

काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या में यह जान सकता हूं कि उन परिस्थितियों में भी लोगों को किन कारणों से विस्तार दिया जाता है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूं कि जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया था उन मामलों में ये विस्तार मंजूर करने के सामान्य कारण

पूरी तरह से तथ्य पर आधारित होते हैं कि यदि कुछ लोगों को एक या दो साल का विस्तार न दिया जाए तो वे अपनी पेंशन ही गंवा बैठेंगे।

काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या यही एकमात्र कारण है अथवा क्या कोई दूसरा कारण भी है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे दूसरा कोई कारण मालूम नहीं है।

काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या माननीय सदस्य यह छानबीन करने की कृपा करेंगे कि जिन मामलों में विस्तार दिए गए थे क्या वे एकमात्र इसी कारण से थे या किसी दूसरे कारण से?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने छानबीन की है और मेरे पास यही जानकारी है।

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या मैं उन "कुछ मामलों" में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम जान सकता हूं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे पास व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। लेकिन मेरे सामने कुछ मामले है।

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : वे किस सम्प्रदाय के हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) अगला प्रश्न।

242

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के जिल्दसाजों और भाण्डागारपालों के लिए काल वेतनमान

602. काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने काल वेतनमान मंजूर कर दिया है जिसके लिए भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के जिल्दसाज और भाण्डागारपाल अभ्यादेवन कर रहे थे;

(ख) क्या यह सच है कि ये लोग लगभग पिछले 15 साल से इस परियोजना के लिए अभ्यावेदन कर रहे हैं;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1013.

(ग) क्या यह सच है कि कुछ भाण्डारगारपाल, जो पिछले 15 और 20 साल से सेवा कर रहे हैं और जिनका वेतन इस समय केवल 25/- रुपए प्रति माह हैं, उनको काल वेतनमान से कोई भी लाभ नहीं हुआ है;

(घ) क्या यह सच है कि किसी भी आदमी को तुरन्त एक भी वेतन–वृद्धि मंजूर नहीं की गई है; और

(ड.) यदि (क) से (घ) के उत्तर हां में हैं तो क्या माननीय सदस्य काल वेतनमान शुरू करते समय सभी जिल्दसाजों और भाण्डारगारपालों को कम से कम एक वेतन वृद्धि–मंजूर करने के औचित्य पर विचार करेंगे जिससे कि उन लोगों को कुछ अतिरिक्त राहत मिल सके जो पिछले इतने सालों से इन्तजार कर रहे हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) हां, पिछले कुछ समय से।

(ग) हां, ज्यों ही वे अपनी अगली वेतनवृद्धि अर्जित कर लेंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

(घ) हां, केवल 22 जून, 1944 से जब काल वेतनमान लागू हुआ था, अभी तक कोई वेतन वृद्धि–अर्जित नहीं की गई है।

(ड.) प्रस्तावित रूप में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है क्योंकि वे आदमी अगले साल अपनी वेतन–वृद्धियां अर्जित करेंगे।

काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : क्या माननीय सदस्य इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि कुछ व्यक्ति सेवा–निवृत्ति के करीब होंगे और उन्हें इस काल वेतनमान से कोई फायदा नहीं मिलेगा तो क्या सरकार द्वारा उनकी पिछली सेवा के बदले कोई वेतनवृद्धि देना ऐसे मामले में उचित नहीं होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि ऐसे पेचीदा मामलों से निपटने के लिए कानून में फेरबदल करना बुद्धिमानी होगी।

243

*उड़ीसा में महानदी परियोजना का विकास

607. प्रो. एन.जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उड़ीसा में बाढ़ प्रकोप रोकने के लिए महानदी पर सर एम. विश्वेश्वरैया समिति की रिपोर्ट में महानदी परियोजना के विकास और

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1018.

कटक सम्बलपुर, पुरी तथा बालासौर जिले में बहुत बड़ी भूमि की सिंचाई के लिए नहरें बनाने का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या ऐसी स्कीम की अनुमानित लागत 1938-39 में लगभग चार करोड़ रुपए थी; और

(ग) क्या भारत सरकार उड़ीसा प्रान्त की वित्तीय अस्थिरताओं और अधिक चावल उत्पादन की भारत की बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उस स्कीम को शुरू करने और आगे बढ़ाने के औचित्य पर विचार करेंगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) नहीं। इस विषय से संबंधित जानकारी मांगी जा रही है।

(ग) सरकार स्कीम की ध्यानपूर्वक छानबीन किए बिना इस समय ऐसा आश्वासन नहीं दे सकती।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या सरकार इस स्कीम की ध्यानपूर्वक छानबीन करने के लिए तैयार है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या यह विभिन्न उप–समितियों में से किसी के अथवा नेशनल प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ कमेटीज़ के अन्वेषण का अंग होगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार क्या प्रक्रिया अपनाए, इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो. एन.जी. रंगा : शुक्रिया।

244

*बिहार में खदान मजदूरों को चावल की सप्लाई के लिए इन्तजाम

611. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य विस्तारपूर्वक यह बताने की कृपा करेंगे कि खदान मजदूरों को चावल देने के लिए बिहार प्रान्त में क्या–क्या इन्तजाम किए गए हैं;

(ख) क्या माननीय सदस्य को कोई शिकायत मिली हैं कि बिहार प्राधिकारीगण खदानों के मजदूरों को चावल देने के लिए कुछ खदानों से कीमत ले रहे हैं,

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1021.

जो नियंत्रित कीमत से अधिक है और यह कि उन चावलों की क्वालिटी भी घटिया है; यदि हां, तो इन शिकायतों में कौन–कौन से भिन्न–भिन्न मुद्दे उठाए गए हैं और उनके बारे में निश्चित किए गए तथ्य कौन–कौन से है;

(ग) इस विषय में बिहार में विद्यमान प्रणाली बंगाल खदानों में शुरू की गई प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है; और

(घ) सरकार इस विषय में बिहार खदानों की ओर से की गई शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारत प्रतिरक्षा नियम के अधीन अपर उपायुक्त, धनबाद द्वारा जारी किए गए तारीख 20 अप्रैल, 1944 के आदेश के अनुसार प्रत्येक खदान कामगार अपने लिए और अपने वयस्क आश्रित के लिए ज्यादा से ज्यादा चार सेर खाद्यान्न प्रति सप्ताह (उसमें से चावल ज्यादा से ज्यादा दो सेर होगा) और प्रत्येक अवयस्क आश्रित के लिए दो सेर खाद्यान्न प्रति सप्ताह (जिसमें से चावल एक सेर से अधिक नहीं होगा) खाद्यान्न की दुकान से अपर उपायुक्त द्वारा नियंत्रित कीमतों के समान कीमतों पर खरीदने के लिए हकदार है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भारी भरकम कामगार प्रत्येक हाजिरी के लिए आधा सेर चावल के निःशुल्क राशन के लिए हकदार है। लेकिन यदि खनिज पूरा या आंशिक निःशुल्क राशन दूसरे अनाज में लेना चाहें, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

(ख) पहले भाग का उत्तर हां में है। तथ्य ये हैं कि बिहार सरकार ने खदान संघों से एक नवम्बर, 1944 तक सप्लाई किए गए चावल की वास्तविक लागत वसूल की है। ये प्रदाय थोक में नेपाल में उगाए जाते हैं जहां से बिहार सरकार को अपने काबू से बाहर की दर पर खरीदना पड़ता है। परिणामस्वरूप नेपाल की चावल सप्लाई स्थानीय थोक नियंत्रित दर से ऊपर लगभग एक रुपए आठ आने की दर से खदान संघों को दी गई हैं। एक नवम्बर, 1994 से बिहार सरकार ने स्थानीय थोक नियंत्रित कीमत तथा चार आने प्रशासनिक खर्च वसूल करने और बाकी नुकसान खुद वहन करने का फैसला किया है। क्वालिटी के विषय में शिकायत के तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है।

(ग) बंगाल के खदानों में कोई राशन प्रणाली नहीं है, लेकिन एक हजार कामगारों से अधिक के नियोजक सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग से अनाज खरीदते हैं। बिहार में प्रत्येक खदान को चावल प्रशासक, इंडियन माईनिंग एसोसिएशन अथवा सचिव, ज्वाईंट सप्लाई पूल के माध्यम से खरीदना होता है।

(घ) माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न के खण्ड (ख) के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

245

*दिल्ली में लोदी रोड़ पर लिपिक क्वार्टरों के निर्माण का ठेका

612. श्री के.बी. जिनराजा हेगड़े : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी रोड पर लिपिक क्वार्टरों के निर्माण के लिए लगभग 28,60,000/- रुपए का ठेका कम दर के निविदाकार की बजाए ऊंची दर के निविदाकार को दिया गया था। कम दर के निविदाकार ने दर तालिका से नीचे 11.25 दी थी :

(ख) यदि (क) का उत्तर हां में है तो सरकार को निम्नतम निविदाकार से ऊपर कुल कितनी अधिक रकम देनी पड़ी;

(ग) क्या यह सही है कि उसी फर्म को निम्नतम निविदाकार को नामंजूर करते हुए दर तालिका से ऊपर पांच प्रतिशत पर लगभग 50,00,000/- रुपए का दूसरा ठेका, उसी स्थान पर वैसे ही निर्माण के लिए दिया गया था; और

(घ) क्या विभाग ने उपरोक्त निविदाएं स्वीकार करने से पहले उनकी जांच–पड़ताल कर ली थी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नहीं। लोदी रोड परियोजना का एक भाग इस फर्म को दिया गया था, क्योंकि उसकी निविदा दर दूसरों के मुकाबले कम थी।

(घ) मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निविदाओं की जांच–पड़ताल करके उन्हें स्वीकार किया था। वह ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी हैं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1021-22.

246

*दिल्ली किराया नियंत्रण अध्यादेश के अधीन किराए की रसीद का एक निश्चित फार्म विहित करना

625. श्री कैलाश बिहारी लाल : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दिल्ली किराया नियंत्रण अध्यादेश 1944 के अधीन मकान–मालिक द्वारा किराएदारों को अनिवार्य रूप से दी जाने वाली रसीद का एक निश्चित फार्म विहित करने का है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

247

@कुछ शहरों में रहन-सहन के खर्चे में वृद्धि

100. श्री बद्री दत्त पाण्डे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ शहरों में रहन–सहन सूचकांक में रहन–सहन के खर्च में 182 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है; यदि नहीं, तो सच्चाई क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उन शहरों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के वेतन में 182 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हुई है; यदि नहीं तो सच बात क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन शहरों में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का है, जहां रहन–सहन खर्च में 182 प्रतिशत वृद्धि हो गई है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ शहरों में रहन–सहन सूचकांक की प्रकाशित लागत में अगस्त, 1939 के सूचकांक से 182 या इससे भी अधिक वृद्धि हो गई है।

(ख) पहले भाग का उत्तर हां में है। दूसरे भाग के बारे में, रेल कर्मचारियों को रहन–सहन के बढ़े हुए खर्च के लिए रोकड़ में राहत देकर और वस्तुओं में

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1027.

@ वही – पृष्ठ 1038.

रियायत देकर भरपाई कर दी जाती है। ये दोनों चीजें उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं तथा परिस्थिति के अनुसार समय–समय पर उनमें तालमेल बैठाया जाता है।

(ग) पहले भाग का उत्तर ना में है। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, सरकार की नीति वर्तमान अस्थिर आर्थिक अवस्थाओं में वेतनमानों में कोई व्यापक संशोधन करने की नहीं है। लेकिन या तो महंगाई भत्ता देकर या वस्तुओं में राहत देकर या दोनों प्रकार से रहन–सहन के खर्च में होने वाली वृद्धि से निपटने की है।

248

*रेल व्यवसाय विवादों के निर्णय के लिए अनुरोध

101. श्री बद्री दत्त पाण्डे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान लेखबद्ध रेल प्रशासनों और उसके कर्मचारियों के बीच व्यवसाय विवादों के निर्णय के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं : और

(ख) उन अनुरोधों का निपटारा किस प्रकार किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) मैं सदन के पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें व्यवसाय विवाद अधिनियम (ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट) या भारत रक्षा नियम के नियम 81क के अधीन पिछले पांच सालों के दौरान रेल प्रशासनों और उनके कर्मचारियों के बीच व्यवसाय विवादों को तय करने के लिए किए गए अनुरोधों की संख्या और उन पर की गई कार्यवाही दर्शाई गई है।

249

**व्यवसाय विवादों के निर्णायक की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया

102. श्री बद्री दत्त पाण्डे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रक्षा नियम के नियम 81 के अधीन निर्णायक नियुक्त किए जाने से पहले की कार्यवाहियों के संबंध में लागू नियम क्या हैं;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1038.

** वही।

रेल प्रशासनों और उनके कर्मचारियों के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स (व्यवसाय विवादों) के संबंध में ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट के अधीन समझौता बोर्डों या जांच न्यायालयों के लिए अथवा भारत रक्षा नियम के नियम 81क के अधीन न्यायनिर्णय के लिए अनुरोध

क्रम	*वर्ष*	*अनुरोध किससे प्राप्त हुआ*	*अनुरोध किस प्रकार का था*	*क्या कार्रवाई की गई*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	1939	ईस्ट इंडिया रेलवे में कुछ यात्रा टिकिट निरीक्षकों से	महामहिम वायसराय को भेजे गए विज्ञापन को रोक रखने के औचित्य पर विचार करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा 3 के अधीन जांच न्यायालय की नियुक्ति;	नामंजूर (ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि यह विषय एक्ट के प्रयोजन के लिए व्यवसाय विवाद नहीं था)
2.	1940	जी आई पी रेलवे के कर्मचारी से	युद्ध महंगाई भत्ता देने के सवाल पर छानबीन के लिए ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा 3 के अधीन जांच न्यायालय की नियुक्ति;	स्वीकार किया गया।
3.	1943	अखिल भारतीय रेल कर्मचारी परिसंघ म्यालापोर, मद्रास से	रेलवे के लिए महंगाई भत्ते के सवाल पर भारत रक्षा नियम 81क के अधीन निर्णायक की नियुक्ति;	नामंजूर किया गया
4.	1943	जी आई पी रेलवे कर्मचारी संघ, बम्बई से	–वही–	–वही–
5.	1944	एन डब्ल्यू आर कर्मचारी संघ, करांची से	–वही–	–वही–
6.	1944	जी आई पी रेलवे कर्मचारी संघ से	–वही–	–वही–
7.	1944	बी.बी. एण्ड आई रेलवे कर्मचारी संघ से	–वही–	सरकार के विचाराधीन

क्रमांक 249 पर प्रश्न संख्या 101 देखें

(ख) नियोजक और कर्मचारियों के बीच उत्पन्न व्यवसाय विवादों के लिए निर्णायक की नियुक्ति के लिए विहित योग्यताएं क्या–क्या है; और

(ग) किस की रिपोर्ट या प्रार्थना भारत रक्षा नियमों के नियम 81 के अधीन निर्णायक नियुक्त किया जाता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः भारत रक्षा नियम के नियम 81क का हवाला दे रहे हैं। निर्णायक से पहले की कार्यवाहियों के संबंध में कोई नियम लागू नहीं होते।

(ख) कोई योग्यताएं विहित नहीं की गई हैं और ऐसा करना सम्भव नहीं हैं क्योंकि नियम 81क के अधीन कार्रवाई तात्कालिक प्रकृति की है और देश के विभिन्न भागों में खास योग्यताओं वाले व्यक्तियों को तुरन्त प्राप्त करना हमेशा असम्भव नहीं होता। साधारण नियम मामले की समस्त परिस्थितियों में सुलभ सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करना है। जो आदमी अब तक नियुक्त किए गए हैं, उनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला और सेशन न्यायाधीश, मुख्य प्रजीडेन्सी मजिस्ट्रेट, श्रम आयुक्त और उनके सहायक कर्मकार, प्रतिकर आयुक्त तथा युद्ध क्षति दावा अधिकारी शामिल हैं।

(ग) निर्णायक की नियुक्ति किसी एक या दोनों पक्षों के अनुरोध पर या सरकार की ओर से की जा सकती है।

250

*भारतीय मजदूर परिसंघ द्वारा किए गए प्रचार-प्रसार के परिणाम

103. श्री बद्री दत्त पाण्डे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 13,000/- रुपए प्रति माह की सहायता से भारतीय मजदूर परिसंघ के प्रचार–प्रसार के क्या परिणाम निकले हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य प्रो. रंगा के तारांकित प्रश्न संख्या 152 के भाग (ग) के 7 नवम्बर, 1944 को मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को देखने का कष्ट करें।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1040.

251

*भारत के अयस्क उद्योग के संबंध में जांच समिति की नियुक्ति

श्री सत्यनारायण सिन्हा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सच है कि बिहार के अवयस्क उद्योग के बारे में केन्द्रीय सरकार ने जांच समिति नियुक्ति की है या वह करने जा रही है;

(ख) क्या माननीय सदस्य को यह मालूम है कि उक्त जांच समिति का गठन परिसंघ की विधायी सूची के कार्य–क्षेत्र से बाहर है; और

(ग) यदि उत्तर ना में है तो क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत शासन अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची में अंकित प्रान्तीय विधायी सूची पर ऐसे अतिक्रमण का क्या कारण है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां, समिति नियुक्त की जा चुकी है।

(ख) और (ग) समिति नियुक्त करते समय केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि ऐसा कोई अतिक्रमण न हो, लेकिन माननीय सदस्य निःसंदेह अपनी निजी राय कायम करने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत शासन अधिनियम में किस धारा के अधीन कार्रवाई की गई है?

अध्यक्ष (माननीय सर अब्दुर रहीम) : सम्भवतः सरकार ने अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर कार्रवाई की है।

252

@पांचवा श्रम सम्मेलन और स्थाई श्रम समिति की चौथी बैठक की कार्यवाहियों का सारांश

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन् मैं 6 और 7 सितम्बर, 1943 को नई दिल्ली में हुए पांचवें श्रम सम्मेलन और 25 तथा 26 जनवरी, 1944 को लखनऊ में हुई स्थाई श्रम समिति की चौथी बैठक की कार्यवाहियों के सारांश की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1944, 20 नवम्बर, 1944, पृष्ठ 1041.

@ वही।

253

*भारतीय मजदूर परिसंघ को सरकारी अंशदान

35. श्री लालचन्द नवलराय : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान 17 दिसम्बर, 1944 के सिन्ध ऑबजर्वर में "राय मेहता मड स्लिंगिंग ओवर रूपीज़ 13,000" शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित युनाईटेड प्रैस के लेख की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें श्री जमनादास मेहता, एम.एल.ए., जो अब भारत सरकार के एक अधिकारी हैं, ने कहा है कि उनके पास उपर्युक्त विषय पर एक सरकारी पत्राचार है जिससे यह पता चलता है कि मजदूर परिसंघ का नाम इस शीर्ष के बारे में उसके अध्यक्ष या उसकी कार्य परिषद की जानकारी के बिना पीठ पीछे इस्तेमाल किया गया है तथा साथ ही 13,000/- रुपए प्रति माह श्री राय द्वारा अपने लिए लिए गए थे जिन्हें वे जैसा चाहें खर्च कर सकते थे; और

(ख) उपरोक्त जानकारी की दृष्टि से, क्या माननीय सदस्य इस लोक धन के बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे कि यह किसे दिया गया था और किस प्रयोजन के लिए दिया गया था और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया था, तथा क्या उसमें श्री राय ने अपनी इच्छा से धन का इस्तेमाल किया अथवा क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने निजी प्रयोजनों के लिए किया अथवा क्या उसे श्री जमनादास मेहता के साथ बांटा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां, स्वयं माननीय सदस्य द्वारा।

(ख) मैं 2 नवम्बर 1944 को माननीय सदस्य के प्रश्न संख्या 31 के अपने उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

श्री लालचन्द नवलराय : माननीय सदस्य ने मेरे प्रश्नों का निश्चित उत्तर नहीं दिया है। मैं भाग (ख) के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या जो कुछ श्री जमना दास मेहता ने उस लेख में कहा है, वह सही है अथवा जो कुछ माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के बारे में पिछली बार कहा था, वह सही था; और क्या यह धन श्री जमना दास के लिए है, क्या यह श्री राय के लिए है अथवा दोनों के लिए है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने जो उत्तर दिया था उसमें मैं कुछ और जोड़ना नहीं चाहता।

* वही, खंड 1, 1945, 9 फरवरी, 1945, पृष्ठ 87-88.

श्री लालचन्द नवलराय : लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य ने उत्तर दे दिया है।

श्री लालचन्द नवलराय : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रश्न के बारे में शर्मिन्दगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यदि वह वक्तव्य देते हैं तो वह उनके अपने उत्तरों के प्रतिकूल जाएगा। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए अन्यथा इस विषय पर आस्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : मेरे विचार में सदन को यह जानने का हक है कि क्या यह निजी उपदान है, क्या यह परिसंघ की सुविधा के लिए है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह परिसंघ को दिया जाता है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने अपना समाधान कर लिया है कि परिसंघ के लेखा में उसे दर्ज कर लिया गया है और उसे परिसंघ के माध्यम से खर्च किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार और अधिक रकम देने की सोच रही है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि फिलहाल यह कितने समय के लिए मंजूर किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : एक साल के लिए।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह कब समाप्त होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जब बजट समाप्त हो जाएगा।

श्री बद्री दत्त पाण्डे : माननीय सदस्य ने दूसरे दिन कहा था कि लेखाओं की सम्परीक्षित प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी। क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री गोविन्द वी. देशमुख : क्या माननीय सदस्य ने इस लेखा के ब्यौरे देखे हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूं कि वे एक विशेष अधिकारी द्वारा देखे जाते हैं, जो इस काम के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

श्री लालचन्द नवलराय : उन लेखाओं से जिन्हें माननीय सदस्य पहले ही देख चुके हैं, क्या यह बात स्पष्ट है अथवा नहीं कि श्री राय ने इस धन का इस्तेमाल अपने निजी प्रयोजन के लिए किया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूं कि यह कहना सही नहीं है।

श्री लालचन्द नवलराय : तब क्या कहना सही है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च किया गया है जिनके लिए मंजूर किया गया था।

श्री बद्री दत्त पाण्डे : धन किसे सौंपा गया था, श्री राय को, श्री जमनादास मेहता को, या परिसंघ के सचिव को?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह परिसंघ के सचिव द्वारा प्राप्त किया जाता है।

श्री जमना दास एम. मेहता : परिसंघ को सरकार से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। परिसंघ के नाम का इस्तेमाल पीठ पीछे, दिमाग से परे और उसकी कार्य समिति या उसके अध्यक्ष की जानकारी के बिना किया गया है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री जमना दास एम. मेहता : सरकार के साथ छल किया गया है।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या सरकार अब कोई कार्रवाई करेगी, जबकि माननीय सदस्य को बता दिया गया है कि सरकार के साथ छल किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सरकार नहीं मानती कि उसके साथ छल किया गया है।

254

*खानों में भूमिगत श्रम करने वाली स्त्रियों पर फिर से निषेध लागू

48. **श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार** : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के भीतर स्त्रियों को काम करने देने की नीति की समीक्षा की गई है;

(ख) खानों में कितनी स्त्रियां काम कर रही हैं; तथा

(ग) इस तथ्य की दृष्टि से कि खानों में काम करने वाली स्त्रियां ठीक ढंग से अपने शरीर पर कपड़े भी नहीं पहन सकतीं, क्या वह इस परिपाटी को पूरी तरह समाप्त करने के औचित्य पर विचार करेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) कोयला खानों में स्त्रियों के भूमिगत नियोजन पर पुनः निषेध लागू करने के प्रश्न की समीक्षा की गई है, जिसकी ओर सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत है।

(ख) आंकड़े भिन्न हैं, किन्तु फिलहाल लगभग 15,000-16,000 स्त्रियां कोयला खानों में भूमिगत काम पर लगाई हुई हैं।

(ग) यह निषेध अस्थाई उपाय के रूप में ही हटाया गया है, और ज्यों ही हालत सुधरेगी त्यों ही उसे पुनः लागू कर दिया जाएगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सभी स्त्री कामगारों को जो चाहे जमीन पर काम करती हों या जमीन के नीचे रियायती दर पर प्रति वर्ष दो साड़ियां दी जाती हैं जिसकी व्यवस्था विभिन्न खनन संघों द्वारा की गई है। कुछ खानों में साड़ियां मुफ्त दी जाती हैं और दूसरी खानों में आधी कीमत पर दी जाती हैं।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : प्रश्न यह नहीं था कि क्या उन्हें पहनने के लिए साड़ियां मिलती हैं? खानों में उनके लिए साड़ी पहनना असम्भव है। इसलिए उन्हें साड़ियां भेंट करने या रियायती दरों पर देने का प्रश्न बिल्कुल असंगत हैं। मैं समझता हूं कि वे खानों में काम करते समय तगड़ी से ऊपर साड़ी नहीं लपेट सकती।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 9 सितम्बर 1945, पृष्ठ 104.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह बिल्कुल गलत है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : आप कब फिर से निषेध लागू करने की आशा करते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ज्यों ही परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : कौन–सी परिस्थितियां?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वे मेरे काबू में नहीं है और न ही मैं उनका पूर्वानुमान लगा सकता हूं।

255

*कोयला खानों में दुर्घटनाएं

52. श्री अब्दुल कय्यूम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने लोग 1943 और 1944 में कोयला खानों में काम करते हुए मर गए या घायल हो गए;

(ख) खानों में काम करने वाली स्त्रियों के लिए "पिट हैड बाथ्स" और उनके बालकों के लिए शिशु गृह की सुविधा देने के प्रस्ताव को प्रभावी रूप दिया गया है अथवा नहीं : और

(ग) यदि नहीं तो देरी के क्या कारण हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 1943 में 290 मारे गए और 1320 घायल हुए। 1944 में 332 मारे गए और 1395 घायल हुए।

(ख) अब तक 'पिट हैड बाथ्स' की व्यवस्था केवल डिगवार्डीह खदानों में की गई है। मध्य प्रांत की सात खदानों में और रानीगंज (बंगाल) की एक खदान में शिशु गृह (क्रैच) स्थापित कर दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार को देरी के कारणों की जानकारी नहीं है। वह भारतीय खान अधिनियम को संशोधित करने के सवाल पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ताकि उन खान मालिकों को जो स्त्री कामगारों को काम पर लगाते हैं शिशु गृह चलाने के लिए बाध्य किया जा सके।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945, का खण्ड 1, 9 फरवरी 1945, पृष्ठ 109-10.

श्री अब्दुल कय्यूम : क्या सरकार यह देखेगी कि यह सुधार स्त्रियों के नियोजन पर निषेध लागू करने से काफी समय पहले कर दिया जाए?

अन्यथा बाद में इन सुधारों का कोई उपयोग नहीं होगा। क्या माननीय सदस्य यह देखेंगे कि इनमें बहुत अधिक देरी न हो?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : भूमिगत स्त्रियों का नियोजन बन्द किया जा सकता है, लेकिन भूतल पर स्त्रियों का नियोजन जारी रहेगा। शिशु गृह आवश्यक होंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं इस मामले में विलम्ब करूंगा।

प्रो. एन.जी. रंगा : खान दुर्घटनाओं के कारण जितने लोगों के मरने की खबर मिली है उनमें से स्त्रियां कितनी हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस पर नोटिस चाहता हूं।

पं. लक्ष्मी कांत मैत्रा : इनमें से कितने प्रतिशत मौतें दम घुटने से हुई और कितनी दुर्घटनाओं के कारण?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस पर मैं नोटिस चाहता हूं।

256

*दक्षिण भारत में खनिज भण्डार

61. श्री के.एस. गुप्त : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीस वर्षों में भू–विज्ञान विभाग द्वारा समय–समय पर किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में कितने प्रकार के खनिज भण्डार – धातु और गैर–धातु, पाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चुम्बकीय लौह अयस्क के भण्डार सुगम स्थानों में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन निक्षेपों के परिक्षेत्र में एक लोह और इस्पात उद्योग स्थापित करने या दूसरों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रयास किया है; यदि नहीं, तो क्यों नही;

(घ) क्या मद्रास प्रान्त में निम्नलिखित भण्डारों की कोई क्रमबद्ध जांच और अन्वेषण किया गया था – (1) ताम्बा, (2) जिंक, (3) सीसा और (4) एल्युमिनियम; यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945, का खण्ड 1, 9 फरवरी 1945, पृष्ठ 116-117.

(ङ) क्या यह सच है कि यदि संसाधनों का उचित रूप से पता लगाया जाए तो मद्रास प्रान्त में ऊंची क्वालिटी की मृतिका (मिट्टी) की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं; क्या इस उद्योग के बारे में कोई छानबीन की गई है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(च) क्या यह सच है कि कुछ दक्षिणी जिलों में रोगन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज इल्मेनाईट प्राप्त किया जा सकता है; क्या इस उद्योग को विकसित करने के लिए कोई स्कीम थी या प्रयत्न किया गया था; यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(छ) क्या यह सच है कि मद्रास प्रान्त के कुछ तटवर्ती जिलों में अभ्रक बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है; यह उच्च दबाव के वैद्युत कार्य के लिए अनिवार्य खनिज है;

(ज) क्या यह सच है कि अभ्रक का केवल खनन किया जाता है और विद्युत का सामान तैयार करने के लिए उद्योग शुरू करने का प्रयास किए बिना विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है;

(झ) क्या भारत सरकार का विचार दक्षिण भारत में इन भण्डारों का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान संगठन स्थापित करने का है; यदि हां तो कब; यदि नहीं तो क्यों नहीं;

(ञ) क्या यह सच है कि प्रायः वे सभी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं जो वैज्ञानिक एवं उद्योग अनुसंधान ब्यूरो के अधीन शुरू की गई हैं और शुरू की जाने वाली हैं, उत्तरी भारत में स्थापित की जाएंगी;

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) धात्विक : क्रोमाइट, लोह अयस्क, इलमेनाइट तथा कोलमबाइट – टेन्टेलाइट।

अधात्विक : मृत्तिका सामग्री जिसके अंतर्गत कावलिन, फायर क्ले और अन्य प्रकार की पार्टियां, क्वार्टज़, फैल्सपर और सिलिमेनाइट, कोयला लिगनाइट और दुर्लभ भूखनिज जिनके अंतर्गत मोनाजाईट, ज़िरकोन तथा सामर्सकाइट भी हैं।

(ख) हां।

(ग) नहीं। अयस्क निम्न श्रेणी का होता है और पिघलने के लिए उपयुक्त आंच से सहयुक्त नहीं होता।

(घ) हां। किन्तु वैज्ञानिक सर्वेक्षण में आर्थिक महत्व के भण्डार नहीं मिले हैं।

(ङ) सम्भवतः। मद्रास सरकार ने इस सवाल पर ध्यान दिया है और मृत्तिका विशेषज्ञों को नियोजन किया है। भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण मद्रास में सामग्री के परिमाण और क्वालिटी पर अन्वेषण कर रहा है।

(च) प्रथम भाग, हां। दूसरा भाग, नहीं। क्योंकि त्रावणकोर के भण्डार मद्रास के भण्डारों से बहुत अधिक समृद्ध हैं, तथा इस खनिज की मांग सीमित है।

(छ) हां।

(ज) हाँ, अभ्रम का ज्यादातर निर्यात किया जाता है।

(झ) कार्मिकों और कार्यकलापों दोनों दृष्टि से भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के विस्तार की एक स्कीम भारत सरकार के विचाराधीन हैं। आशा है कि भविष्य में इस देश में खनिज भण्डारों का और अधिक गहन अध्ययन सम्भव हो सकेगा।

(ञ) यह प्रश्न संबंधित सदस्य से पूछा जाए।

257

*दामोदर नहर और पोलावरम परियोजनाएं

65. प्रो. एन.जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नमूने के रूप में टैनेस्सी वैली अथॉरिटी के प्रति उनके उल्लेख की दृष्टि से जिसके अनुसार दामोदर नहर (बंगाल) और कोलावरम (मद्रास) परियोजनाएं विकसित की जानी है, सरकार स्कीम के सामान्य पहलुओं के बारे में और उसकी उपलब्धि के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित करवाने की कृपा करेगी;

(ख) क्या बाढ़ राहत के लिए बंगाल की विशेष आवश्यकता की दृष्टि से बाढ़ राहत को प्रस्तावित दामोदर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा; और

(ग) क्या बंगाल और बिहार के अनुसूचित वर्ग (हरिजनों) की जमीन की अतीव आवश्यकता की दृष्टि से, भारत सरकार बंगाल और बिहार के हरिजनों द्वारा सहकारी बस्ती और खेती बाड़ी के लिए विशाल भू–क्षेत्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कोष निर्धारित करने के लिए विशेष कदम उठाएगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) टैन्नेसी वैली अथॉरिटी एक विदेशी सरकार का संगठन है। उस अथारिटी के कामकाज पर रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करके सदन के पुस्तकालय में रखी जाएगी।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 9 फरवरी 1945, पृष्ठ 118.

(ख) हां। नियंत्रण उपायों के अन्य पहलुओं की अपेक्षा बाढ़ नियंत्रण को प्राकमिकता दी जाएगी।

(ग) भूमिहीन मजदूरों की मदद करने के सबसे बढ़िया तरीके की समस्या पर सरकार ध्यान दे रही है।

258

*बिहार कोयला क्षेत्रों में चावल के लिए वसूल ऊंची कीमतें

72. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 20 नवम्बर, 1944 को मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 611 (ख) के उत्तर के बावजूद कि बिहार सरकार ने स्थानीय थोक नियंत्रित दर जमा चार आने प्रशासनिक खर्च वसूल करने और बाकी नुकसान वहन करने का फैसला किया है। झरिया में ज्वाईट पूल अपने सदस्यों से पुरानी दर ले रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ खान मालिकों ने इस सवाल पर केन्द्र सरकार के पास अपना विरोध दाखिल किया है; यदि हां, तो उनकी शिकायत दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार प्रान्त में एक बहुत बड़े खदान के महाप्रबंधक को धनबाद के मजिस्ट्रेट ने, अपने खदान में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए विहित अनुपात से अधिक खनिकों को चावल देने के लिए, धनबाद के राशनिंग अधिकारी के निवेदन पर, भारत रक्षा नियमों के नियम 81 के अधीन विचारण के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है;

(घ) क्या यह सच है कि बिहार सरकार की ओर से स्वयं धनबाद का राशनिंग अधिकारी उसी अवधि के दौरान घोषित नियंत्रित दरों से ऊंची दरें वसूल करता था और ज्वाईट पूल को भी वसूल करने देता था, जैसा कि माननीय सदस्य ने मेरे उपरोक्त सवाल के जवाब में स्वीकार किया है; और

(ङ) क्या सरकार चावल की नियंत्रित दरों से ऊंची दरें वसूल करने धनबाद के उपायुक्त द्वारा जारी किए गए तारीख 9 फरवरी, 1944 के अध्यादेश के अधीन प्रख्यापित नियमों के उल्लंघन के लिए धनबाद के उक्त राशनिंग अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने की वांछनीयता पर विचार करेंगी?

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 9 फरवरी 1945, पृष्ठ 121.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) बिहार सरकार की रिपोर्ट है कि उन्हें इस तरह का कोई विरोध पत्र नहीं मिला है। लेकिन मुझे एक पत्र मिला है और उसने बिहार सरकार से आगे रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उनकी रिपोर्ट मिलने पर आगे विचार किया जाएगा।

(ग) हां।

(घ) प्रान्तीय सरकार के आदेशों से नवम्बर, 1944 से पहले खदानों से अनाज की नियंत्रित दरों से अधिक कीमतें ली जा रही थीं।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर की दृष्टि से उत्पादन नहीं होता।

259

*दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी का खरीदा जाना

76. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य 15 नवम्बर, 1944 को मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 419 के अपने उत्तर को देखने की कृपा करेंगे और यह बताएंगे कि क्या वर्तमान लाईसंस समाप्त होने पर दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड खरीदने के सरकार के विकल्प के प्रयोग के मसले पर कोई फैसला किया गया है अथवा नहीं;

(ख) क्या इस विकल्प का प्रयोग करने का फैसला किया गया है; क्या कम्पनी को आवश्यक नोटिस दिया जा चुका है;

(ग) सरकार द्वारा उपक्रम का प्रबंध ग्रहण किए जाने की दशा में इसे भविष्य में चलाने के लिए कौन–सा तंत्र होगा; और

(घ) यदि उपरोक्त विकल्प का प्रयोग न करने का फैसला किया गया है तो क्या माननीय सदस्य ऐसे फैसले के कारणों के बारे में विस्तृत वक्तव्य देने की कृपा करेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) पता चला है कि मुख्य आयुक्त ने कम्पनी को खरीदने के सरकार के विकल्प का प्रयोग करने के इरादे का नोटिस कम्पनी पर तामील करने का फैसला किया है। लेकिन अभी तक नोटिस तामील नहीं हुआ है।

(ग) अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 9 फरवरी 1945, पृष्ठ 123-124.

260

*क्वार्टरों के आवंटन के बारे में श्रम विभाग द्वारा प्रजातीय एवं धार्मिक भेदभाव

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : आस्थगन प्रस्ताव की अगली सूचना सर सैयद रज़ा अली की है। वह ज्ञापन संख्या डब्ल्यू. 11-4/114 तारीख 25 जनवरी, 1945 जारी करके यूरोपवासियों, आंग्ल–भारतीयों और भारतीय ईसाइयों के पक्ष में मकानों के आवंटन में श्रम विभाग द्वारा हाल में बरते गये प्रजातीय और धार्मिक भेदभाव के लिए भारत सरकार की निन्दा करने के संबंध में है। मैं प्रभारी सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमान् मैंने विज्ञापन देखा है और मुझे यह बताया भी गया है कि "भारतीय" शब्द की बजाय, भूल से "भारतीय ईसाई" शब्द आ गए हैं। इन्हें ठीक कर दिया जाएगा ताकि कोई भी भेदभाव न रहे।

सर सैयद रजा अली (संयुक्त प्रांत के नगर : शहरी मुसलमान) : मेरे विचार में, माननीय सदस्य के लिए यही सबसे ठीक रहेगा कि वह सदन में वक्तव्य दें और सारी बातें रिकार्ड में आ जाएं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने कार्यालय ज्ञापन सही कर दिया है और इसे परिवर्तित रूप में जारी कर दिया जाएगा।

सर सैयद रज़ा अली : लेकिन सदन यह जानना चाहेगा कि आज–कल चर्चा क्या हो रही है। इस ज्ञापन का अर्थ क्या है और मेरे माननीय मित्र ने इसमें क्या सुधार किए हैं और उस सुधार का असर क्या होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जो ज्ञापन शुरू में जारी किया गया था, वह इस प्रकार है –

> "600/- रुपए प्रति माह से कम वेतन पाने वाले अधिकारी को विहित करने के लिए दिल्ली, नई दिल्ली और शिमला में उपलब्ध क्वार्टरों के पारम्परिक और गैर–पारम्परिक प्रकारों में अन्तर करने का सवाल विभाग के विचाराधीन है। विभाग की राय में, विचार करने के बाद यह फैसला किया गया है कि यह अन्तर अगले ग्रीष्म सत्र से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यूरोप–वासियों, आंल–भारतीयों और भारतीय

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 10 फरवरी 1945, पृष्ठ 206.

ईसाइयों के संबंध में सम्पदा अधिकारी का समाधान हो गया है तथा वे यूरोपीय आदतों वाले हैं, इसलिए उनके विषय में सम्पदा अधिकारी को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वह उनके लिए ऊंचे डब्ल्यू. सी. युक्त निवास स्थान (गैर-पारम्परिक क्वार्टर) आवंटित कर सकते हैं, बशर्ते कि वे ए,बी,सी और डी टाइप के खास प्रवर्ग के आवास के लिए अन्यथा पात्र हों।

कालांतर में नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएंगे। यह मूल ज्ञापन था, जो जारी किया गया था। संशोधित ज्ञापन में यह परिवर्तन कर दिया गया है –

"सम्पदा अधिकारी में ऊंचे डब्ल्यू.सी. वाले निवास (गैर-पारम्परिक क्वार्टर) उन अधिकारियों को आवंटित करने का विवेकाधिकार निहित किया गया है, चाहे वह यूरोपीय हो, आंगल भारतीय हो या भारतीय जिन मामलों में उनका यह समाधान हो जाए कि वे यूरोपीय आदत वाले हैं, बशर्ते कि वे ए,बी, सी और डी में से विशिष्ट प्रवर्ग के लिए अन्यथा पात्र हों।"

261

*वैस्टर्न कोर्ट के कमरों में आवास के लिए सैन्ट्रल असेम्बली के सदस्यों के दावों की उपेक्षा

156. श्री अब्दुल कय्यूम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टर्न कोर्ट में कुछ कमरे और अन्य आवास प्रधानतः असेम्बली के सत्रों अथवा प्रवर समितियों में भाग लेने वाले सेन्ट्रल असेम्बली के माननीय सदस्यों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) क्या बीमा विधेयक पर प्रवर समिति के लिए स्थान आवंटित करते समय सदस्यों के दावों की उपेक्षा की गई है और नेशनल डिफेंस कौंसिल के सदस्यों को प्राथमिकता दी जा रही है; और यदि हां, तो क्यों; तथा

(ग) क्या सैन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के पूर्व दावों पर भविष्य में उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वैस्टर्न कोर्ट में 19 कमरे और 69 क्वार्टर सत्र के दौरान भारतीय विधानमण्डल के माननीय सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। जिन

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1945, का खण्ड 1, 14 फरवरी, 1945, पृष्ठ 323-24.

दिनों सत्र न हो उनमें वैस्टर्न कोर्ट में 7 कमरे और 8 क्वार्टर केन्द्रीय विधानमण्डल के काम के संबंध में दिल्ली आने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) नहीं। जनवरी, 1945 में बीमा विधेयक पर प्रवर समिति की बैठक की किसी सूचना के अभाव में अथवा सदस्यों से आवास की मांग की सूचना के अभाव में नेशनल डिफैंस कौंसिल के सदस्यों को वैस्टर्न कोर्ट के कमरे आवंटित किए गए थे। फिर भी प्रवर समिति के उन सदस्यों को आवास–सुविधा देने का इन्तजाम किया गया था जिन्होंने वैस्टर्न कोर्ट में आवास–सुविधा मांगी थी।

(ग) केन्द्रीय विधानमण्डल के सदस्यों को आवास–सुविधा देने के लिए हमेशा व्यवस्था की जाती है बशर्ते कि वे समय से सूचना दे दें।

262

*मुक्तेश्वर में इम्पीरियल रिसर्च इंस्टिट्यूट तक सड़क का निर्माण

178. श्री बद्री दत्त पाण्डेय : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर में इम्पीरियल रिसर्च इंस्विट्यूट तक गाड़ी या मोटर सड़क बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वह सड़क कितनी लम्बी होगी और उसके निर्माण में कितनी लागत आएगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इस सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

263

@भारतीय जल स्रोतों के वाणिज्यिक पहलुओं की जांच

308. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य 5 अगस्त, 1943 के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 और उसके उत्तर को देखने की कृपा करेंगे तथा भारतीय जल स्रोत वाणिज्यिक पहलुओं की जांच और उसके परीक्षण, विभिन्न जल स्रोतों के स्थान, जहां परीक्षण किया गया है तथा अलग–अलग जल क्षेत्रों की रचना और गुणधर्मो का उल्लेख करते हुए वक्तव्य देंगे; और

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945, का खण्ड 1, 14 फरवरी 1945, पृष्ठ 337.

@ वही, 19 फरवरी 1945, पृष्ठ 454-55.

(ख) क्या सरकार के पास राजकीय अभिकरण के माध्यम से इन जल स्रोतों में से किसी को चलाने के लिए कोई स्कीम है; यदि हां, तो ऐसी स्कीम का विवरण क्या है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) बिहार में कुछ तापीय खनिज स्रोतों के जल के बारे में भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अन्वेषण किया था और इन जल क्षेत्रों के रासायनिक गुणधर्मों की जांच के बाद यह निश्चय किया गया था कि युद्ध काल में इन जल क्षेत्रों का वाणिज्यिक दोहन सरकार द्वारा हाथ में लिए जाने से कोई सफलता नहीं मिलेगी।

264

*बंगाल में कोयले के लिए दामोदर नदी परिवहन

310. श्री आर.आर. गुप्ता : क्या माननीय श्रम सदस्य को यह ज्ञात है कि पिछली शताब्दी में भारत सरकार ने दामोदर नदी को हर मौसम में नाव्य जल सरणी बनाकर बंगाल के कोयला क्षेत्रों से कलकत्ता कोयला ले जाने के लिए निजी परिवहन की व्यवस्था करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया था; यदि नहीं तो क्या सरकार प्रस्तावित बहुउद्देशीय दामोदर नदी परियोजना के संबंध में ऐसे प्रस्ताव की पुनः जांच करने के औचित्य पर विचार करेगी; यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। लेकिन रानीगंज से कलकत्ता तक दामोदर नदी से एक नहर ले जाने का प्रस्ताव था।

अब जो जांच की जा रही है, उसमें दामोदर के नियंत्रण की बहु–उद्देशीय योजना की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है और इसके अंतर्गत नौ परिवहन प्रोत्साहित करने की सम्भावनाओं पर विचार करना भी शामिल है।

265

*रावलपिण्डी के निकट पेट्रोलियम की खोज

314. श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पंजाब और रावलपिण्डी के निकट पेट्रोलियम की खोज के बारे में समाचार–पत्रों में छपी रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है; तथा

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 19 फरवरी 1945, पृष्ठ 455.

* वही, पृष्ठ 456.

(ख) क्या इस पेट्रोलियम के दोहन का एकाधिकार किसी विदेशी संस्था को दे दिया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां, सरकार ने भी ऐसी रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) यह विषय प्रान्तीय सरकार का है और भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

266

*दिल्ली प्रान्त की मिलों और कारखानों में स्त्री कामगार

327. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रान्त में उन मिलों और कारखानों में, जिन पर कारखाना अधिनियम लागू होता है, सन् 1944 में स्त्री कामगारों की कुल संख्या क्या थी;

(ख) क्या स्त्री कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप काम न करने के लिए कारखाना अधिनियम के अधीन इनमें से किसी मिल या कारखाने के खिलाफ कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या दिल्ली प्रान्त के लिए एक स्त्री श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त की गई है; यदि हां, तो उसके कर्तव्य क्या हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं प्रश्न संख्या 327 और 328 का उत्तर एक साथ दूंगा।

मैंने पूछताछ की है और मैं उचित समय पर सदन के पटल पर रिपोर्ट रख दूंगा।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945, का खण्ड 1, 19 फरवरी 1945, पृष्ठ 463

267

*दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी

403. श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी के बारे में पिछले सत्र में श्री नियोगी के प्रश्न संख्या 419 के अपने उत्तर में उन्होंने जिस जांच का वायदा किया था क्या वह पूरी कर ली गई है;

(ख) कम्पनी कितना लाभ कमा रही है, और

(ग) जांच–पड़ताल के क्या परिणाम है, और क्या सरकार का विचार उसे खरीदने के विकल्प का प्रयोग करने का है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ग) माननीय सदस्य का ध्यान 9 फरवरी, 1945 को श्री के.सी. नियोगी के प्रश्न के उत्तर की ओर खींचा जाता है।

(ख) 1939 से कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश इस प्रकार रहा है –

1939	11 प्रतिशत	आयकर मुक्त
1940	11 प्रतिशत	
1941	11 प्रतिशत	
1942	9 प्रतिशत	
1943	9 प्रतिशत	

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या सरकार ने कम्पनी का प्रबंध ग्रहण करने का फैसला कर लिया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी, हां।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : यह कब से लागू होगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : ज्यों ही लाईसेंस खत्म हो जाएगा।

श्री के.सी. नियोगी : क्या वास्तव में नोटिस दिया जा चुका है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे ऐसा विश्वास है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945, का खण्ड 1, 21 फरवरी 1945, पृष्ठ 583.

268

*भारतीय मजदूर परिसंघ को सरकारी अंशदान

404. श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्यों की दृष्टि से कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जमनादास मेहता ने सरकार से रकम लिए जाने के तथ्य से इन्कार किया है, जैसा कि श्रम सदस्य ने कहा था, उन्होंने इस विषय में छानबीन की है;

(ख) क्या वह रकम ट्रेड यूनियन कांग्रेस के खातों में जमा कर दी गई है; और

(ग) वह धन किसे दिया जाता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रकट है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न में भारतीय मजदूर परिसंघ का हवाला दे रहे हैं जिसके अध्यक्ष श्री मेहता हैं न कि आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का?

(क) मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य 2 नवम्बर, 1944 को श्री लालचन्द नवलराय के प्रश्न संख्या 31 के मेरे उत्तर को देखें।

(ख) मुझे कोई जानकारी नहीं है।

(ग) शुरू में भुगतान नेशनल वार फ्रन्ट के माध्यम से परिसंघ के प्रतिनिधियों को किया जाता था और बाद में नेशनल सर्विस लेबर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता था। जून, 1944 से रकम परिसंघ के सचिव को दी जाती है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या यह जरूरी नहीं है कि सरकार अपना यह समाधान करे कि जब धन किसी संगठन विशेष के लिए मंजूर किया जाता है तो वह उस संगठन के नाम में ही जमा हो?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : किसी संगठन के लेखाओं की जांच–पड़ताल करना मेरा काम नहीं है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : एक पूर्ववर्ती मांग पर माननीय सदस्य के वक्तव्य की दृष्टि से कि लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए एक संपरीक्षक

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 21 फरवरी 1945, पृष्ठ 583-84.

भेजा गया था, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उस सम्परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है अथवा नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र इस मुद्दे पर निश्चित सवाल पूछें।

श्री अब्दुल कय्यूम : क्या माननीय सदस्य संगठन के उन पदाधिकारियों का नाम बताएंगे जिन्होंने वास्तव में धन प्राप्त किया था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : सबसे पहले धन नेशनल वार फ्रंट के माध्यम से दिया जाता था। फिर परिवर्तन किया गया और धन नेशनल लेबर सर्विस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के माध्यम से दिया गया, और जून, 1944 से वह परिसंघ के सचिव को दिया जाता है।

अब्दुल कय्यूम : क्या माननीय सदस्य उस खास सज्जन का नाम बताएंगे जिसने धन प्राप्त किया था।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसके लिए मुझे नोटिस देना होगा।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : इस तथ्य की दृष्टि से कि 1942-43 की लोक लेखा समिति ने विशेष रूप से कहा था कि श्री राय को दिए गए इस धन के बारे में कोई वाऊचर और लेखा नहीं रखे जाते, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या धन श्री राय को उनके निजी नाम में दिया गया था और क्या उनकी लेखापरीक्षा की गई थी तथा उस रकम के संगठन के खातों में जमा किए जाने के बारे में सम्परीक्षकों का क्या निष्कर्ष था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं कह सकता कि नई व्यवस्था किए जाने से पहले धन किसे दिया जाना था। नई व्यवस्था किए जाने के बाद धन उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे सचिव कहते हैं।

श्री बद्री दत्त पाण्डे : इस तथ्य की दृष्टि से कि भारतीय मजदूर परिसंघ की सब्सिडी इस सदन द्वारा अनुमोदित नहीं है, क्या सरकार का आशय उसे बन्द करने का है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं ऐसे विनिश्चय की प्रत्याशा नहीं करना चाहता।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या अगले बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र इन्तजार करें तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा।

श्री श्रीप्रकाश : क्या सरकार आश्वस्त है कि धन ठीक तरह खर्च किया जाता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां। मुझे इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : श्रीमन्, क्या मैं अध्यक्ष महोदय से यह कह सकता हूं कि यह अप्रासंगिक उत्तर है। बजट शीघ्र ही आ रहा है और उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या इस रकम के लिए प्रावधान किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस रकम के लिए प्रावधान किया गया अथवा नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को 28 फरवरी को मालूम हो जाएगा।

269

*लेबर एक्सचेंज ब्यूरो

405. श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : (क) क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि लेबर एक्सचेंज ब्यूरो कितनी जगह स्थापित किए गए हैं;

(ख) ये ब्यूरो किस वर्ग के लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किए गए हैं; और

(ग) वे अब तक कितने लोगों को रोजगार दिलवा पाए हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) भारत में रोजगार कार्यालय दस केन्द्रों पर स्थापित किए गए हैं, वे हैं – बम्बई, अहमदाबाद, नागपुर, मद्रास, कलकत्ता, धनबाद, कानपुर, दिल्ली, लाहौर तथा करांची।

(ख) फिलहाल रोजगार कार्यालय नेशनल सर्विस (टैक्निकल) पर्सनल आर्डिनेंस 1940 के अधीन परिभाषित उन तकनीकी कार्मिकों के लिए काम करने के लिए आशयित है जिन्हें बम्बई और कलकत्ता शहरों में कम से कम एक रुपया आठ आने प्रति दिन और अन्य शहरों में एक रुपया प्रति दिन वेतन मिलता है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1944 तक इन रोजगार कार्यालयों ने 5909 बेरोजगारों को रोजगार दिलाया।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दिसम्बर, 1943 में ही इन कार्यालयों की स्थापना

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 21 फरवरी 1945, पृष्ठ 584.

करने का निश्चय किया गया था और योग्य कर्मचारियों तथा उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में काफी कठिनाई उठानी पड़ी।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार इन रोजगार कार्यालयों का कार्य–क्षेत्र दूसरे प्रवर्गों के मजदूरों तक बढ़ाने का है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जी हां।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : वे श्रमिकों के अन्य प्रवर्ग कौन–कौन से हैं जिन तक विस्तार प्रस्तावित हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : अभी तक हमने कोई विनिश्चय नहीं किया है।

श्री अब्दुल कय्यूम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कुल आवेदकों में से कितने प्रतिशत को काम मिल गया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : नौकरी के लिए नाम लिखाने वालों की कुल संख्या 14697 थी, जिनमें से 5909 लोगों को काम दिलवाया गया।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या इनमें स्त्रियां भी शामिल हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे आंकड़ों में स्त्री–पुरुष में भेद नहीं किया जाता।

270

*स्त्री खनिकों के बालकों की देख-रेख के लिए इन्तजाम

436. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों के अन्दर और समस्त खनन क्षेत्रों के भूतल पर काम करने वाली स्त्री खनिकों के शिशुओं और बालकों की देख–रेख के लिए क्या खास इन्तजाम हैं, और ये इन्तजाम किसके पर्यवेक्षण में किए जाते हैं;

(ख) खानों के अन्दर काम करने वाली माताओं के लिए नियमित अन्तरालों पर अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 21 फरवरी 1945, पृष्ठ 609.

(ग) क्या (क) और (ख) में उल्लिखित इन्तजाम किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और यदि हां तो किसके द्वारा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) अभी तक कोई खास इन्तजाम नहीं किए गए हैं। लेकिन कुछ खानों में स्त्री परिचरों के साथ शिशु गृह की व्यवस्था की गई है और कुछ खदानों में बाल क्लीनिक चल रहे हैं, जहां खनिकों के बालकों को दूध बांटा जाता है। शिशु गृह की व्यवस्था की अपेक्षा करने का प्रश्न फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

(ख) बालकों को भूमिगत नहीं जाने दिया जाता और इसीलिए भूमिगत कोई विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं है। माताओं को बच्चों के जन्म के एक माह के भीतर भूमि के नीचे जाने की इजाजत नहीं है। अपने बालकों को दूध पिलाने के लिए अन्य माताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी जा रही है।

(ग) नहीं।

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : श्रीमान्, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उन खानों में स्त्रियों को भूमिगत काम करने से निषिद्ध करेगी जहां ये इन्तजाम नहीं किए गए हैं, जब तक कि सरकार इस प्रश्न पर विचार न करे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं आपका सवाल नहीं समझा।

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : क्या सरकार बालकों की देख–भाल के लिए स्त्रियों को भूतल पर आकर अपने बालकों को दूध पिलाने में समर्थ बनाने के लिए उचित इन्तजाम करने के लिए निश्चित कदम उठाएगी? निश्चय ही एक महीने के बाद भी शिशुओं को दूध पिलाए जाने की आवश्यकता होती है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जब तक मैं यह न जान लूं कि समस्या कितनी बड़ी है, तब तक मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकता। मैंने जानकारी मांगी है।

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : माननीय सदस्य ने स्वयं यह माना है कि यह समस्या बहुत गम्भीर है, इसलिए क्या सरकार स्त्रियों को तब तक भूमिगत काम करने से मना करेगी, जब तक वह समस्या पर विचार करना समाप्त करे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे नहीं मालूम कि क्या ऐसी कुछ स्त्रियां हैं जो भूमिगत नन्हें शिशुओं को दूध पिलाती हैं।

श्री मनु सूबेदार : क्या माननीय सदस्य उन खानों में, जिनमें शिशु गृह और उनके द्वारा वर्णित अन्य सुविधाएं विद्यमान नहीं है, स्त्रियों का भूमिगत काम करना बन्द करेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा हूं कि प्रत्येक खान के पास शिशु गृह हों।

श्री मनु सूबेदार : क्या माननीय सदस्य तब तक उनमें स्त्रियों का काम करना बन्द करेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि एकमात्र यही अनुकल्प है तो इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या सरकार शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं को भूमिगत काम करने की अनुमति देने या न देने के औचित्य के संबंध में इस प्रश्न के भाग (ग) के बारे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करेगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि वे इस विषय में सरकार को सलाह देने की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे अथवा नहीं?

प्रो. एन.जी. रंगा : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार उनसे पूछने के लिए तैयार होगी? भले ही वे सलाह देने के लिए तैयार हों या नहीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझा कि यह कोई समस्या है जिस पर परामर्श आवश्यक हो।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या मुझे यह पूछने की अनुमति है कि अपने पिछले अधिवेशन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने इस विषय पर कुछ सुझाव दिए थे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इस समय मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है।

श्रीमती रेणुका रे : क्या यह बात सच है कि अधिकांश खानों में ये शिशु गृह तभी ठीक से काम करते हैं जब विजीटर वहां जाते हैं और जब सरकार के निरीक्षक पहले से व्यवस्थित दौरों पर वहां जाते हैं और यह कि खनिकों के बालक जो आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें शिशु गृह में रहने की इजाजत नहीं दी जाती तथा वहां भी शिशुओं या बालकों की देख–रेख के लिए अधिकांश केन्द्रों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, जहां शिशु गृह, बहुत कम अपवादों को छोड़कर, केवल नाम के लिए विद्यमान हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह कैसे मालूम है कि वहां शिशु गृह नहीं है, जबकि वे वहां न जाते हैं और न दौरा करते हैं।

श्री एन.एम. जोशी : माननीय सदस्य खनन क्षेत्रों में गई थीं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं भी गया हूं।

271

*खनन क्षेत्रों में खान प्रसूति लाभ अधिनियम लागू करने के लिये कार्यवाही

437. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन क्षेत्रों में खान प्रसूति लाभ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि स्त्री खनिक अशिक्षित होती हैं, और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होती हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इस अधिनियम के 1941 में पारित किए जाने के बाद इसे लागू करने के बारे में कोई सूचना है;

(ग) क्या बच्चे के जन्म के पहले और बाद चार सप्ताह की अनुपस्थिति स्त्री खनिकों को उचित राहत देने के लिए और उनके स्वास्थ्य को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई है; और

(घ) क्या सरकार ने (ग) में उल्लिखित विषय पर चिकित्सीय राय प्राप्त की है, और यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी; और यदि नहीं तो क्या सरकार का ऐसी राय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने का विचार है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) एक ज्येष्ठ श्रम निरीक्षक और दो कनिष्ठ श्रम निरीक्षक जो अर्हित डॉक्टर हैं, भारत में मुख्य खान निरीक्षक के अधीन नियुक्त किए गए हैं।

(ख) यद्यपि अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में स्वयं सरकार को रिपोर्ट नहीं मिली है, फिर भी मुख्य खान निरीक्षक के अधीन निरीक्षक उन्हें नियमित रूप से

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), 1945. का खण्ड 1, 21 फरवरी, 1945, पृष्ठ 610-11.

रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं और खान विभाग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) स्त्रियों के लिए प्रसव के पहले और पश्चात चार सप्ताह की अवधि फैक्टरी कानून के अंतर्गत वैसे ही प्रावधानों के अनुरूप है। भूमिगत काम करने वाली स्त्रियों के लिए प्रसव से पहले की अवधि बढ़ाने का सवाल विचाराधीन है।

प्रो. एन.जी. रंगा : प्रसव के बाद के बारे में? क्या सरकार प्रसव के बाद की अवधि बढ़ाने के औचित्य पर भी विचार करेगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह आवश्यक नहीं है। जिन स्त्रियों ने बच्चे को जन्म दिया है, उनके नियोजन पर पूर्ण निषेध है।

श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय सदस्य को यह तथ्य मालूम है कि चूंकि स्त्री के भूमिगत काम करने का निषेध वापिस ले लिया गया था, इसलिए कुछ मामलों में तो कुछ खानों में भूमिगत बच्चे पैदा हुए हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती रेणुका रे : क्या माननीय सदस्य कृपया पता लगाएंगे और इसके उपाय करेंगे कि ऐसी घटनाएं न घटें?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य किन्हीं खास मामलों का हवाला देंगी तो मैं निश्चय ही छानबीन करूंगा।

श्रीमती रेणुका रे : मैं इसके लिए तैयार हूं।

श्रीमती के राधाबाई सुब्बारायण : क्या मैं इस आश्वासन के लिए अनुरोध कर सकती हूं कि सरकार इस मुद्दे पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की राय इस पर विनिश्चय करने से पहले प्राप्त करे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यदि ऐसा आवश्यक समझा गया तो निःसंदेह सरकार ऐसा करेगी।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या यह सच नहीं है कि आपने पिछले अधिवेशन के दौरान अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने यह सुझाव दिया था कि प्रसव के पहले और बाद की अवधि प्रसूति लाभ अधिनियम के अधीन लगभग दो माह होनी चाहिए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे याद नहीं है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : मेरे विचार में इसका उल्लेख उस रिपोर्ट में किया गया है जो सरकार ने हमें भेजी है?

श्रीमती रेणुका रे : चूंकि माननीय सदस्य समझते हैं कि उन्होंने स्त्रियों के भूमिगत काम करने का निषेध करने वाले अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन की उपेक्षा करके उचित कार्य किया है, इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वह अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रसुति लाभ संबंधी प्रावधान पर विचार करना भी अनावश्यक समझते हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

272

*परम्परागत और गैर-परम्परागत क्वार्टरों में अन्तर समाप्त करना

451. श्री एच.ए. सत्तार एच इशाक सैत : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से परम्परागत और गैर–परम्परागत क्वार्टरों के अन्तर को समाप्त करने का फैसला करना पड़ा, जैसा कि श्रम विभाग के ज्ञापन तारीख 25 जनवरी, 1945 में लिखा है; और

(ख) इस विनिश्चय का (i) ऐसे क्वार्टरों के वर्तमान अधिभोगियों पर, और (ii) उन पर जो भविष्य में इन क्वार्टरों के लिए पात्र हैं, क्या प्रभाव पड़ा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) अब तक लोक आवंटन नियमों के अनुसार आवास के आवेदकों को या तो परम्परागत क्वार्टरों के लिए आवेदन करना होता था अथवा गैर–परम्परागत क्वार्टरों के लिए और जो एक प्रकार के क्वार्टर के लिए आवेदन करते थे, उन्हें दूसरी प्रकार के क्वार्टर के लिए अपात्र समझा जाता था। आवास की वर्तमान कमी की दृष्टि से उपरोक्त नियमों का कार्यान्वयन प्रायः इन क्वार्टरों के लिए पात्र अधिकारियों के लिए हानिकारक रहा और उनसे यह असंगत परिणाम निकला कि यदि आवेदक उस प्रकार का आवास प्राप्त नहीं कर पाता है जिसके लिए उसने आवेदन किया था, तो उसे बिना आवास के ही रहना होगा, भले ही वह दूसरे प्रकार का आवास प्राप्त कर सकता था, यदि वह उस प्रकार के लिए विशेष रूप से आवेदन करता।

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 21 फरवरी, 1945, पृष्ठ 618.

इसके अतिरिक्त, क्वार्टरों के दो प्रकारों में अन्तर रखने से सम्पदा कार्यालय में अतिरिक्त काम बढ़ गया, क्योंकि दोनों प्रकार के क्वार्टरों के आवंटन को अलग–अलग रखना होता था। इसके अलावा यह भी महसूस किया गया कि परम्परागत और गैर–परम्परागत क्वार्टरों में अन्तर रखना और उसी आधार पर उनका आवंटन बहुत पुराना पड़ गया है।

(ख) (i) कोई नहीं।

(ii) 25 जनवरी, 1945 के विनिश्चय को 15 फरवरी, 1945 को हल्का–सा उपान्तरित किया गया है। जो लोग ए, बी, सी, और डी टाइप के आवास के प्रवर्ग विशेष के लिए पात्र हैं वे दोनों प्रकार के क्वार्टरों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

273

*खानों में महिला कामगारों की मृत्यु

453. श्री के.एस. गुप्ता : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1942-43 और 1944 में (i) बीमारियों तथा (ii) दुर्घटनाओं के कारण भारत की खानों में (जिनके अंतर्गत कोयला खान भी हैं) कितनी महिला कामगारों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि कोयला खानों में काम करने के लिए पुरुष कामगार सुलभ नहीं है, क्योंकि जो मजदूरी उन्हें दी जाती है, वह खाद्य पदार्थों और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की कीमत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या खान मालिकों द्वारा भारत सरकार की ओर से खान कामगारों को बेहतर मजदूरी देने के लिए उन्हें खाने की चीजें तथा आवास सुविधा देने के लिए जीवन की विशेष सुविधाएं देने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है, ताकि पुरुष कामगार पर्याप्त मात्रा में आकर्षित किए जा सके, जिससे कि सरकार स्त्रियों के भूमिगत काम करने पर निषेध लागू कर सके और इस प्रकार, प्रत्येक अन्य सभ्य देश की भान्ति, भारत में नारीत्व की गरिमा की रक्षा कर सकें;

(घ) क्या यह सच है कि मां का कम दूध मिलने के कारण खनन क्षेत्रों में शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक है क्योंकि ये स्त्रियां भूमिगत कठोर और कठिन काम करने के कारण स्वतः सूख जाती है;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 21 फरवरी, 1945, पृष्ठ 620.

(ङ.) क्या यह सच है कि खनन क्षेत्रों में कामगारों के लिए शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं होता;

(च) क्या खान मालिकों और सरकार ने विभिन्न खनन क्षेत्रों में कम से कम एक साल से नीचे के बालकों के लिए निःशुल्क दूध देने के प्रयत्न किए हैं; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वर्ष 1942, 1943 और 1944 के दौरान भूतल पर और भूमिगत दोनों जगह घटनाओं के कारण भारत में सभी खानों में स्त्रियों की मृत्यु संख्या क्रमशः 9, 11 और 53 थी। बीमारी से मरने वाली महिलाओं के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) नहीं।

(ग) हां। मजदूरी, कल्याण और सुविधाओं के बारे में निम्नलिखित सुधार लागू किए गए;

(1) खाने की चीजों में आर्थिक सहायता और अनाज की दुकानों की व्यवस्था;

(2) बेहतर स्वास्थ्य उपाय, जिनके अंतर्गत मलेरिया नियंत्रण और अस्पतालों के निर्माण के लिए बेहतर प्रावधान भी शामिल हैं;

(3) खाने–पीने की पर्याप्त चीजों की व्यवस्था;

(4) काम पर आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था;

(5) रेलवे खदानों में कोयले के संग्रह की दरों में वृद्धि जिससे कि ठेकेदार मजदूरों को और अधिक आकर्षक मजदूरी दे सकें; और

(6) खदान मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के लिए सरकार और खान मालिकों के बीच अनौपचारिक समझौता।

(घ) यह नहीं कहा जा सकता कि दूध की कमी के कारण खनन क्षेत्रों में शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक है। कोयला क्षेत्रों में शिशुओं की मृत्यु के आंकड़े अखिल भारतीय–आंकड़ों से कम हैं।

(ङ.) खनन क्षेत्रों में शुद्ध दूध उपलब्ध है। माईन्स बोर्ड ऑफ हैल्थ द्वारा नियोजित निरीक्षक दूध के नमूने बार–बार लेते हैं और उसकी जांच करते हैं तथा जब मिलावट पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है।

(च) नहीं। सरकार खनन क्षेत्रों में स्त्रियों और बालकों के स्वास्थ्य में सुधार के बारे में और अधिक सम्भावनाओं पर विचार कर रही हैं।

274

*खानों में भूमिगत काम करने वाली महिला कामगार

454. श्री के.एस. गुप्ता : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1942, 1943 और 1944 में भूमिगत काम करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भूमिगत नियोजित महिलाओं की संख्या कम करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कोयला खानों में (गर्भावस्था के) काफी दिन चढ़ जाने पर भी काम करने दिया जाता है, या विवश किया जाता है और इस प्रकार भूमिगत बच्चों के पैदा होने का मौका दिया जाता है; क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में लाई गई है; यदि हां तो ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार महिलाओं के भूमिगत काम करने पर कड़ा निषेध लागू करने के सवाल पर गर्भ ग्रहण को सातवां मास पूरा हो जाने के बाद विचार करेगी; यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(ङ.) क्या सरकार को मालूम है कि महिला कामगारों को जो प्रसव प्रसुविधाएं दी जाती हैं वे नाममात्र की हैं और यह कि उनके ठीक वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक शिकायतें की जाती हैं, किन्तु वे संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने की परवाह नहीं करते; और

(च) क्या माननीय सदस्य का विचार जांच करके कमियों को दूर करने का है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 1942 – शून्य, 1943 – लगभग 7,000, 1944 – 16,0000.

(ख) हां, ऐसी स्थिति तेजी से पैदा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सरकार कोयला खानों में स्त्रियों के भूमिगत काम करने पर निषेध फिर से लागू कर सके। दूसरी खानों में निषेध पहले से ही लगा है।

(ग) नहीं। जहां तक मुझे पता है, खानों में भूमिगत किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ है। ऐसी कोई रिपोर्ट कभी नहीं मिली है। प्रश्न का अंतिम भाग उत्पन्न नहीं होता।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 21 फरवरी, 1945, पृष्ठ 621.

(घ) इसी प्रकार का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ड.) खान प्रसूति लाभ अधिनियम को प्रशासित करने के लिए मुख्य खान निरीक्षक के अधीन एक ज्येष्ठ श्रम निरीक्षक और दो कनिष्ठ श्रम निरीक्षक काम करते हैं और यह देखने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है कि इस अधिनियम की अपेक्षाएं पूरी की जाएं।

(च) नहीं।

275

*कोयला खानों में काम करने के लिए गोरखपुर के मजदूरों को भर्ती करने की योजना

464. श्री के.सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य गोरखपुर के मजदूरों को भर्ती करने की योजना और कोयला खानों में उन्हें काम पर लगाने के बारे में विस्तृत विवरण देने की कृपा करेंगे;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने मजदूर भर्ती किए जा चुके हैं। इस पर कुल कितना खर्च किया गया है, और उसमें से कितना उन खदानों से वसूल किया गया है और किए जाने की आशा है जिनमें वे मजदूर लगाये गये हैं या लगाये जायेंगे;

(ग) ये मजदूर मजदूरी की कितनी दर और किन–किन सुविधाओं के लिए हकदार हैं और कोयला खानों में लगे अन्य मजदूरों को लागू औसत शर्तों से उनकी तुलना कैसे की जा सकती है; उनके काम की मात्रा और सामान्य दक्षता एवं विभिन्न खानों से जहां वे नियोजित हैं, खनन कार्य के प्रति उनके रूझान के बारे में क्या कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) कौन–कौन अधिकारी इस योजना के कार्यान्वयन के प्रत्यक्षतः प्रभारी हैं और उनका काम क्या–क्या है; इस क्षेत्र में उनका अनुभव कितना है और क्या–क्या अर्हताएं हैं और उन्हें कितनी परिलब्धियां मिलती हैं;

(ड.) किस स्रोत से आवश्यक धन शुरू में प्राप्त होता है; क्या योजना से संबंधित लेखा की महालेखापरीक्षक के नियंत्रणाधीन नियमित रूप से सम्परीक्षा की जाती है; किस अवधि तक इन लेखाओं की सम्परीक्षा पूरी हो चुकी है; और क्या

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 21 फरवरी, 1945, पृष्ठ 629.

लेखाओं की सम्परीक्षा के फलस्वरूप कोई नीति संबंधी या लेखा संबंधी अनियमितता प्रकाश में आई है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) विभिन्न सरकारी कर्मशालाओं में एवं कोयला क्षेत्रों में काम पर लगाने के लिए मजदूरों की भर्ती गोरखपुर लेबर सप्लाई डिपो द्वारा संयुक्त प्रान्त में की जाती है। इन्हें निम्नलिखित सुपरवाईजरों के अधीन टोलियों में संगठित किया जाता है :

> पचास आदमियों की हर टोली के लिए एक सरदार, 250 आदमियों के प्रत्येक दल के लिए एक यूनिट सुपरवाईजर 1000 आदमियों के प्रत्येक शिविर के लिए एक सुपरवाईजर; जगह के अनुसार एक या अधिक शिविरों के कर्मिकों का प्रभारी एक ग्रुप आफिसर।

इन मजदूर शिविरों के लिए सीधे जिम्मेदार अधिकारी उप–निदेशक मजदूर सप्लाई (कोयला) है जिसका मुख्यालय धनबाद में है।

मजदूरों को कार्य स्थल पर 6 माह के लिए या एक साल के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक आवश्यकता रहे, इनमें से जो भी अवधि कम हो, के लिए भर्ती किया जाता है। प्रत्येक मजदूर को मजरी, कपड़ा और कम्बल का एक–एक सैट दिया जाता है। उसे आरम्भिक खर्च पूरा करने के लिए अग्रिम धन भी दिया जाता है और मुफ्त आवास, चिकित्सा सहायता, खाना पकाने का ईंधन और राशन भी दिया जाता है। अच्छे काम और लम्बी सेवा के बोनस के अतिरिक्त उसे विनिर्दिष्ट वेतनमानों के आधार पर किए गए काम के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है।

(ख) खानों में काम के लिए अब तक भर्ती किए गए मजदूरों की कुल संख्या 33,500 है। इस समय काम करने वालों की संख्या 15,000 है।

जनवरी 1945 के अंत तक कुल व्यय 74,16,584 रुपए किया गया।

वसूलियां

जनवरी, 1945 के मध्य तक के बिल की कुल रकम	:	साढ़े चौदह लाख रुपए।
वास्तविक वसूलियां	:	पांच लाख रुपए।

(ग) जब गोरखपुर के मजदूर खदान के इलाकों में काम करते हैं तो वे निम्नलिखित मजदूरी और सुविधाओं के लिए हकदार होते हैं; –

मूल वेतन – 12 आने प्रति दिन।

उत्पादन बोनस – 4 आने प्रति दिन।

भूमिगत काम करने के लिए अतिरिक्त भत्ता – 4 आने प्रति दिन।

इसके अतिरिक्त वह पूरी खुराक के लिए मुफ्त खाद्य पदार्थ पाता है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 14 आने प्रति दिन होती है। वे मुफ्त आवास व मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए भी हकदार हैं।

गोरखपुर के मजदूर समग्रतः स्थानीय मजदूरों की अपेक्षा बेहतर शर्तों पर काम करते हैं।

स्थानीय खदान मजदूर जो पाता है वह इस प्रकार है :–

(i) नकद मजदूरी के रूप में युद्ध पूर्व स्थानीय मजदूरी की दरों से 50 प्रतिशत अधिक – युद्ध पूर्व मजदूरी दरें औसत कामगारों के लिए, भूतल पर काम करने वालों की दशा में लगभग आठ आने और भूमिगत काम करने वालों की दशा में 14 आने;

(ii) खाद्य रियायतें इस प्रकार हैं :

हर रोज की हाजिरी के लिए आधा सेर मुफ्त चावल।

एक रुपए में 6 सेर की रियायती दर पर पर्याप्त दाल की सप्लाई।

इसके अलावा और भी चावल दाल जो उसे नियंत्रित दर पर चाहिए।

वर्तमान रियायती दरों का आशय स्वयं खनिक के लिए रियायती दर पर पूरा राशन देना है और अपने परिवार के लिए उससे नियंत्रित दर अदा करने की अपेक्षा करना है। ये रियायतें पिछली मई में शुरू की गई थीं, लेकिन पहले ये रियायतें कामगारों के परिवारों तक को दी गई थीं और अनाज की ज्यादा मात्रा के लिए थी। कामगारों को अब, अविवाहित की दशा में, उसके बदले दो आना और विवाहित बालकों वाले व्यक्ति की दशा में, पांच आने अतिरिक्त रोकड़ भत्ता दिया जाता है।

खदान मालिकों सहित विभिन्न स्रोतों की रिपोर्टों से पता चलता है कि गोरखपुर के मजदूर बहुत तरह के काम कर लेते हैं, जैसे शिविर बनाना, उत्खनन स्कीमों में ऊपर के बोझ को हटाना, वैगनों में कोयला लादना एवं कोयला तोड़ना। यह भी सूचना है कि वे काम पर नियमित रूप से आते हैं, और सही पर्यवेक्षण के अधीन उनका उत्पादन उतना ही होता है, जितना किसी भी अन्य मजदूर का।

(घ) (1) श्री वाल्श – उप निदेशक, मजदूर आपूर्ति (कोयला) वेतन 1,925/- रुपए प्रति माह

(2) श्री मोरिस – सहायक निदेशक कोयला (उत्पादन), वेतन 1215/- रुपए प्रति माह

श्री वाल्श गोरखपुर मजदूरों से संबंधित सभी विषयों के पूर्ण प्रभारी हैं, जिनमें राशन, वेतन आवास और कल्याण भी शामिल हैं। उन्हें संयंत्र का 12 वर्ष का अनुभव है, वह प्रशासनिक हैसियत में तीन वर्ष आर्मी स्टाफ अफसर और संख्या तीन इण्डियन रिज़र्व बेस में दस महीने तक लेबर स्टाफ आफिसर रहे जहां उन्हें गोरखपुर मजदूरों के मूल संगठन को एकीकृत बल में ढालने का श्रेय प्राप्त था।

श्री मौरिस कार्य स्थल पर मजदूरों, कार्य उत्पादन, औजारों और परिवहन की व्यवस्था के प्रभारी हैं। उन्होंने भारत और बर्मा में पिछले 25 सालों के दौरान विभिन्न वर्गों के मजदूरों से काम लिया है। पिछले दो सालों के दौरान उन्होंने पायनियर बटालियन बनाई है और उसके कमाण्डर रहे।

(ङ.) शुरू में यह खर्च "एडवांस रिपेयेबल – स्पेशल एडवांसिज़" शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाता है, जबकि खान मालिकों से की गई वसूलियां प्राप्ति शीर्ष "XXXI/I – प्रकीर्ण विभाग" में जमा की जाती हैं। किए गए खर्च और वसूलियों में जो अन्तर रहता है उसे कोयला उत्पादन कोष से पूरा किया जाता है। लेखापरीक्षा विभाग खर्च की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार है। अब तक लेखापरीक्षा या लेखाओं की कोई अनियमितताएं सामने नहीं आई हैं।

276

*लेजिस्लेटिव असेम्बली और कौंसिल ऑफ स्टेट्स के वादविवाद का देरी से प्रकाशन (1944 शरद्कालीन सत्र)

13. श्री अनंग मोहन दास : क्या माननीय सदन के नेता यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन तारीखों को लेजिस्लेटिव असेम्बली और कौंसिल ऑफ स्टेट्स के शरद्कालीन सत्र् (नवम्बर) 1944 के वादविवाद माननीय सदस्यों को सप्लाई करने के लिए उपलब्ध कराये गये; और

(ख) किन कारणों से उस वादविवाद का देरी से प्रकाशन हुआ है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 21 फरवरी, 1945, पृष्ठ 630.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) जानकारी संलग्न @विवरण में दी गई है।

(ख) वादविवाद के प्रकाशन में विलम्ब विभिन्न कारणों से था – जैसे आपरेशन संबंधी युद्ध कार्य की अधिकता, फालतू पुर्जों के न बदले के कारण मशीनों का खराब काम करना और ठीक आदमी न मिलने के कारण कर्मचारियों की कमी।

277

*रेल श्रम पर्यवेक्षक, कलकत्ता की वार्षिक रिपोर्ट

532. श्री लालचन्द नवलराय : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल श्रम पर्यवेक्षक, कलकत्ता (i) मजदूरी संदाय अधिनियम और (ii) 1940-41 के बाद आवर्स ऑफ एम्प्लायमैन्ट रेगुलेशन के कार्यान्वयन के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को पेश करते हैं; यदि हां, तो क्या ये रिपोर्टें पूरी प्रकाशित की गई हैं या आंशिक रूप से तथा क्या माननीय सदस्य उनकी प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) के अंतिम अंश का उत्तर ना में है तो क्या माननीय सदस्य का विचार प्रत्येक रेलवे के लिए निम्नलिखित जानकारी तालिका के रूप में अलग–अलग देने का है :

(i) रेल कर्मचारियों पर किए गए जुर्माने की राशि;

(ii) कुल मामलों की संख्या, जिनमें जुर्माना किया गया;

(iii) मजदूरी संदाय अधिनियम के कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितताओं की कुल संख्या;

(iv) आवर्स ऑफ एम्पलाइमेन्ट रेगुलेशन के कार्यान्यन में पाई गई अनियमितताओं की कुल संख्या;

(v) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभिन्न रेल प्रशासनों को किस प्रकार की हिदायतें जारी की गई;

@ विवरण निकाल दिया गया – सम्पादक

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 797.

(vi) भारत सरकार के श्रम विभाग को श्रम पर्यवेक्षक के लिए उन मुद्दों पर किस प्रकार के अभ्यावेदन किए गए जहां पर्यवेक्षक और रेल प्रशासन या बोर्ड के बीच मतभेद हैं; तथा

(vii) उपरोक्त (vi) में उल्लिखित मुद्दों पर दिया गया फैसला?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) वर्ष 1940-41 से मजदूर संदाय अधिनियम तथा वर्ष 1941-42 और 1942-43 के लिए आवर्स ऑफ एम्प्लायमेन्ट एण्ड रेगुलेशन्स के कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक रिपोर्टें समझौता अधिकारी (रेलवेज़) और रेल श्रम पर्यवेक्षक द्वारा पेश की गई। जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को 10 फरवरी, 1944 को उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर में बताया था, सरकार ने कागज की भारी कमी को देखते हुए इन रिपोर्टों को प्रकाशित न करने का फैसला किया है। फिर भी उसने 1942-43 की रिपोर्टों की बाबत तथा भावी रिपोर्टों के बाबत भी एक प्रैस नोट जारी करने का फैसला किया है, जब तक कि ऐसा समय न आ जाए कि उन्हें प्रकाशित करने की पुरानी परिपाटी को फिर से चालू करना सम्भव हो सके।

(ख) ऐसी जानकारी जो तुरन्त उपलब्ध है, संकलित की जा रही है और कालांतर में एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

278

*त्रिपक्षीय (श्रम) सम्मेलनों के लिए कर्मचारी शिष्टमण्डल का गठन

@**533. श्री लालचन्द नवलराय :** क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों अथवा स्थाई समिति के लिए कर्मचारी शिष्टमण्डल में (i) भारतीय मजदूर परिसंघ; (ii) आल इंण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस; तथा (iii) अन्य कामगारों के प्रतिनिधि शामिल हैं;

(ख) 'अन्य कामगारों' के प्रवर्ग (iii) में कौन–कौन से उद्योग और कामगार शामिल हैं और उनके प्रतिनिधि किस प्रकार निर्वाचित या नामांकित किए जाते हैं;

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 798.

@ प्रश्नकर्ता उपस्थित न होने के कारण प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया।

(ग) यदि अन्य कामगारों के प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामांकित किए जाते हैं, तो क्या इस परिपाटी को बन्द करने का विचार है; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(घ) सरकार इन प्रतिनिधियों का किस आधार और किन बातों पर नामांकित करती है; क्या ऐसे नामांकनों में प्रान्तीय सरकार का भी कोई हाथ होता है; और यदि हां, तो कितना;

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख), (ग) और (घ). प्रवर्ग (iii) का संबंध श्रमिकों के हितों से है, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व दो अखिल भारतीय श्रम संगठनों अर्थात आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा भारतीय मजदूर परिसंघ द्वारा नहीं हुआ है। नामांकन भारत सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद किए जाते हैं। फिलहाल इस परिपाटी को बन्द करने का कोई इरादा नहीं है। देश में कामगारों के संगठनों के विकास के वर्तमान चरण में ऐसा नामांकन आवश्यक है।

279

*हाईड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमें

539. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कितनी हाईड्रो–इलैक्ट्रिक स्कीमें चल रही हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक द्वारा कितनी विद्युत पैदा की जाती हैं; और

(ग) उसमें से कितनी विद्युत औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) निजी उद्योग और सैनिक अधिष्ठानों को छोड़कर 34.

(ख) अलग–अलग केन्द्रों के बारे में जानकारी देना सम्भव नहीं है। इन सभी केन्द्रों द्वारा पैदा की गई कुल विद्युत लगभग 1983 लाख के.डब्ल्यू.एच. है।

(ग) लगभग 56 प्रतिशत।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 804.

280

*हाईड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमें

540. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य कितनी हाईड्रो–इलैक्ट्रिक स्कीमों पर विचार किया गया है;

(ख) उनमें से कितनी–कितनी पर (i) भारत सरकार (ii) प्रान्तीय सरकारें और (iii) देशी रियासतें काम करेंगी;

(ग) इन स्कीमों की कुल हार्स पावर कितनी होगी;

(घ) भारत सरकार पहले ही कितनी हार्स पावर मंजूर कर चुकी है;

(ङ) उनमें से कितने हार्स पावर के लिए मशीनरी के संबंध में बातचीत चल रही है या आर्डर दे दिया गया है;

(च) अनुमानतः किस तारीख तक उनके काम शुरू करने और विद्युत उपलब्ध कराने की आशा है; और

(छ) इन स्कीमों में से कौन–कौन सी स्कीम पहली होंगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हाल ही में बहुत सारी स्कीमों पर विचार किया गया है। उनमें से अनेक अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। 31 स्कीमों के लिए संयंत्र की आवश्यकताएं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सूचित की जा चुकी है।

(ख) (i) वर्तमान संविधान के अंतर्गत हाईड्रो–इलैक्ट्रिक स्कीमों का विकास प्रान्तीय सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर भी भारत सरकार उन्हें उतनी सहायता देती है, जितनी सैन्ट्रल टैक्नीकल पावर बोर्ड के माध्यम से मांगी जाती है, जिसकी स्थापना उन्होंने विद्युत विकास स्कीमों को शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में की है।

(ii) और (iii) भाग (क) के उत्तर में बताई गई 31 स्कीमों में से 24 के बारे में प्रान्तीय सरकारें कार्रवाई कर रही हैं और 13 के बारे में देशी रियासतें तथा चार के बारे में निजी कम्पनियां।

(ग) लगभग 6,70,000.

(घ) 1947 की समाप्ति से पहले संयंत्र की आवश्यकता वाली 28 स्कीमें संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अब तक अनुमोदित की जा चुकी हैं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 804-805.

(ड.) सात।

(च) 1946 की समाप्ति और 1949 के बीच।

(छ) संयुक्त प्रान्त सरकार की मोहम्मदपुर हाईड्रो–इलैक्ट्रिक स्कीम कदाचित युद्धस्तर स्कीमों में से पहली स्कीम होगी जो काम करना शुरू करेगी।

श्री मनु सूबेदार : क्या यह बात सच है कि भारत सरकार उन हाईड्रो–इलैक्ट्रिक परियोजनाओं के बारे में अनुचित रूप से कठोर है जो प्रान्तों से और रियासतों से उनके पास भेजी जाती हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं यह नहीं मानता कि यह विश्वास करने के लिए कोई आधार है कि भारत सरकार मामलें में जरूरत से ज्यादा सख्त है।

281

*विद्युत आयुक्त की रिपोर्ट

@**541. श्री मनु सूबेदार :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत आयुक्त द्वारा भारत सरकार को पेश की गई रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में क्यों नहीं रखी गई है;

(ख) क्या विद्युत के संबंध में नीति समिति ने रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी रिपोर्ट की एक प्रति विधानमण्डल के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत टैक्निकल पावर कान्फ्रेंस की कार्यवाहियों से है, जिसके अध्यक्ष विद्युत आयुक्त थे। वह रिपोर्ट छप रही है और उसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होते ही रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत 2 फरवरी, 1945 को आयोजित नीति समिति की दूसरी बैठक की ओर है। उस बैठक के अभिलेख को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसकी प्रतियां कालान्तर में सदन के पुस्तकालय में रख दी जाएगी। इसी समिति की पहली बैठक के अभिलेख सदन के पुस्तकालय में पहले से उपलब्ध हैं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 804.

@ प्रश्नकर्ता अनुपस्थित होने के कारण, प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया।

282

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसूचित जाति के कर्मचारी

556. श्री प्यारे लाल कुरील : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थाई, अस्थाई और कार्य प्रभार कर्मचारीवृन्द में अलग–अलग कार्यपालक इंजीनियरों, उप–खण्ड अधिकारियों और अधीनस्थों के पदों पर नियोजित अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि अनुसूचित जाति के अधीनस्थ पदों के अस्थाई पदाधारियों में से कोई भी वर्ष 1944 के दौरान स्थाई नहीं किया गया; और

(ग) सरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थाई कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए क्या–क्या कार्यवाही करेगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थाई और अस्थाई कार्यपालक इंजीनियरों की संख्या क्रमशः 12 और 55 है। अस्थाई कार्यपालक इंजीनियरों में से दो अनुसूचित जाति के हैं। स्थाई कार्यपालक इंजीनियरों में से इस समुदाय का कोई भी अधिकारी नहीं है और कार्य प्रभार की स्थापना में कार्यपालक इंजीनियर का कोई पद नहीं है।

माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित शेष जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उन्हें दे दी जाएगी।

(ग) पुलिस सेवा में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व विषयक आदेशों के अनुसार प्रत्येक 12 रिक्तियों में से एक (पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों से भिन्न) अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए अलग रखी गई है। इन आदेशों से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। साधारणतः ये आदेश इस विभाग के सभी वर्गों के पदों पर लागू होते हैं।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या मुझे यह पूछने की इजाजत है कि अनुसूचित जातियाँ एक अल्पसंख्यक जाति मानी जाती हैं ताकि उनका हिस्सा 33 प्रतिशत में से आए?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 812-13.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह एक पृथक प्रवर्ग है।

डॉ. सर जिया उद्दीन अहमद : यदि आप उन्हें एक अलग प्रवर्ग में रखते हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत पर इस प्रवर्ग का क्या प्रभाव पड़ेगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। यह उससे बिल्कुल पृथक है।

283

*कलकत्ता और बम्बई को स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों के नई दिल्ली स्थित क्वार्टरों पर धारणाधिकार (लीयन)

564. सैयद गुलाम भिख नैरंग : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों का आवंटन सेवा में वरिष्ठता के अनुसार किया जाता है। यह वरिष्ठता नई दिल्ली/शिमला में किसी व्यक्ति की निरन्तर नियुक्ति की तारीख से गिनी जाती है;

(ख) क्या शिमला स्थानान्तरित ऐसे व्यक्तियों को अपने स्थानान्तरण काल में नई दिल्ली स्थित क्वार्टरों पर धारणाधिकार प्राप्त है :

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में यह निर्धारित किया है कि कलकत्ता में शाखा सचिवालय को स्थानान्तरित अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों पर धारणाधिकार की भी इजाजत है, जबकि सम्बद्ध कार्यालयों के स्थानान्तरित अधिकारी इस विशेषाधिकार के लिए पात्र नहीं होंगे;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य इंजीनियर के कार्यालय, कलकत्ता को स्थानान्तरित कर्मचारियों को नई दिल्ली स्थित अपने क्वार्टर पर धारणाधिकार प्राप्त था और उन्हें दिल्ली वापिस आने पर क्वार्टर आवंटित कर दिए गए;

(ङ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नियोजित कुछ व्यक्तियों की निरन्तर सेवा में व्यवधान जो शिमला से भिन्न स्थानों को स्थानान्तरित किए जाने के कारण आया था, एक विशेष स्थिति के रूप में उनके दिल्ली वापिस लौटने पर माफ कर दिया है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 817-18.

(च) क्या यह सच है कि सेवा के हित में दिल्ली से कलकत्ता, बम्बई आदि को स्थानान्तरित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नई दिल्ली स्थित अपने क्वार्टरों पर धारणाधिकार प्राप्त नहीं है और नई दिल्ली वापिस लौटने पर यह समझा जाता है कि वह क्वार्टर के आवंटन के प्रयोजन के लिए निरन्तर सेवारत नहीं रहे हैं : और

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का है जैसा उपरोक्त भाग (ग) और (ड.) में वर्णित स्थितियों में उपलब्ध है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) 10 नवम्बर, 1942 को या उससे पहले शिमला स्थानान्तरित व्यक्तियों को नई दिल्ली में अपने क्वार्टरों पर धारणाधिकार प्राप्त है, लेकिन जो उस तारीख के बाद अस्थाई तौर पर शिमला स्थानान्तरित किए गए हैं उन्हें उनके स्थानान्तरण की तारीख से एक साल के लिए धारणाधिकार रखने की इजाजत है।

(ग) हां।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य इंजीनियर के कार्यालय के कर्मचारियों में से दो कर्मचारियों को नई दिल्ली में आवंटित क्वार्टर कलकत्ता में उनके रहने की अवधि के लिए रखे रखने दिया गया था। यह अवधि एक साल से कम थी।

(ड.) लेकिन ऐसे मामलों में व्यवधान एक साल से कम था।

(च) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपने क्वार्टर पर धारणाधिकार रखने की तभी छूट दी जाती है, जब संबंधित विभाग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित कर्मचारी एक साल के भीतर दिल्ली लौट आएगा।

(छ) भाग (च) के उत्तर की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

284

*कोयला खान पर उत्पादन उपकर

565. प्रो. एन.जी. रंगा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ब्रिटिश भारत में खानों से भेजे जाने वाले कोयले के एक भाग पर एक रूपए चार आने की दर से उत्पादन उपकर लगाया है;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 818-19.

(ख) क्या संयुक्त प्रान्त के गोरखपुर, बलिया और अन्य जिलों से अकुशल मजदूरों की भर्ती और कोयला क्षेत्रों में उन्हें रखने की लागत उपकर से प्राप्त राशि में से खर्च की जाती है;

(ग) मजदूरों को (स्त्रियों सहित) कौन सा संविदा फार्म हस्ताक्षर करना होता है; क्या सरकार उस आदेश की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी, जिसके अनुसार मजदूर भर्ती किए जाते हैं, और उनका संविदा फार्म भी सदन के पटल पर रखेगी;

(घ) उन्हें भर्ती करने के लिए क्या मशीनरी है;

(ड.) आमतौर पर वे कहां ठहराये जाते हैं;

(च) 31 दिसम्बर, 1944 को विभिन्न कोयला क्षेत्रों के इन मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी थी;

(छ) क्या उनके लिए अलग–अलग शिविर लगाए गए हैं; यदि हां, तो क्या उन्हें शौचालय और स्नानागार की सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ज) अब तक मजदूरों की कितनी टोलियां भेजी जा चुकी हैं और उनकी संख्या कितनी है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) शुरू में सरकार खर्च पूरा करती है। उसका एक भाग खान मालिकों से लिया जाता है और शेष उत्पादन उपकर निधि में से पूरा किया जाता है।

(ग) मजदूर लोग किसी संविदा फार्म पर हस्ताक्षर नहीं करते। वे 6 या 12 महीने के लिए काम करने के लिए मौखिक रूप से राजी हो जाते हैं।

(घ) लेबर सप्लाई डिपो गोरखपुर, जो संयुक्त प्रान्त की सरकार द्वारा चलाया जाता है।

(ङ) बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्र तथा हैदराबाद में सिंघरेनी खदान।

(च) (I) बंगाल/बिहार योजना क्षेत्र : 15,400

(II) सिंघरेनी खादान : 2,500

(छ) हां अधिकांश शिविरों में शौचालय की व्यवस्था है और यह व्यवस्था शीघ्र ही सब जगह कर दी जाएगी। लेकिन स्नानागार नहीं हैं। फिर भी पर्याप्त पानी की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ज) जो मजदूर भेजे गए हैं उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :

बंगाल/बिहार योजना क्षेत्र	:	37,000
सिंघरेनी खादान	:	5,000

285

*कोयला खान कामगारों के शिविरों में चिकित्सा सहायता

566. प्रो एन.जी. रंगा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खान कामगारों के लिए उनके शिविरों में चिकित्सा सहायता देने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे शिविरों में दवाईयों का और शल्य चिकित्सा के उपकरणों का न्यूनतम स्टाक बनाए रखने के लिए कोई अनुसूची बनाई गई है; वहां कितने चिकित्सा कर्मचारी हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं;

(ग) क्या इन शिविरों में रतिज रोगों के इलाज की कोई व्यवस्था है;

(घ) क्या बीमारी होने का कोई रिकार्ड रखा जाता है;

(ङ) यदि हां तो मजदूर शिविरों की स्थापना से 31 दिसम्बर 1944 तक मलेरिया और रतिज रोगों के रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(च) क्या कामगारों की समय–समय पर चिकित्सा जांच के लिए कोई व्यवस्था है;

(छ) यदि हां तो वे सबसे अधिक व्याप्त बीमारियां कौन–कौन सी है जिनका इन जांचों से पता चलता है; और उनका प्रतिशत क्या है;

(ज) क्या कोई मृत्यु हुई है, यदि हां, तो कितनी और किन कारणों से;

(झ) क्या शिविर के चिकित्सा विभाग द्वारा कोई पर्यवेक्षण तंत्र है; क्या स्थानीय सिविल सर्जन इन शिविरों में दौरा करते हैं और गम्भीर रोगियों का इलाज करते हैं; और क्या गम्भीर रोगियों को सिविल अस्पताल ले जाया जाता है?

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) प्रत्येक शिविर में दवाइयों और शल्य–क्रिया उपकरणों का पर्याप्त स्टाक रखा जाता है। प्रत्येक शिविर का, जिसमें एक हजार से अधिक मजदूर होते हैं,

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 810.

एक चिकित्सा स्नातक प्रभारी होता है। एक हजार से कम मजदूरों वाले प्रत्येक शिविर का प्रभारी एक चिकित्सा लाईसेंसधारी होता है।

(ग) हां।

(घ) हां।

(ङ) ये शिविर दूर–दूर तक फैले हैं। इसलिए सीमित समय के भीतर जानकारी हांसिल करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(च) हां।

(छ) अनिमिया। इस मामले में भी मांगे गए आंकड़े एकत्र करने के लिए समय चाहिए।

(ज) हां। पिछले दिसम्बर के अंत तक 156 अधिकांश मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुईं। कुछ मृत्यु कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की वजह से होती हैं।

(झ) हां, डायरेक्टरेट ऑफ अनस्किल्ड लेबर सप्लाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का एक पद मंजूर किया गया है। विशेष व्यवस्था किए जाने की वजह से स्थानीय सिविल सर्जन शिविरों का दौरा नहीं करते। गम्भीर रोगियों को सिविल अस्पताल ले जाया जाता है।

286

*कोयला खान कामगारों के शिविरों में राशन की व्यवस्था

567. प्रो एन.जी. रंगा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन खान मजदूर शिविरों में रहने वाले कामगारों को राशन सीधे सरकार द्वारा दिया जाता है या किसी ठेकेदार के माध्यम से;

(ख) क्या प्रत्येक कामगार को अपना राशन अलग–अलग लेने की इजाजत है अथवा क्या राशन 50 आदमियों की टोली को थोक में दिया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि मजदूरों को प्रायः ठेकेदारों द्वारा कम राशन तोल कर दिया जाता है;

(घ) क्या ये मजदूर अपना राशन स्थानीय सरकार की राशन दुकानों या डिपो से खरीद सकते हैं; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 819-20.

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) खनन मजदूर शिविरों में कामगारों को राशन सरकार द्वारा समूह अधिकारियों के पर्यवेक्षण में ठेकेदार के माध्यम से दिया जाता है।

(ख) राशन प्रत्येक टोली के लिए थोक में हर सप्ताह दिया जाता है।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं, क्योंकि उन्हें मुफ्त सरकारी राशन दिया जाता है।

287

*कोयला खान कामगार शिविरों में शारीरिक दण्ड

568. प्रो एन.जी. रंगा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इन कोयला खान मजदूर शिविरों में कामगारों को शारीरिक दण्ड दिया जाता है; क्या स्त्री और पुरूष दोनों के साथ ऐसा है;

(ख) क्या इन कामगारों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई मशीनरी है;

(ग) क्या भारत सरकार के श्रम कल्याण सलाहकार और उसके सहायक अथवा कोयला खान कल्याण आयुक्त और उनके अधीनस्थ अधिकारी इन कामगारों के कल्याण की देख–रेख के लिए अथवा उनकी शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए सशक्त हैं; यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों की छानबीन कौन करता है; और

(ङ) क्या इन मामलों का कोई रिकार्ड रखा जाता है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) नहीं। स्त्रियों के कोई शिविर नहीं है।

(ख) हां, कामगार अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उप–निदेशक, श्रमिक आपूर्ति (कोयला) के पास जा सकते हैं।

(ग) नहीं। ये मजदूर शिविर उप–निदेशक, श्रमिक आपूर्ति (कोयला) और उसके कर्मचारी–वृन्द की देख–रेख में चलते हैं।

(घ) मुख्य सम्पर्क अधिकारी और अनस्किल्ड लेबर सप्लाई डायरक्टरेट के समूह अधिकारी।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 820.

(ङ) यदि लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तो उपनिदेशक, श्रमिक आपूर्ति (कोयला) के कार्यालय में रिकार्ड रखे जाते हैं। मौखिक शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जहाँ आवश्यक समझा जाता है, रिकार्ड रखा जाता है।

288

*अभ्रक आयोग

661. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम–सदस्य अभ्रक आयोग नियुक्त करने का उद्देश्य बताने की कृपा करेंगे :

(ख) उसे क्या काम सौंपे गए थे और उसकी रचना किस प्रकार की गई थी :

(ग) सरकार ने इस देश के अभ्रक उत्पादकों को किसी भी समय क्या सहायता दी है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) माननीय सदस्य का संकेत सम्भवतः अभ्रक जांच समिति से है। उनका ध्यान संकल्प संख्या एम डी–55 तारीख 15 मई, 1944 और 23 अक्टूबर, 1944 की ओर दिलाया जाता है। इनकी प्रतिलिपियां भारतीय विधानमण्डल के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ग) भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत खनिज विकास सिवाय उस सीमा तक प्रांतीय विषय है जो परिसंघीय विधि द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित किया गया है। इस समय ऐसी कोई परिसंघीय विधि अस्तित्व में नहीं है, बल्कि खनिज विकास का काम पूरी तरह प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दिया गया है। लेकिन इस पर भी युद्ध के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अभ्रक उत्पादकों को माल प्राप्त कराने में उनकी मदद करके और अधिक उत्पादन पर बोनस को अधिलाभ कर से मुक्त करके काफी सहायता दी है।

श्री मनु सूबेदार : क्या यह सच है कि सरकार ने अभ्रक की कीमत निश्चित कर दी है और यह कि अभ्रक थोक में इस सरकार से और सम्बद्ध सरकारों से नियंत्रित कीमत पर खरीदा गया है तथा यह कि यह नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : कीमत नियत कर दी गई है।

श्री मनु सूबेदार : क्या मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि ये कीमत युद्ध से पूर्व की कीमतों की तुलना में कितनी है?

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 5 मार्च, 1945, पृष्ठ 1022-23

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वे ठीक ही हैं।

श्री मनु सूबेदार : कितना अन्तर है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : श्रीमान्, मुझे इस सवाल का नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभ्रक आयोग अभ्रक खनिकों के काम की अवस्थाओं पर विचार करने जा रहा है और यदि हां, तो क्या खनिजों को अभ्रक आयोग पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं, यह उन विषयों में से एक नहीं है, जिनके बारे में आयोग जांच करेगा।

श्री जी. डब्ल्यू. टाईसन : प्रश्न के भाग (ग) के संदर्भ मे, क्या माननीय सदस्य यह बताएंगे कि क्या वह इस बात से संतुष्ट हैं कि युद्धकाल में जिसके दौरान केन्द्रीय सरकार को अभ्रक उद्योग से काफी संबंध रहा है, सरकार ने उन मैकेनाइज्ड खनन कम्पनियों को संरक्षण प्रदान किया है, जिन्हें अभ्रक में अवैध व्यापार के कारण भारी हानि उठानी पड़ी है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : समिति को नियुक्त करने का यह भी एक कारण है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या प्रसूति लाभ अधिनियम अभ्रक कारखानों पर लागू होता है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह सभी खानों पर लागू होता है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या यह सच है कि कारखाना अधिनियम अभ्रक विखण्डन कारखानों पर लागू नहीं होता। यदि हां, तो क्यों?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यह लागू नहीं होता है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या मैं सरकार का ध्यान सितम्बर, 1944 की ट्रेड यूनियन्स रिकार्ड की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट कर सकता हूं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : सम्भवतः इसके लिए और अधिक संतुष्टि की जरूरत हो सकती है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मुझे यह पूछने की इजाजत है कि क्या माननीय सदस्य यह पता लगाने के लिए पूछताछ करेंगे कि अभ्रक कारखानों में कारखाना अधिनियम लागू होता है या नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं पूछताछ करूंगा।

289

*परम्परागत और गैर परम्परागत क्वार्टरों में अन्तर की समाप्ति

662. श्री टी.टी. कृष्णामाचारी : (क) परम्परागत और गैर–परम्परागत क्वार्टरों में अन्तर समाप्त करने के बारे में 10 फरवरी, 1945 को आस्थगन प्रस्ताव के माननीय श्रम सदस्य के उत्तर के संदर्भ में, क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के अन्य विभागों से परामर्श लिया गया था और भारत सरकार के कौन–कौन से और कितने विभाग इस अन्तर को समाप्त करने के प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में थे;

(ख) क्या सम्पदा अधिकारी में अब तक गैर–परम्परागत क्वार्टर की इजाजत देने का विवेकाधिकार निहित रहा है; यदि नहीं, तो अब विवेकाधिकार क्यों दिया गया है;

(ग) सम्पदा अधिकारी किस पद्धति या मशीनरी से अपना यह समाधान कर पाएगा कि वह आवेदक, जो भारतीय है, और यूरोपीय आदतों वाला होने के कारण गैर–परम्परागत क्वार्टर के लिए पात्र हो गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां। सरकार उन विभागों को बताना आवश्यक नहीं समझती जो प्रस्ताव के विपक्ष में या पक्ष में थे।

(ख) नहीं। सम्पदा अधिकारी को गैर–परम्परागत क्वार्टर आवंटित करने में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने यह फैसला किया है कि अपने रहन–सहन के ढंग की बाबत आवेदक द्वारा की गई घोषणा निःसंदेह स्वीकार की जानी चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

290

@परम्परागत और गैर-परम्परागत क्वार्टरों में अन्तर की समाप्ति

663. श्री टी.टी. कृष्णामाचारी : (क) क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले प्रश्न में वर्णित, उसी विषय पर आस्थगन प्रस्ताव के सम्बंध में इसी महीने की 10 तारीख को उनके उत्तर के अनुसार गैर–परम्परागत क्वार्टरों

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 5 मार्च, 1994, पृष्ठ 1023

@ वही, पृष्ठ 1023-24

के अस्थायी धारणाधिकार–प्राप्त लोगों को हटाने का विचार है; यदि हां, तो क्या उन्हें उसी टाइप की आवास–सुविधा आवंटित की जाएगी, यदि वह उपलब्ध है, जिसके लिए वे पात्र हैं,

(ख) ऐसे ऊंचे प्रवर्ग का आवास उपलब्ध न होने की दशा में क्या उन्हें इसके बाद उसी टाइप के मकान में बने रहने देने का विचार है जो उनके पास पहले से है, जब तक कि ऊंची टाइप का आवास उपलब्ध हो; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है। दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

(ख) हां।

291

*अहमदाबाद में व्यवसाय विवाद मध्यस्थता तंत्र भंग

668. श्री के.एस. गुप्ता : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य को अहमदाबाद में पूंजी और उद्योग के विवादों को तय करने के लिए मध्यस्थता के स्थाई तंत्र के भंग होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस भंग को अहमदाबाद के टैक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संयुक्त प्रतिनिधि बोर्ड द्वारा अत्यन्त चिन्ता का विषय समझा जा रहा है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार मध्यस्थता व्यवस्था को बहाल करने का है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(घ) क्या यह सच है कि टैक्सटाईल लेबर ";सोसिएशन और अहमदाबाद के मिल ऑनर्स एसोसिएशन दोनों द्वारा हस्ताक्षरित 1937 का एक लिखित करार है;

(ङ) क्या यह बात सच है कि उपरोक्त करार अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है और उस पर मिल आनर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई नहीं की है यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस विवाद को समाप्त करने के लिए अपने प्रभाव और शक्ति का इस्तेमाल करने का है;

(च) क्या भारत सरकार का विचार कामकाजी वर्गों के फायदे के लिए अहमदाबाद की टैक्टाइल लेबर एसोसिएशन द्वारा सोचे गए लेबर रिसर्च इन्स्टीट्यूट के निर्माण को प्रोत्साहित करना और उसमें मदद करना है;

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मैं टैक्सटाइल लेबर एसोसिशन और मिल ऑनर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद के बीच बोनस संबंधी व्यवसाय विवाद के

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 5 मार्च, 1994, पृष्ठ 1027

बारे में जानता हूं। इसे बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1938 के अधीन चीफ कोन्सिलिएटर द्वारा अपने हाथ में लिया गया है। मुझे माध्यस्थता तंत्र के भंग होने तथा इस प्रश्न में इंगित अन्य विषयों की कोई जानकारी नहीं है। ये सब प्रान्तीय सरकार के विषय हैं।

292

*श्रम विभाग के अधीन कतिपय कर्मचारियों में जाति-आधारित प्रतिनिधित्व

55. सरदार संत सिंह : क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1934 से प्रत्येक वेतनमान में : (i) स्थाई, और (ii) अस्थाई आधार पर उनके अधीन सभी विभागों और कार्यालयों में नियुक्त किए गए उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनका वेतन 100/- रुपए प्रति माह और इससे अधिक है;

(ख) और इनमें से सिखों की संख्या,

(ग) ईसाईयों,

(घ) अधिवास वाले, यूरोपीय तथा आंग्ल भारतीयों, तथा

(ड़) पारसियों की संख्या कितनी–कितनी है; और इस प्रकार नियुक्त किए गए सिखों के पदनाम क्या–क्या हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : जानकारी को इकट्ठा करने में जो समय और श्रम लगेगा, उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा। अतः सरकार इस जानकारी को देने में अपनी असमर्थता, सखेद, प्रकट करती है।

293

@दिल्ली में भूसम्पदा लेन-देन में कमाई

57. श्री सत्य नारायण सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली में मकान सम्पत्ति के लेन–देन में लोग अच्छी कमाई कर रहें हैं; और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 5 मार्च, 1994, पृष्ठ 1039

@ वही।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार को उसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि सरकार ने दिल्ली शहर में निजी मकान सम्पत्ति के विक्रय को विनियमित करने के लिए कानून पारित नहीं किया है।

294

@ब्रिटेन में श्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण

810. श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए युनाईटिड किंग्डम भेजा रहा है;

(ख) प्रशिक्षण का उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या है; तथा

(ग) कितने लोगों को भेजे जाने का प्रस्ताव है और इस स्कीम पर कितना खर्चा आएगा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) इसका उद्देश्य श्रम प्रशासन की, जैसे औद्योगिक संबंधों की, समस्याओं से निपटने के लिए अनुभवी और ठीक से प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत श्रम विवादों को तय करने, कारखानों का निरीक्षण, और श्रम कल्याण, वेतन विनियमन और निरीक्षण, रोजगार कार्यालय, स्थिरीकरण और पुनर्वास भी इसमें शामिल हैं। ये विषय भारत के लिए एकदम महत्वपूर्ण हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः वे सभी विषय आंएगे जो ऊपर दिए गए हैं और ये भागतः श्रम मंत्रालय के मुख्यालय में और भागतः युनाईटिड किंगडम में अन्य केन्द्रों में चलाए जाएंगे। इसकी अवधि लगभग 6-8 माह होगी।

(ग) सरकार का आशय 20-20 अधिकारियों के तीन समूह भेजना है। प्रत्येक समूह में केन्द्रीय सरकार के 12 अधिकारी और प्रान्तीय सरकारों और रियासतों के 8 अधिकारी होंगे। प्रशिक्षणार्थियों के प्रथम समूह के साथ केन्द्रीय सरकार के 12 अधिकारियों को भेजने के लिए वित्तीय मंजूरी दी जा चुकी है और इस मुद्दे पर केन्द्रीय सरकार का खर्च लगभग एक लाख रुपए होगा। प्रान्तीय सरकारें और रियासतें अपने–अपने मनोनीत व्यक्तियों से संबंधित खर्च वहन करेंगी।

@ विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 8 मार्च, 1945, पृष्ठ 1167

सरदार संत सिंह : क्या माननीय सदस्य यह बताएंगे कि किस प्रकार चयन करने का प्रस्ताव है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : प्रान्तों और रियासतों के मनोनीत व्यक्तियों के चयन के संबंध में वे ही जानें। केन्द्र के अधिकारियों के चयन का विषय भारत सरकार का है। मेरे माननीय बन्धु का मुद्दा यह है कि क्या ऐसा चयन करते समय साम्प्रदायिक अनुपात को ध्यान में रखा जाएगा। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव इस सिद्धान्त को लागू करने का है।

सरदार संत सिंह : क्या उन लोगों को अधिमान दिया जाएगा, जो शैक्षिक योग्यताओं के विषय में बेहतर योग्यता–प्राप्त हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यह भी योग्यताओं में से एक योग्यता होगी।

श्री लालचन्द नवलराय : क्या इन अधिकारियों का चयन विभाग विशेष के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा या किसी समिति द्वारा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनका चयन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

श्री मोहम्मद यामीन खान : क्या वे अधिकारी पहले से ही सरकारी सेवा में हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां। वे वही अधिकारी होंगे, जो पहले से नौकरी में है।

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : क्या सरकार स्त्रियों को भी शामिल करेगी? क्योंकि स्त्री कामगारों का कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां।

295

*खान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं खान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष (माननीय सर अब्दुर रहीम) प्रश्न यह है :

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 8 मार्च, 1945, पृष्ठ 1206

"कि खान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

296

कारखाना(दूसरा संशोधन) विधेयक प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं कारखाना अधिनियम 1934 में और संशोधन वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

297

आम बजट-मांगों की सूची जारी

श्रीमती रेणुका रे : (मनोनीत गैर-शासकीय) : श्रीमन्, क्या मुझे यह कहने की अनुमति है कि असंबद्ध सदस्यों को दिए गए समय के दौरान श्री एन. एम. जोशी के प्रस्ताव के बाद मैं श्रम विभाग शीर्ष के अंतर्गत, मांग संख्या 23 के अंतर्गत प्रस्तावों की समेकित सूची पर, अपना कटौती प्रस्ताव संख्या 189 पेश करना चाहती हूं। असंबद्ध सदस्य श्री फ्रैंक एन्थनी और सरदार सन्त सिंह तथा श्री हुसैन भाई लालजी इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि मेरा कटौती प्रस्ताव उनके कटौती प्रस्तावों से पहले ले लिया जाए। मैंने माननीय श्रम सदस्य को भी तदनुसार सूचित कर दिया है। आशा है कि आप कृपया इस व्यवस्था से सहमत होंगे।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : क्या सरकार के सदस्यों को इस पर कोई आपत्ति है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : इस विषय में मुझे कोई अधिकार नहीं है। यह विषय, श्रीमन्, पूरी तरह आपके विवेकाधिकार में है।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : चूंकि माननीय सदस्य ने उन असंबद्ध सदस्यों से इजाजत ले ली है जिनके समय में यह प्रस्ताव लाया जाएगा

और सरकार के पास इस प्रस्ताव का उत्तर तैयार करने के लिए सोमवार या मंगलवार तक काफी समय है, मैं समझता हूं कि कार्यसूची में इस प्रस्ताव को अंकित किए जाने के लिए मेरी इजाजत है।

298

*पंजीकृत व्यवसाय संघ

814. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने पंजीकृत व्यवसाय संघ है और उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है;

(ख) राजकीय उद्यमों को छोड़ कर औद्योगिक उद्यमों में कुल कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए है;

(ग) किस आधार पर सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के व्यवसाय संघों को जैसे डाकतार, रेलवे, आदि को मान्यता दी है;

(घ) सरकार ने भारत सरकार के असैनिक विभागों में विशेषकर युद्ध से उत्पन्न महंगाई के संबंध में, वैध शिकायतों के संबंध में, अधीनस्थ सेवाओं के अभ्यावेदन के लिए किस चैनल की व्यवस्था की है;

(ङ) भारत सरकार ने पिछले पांच सालों में भारत में मजदूर संघों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्या सहायता या अंशदान या अनुदान दिया है और किन परियोजनाओं के लिए दिया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 31 मार्च, 1942 को 747 पंजीकृत संघ थे और उनमें से 455 संघों की सदस्य संख्या (जिन्होंने विवरणियां पेश की थीं) 5,73,520 थी। मुझे खेद है कि इससे बाद की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कारखाना अधिनियम 1934 के अधीन निजी कारखानों में 1943 के दौरान नियोजित व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या लगभग 21 लाख थी और खान अधिनियम 1923 के अधीन वाली खानों में लगभग साढ़े तीन लाख थी। 1942-43 के दौरान असम चाय बागानों में बही खातों पर दर्ज कामगारों की औसत संख्या 6 लाख से कुछ ऊपर थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के संघों की मान्यता को विनियमित करने वाले नियमों की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है।

---
* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 8 मार्च, 1945, पृष्ठ 1171

(घ) असैनिक विभागों में अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से विभागाध्यक्षों को या वैसी ही स्थिति वाले अधिकारियों को अपनी शिकायतें पेश कर सकते हैं अथवा मान्यता प्राप्त संघों, स्टाफ कौसिलों या वर्क्स समितियों, जहां वे हैं, के माध्यम से ऐसे प्राधिकारियों या सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं। कोई भी व्यथित सरकारी कर्मचारी गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 108938 दिनांक 24 अगस्त, 1938 में अंकित हिदायतों के अनुसार अपने विभागाध्यक्ष को या भारत सरकार को अभ्यावेदन कर सकता है। इस अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

(ङ) उन रेल कर्मचारियों को रेल विभाग का अनुदान, जो संघ के पदाधिकारी हैं, आकस्मिक छुट्टी के बारे में कुछ सुविधाएं और संघ की बैठकों में भाग लेने के लिए रेल यात्रा के लिए निःशुल्क पास, अन्य कई प्रत्यक्ष सहायताएं भारत सरकार द्वारा मजदूर संघों को नहीं दी जाती हैं।

299

*युद्ध सप्लाईज कारखानों में मजदूरों के काम के घण्टे, मजदूरी आदि

@ **936. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध सामग्री का उत्पादन करने वाले कारखानों में और खानों में मजदूरों को लगातार कितने घण्टे काम करना पड़ता है और उनके श्रम के लिए उन्हें क्या मजदूरी दी जाती है;

(ख) क्या वही मजदूर उन्हीं कारखानों और खानों में पारियों में काम करते हैं;

(ग) कारखानों और खानों में मजदूरों के लिए अतिकालिक मजदूरी की दर क्या है; और

(घ) कारखानों और खानों में मजदूरों को दिए जाने वाले राशन के लिए उनसे क्या लिया जाता है और मिलों, कारखानों और खानों में प्रत्येक मजदूर को कितना राशन दिया जाता है। क्या सरकार ने कारखानों, मिलों और खानों में मजदूरों को राशन के वितरण पर नजर रखने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) कारखानों में काम के घण्टे, फैक्टरीज ऐक्ट 1934 (कारखाना अधिनियम, 1934) की धारा 34, 36-38 द्वारा विनियमित

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1407.
@ प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने के कारण, प्रश्न का उत्तर सभा–पटल पर रखा गया।

किए जाते हैं और खानों में काम के घण्टे इण्डियन माईन्स ऐक्ट, 1923 (भारतीय खान अधिनियम, 1923) की धारा 22ख और 22ग द्वारा विनियमित किए जाते हैं। युद्ध सामग्री का उत्पादन करने वाले कारखानों की दशा में प्रांतीय सरकारें अनेक मामलों में सब या कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान करती हैं। ये हिदायतें जारी की गई हैं कि अल्पकाल के सिवाय और आपात स्थिति के सिवाय काम के घण्टे प्रति सप्ताह 60 से अधिक नहीं होने चाहिएं। मामूली तौर पर विश्राम की छूट संबंधी कानूनी अपेक्षाओं से कोई छूट नहीं दी जाती है। खेद है कि और अधिक निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कारखानों और खानों के विभिन्न वर्गों में, किसी वर्ग विशेष में विभिन्न इकाईयों में, मजदूरी की दरों में काफी भिन्नता है। मुझे खेद है कि मजदूरी या मजदूरी के सामान्य औसत के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न समझ में नहीं आया।

(ग) फैक्टरीज ऐक्ट 1934 की धारा 47 कारखानों में अतिकालिक मजदूरी की दरें विहित करती है। साधारणतः धारा के प्रावधानों से कोई छूट नहीं दी गई है। आपात स्थिति के सिवाय जिसमें खान की या उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को गम्भीर खतरा होता है, खानों में अतिकालिक काम करने की अनुमति नहीं है।

(घ) कारखानों और मिलों में मजदूरों को दिए जाने वाले राशन के लिए वसूल की जाने वाली कीमतों के बारे में एकरूपता नहीं है। लेकिन यह विदित है कि अनेक नियोजक खाद्यान्न आदि की आपूर्ति नियंत्रित दरों से भी कम दर पर करते हैं।

राशन वाले क्षेत्र में कामगारों को भी उतनी ही राशन की वस्तुएं मिलती हैं, जितनी आम जनता को। भारी कामगार अतिरिक्त राशन के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही पका हुआ भोजन देने वाली औद्योगिक कैंटीनों को अब राशन के बाहर सामग्री मिलती है।

बिहार में कोयला खान कामगारों के लिए नियंत्रित दर पर बुनियादी मानदण्ड साप्ताहिक राशन कामगार और वयस्क आश्रित के लिए चार–चार सेर है तथा बालक के लिए दो सेर तथा एक चौथाई मूल राशन की दाल 6 सेर प्रति रुपए की रियायती दर पर दी जाती है। इसके अलावा आधा सेर चावल या अन्य खाद्यान्न खानों में प्रत्येक हाजिरी के लिए मुफ्त दिया जाता है। बंगाल के कुछ खदानों ने मामूली फेर–बदल के साथ वही मानदण्ड अपनाया है, जबकि दूसरे खदान घटाई गई दरों पर चार सेर प्रति सप्ताह प्रति कामगार की एक–सी दर पर देते हैं। मध्य प्रान्त और बरार के सभी खदानों में रियायती दर पर राशन

हर वयस्क कामगार को 6 सेर प्रति सप्ताह की दर से, प्रत्येक स्त्री आश्रित के लिए साढ़े तीन सेर और प्रत्येक बालक के लिए पौने दो सेर की दर से दिया जाता है। कामगारों को राशन वितरण की देख–रेख के लिए सामान्य फूड राशनिंग संगठनों के अलावा सरकार का कोई विर्शष अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। फिर भी कोयला खानों के संबंध में 6 राशन निरीक्षक नियुक्त किए गए है, बिहार सरकार के अधीन बिहार के लिए और तीन खान विभाग से संबद्ध बंगाल के लिए।

300

*मजदूरों की न्यूनतम अनिवार्य मजदूरी नियत करना

@ **937. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय** : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य ने आवश्यक मजदूरी वर्गों के लिए अपेक्षित आवश्यक वस्तुएं और कपड़ों की कीमतों के अनुसार कारखानों, मिलों और खानों में मजदूरों की न्यूनतम अनिवार्य मजदूरी नियत की है;

(ख) क्या कारखानों, मिलों और खानों में मजदूरों के बालकों की शिक्षा के लिए कोई इन्तजाम किया गया है; क्या प्रौढ़ मजदूरों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था है;

(ग) क्या कारखानों मिलों और खानों में वेतन सहित छुट्टी की कोई व्यवस्था है; और इलाज के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मिलों सहित कारखानों में या खानों में कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए कोई कानून नहीं है।

(ख) कामगारों के बालकों के लिए अथवा प्रौढ़ कामगारों के लिए कारखानों या खानों से बाहर शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रांतीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

कुछ उपक्रमों के स्वामियों ने दोनों परियोजना के लिए स्वयं व्यवस्था की है लेकिन इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। निःसंदेह माननीय सदस्य को यह मालूम है कि औद्योगिक उपक्रमों के मालिकों की इस बाबत कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

(ग) ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जिसके अनुसार वेतन सहित छुट्टियां दी जाएं। जहां तक गैर–मौसमी कारखानों का संबंध है, इस सदन के

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1407.

@ प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित होने के कारण, प्रश्न का उत्तर सभा–पटल पर रखा गया।

समक्ष इस विषय पर एक विधेयक है जो उसने प्रवर समिति के पास भेज दिया है।

कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त बहुत से उद्यम अपने कर्मचारियों को भिन्न–भिन्न मात्रा में वेतन सहित छुट्टियां देते हैं।

जहां तक इलाज का संबंध है, कारखानों और खानों के भीतर कानूनी प्रावधान केवल प्राथमिक उपचार की बाबत है। कुछ उद्यम डिस्पैंसरियां और अस्पताल चलाते हैं, किन्तु, इनके अलावा, कर्मचारियों को प्रान्तीय सरकारों द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

301

*खानों में महिला मजदूर

938. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि खानों में महिला मजदूरों की संख्या कितनी है और क्या खानों में बाल मजदूर अर्थात् अवयस्क हैं; यदि हां, तो किस–किस आयु के;

(ख) कारखानों, मिलों और खानों में स्त्रियों को क्या–क्या प्रसूति सुविधाएं दी जाती हैं। माननीय सदस्य खानों में महिला मजदूरों को कब तक काम पर लगाए रखने की सोचते हैं;

(ग) कारखानों, मिलों और खानों में श्रम कल्याण अधिकारियों का क्या काम है; उनकी योग्यताएं क्या हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) 1943 में खानों में महिला मजदूरों की संख्या 72,403 थी (इसमें वे भी शामिल हैं जो भूतल पर और भूमिगत काम करती हैं), 1944 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इंडियन माईन्स ऐक्ट (भारतीय खान अधिनियम) के अनुसार खानों में कोई भी बालक नियोजित नहीं है।

(ख) इस समय लागू (या विचाराधीन) प्रसूति सुविधा संबंधी विधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। बम्बई और मद्रास से हाल में प्राप्त जानकारी से संकेत मिलते हैं कि उन प्रांतों में कुछ मिलों ने प्रसूति सुविधा प्रतिदिन आठ आने की कानूनी दर से बढ़ाकर 12 आने कर दी है।

सवाल के दूसरे भाग के बारे में, स्त्रियों को खानों में काम से पूरी तरह हटाने का कोई इरादा नहीं है।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1408-09

(ग) श्रम कल्याण अधिकारियों के कार्य इस प्रकार हैः

(i) नियोजको और कामगारों के बीच श्रमिक संबंधों और कार्य अवस्थाओं के बारे में निकट सम्पर्क स्थापित करना।

(ii) नियोजको और कामगारों के बीच उचित समझ–बूझ, घनिष्ट सहयोग और कठिनाईयों की आपसी समझ में वृद्धि करना।

(iii) कामगारों के कल्याण के लिए रचनात्मक सुझाव देना तथा उपक्रम की समस्त कल्याणकारी गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

(iv) अपने आपको कामगारों की शिकायत से परिचित कराना और ऐसी शिकायतों को दूर करवाने तथा साधारणतः मतभेद के कारणों को दूर कराने का प्रयास करना।

जहां तक योग्यताओं का संबंध है, शैक्षिक योग्यताओं को उचित महत्व दिया जाता है, फिर भी अनिवार्य योग्यता यह है कि अभ्यर्थियों को सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को अधिमान दिया जाता है जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय या सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, बम्बई जैसे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

प्रांतों में और खानों में इस समय लागू (या विचाराधीन) प्रसूति सुविधा संबंधी विधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

प्रान्त	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अर्हक अवधि (मास)	प्रसूति सुविधाओं के लिए अधिकतम अवधि (सप्ताह)	प्रसूति सुविधाओं की दर	नियोजक द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के लिए दण्ड
बम्बई	1929	9	8	8 आने प्रति दिन या औसत दैनिक मजदूरी जो भी कम हो। लेकिन बम्बई और अहमदाबाद शहरों में आठ आने प्रति दिन	500/- रु.
मध्य प्रांत और बरार	1930	9	8	8 आने प्रति दिन या औसत दैनिक मजदूरी जो भी कम हो।	500/- रु.

मद्रास	1934	1 वर्ष	7	8 आने प्रति दिन अवधि के भीतर 240 दिन (8 माह)	250/- रु.
संयुक्त प्रांत	1938	6	8	8 आने प्रति दिन या औसत दैनिक मजदूरी जो भी अधिक हो।	पहले अपराध के लिए 500/- रु. और दूसरे तथा बाद के हर अपराध के लिए एक हजार रुपए
बंगाल	1939	9	8	यथोक्त	500/- रु.
पंजाब	1943	9	60 दिन	12 आने प्रति दिन	500/- रु.
असम	1944	150 दिन	8	1. प्रसव से पहले की अवधि के लिए एक रुपया प्रति सप्ताह और प्रसव से बाद की अवधि के लिए ¼ आने प्रति सप्ताह बशर्ते कि कुल नकद भुगतान 14/- रुपए हो 2. दूसरे रोजगारों में दो रूपए प्रति सप्ताह या औसत साप्ताहिक मजदूरी या वेतन जो भी अधिक हो।	500/- रु.
खानों में (इंडियन माईन्स मैट्रर्निटी बेनिफिट ऐक्ट के अधीन)	1941	6	8	8 आने प्रति दिन	500/- रु.

302

*यूनाइटेड किंगडम में भारतीयों का श्रम कल्याण में प्रशिक्षण

939. श्री अमरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्रम विभाग काफी लोगों को श्रम कल्याण में प्रशिक्षण के लिए यूनाईटेड किंगडम भेजने जा रहा है; यदि हां, तो सरकार इन लोगों को भारत में प्रशिक्षण क्यों नहीं दे सकती। उनके प्रशिक्षण की स्कीम की लागत क्या होगी; और ऐसे प्रशिक्षार्थियों की न्यूनतम अपेक्षित योग्यता क्या होगी?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सबसे पहले 20-20 अधिकारियों के तीन जत्थे भेजने का विचार है जिनमें से लगभग 12 केन्द्रीय सरकार के अधिकारी होगें तथा 8 प्रान्तीय सरकारों और रियासतों के। प्रशिक्षणार्थियों के प्रथम जत्थे के साथ केन्द्रीय सरकार के 12 अधिकारियों को भेजने के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। आरम्भिक चरणों में युद्ध के तुरन्त बाद के काल की श्रम प्रशासन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और अनुभव परीक्षण की लम्बी प्रक्रिया के बिना भारत में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यूनाईटेड किंगडम जैसे अन्य अधिक उन्नत औद्योगिकृत देशों के अनुभव और पद्धति का लाभ उठाना आवश्यक है।

पहले जत्थे में मनोनीत व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमानित खर्च एक लाख रुपए है। प्रान्तीय सरकारों और रियासतों ने अपने मनोनीत कर्मचारियों की बाबत खर्च वहन करेंगी।

न्यूनतम योग्यताएं है कि वे अधिकारी सरकारी नौकरी में हों या सरकार के अधीन पद भरने के लिए अभिहित हों तथा उन्हें सामाजिक कार्य का या श्रम विधान के प्रशासन का अनुभव हो। उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अधिकारियों को अधिमान दिया जाएगा।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1409-10
प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित होने के कारण, प्रश्न का उत्तर सभा–पटल पर रखा गया।

303

*दिल्ली प्रान्त में कारखाना निरीक्षक और श्रम कल्याण अधिकारी

964. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रान्त में कारखाना निरीक्षकों और श्रम कल्याण अधिकारियों की संख्या कितनी है और क्या उनमें स्त्रियां भी हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों ने कारखानों में कामगारों के लिए उचित निवास क्वार्टर सुलभ कराने की अत्यावश्यकता के बारे में रिपोर्ट दी है और यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है: तथा

(ग) यदि (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार इस विषय पर तुरन्त रिपोर्ट मांगने का है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) दो पूर्णकालिक कारखाना निरीक्षक और दो अपर कारखाना निरीक्षक हैं। बाद वाले अंशकालिक हैं। यहां कोई भी श्रम कल्याण और प्रसूति केन्द्र नहीं हैं। दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली के लोगों के संबंध में बम्बई मैट्रनिटी बेनीफिट्स ऐक्ट 1929 के अधीन निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करती है।

(ख) नहीं, बाद वाला भाग उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार औद्योगिक मजदूरों के आवास के सामान्य प्रश्न पर उचित समय पर विचार करेगी। इसलिए केवल दिल्ली प्रान्त की बाबत विशेष रिपोर्ट मांगने का कोई विचार नहीं है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या सरकार पूर्णकालिक महिला कल्याण अधिकारी को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी?

श्री एन.एम. जोशी : आवास के बारे में "उचित समय" का क्या अर्थ है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझा कि यह कोई बहुत अप्रायिक पद है जिसकी व्याख्या करना जरूरी हो।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1422

304

*दिल्ली कारखानों में मजदूरों को लगाने के लिए ठेका प्रणाली

965. श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में कारखानों में मजदूरों को अभी तक ठेका प्रणाली द्वारा रखा जाता है; यदि हां, तो (i) किन–किन कारखानों में यह प्रणाली लागू है; (ii) इनमें से प्रत्येक कारखाने के द्वारा इस प्रणाली के अंतर्गत नियोजित स्त्री–पुरुष कामगारों की संख्या कितनी है, (iii) कामगारों की औसत दैनिक मजदूरी और महंगाई भत्ते की दर क्या हैं, तथा (iv) क्या कामगारों को फैक्टरीज ऐक्ट और मैट्रनिटी बेनीफिट्स ऐक्ट के अधीन सुविधाएं प्राप्त हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हां। कुछ कारखानों की दशा में ऐसे कारखानों की सूची पटल पर रखी जाती है। ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कामगारों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम है और वह कोयले की लदाई–ढुलाई तक सीमित है। औसत दैनिक मजदूरी और महंगाई भत्ते की दर संबंधी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन महंगाई भत्ता दस रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति माह है और उन कारखानों में जिनमें कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता, मूल वेतन बढ़ा दिया गया है। सभी कारखानों में कामगारों को फैक्टरी ऐक्ट और बम्बई मैट्रनिटी बेनीफिट्स ऐक्ट के अधीन सुविधाएं प्राप्त हैं।

दिल्ली में उन कारखानों की सूची जिनमें तारीख 13 मार्च, 1945 के प्रश्न संख्या 965 में उल्लिखित मजदूर ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं।

1. बिरला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड
2. महावीर कॉटन स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
3. दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड
4. लतीफी प्रिंटिंग प्रैस
5. ग्वालियर पोटरीज लिमिटेड
6. ईश्वर पोटरीज लिमिटेड

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1422-23

7. दिल्ली फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड
8. दिल्ली सेन्ट्रल इलैक्ट्रिक पावर अथॉरिटी लिमिटेड
9. टिन प्रिंटिग एण्ड मैटल वर्क्स लिमिटेड
10. गणेश फ्लोर मिल्स (वेजीटेबल प्रोड्क्ट्स फैक्टरी)
11. अग्रवाल हौजरी मिल्स
12. आर्डनेन्स क्लोथिंग मिल्स
13. मालिक एण्ड कुरैशी
14. एच.एस. सिधु, 26, दरियागंज, दिल्ली
15. गिरधारी लाल गौरी शंकर टैक्सटाइल फैक्टरी
16. मेसर्स प्यारे लाल एण्ड सन्स (लाहौर) लिमिटैड
17. दा प्राईमर टैक्सटाईल फैक्टरी
18. फौईनिक्स कोटन टेप फैक्टरी
19. शर्मा टैक्सटाईल एण्ड जनरल मैन्यूफैक्चरिंग कं.
20. मेसर्स अग्गेरल्लिओस एण्ड कं., 50.गेरीसन बेशन रोड, दिल्ली
21. मेसर्स अग्गेरल्लिओस एण्ड कं., 11.बी, फैज बाजार, दरियागंज, दिल्ली
22. ब्रिटिश निवार फैक्टरी
23. यादव निवार फैक्टरी
24. दिल्ली–प्रैस
25. सक्सरिया प्रिंटिंग वर्क्स
26. ब्रिटिश मोटर कार, ओ.बी.एफ. कं., सैक्शन

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : चूंकि दिल्ली नई दिल्ली के इतना नजदीक है इसलिए क्या सरकार मुझे आश्वासन देगी कि वह यथासम्भव शीघ्र यह जानकारी प्राप्त करेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हां। उचित समय पर।

प्रो.एन.जी. रंगा : मजदूरों को भर्ती करने की इस ठेका प्रणाली का स्वीकृत बुराईयों की दृष्टि से, क्या सरकार इसे समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इस विषय से सरकार का कोई संबंध नहीं है।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या यह सच है कि रॉयल कमिशन ऑन लेबर ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय बन्धु उन मजदूरों की ओर संकेत कर रहे हैं, जो सरकारी विभागों में ठेकेदारों के माध्यम से काम पर लगाए जाते हैं, तो निश्चय ही इस विषय पर विचार किया जाएगा।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस ठेका प्रणाली के अंतर्गत भर्ती किए गए मजदूरों के कल्याण को श्रम कल्याण का विषय नहीं मानती?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय बन्धु जैसा चाहें निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

305

*दिल्ली कारखानों में स्त्रियों की औसत मजदूरी

967. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली कारखानों में नियोजित स्त्रियों की औसत मजदूरी क्या है और क्या उन्हें रोजाना के हिसाब से भुगतान किया जाता है या महीने की दर से;

(ख) उन्हें कितना महंगाई भत्ता दिया जाता है;

(ग) क्या इस प्रकार का काम करने वाले स्त्री–पुरुष कामगारों को दिए जाने वाले वेतन और महंगाई भत्ते में कोई अन्तर है और यदि हां, तो उस अन्तर के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस ठेका प्रणाली के अंतर्गत काम पर लगाई गई स्त्रियों को वही वेतन और महंगाई भत्ता मिलता है, जो सीधे भर्ती की गई स्त्रियों को मिलता है और यदि कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोई कारखाना प्रसूति और बाल कल्याण सुविधाएं सुलभ कराता है और यदि हां, तो किस तारीख से;

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1424-25

(च) क्या इनमें से किसी कारखाने में उनके कर्मचारियों के बालकों की देख–रेख के लिए शिशु गृह की व्यवस्था है या कोई अन्य इन्तजाम किए गए हैं : तथा

(छ) यदि (ङ) और (च) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार कारखाने के मालिकों को आवश्यक इन्तजाम करने के लिए विवश करने के लिए तुरन्त कोई कदम उठाने का है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) दिल्ली में कारखानों में नियोजित स्त्रियों की औसत मजदूरी संबंधी आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। कुछ कारखानों में स्त्रियों को महीने के हिसाब से भुगतान किया जाता है और दूसरे कारखानों में टुकड़ों में या दैनिक हिसाब से भी।

(ख) कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी स्त्री मजदूरों को महंगाई भत्ता दस रुपए से 32 रुपए तक दिया जाता है।

(ग) जहां तक ज्ञात है, एक ही प्रकार का काम करने वाले स्त्री–पुरुषों को जो मजदूरी और महंगाई भत्ता दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं है।

(घ) जहां तक ज्ञात है, कारखानों में स्त्रियों को सीधे काम पर लिया जाता है, न कि ठेकेदारों की मार्फत।

(ङ) दो कारखानों में प्रसूति और बाल कल्याण की सुविधाएं सुलभ हैं।

(च) हां, दो कारखानों में शिशु गृह की सुविधा है। एक कारखाने में कर्मचारियों के बालकों के लिए रोजाना मुफ्त स्नान की व्यवस्था है और अल्पपोषित बालकों को रोजाना आधा सेर दूध मुफ्त दिया जाता है। दूसरे कारखानों में कर्मचारियों के बालकों को कारखानों द्वारा चलाए गए स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है और सभी बालकों को रोजाना आधा आधा–सेर दूध मुफ्त दिया जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

सर विट्ठल एन. चन्दावरकर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या दिल्ली प्रान्त में दिल्ली प्रान्त का अपना कोई श्रम विभाग नहीं है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के लिए का नोटिस दिया जाए।

श्रीमती रेणुका रे : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि क्या माननीय श्रम सदस्य को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि धागे के कारखानों में 35000 स्त्रियाँ हैं जिन्हें कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता और स्त्री पुरुषों को समान मजदूरी नहीं दी जाती

तथा क्या वह इस बारे में जांच करने के इच्छुक हैं और यदि वह ऐसा पाते हैं तो क्या वह उनकी शिकायत दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाएंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय महिला जो कुछ कहेंगी उससे मुझे आश्चर्य नहीं होगा।

श्री एन.एम. जोशी : भाग (क) के उनके उत्तर के संदर्भ में कि जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं।

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या कारखाना निरीक्षक अपनी आवधिक रिपोर्ट सरकार के पास जाती नहीं भेजते। सरकार यह कैसे कहती है कि उसके पास जानकारी नहीं है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : वह अवश्य दिल्ली के मुख्य आयुक्त के पास होगी।

प्रो. एन.जी. रंगा : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में आपका मार्गदर्शन लेना चाहता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक प्रकार का लांछन है, जो एक महिला पर लगाया गया है।

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का अभिप्राय ऐसा कोई लांछन लगाना था। फिर भी आप इसे उन महिला पर छोड़ दें जिन्होंने यह सवाल पूछा था, ताकि वह स्वयं इसे देख लें।

श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आज, सत्तारुढ़ दल के जबाब ऐसे लहजे में दिए गए हैं, जो असामान्य हैं और हमें खाद्य सदस्य से इसकी जानकारी पाने का मौका मिला था और अब, श्रीमान् महिला के प्रश्न का माननीय सदस्य का उत्तर यह है। उन्होंने पूछा था कि क्या वह जांच करेंगे?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : नहीं। क्या मैं यह जानकर आश्चर्य–चकित हो पाऊंगा?

श्रीमती रेणुका रे : और क्या वह इस विषय में छानबीन करने के इच्छुक होंगे?

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : जहां तक प्रश्न के माननीय सदस्य के जबाब के लहजे का संबंध है, मेरे लिए यह आंकना बहुत कठिन है

क्योंकि मुझे खेद है कि जहां तक इसका संबंध है सदन का केवल एक भाग भी इससे चिन्तित नहीं है।

(इस समय अनेक माननीय सदस्य खड़े होकर साथ–साथ बोलने लगे।)

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : शांति, शांति।

306

*दोषसिद्धि के बाद सरकारी कर्मचारी का पुनर्नियोजन

972. श्री मोहम्मद हुसैन चौधरी : दोषसिद्धि के बाद सरकारी कर्मचारी के पुनर्नियोजन के बारे में 14 मार्च, 1944 को तारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के संदर्भ में, क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि उस प्रश्न में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी के बारे में कोई जांच की गई थी या नहीं; और यदि हां, तो उस जांच का परिणाम क्या रहा और सरकार ने क्या कार्रवाई की?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हां। यद्यपि वह व्यक्ति विशेष पंजाब सरकार द्वारा पदच्युत कर दिया गया है, फिर भी उस सरकार ने उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में या अन्यत्र नियोजन हासिल करने की अनुमति दे दी थी। इस वजह से और इस तथ्य के कारण कि वह फरवरी 1942 से लगातार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम कर रहा है, आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई।

मौलवी मोहम्मद अब्दुल घानी : वह क्या आरोप था जिसके कारण पंजाब सरकार ने उस व्यक्ति विशेष को पदच्युत किया था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : केवल हमला।

307

@श्रमिकों के सुधार के लिए युद्धोत्तर योजनाएं

1043. श्री टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस देश में मजदूरों के सुधार के लिए कोई युद्धोत्तर योजनाएं हैं; और

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 13 मार्च, 1945, पृष्ठ 1428

@ वही, 16 मार्च, 1945, पृष्ठ 1598-99

(ख) क्या वह अलग–अलग उद्योगों में नियोजित मजदूरों के रहन–सहन के स्तर में सुधार करने के लिए और उन्हें शिक्षा देने के लिए समस्त संगठित उद्योगों के लाभों का एक हिस्सा अलग रखने के औचित्य पर विचार करेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) इस बाबत सरकार की अंतिम योजनाएं नहीं बन पाई हैं।

(ख) सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में इस सुझाव पर अन्य सुझावों के साथ विचार किया जाएगा।

अब्दुल करयूम : ये योजनाएं कब बनाई जानी सम्भव हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : ज्यों ही अन्वेषण समिति रिपोर्ट दे देती है।

अब्दुल करयूम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समिति के लिए रिपोर्ट देने के लिए कोई समय सीमा है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हां। उन्होंने अगले अगस्त में किसी समय अपनी रिपोर्ट देने का वायदा किया है।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या सरकार अपनी योजनाओं में तेजी लाने के औचित्य पर विचार करेगी? ताकि इस साल के लिए अर्जित लाभों को उद्योगों के लिए इधर–उधर बिखेर देने से पहले वह मजदूरों की अवस्थाओं में सुधार के लिए उन लाभों का एक हिस्सा अलग रखने में समर्थ हो सकें?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

308

*खनिकों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था

1054. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी खान क्षेत्रों में खनिकों के लिए निवासीय क्वार्टरों की व्यवस्था है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(ख) यदि कोई क्वार्टर सुलभ नहीं हैं, तो सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का है, कि खनिकों के पास उचित आवास–सुविधा हो :

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 16 मार्च, 1945, पृष्ठ 1604-05

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि खान क्षेत्रों में स्वच्छता की अवस्थाएं बहुत असंतोषप्रद हैं और यह कि अच्छी वास–सुविधा और उचित स्वच्छता के बिना खनिकों और उनके परिवार के स्वास्थ्य पर और उससे उत्पादन पर बेहद प्रभाव पड़ता है : तथा

(घ) क्या सरकार का विचार (ग) में निर्दिष्ट विषय के बारे मे त्रिपक्षीय सम्मेलन से परामर्श लेने का है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) महत्वपूर्ण खान क्षेत्रों में खनिकों के लिए निवासीय क्वार्टर दिए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इण्डियन माईन्स ऐक्ट के अंतर्गत स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में प्राथमिक अपेक्षाएं दी गई हैं और खान निरीक्षालय यह देखता है कि उनका उचित रूप से पालन किया जाए।

(घ) मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : चूंकि कोयले की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए क्या मैं सरकार से यह पूछ सकती हूं कि क्या वह (ग) में वर्णित सवालों पर विचार करने के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य और इंजीनियरी के विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : हम पहले ही कोयला खान कल्याण समिति नियुक्त कर चुके हैं, जो इन सब सवालों पर विचार करती है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि खान क्षेत्रों में दिए गए मकानों में खनिकों को किस अनुपात में रखा गया है?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है कि मुझे सवाल के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री एन.एम. जोशी : माननीय सदस्य ने गलत बयान दिया है।

309

*खानों में स्त्रियों के भूमिगत काम करने पर निषेध की बहाली

1055. श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों में भूमिगत काम करने वाली महिलाओं के बारे में हाऊस ऑफ कामन्स में प्रश्नोत्तर की हाल की रिपोर्ट देखी है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने मांगी थी, और वह क्या जानकारी है;

(ख) क्या सरकार खानों में स्त्रियों के भूमिगत नियोजन पर निषेध की बहाली के सवाल पर विचार करना समाप्त करेगी;

(ग) सरकार ने स्त्रियों के ऐसे कष्टों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए हैं; क्या वे कम हैं लेकिन भारत में अन्य उद्योगों में वेतन की तुलना में ठीक हैं" और तथ्यों पर आधारित हैं; और

(घ) यदि (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो भारत में अन्य उद्योगों में स्त्री कामगारों के वेतन की दरें क्या हैं?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) सरकार ने संबंधित रिपोर्टें देखी हैं। सरकार इण्डिया आफिस को उनकी रिपोर्ट की प्रगति और अन्तर्वस्तु लोक हित में प्रकट करना आवश्यक नहीं समझती।

(ख) खानों में स्त्रियों के भूमिगत काम करने पर निषेध की बहाली का सवाल बराबर विचाराधीन है।

(ग) और (घ) सेक्रेट्री ऑफ स्टेट ने जो कुछ कहा था, वह यह था कि वेतन की दरें भारत के उस भाग में अन्य उद्योगों के मजदूरों के वेतन की तुलना में ठीक हैं। एकमात्र तुलनीय मजदूर वह है जो पड़ोसी निर्माण कर्मशाला में नियोजित है और सरकार का विश्वास है कि यह बयान सच है।

(ङ) झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में स्वास्थ्य खान बोर्ड द्वारा प्रसव से पहले और प्रसव के बाद के लिए इन्तजाम किए गए है। कुछ बड़ी खानें स्वास्थ्य संबंधी इन्तजाम सुलभ कराती हैं।

---

* विधान सभा वाद–विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 16 मार्च, 1945, पृष्ठ 1605

(च) कुछ बड़ी खानों में महिला डॉक्टर और पर्याप्त कर्मचारी नियोजित किए जाते हैं। बहतु सी खानें अस्पताल में मिड–वाईव्ज और नर्सों की व्यवस्था करती हैं। प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायण : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि क्या सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए सभी खानों में एक–से इन्तजाम करेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : यह विषय हमारे विचाराधीन है।

श्री एन.एम. जोशी : इस तथ्य की दृष्टि से कि सदन ने स्वयं भूमि के नीचे स्त्रियों के रोजगार के विरूद्ध घोषणा की है, क्या भारत सरकार अब इस विधान मण्डल की इच्छा के अनुसार निषेध लागू करेगी?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में सदन का फैसला गुणावगुण पर आधारित होने के बजाय एक राजनीतिक कार्रवाई अधिक है।

प्रो. एन.जी. रंगा : उन्होंने सदन का इरादा जानबूझकर गलत समझा है।

अब्दुल करयूम : व्यवस्था के मुद्दों पर क्या माननीय सदस्य ऐसी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं कि सदन के सुविचारित फैसले के बारे में 'हेतु' का लांछन लगा दिया जाए? यदि हां, तो आगे चलाना बहुत कठिन होगा। हमारी सरकार गैर–जिम्मेदार है और यदि वे इस तरह की बात करेंगे तो...........

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : आप तो भाषण दे रहे हैं। व्यवस्था के मुद्दे पर आप भाषण नहीं दे सकते।

अब्दुल करयूम : क्या वह हेतु का लांछन लगा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : जिस रूप में मैं माननीय श्रम सदस्य को समझा हूं, मुझे विश्वास है कि वह सदन को यह बताना चाहते थे कि इस सवाल पर राजनीतिक दृष्टिकोण सहित अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। जो भी हो मैं नहीं समझता कि वह यह कह कर कि इस सवाल पर राजनीतिक आधारों पर विचार किया गया है, सदन पर किसी गलत हेतु का लांछन लगा रहे हैं।

अब्दुल करयूम : व्यवस्था के मुद्दे पर माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में शासकीय रिपोर्ट देखी जाए। उन्होंने कहा था कि यह एक राजनीतिक कार्रवाई है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस विधानमण्डल द्वारा मतदान के बाद इस सवाल पर फिर से विचार किया था?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने जो कुछ कहा है उससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

310

*भारत के खनिज संसाधनों के विषय में डॉ. कृष्णन के सुझाव

1773. प्रो. एन.जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 मार्च को मद्रास में प्रेजीडेंसी कालेज की जियोलोजी एसोसिएशन के समक्ष डॉ. एम.एस. कृष्णन द्वारा दिए गए व्याख्यान की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जो 14 मार्च के "हिन्दू" में छपी है;

(ख) ताँबा, चाँदी, निकल, प्लेटिनम, टिन, मर्करी, ग्रैफाइट और पोटाश, के पर्याप्त परिमाण प्राप्त करने के लिए और उनके संसाधन बढ़ाने के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उन सब प्रांतों में जिनमें सुगम कोयला खानें नहीं हैं, हाईड्रोलिक (विद्युत) शक्ति का विकास और दोहन करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा रहें हैं ताकि स्थानीय उद्योगों को विकसित किया जा सके;

(घ) क्या विंड थ्रू विंड मिलों से बिजली लेने के लिए और विंड मिलों के उद्योग को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ङ) क्या विभिन्न खनिजों की क्वालिटी परिमाण का आकलन करने के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएं स्थापित करने के डॉ. कृष्णन के सुझाव के बारे में तथा इस सुझाव के बारे में भी कि स्थानीय तौर पर उपलब्ध खनिजों के उपयोग को आयात किए गए खनिजों से अधिमानता दी जाएगी, पूरी तरह अध्ययन किया जाएगा?

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : (क) हां।

(ख) युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण खनिजों और सम्बद्ध पदार्थों का सामरिक स्टाक भारत में बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। किंतु वह कार्यान्वित नहीं हो पाया। सरकार उन चीजों के पुनरीक्षण पर विचार कर रही है जिनकी भारत में कम आपूर्ति है।

(ग) आमतौर पर ऐसे अन्वेषणों के लिए फिलहाल उपलब्ध पूरी तकनीकी मनुष्य शक्ति से हाईड्रो–इलैक्ट्रिक शक्ति संसाधनों का विकास और दोहन करने के लिए

---

* विधान सभा वाद--विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 12 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3899-3901

प्रान्तीय और रियासतों की सरकारों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। सैन्ट्रल टैक्निकल पावर बोर्ड, मानव शक्ति की अपनी वर्तमान संख्या के अधीन रहते हुए, कुछ मामलों में पहले ही सहायता दे रहा है और पर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों के प्राप्त होने पर और अधिक सहायता करेगा। भारत सरकार पूरे देश में हाईड्रो–इलैक्ट्रिक प्रणाली के विकास के बहुत बड़े उपाय की आवश्यकता से पूरी तरह परिचित हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो बड़े–बड़े कोयला भण्डारों से दूर है। किंतु उसका विचार है कि और अधिक अनुभवी तकनीकी कार्मिकों के एक बहुत बड़े निकाय के बिना यह प्राप्ति नहीं की जा सकती और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह ठेके पर विशेषज्ञ तकनीकी कार्मिक करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

(घ) इस समय वायु से विद्युत प्राप्त करने या वायु मिलों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार को सलाह दी जाती है कि ऐसे अधिष्ठापन जबकि मौसमी व्यवस्थाओं के अनुरूप चुने हुए क्षेत्रों में उपयोगी हैं, वे अलग–अलग बहुत ही कम मात्रा में बिजली उत्पादन कर रहे हैं और वह भी रुक–रुक कर,।

(ङ) जियोलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया (भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण) का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है और इसकी प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं का काफी विस्तार किया गया है। खनिज और खनन विषयों पर मुफ्त सलाह और जानकारी देने की दिशा में और अधिक विस्तार किया जा रहा है। भारतीय खनिजों की क्वालिटी का आकलन करने के लिए हाल ही में नियोजित नेशनल मैटलर्जिकल लेबोरेटरी तथा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी को पूरी तरह साधन–युक्त किया जाएगा और खनिज उद्योगों के विकास में दूसरे तरीकों से ये बहुत अधिक आवश्यक सिद्ध होंगी। कच्चे माल के रूप में खनिज और अयस्क के निर्यात के अधिमान में सरकार भारत में उनके घरेलू उपचार और उद्योग पर विचार कर रही है। 1944 से गठित अनेक उद्योग पैनलों ने इस शीर्ष के अंतर्गत मूल्यवान जानकारी और आंकड़े एकत्र किए हैं और नई खनिज नीति बनाने के लिए उनका अध्ययन किया जा रहा है।

प्रो. एन.जी. रंगा : जहां तक भाग (ग) का संबंध है, माननीय सदस्य का कहना है कि इन हाइड्रो–इलैक्ट्रिक बिजली संसाधनों को विकसित करने के लिए उन्हें बहुत सारे विशेषज्ञ चाहिए। सरकार अपेक्षित योग्यता और अर्हता वाले भारतीयों को इस दिशा में विशेषज्ञता प्राप्त कराने के लिए क्या–क्या कदम उठा रही है ताकि उनकी सेवा का इस्तेमाल किया जा सके?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : कई भारतीयों को इन विशेषीकृत व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया है।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्या विद्वानों को भेजने की इस नई स्कीम के हिस्से के रूप में?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : उनके अलावा और भी लोग भेजे गए हैं।

प्रो. एन.जी. रंगा : भाग (घ) के संदर्भ में, मेरे माननीय बन्धु ने विंड पावर का उपयोग करने के सुझाव पर यह कह कर ध्यान नहीं दिया कि इससे केवल रुक–रुक कर बिजली मिल सकती है, अधिक कुछ नहीं है। इस तथ्य की दृष्टि से कि इन विंड मिलों में हजारों किसान लोग रूचि रखते हैं, क्या सरकार प्रयास करके इस विषय पर थोड़ा अधिक ध्यानपूर्वक विचार करेगी और वे तरीके खोजेगी जिनके द्वारा वह सम्भवतः हमारे किसानों और अन्य लोगों को वायु से, यथा सम्भव अधिक से अधिक, शक्ति प्राप्त करने में सहायता कर सकें और इस प्रकार उनकी मदद कर सकें?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा था, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र–विशेष में कितनी वायु है।

प्रो. एन.जी. रंगा : मौसम विज्ञानी विशेषज्ञ हैं और कुछ योजनाओं की रूप–रेखा बनाना और यह देखना उनके लिए सम्भव होना चाहिए कि देश के विभिन्न भागों में वायु का इस्तेमाल करके कितनी बिजली प्राप्त की जा सकती है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : हां, हमने इस पर विचार किया है।

श्री एन.एम. जोशी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस विधानमंडल द्वारा मतदान के बाद इस प्रश्न पर फिर से विचार किया था?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैंने जो कुछ कहा था उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

अनुक्रमणिका

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, 277
अधिक अन्न उपजाओ अभियान, 98
अजहर अली, मोहम्मद, 207, 235–39
अनवर अली, मोहम्मद, 220
अनुसूचित जातियां, 14, 15, 19, 20, 198, 200, 218, 335
अब्दुल कय्यूम, 302–03, 309, 315, 317, 365
अभ्रक आयोग, 342
अभ्रक निर्यात, 37, 40
अभ्रक मिशन, संयुक्त, 37, 38, 40, 42, 43
अविनाशलिंगम चेट्टियार, श्री टी.एस., 246–49, 278, 299, 301–02, 313, 315–17, 347, 363–64
असैनिक सफरमैन, 14–15
अयस्क उ़द्योग, 297
आवास सुविधा, 257
इस्माइल खां, हाजी चौधरी मुहम्मद, 82, 98
उत्पादन उपकर, 337
औद्योगिक विवाद, 132
औद्योगिक संस्थान, 1, 2
कोवन, डब्ल्यू. पी., 6, 7
कराची पत्तन न्यास, 232
कृष्णन, एम.एस., 369
कृष्णामाचारी, टी.टी., 126, 128, 130–32, 242, 311, 344
काज़मी, काजी मुहम्मद अहमद, 14, 69, 70, 76–79, 120, 223–24, 286–88
कार्मिक संघ 164–65
कारखाना अधिनियम, 235, 312, 351
कारखाना निरीक्षक, 358
कारखाना विधेयक, 198, 238, 349
कुरील, प्यारे लाल, 149–50, 200–01, 218, 232–33
कोवासजी जहांगीर, सर, 3, 18, 19, 268
किराया नियंत्रण अधिनियम, 52, 53, 220
किराया नियंत्रण आदेश, 96, 116, 226
कोयला आयुक्त, 195
कोयला उत्पादन, 80,121, 157, 174, 196
कोयला खान, 229, 283, 302, 337, 339, 341
कोयला खान मजदूरी, 106, 340
कोयला खान सुरक्षा (मालभराई) संशोधन विधेयक, 175, 185
कोयला खानों में महिला मजदूर, 190
कोयला व्यापार सम्मेलन, 159
केन्द्रीय लेखन सामग्री कार्यालय, 239
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, 20, 36, 71, 80, 81, 113, 123–25, 257, 262, 335–36
केन्द्रीय विद्युत बोर्ड, 235
केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय, 24, 26

कैलाश बिहारीलाल, 205–06, 208, 218, 285–86, 293
खदान मजदूर, 290
खनिज भंडार, 303
खनिज संसाधन, 369
खाद्य विभाग, 218
खान प्रसूति लाभ अधिनियम, 320, 348
खान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, 108
गजनवी, सर अब्दुल हलील, 22, 24, 26, 117–18, 271
गृह किराया नियंत्रण, 53–56
गानी, मौलवी मुहम्मद अब्दुल, 36, 37, 72, 81, 82, 84, 133–34, 156–57, 184, 226, 228, 284
गुप्ता, आर.आर., 311
गुप्ता, के.एस., 196, 213, 229–30, 303, 323, 325, 345
चट्टोपाध्याय, श्री अमरेन्द्र नाथ, 11, 98, 109, 111, 131–32, 208, 210, 351, 353–54, 357
चन्दावरकर, सर विट्ठल एन., 362
चिकित्सा सहायता, 339
चौधरी, श्री मोहम्मद हुसैन, 168–73, 204, 364
जल आपूर्ति, 112
जस्त, 130
जियाउद्दीन अहमद, डा. सर, 2, 11, 13, 17, 19, 28–31, 33, 36, 61, 107, 151, 194, 199, 221–23, 241–42, 249, 256, 264, 335
जेनेवा कन्वेंशन, 265
जेम्स, सर एफ.ई., 84–85, 179, 189–90, 251–52, 257
जोशी, एन.एम. जोशी, 3, 5, 15–17, 28, 29, 47, 49, 138, 142, 156, 177, 183, 190, 192–93, 197, 227, 230, 267, 270–71, 278, 343, 358, 361, 363, 366, 368
टाईसन, जी. डब्ल्यू, 343
टेन्नेसी वैली अथारटी, 305
तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली पोलीटैक्नीक, 68
तकनीकी विशेषज्ञ, 221
त्रीपक्षीय श्रम सम्मेलन, 151, 331
दामोदर नदी परिवहन, 311
दिल्ली न्यायालय, 243
दिल्ली विद्युत इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रैक्शन कम्पनी, 273–74, 307, 313
दाम, अनंग मोहन, 80, 143, 221, 244, 254, 329
देशमुख, गोविन्द वी., 9–11, 39, 143, 155–56, 161, 199, 248, 263–65, 284, 300
नार्थ ब्लाक, 214
नायडू, जी. रंगय्या, 185, 244
नियोगी के.सी., 1, 4, 5, 8, 9, 45, 47, 80, 97, 100, 104–07, 121–22, 126, 141, 157, 159, 161, 171, 174–75, 178–79, 183, 195, 199, 259–60, 272–73, 275–78, 280, 290, 306–07, 310, 326
नैरंग, सैयद गुलाम भिक, 193–95, 336
पर्यवेक्षक (रेलवे), 200
परमानंद, भाई, 93, 94, 262
पंजाब किराया नियंत्रण अधिनियम, 55, 243
पंजीकृत व्यवसाय संघ, 350
प्रसूति लाभ अधिनियम, 343
बक्शी, मदन सिंह, 125
पांडे, श्री बद्री दत्त, 242, 247, 253, 293–94, 296, 299, 300, 310, 315

पाचवां श्रम सम्मेलन, 297
पिराचा, खान बहादुर शेख फजले–उ–हक, 53–56, 71, 73–75, 243, 262
पैट्रोलियम, 311
बजट-मांग, 349
बनर्जी, डा. पी.एन., 111
बाजोरिया, बाबू बैजनाथ, 18, 21, 37–40, 42, 43
बोनस निधि, 210
बिवेरिज रिपोर्ट, 151
बेगार–पद्धति, 198–99
बेरोजगार श्रमिक, 263
बेराजगारी, 39
बेविन लड़के, 9, 17, 19, 195
भारत सरकार मुद्रणालय, 69, 70, 75, 77–79, 82–84, 89–90, 92, 162, 204, 206, 210–11, 217, 224, 240, 284, 286, 288
भारतीय झरने, 126
भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक, 108
भारतीय भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण, 5, 7, 100, 265, 370
भारतीय मजदूर परिसंघ, 240, 245, 253, 260, 271, 296, 298, 314
भारतीय रेलवे अधिनियम, 47, 48
भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 137
भूसम्पदा लेनदेन, 346
मंगल सिंह, सरदार, 247
मजदूरी, न्यूनतम अनिवार्य, 353
मजदूरी भुगतान अधिनियम, 141, 153–54
मनु सुबेदार, 260, 265–66, 269–70, 319, 332–34, 342–43, 350
महंगाई, 12, 26
महानदी परियोजना, 289
महिला कामगार, 323, 325, 354
महिला सरकारी नौकर, 189
महिलाएं, 229
मुद्रण, 23
मुद्रण तथा लेखन–सामग्री कार्यालय, 22, 88
मुसलमान, 22–24, 71, 81, 82, 85–87, 113
मुहम्मद अज़र अली, 21, 22, 52, 57, 103, 126, 164, 207
मौलवी मुहम्मद घानी, 139
मुहम्मद यामिन खान, 110, 133–35, 136, 182, 184, 227–28, 348
मेहता, जमुनादास, एम; 19, 27, 72, 73, 300
मैटल रिजर्व कम्पनी, 37, 38, 40, 42
मैत्रा, पं. लक्ष्मीकांत, 4, 7, 8, 21, 113, 190, 303
मोटर वाहन (चालक) संशोधन विधेयक, 108
युद्ध आहत (क्षतिपूर्ति बीमा) विधेयक, 68, 107
युद्ध आहत योजना, 138
युद्धोत्तर योजनाएं, 364
रंगा, प्रो. एन.जी., 260, 265, 268–69, 271, 289–90, 303, 305, 319, 321, 337, 339–41, 360–61, 363, 365, 368–71
राष्ट्रीय सेवा श्रम अधिकरण, 195
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, 271
रेणुका रे, श्रीमती, 177, 277, 279–81, 283–84, 319, 321–22, 349, 362–63
रेलवे श्रम पर्यवेक्षक, 49, 330
रेल व्यवसाय विवाद, 294
लालचंद नवलराय, श्री, 2, 3, 23, 24, 44, 45, 53, 61, 85, 104, 110–13, 115, 117–18, 141–43, 184, 190–92,

200, 222, 228, 240–42, 244–45, 248–51, 253, 283, 298–300, 330, 334,348
लालजी हुसैन भाई ए., 29, 139, 143
लेखन सामग्री विभाग, 23
लेबर एक्सचेंज ब्यूरो, 316
लोक सूचना ब्यूरो, 207, 262
लियाकत अली खां, नवाब मोहम्मद, 183
वालवेक, वी.जी., 155
विद्युत आयुक्त, 334
विद्युत दरें, 236–37
वेतन संदाय नियम, 21, 22
वेतन अधिनियम, 44
वुल्फ्रैम, 131
व्यवसाय विवाद मध्यस्थता, 345
श्रम कल्याण, 34, 357–58
श्रम कल्याण सलाहकार, 131, 284
श्रम वेतन, 28
श्रम विभाग, 85–87, 208, 308
श्रमिकों की आर्थिक दशा, 33
श्रीप्रकाश, 316
शाहबान, खान बहादुर मियां गुलाम कादिर मुहम्मद, 150
शिवराज, राव बहादुर एन., 16, 19, 20, 198
संत सिंह, सरदार, 4, 5, 8, 58, 62–67, 96, 113, 115–16, 119, 124–25, 144–48, 152, 201, 204, 214–15, 231, 249, 251, 346, 348
सत्यनारायण सिहां, 297, 346
सफर अली खान, मौलाना, 119, 136, 217
समझौता अधिकारी (रेलवे), 49, 168–69, 200
सिक्ख, 123
सिविल पायनियर फोर्स, 149–50, 185, 188, 200–01, 232–33
सीसा, 130
सुलह अधिकारी, 143
समाचार–पत्र मालिक, 285
सल्फर, 128–30
सल्फ्यूरिक एसिड, 128–30
सिद्दिकी अली खान, नवाब, 154
सुब्बारायण, श्रीमती के. राधाबाई, 268–69, 312, 317–22, 343, 348, 358, 360, 363, 365–68
सेट, एच.ए. साथर एच. इस्साक, 50, 51, 134, 162–64, 322
सैयद मुर्तजा साहिब बहादुर, मौलवी, 68, 72, 85–92
सैयद रजा अली, सर, 308
स्थायी श्रम समिति, 123, 297
स्त्री खनिक, 317
हड़ताल, 1–4
हवाई हमले, 50
हाइड्रो–इलैक्ट्रिक स्कीमें, 332–33
हारुन, सेठ युसुफ अब्दुल्ला, 137, 210–12, 232